नैनीताल बैंक
दि नैनीताल बैंक लि०

NAINITAL BANK
THE NAINITAL BANK LTD.

भारत रत्न
प. श्री गोविन्द बल्लभ पन्त
हमारे संस्थापक

97th ANNUAL REPORT

2018 - 2019

Board Member Welcoming Shri Dinesh Pant, Chairman & CEO at Regional Office

Shri Dinesh Pant, Chairman & CEO (In Office)

निदेशक मंडल
Board of Directors

Sh. Dinesh Pant
Chairman & CEO

Sh. Mukesh Sharma

Sh. Rakesh Kumar Bhatia (Resigned)

Sh. K. Venkateswarlu

Late Dr. (Mrs.) K.K. Sharma

Sh. Mradul Kumar Agarwal

Sh. D K Namdeo (Resigned)

Sh. A. K. Singh
Chief Financial Officer &
Chief Operating Officer

VICE PRESIDENTS

Sh. D.K.Kandpal

Sh. Ravindra Saxena

Sh. Sanjay Lal Sah

Sh. Raman Kumar Gupta

ASSOCIATE VICE PRESIDENTS

Sh. G.C PANT

Sh. Amar Singh

Sh. U. C. Ruwali

Sh.V.K . Mehrotra

Sh.Bhuvnesh Saxena

Sh.H.C.Pant

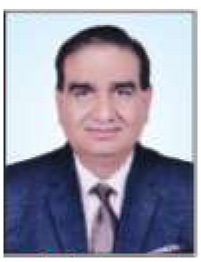

Sh. D. K. LAL

Sh. B. K. JOSHI

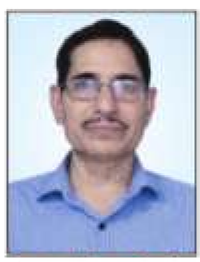

Sh. B.B Pandey

Sh. R. K. Shah

Sh. A. K. Karnatak

Smt.Renu Pathak

Sh. H. S. Nagarkoti

Sh. C. S. KANDPAL

Sh. T. D. Tripathi

Sh. V. K. JOSHI

Sh. S. P. Singh

Sh. S. K. Chhabra

Sh. S. C. SHUKLA

Sh. D. S. Bisht

Sh. Y. C. Sharma

Sh. Raj K. Gupta

NAINITAL BANK
THE NAINITAL BANK LTD.

निष्पादन की मुख्य बातें 2018—19

- 31 मार्च, 2019 को बैंक का कुल कारोबार 31 मार्च, 2018 के स्तर रु.10,772.09 करोड़ से बढ़कर रु.10,930.91 करोड़ हो गया, जो 31 मार्च, 2019को1.47%की वार्षिक वृद्धि दर्शाता है।
- सकल अग्रिमों में पिछले वर्ष की तुलना में 5.94% की वृद्धि दर्ज हुई, जो पिछले वर्ष के अग्रिमों, रु. 3,440.22 करोड़ के मुकाबले बढ़कर रु. 3644.72 करोड़ हो गये।
- कुल जमा राशि पिछले वर्ष के स्तर रु. 7331.87 करोड़ के मुकाबले रु. 7286.19 करोड़ रही।
- कुल जमाओं में कम लागत वाली (CASA) जमाओं का प्रतिशत 33.76%रहा जबकि पिछल वर्ष यह 33.36%था।
- बैंक का ऋण जमा अनुपात पिछले वर्ष के स्तर 46.92%की तुलना में बढ़कर 50.02%रहा।
- बैंक की शुद्ध स्वाधिकृत निधियां 31 मार्च 2019 को बढ़कर 624.00 करोड़ रुपये हो गईं जबकि पिछले वर्ष ये रु. 601.79 करोड़ थीं।
- 31 मार्च, 2019 को जमाओं की लागत पिछले वर्ष 5.96%के मुकाबले 5.94%हो गई।
- अग्रिम पर आय 9.74%रही जबकि पिछले वर्ष यह 10.45%थी।
- प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्धारित स्तर न्यूनतम 40%की तुलना में समायोजित नेट बैंक क्रेडिट (एएनबीसी) का 56.48%रहा।
- 31 मार्च, 2019 को बैंक का परिचालन लाभ रु. 109.31 करोड़ था जबकि 31 मार्च 2018 को यह रु. 97.68 करोड़ था, इस प्रकार पिछले वर्ष की तुलना में 11.91% की बढोत्तरी दर्ज हुई।
- एनपीए के उच्च प्रावधानीकरण के कारण 31 मार्च, 2019 को बैंक का शुद्ध लाभ घटकर रु. 26.88 करोड़ हो गया जबकि 31 मार्च 2018 को यह रु. 48.89 करोड़ था।
- पूंजी पर्याप्तता अनुपात बेसल–II के अनुसार 15.15% और बेसल–III मानदंडों के अनुसार 14.85% था जबकि पिछले वर्ष बेसल–II के अनुसार 15.30% और बेसल–III मानदंडों के अनुसार 14.95% था।

  31 मार्च, 2019 को सकल अग्रिमों में सकल एनपीए 10.65% रहा जबकि पिछले वर्ष यह 4.87% था।
- शुद्ध अग्रिमों में शुद्ध एनपीए पिछले वर्ष के 1.14% की तुलना में बढ़कर 5.77% रहा।
- शुद्ध ब्याज मार्जिन (एनआईएम) पिछले वर्ष 2.67% की तुलना में बढ़कर 2.82:रहा।
- पिछले वर्ष के 0.63% की तुलना में परिसंपत्तियों पर औसत प्रतिफल 0.33% रहा।
- प्रति कर्मचारी व्यवसाय पिछले वर्ष के रु. 11.70 करोड़ के मुकाबले रु. 12.58 करोड़ रहा और प्रति कर्मचारी लाभ पिछले वर्ष के 0.06 करोड़ रुपये की तुलना में 0.03 करोड़ रुपये रहा।
- 31 मार्च, 2019 को प्रति शेयर बही मूल्य पिछले वर्ष रु.77.65 रुपये के मुकाबले बढ़कर रु. 80.52 हो गया।
- 31 मार्च, 2019 को प्रति शेयर आय (ईपीएस) पिछले वर्ष रु. 6.31 के मुकाबले कम होकर रु.3.47 रही।
- उत्तराखंड के दिनेशपुर और नानकमत्ता में दो नई शाखाएँ खोलीं।
- जनवरी 2019 में बैंक यूपीआई प्लेटफार्म पर लाइव हुआ।
- बैंक ने यूआईडीएआई द्वारा आधार उत्कृष्टता पुरस्कार, 2018 के लिए औसत आधार जनन और अद्यतनीकरण की दृष्टि से सर्वोतम निष्पादक निजी बैंक की श्रेणी में तृतीय स्थान प्राप्त किया।
- बैंक की शालीमार बाग शाखा औसत आधार जनन और अद्यतनीकरण की दृष्टि से सर्वोतम निष्पादक निजी बैंक की श्रेणी में सर्वोतम निष्पादक शाखा चुनी गई।

Performance Highlights 2018-19

- Total Business of the Bank increased from ₹10, 772.09 crore as on 31 st March, 2018 to ₹10, 930.91 crore as on 31 st March, 2019 showing annualized growth of 1.47%.
- Gross Advances registered a growth of 5.94% over previous year to reach at ₹ 3, 644.72 crore against ₹ 3,440.22crore last year.
- Total Deposits stood at ₹7286.19 crore against ₹7331.87 crore last year.
- Share of CASA to Total Deposits stood at 33.76% in comparison to last year's 33.36%.
- C. D. Ratio of the Bank increased to 50.02% in comparison to last year's 46.92%.
- Bank's Net owned Funds increased to ₹ 624.00 crore as on March 31 st, 2019 as against ₹ 601.79 crore last year.
- Cost of Deposits decreased to 5.94 % as on March 31 st, 2019 as against 5.96% last year.
- Yield on Advances stood at 9.74% in comparison to last year's 10.45%.
- Priority Sector Lending stood at 56.48% of Adjusted Net Bank Credit (ANBC) against RBI stipulation of minimum 40%.
- Operating Profit of the bank stood at ₹109.31 crore as on 31st March, 2019 against ₹ 97.68 crore as on 31st March, 2018, registering a growth of 11.91%.
- Net Profit of the bank decreased to ₹ 26.88 crore as on 31 st March, 2019, against ₹ 48.89 crore as on 31 st March, 2018 due to higher provisioning for NPAs.
- Capital Adequacy Ratio stood at 15.15% as per Basel-II and 14.85 % as per Basel-III norms as compared to last year's 15.30% as per Basel-II and 14.95% as per Basel-III norms.
- Gross NPA to Gross Advances stood at 10.65% as on March 31st, 2019 as against 4.87% last year.
- Net NPA to Net Advances was increased to 5.77% in comparison to last year's 1.14 %.
- Net Interest Margin (NIM) increased to 2.82% in comparison to last year's 2.67%.
- Average Return on Assets stood at 0.33% in comparison to last year's 0.63%.
- Business per Employee stood at ₹12.58 crore in comparison to last year's Rs.11.70 Crore and profit per employee Stood at ₹ 0.03 crore in comparison to last year's ₹ 0.06 crore.
- Book Value per Share increased to ₹ 80.52 as on March 31st, 2019 as against ₹ 77.65 last year.
- Earnings per Share (EPS) decreased to ₹ 3.47 as on March 31st, 2019 as against ₹ 6.31 last year.
- Opened two new branches at Dineshpur and Nanakmatta in Uttarakhand.
- Bank went LIVE on UPI platform in January 2019.
- Bank ranked 3rd in the category of Best Performing Private Bank in terms of Average Aadhar Generation and Update by UIDAI for The Aadhaar Excellence Awards, 2018.
- Bank's Shalimar Bagh branch Chosen as Best Performing Branch in the category of Best Performing Private Bank in terms of Average Aadhar Generation and Update.

NAINITAL BANK
THE NAINITAL BANK LTD.

विषय–सूची | Contents

निदेशक मंडल की रिपोर्ट	1.	Report of Board of Directors
बेसल–III पिलर–3 प्रकटीकरण	43	Basel-III Pillar -3 Disclosures
31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र	71	Balance Sheet as on 31st March 2019
31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष का लाभ और हानि खाता	72	Profit & Loss Account for the Year Ended 31st March, 2019
तुलन–पत्र की अनुसूचियां	73	Schedules to Balance Sheet
खातो पर टिप्पणियां	81	Notes on Accounts
31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के नकदी प्रवाह का विवरण	108	Statement of Cash Flow for the Year Ended 31st March, 2019
हमारी शाखायें	111	Our Branch Network

97वीं रिपोर्ट निदेशक मंडल की

प्रिय सदस्यों,

आपके बैंक के निदेशक, वित्तीय वर्ष 2018–19 के लेखा परीक्षित तुलन पत्र, लाभ–हानि खाते एवं नकदी प्रवाह विवरणी तथा व्यवसाय व परिचालन विवरणी के साथ बैंक की 97वीं रिपोर्ट सहर्ष प्रस्तुत करते हैं।

कार्य निष्पादन के महत्वपूर्ण संकेतकः

- 31 मार्च, 2019 को बैंक का कुल कारोबार 31 मार्च, 2018 के स्तर रु.10,772.09 करोड़ से बढ़कर रु.10,930.91 करोड़ हो गया, जो 1.47%की वार्षिक वृद्धि दर्शाता है।
- सकल अग्रिमों में पिछले वर्ष की तुलना में 5.94%की वृद्धि दर्ज हुई, जो पिछले वर्ष के अग्रिमोंरु. 3,440.22 करोड़ के मुकाबले बढ़कर रु. 3644.72 करोड़ हो गये।
- कुल जमा राशि पिछले वर्ष के स्तर रु. 7331.87 करोड़ के मुकाबले रु. 7286.19 करोड़ रही।
- कुल जमाओं में कम लागत वाली (CASA) जमाओं का प्रतिशत 33.76%रहा जबकि पिछल वर्ष यह 33.36%था।
- बैंक का ऋण जमा अनुपात पिछले वर्ष के स्तर 46.92%की तुलना में 50.02%रहा।
- बैंक की शुद्ध स्वाधिकृत निधियां 31 मार्च 2019 को बढ़कररु. 624.00 करोड़ रुपये हो गईं जबकि पिछले वर्ष ये रु. 601.79 करोड़ थीं।
- 31 मार्च, 2019 को जमाओं की लागत पिछले वर्ष 5.96%के मुकाबले कम होकर 5. 94%हो गई।
- अग्रिम पर आय 9.74%रही जबकि पिछले वर्ष यह 10.45%थी।
- प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण भारतीय रिज़र्व बैक के निर्धारित स्तर न्यूनतम 40%की तुलना में समायोजित नेट बैंक क्रेडिट (एएनबीसी) का 56.48%रहा।
- 31 मार्च, 2019 को बैंक का परिचालन लाभ रु. 109.31 करोड़ था जबकि 31 मार्च 2018 को यहरु. 97.68 करोड़ था, इस प्रकार पिछले वर्ष की तुलना में 11.91% की बढोत्तरी दर्ज हुई।
- एनपीए के उच्च प्रावधानीकरण के कारण 31 मार्च, 2019 को बैंक का शुद्ध लाभ घटकर रु. 26.88 करोड़ हो गया जबकि 31 मार्च 2018 को यह रु. 48.89 करोड़ था।
- पूंजी पर्याप्तता अनुपात बेसल–II के अनुसार 15.15% और बेसल–III मानदंडों के अनुसार 14.85% था जबकि पिछले वर्ष बेसल–II के अनुसार 15.30% और बेसल–III मानदंडों के अनुसार 14.95% था।
- 31 मार्च, 2019 को सकल अग्रिमों में सकल एनपीए 10.65% था जबकि पिछले वर्ष यह 4.87% था।
- शुद्ध अग्रिमों में शुद्ध एनपीए पिछले वर्ष के 1.14% की तुलना में बढ़कर 5.77% रहा।
- शुद्ध ब्याज मार्जिन (एनआईएम) पिछले वर्ष 2.67% की तुलना में बढ़कर 2.82% रहा।
- पिछले वर्ष के 0.63% की तुलना में परिसंपत्तियों पर औसत प्रतिफल 0.33% रहा।
- प्रति कर्मचारी व्यवसाय पिछले वर्ष के रु. 11.70 करोड़ के मुकाबले रु. 12.58 करोड़ रहा और प्रति कर्मचारी लाभ पिछले वर्ष के 0.06 करोड़ रुपये की तुलना में 0.03 करोड़ रुपये रहा।
- 31 मार्च, 2019 को प्रति शेयर बही मूल्य पिछले वर्ष रु.77.65 रुपये के मुकाबले बढ़कर रु. 80.52 हो गया।
- 31 मार्च, 2019 को प्रति शेयर आय (ईपीएस) पिछले वर्ष रु. 6.31 के मुकाबले कम होकर रु.3.47 रही।
- उत्तराखंड के दिनेशपुर और नानकमत्ता में दो नई शाखाएँ खोलीं।
- जनवरी 2019 में बैंक यूपीआई प्लेटफार्म पर लाइव हुआ।
- बैंक ने यूआईडीएआई द्वारा आधार उत्कृष्टता पुरस्कार, 2018 के लिए औसत आधार जनन और अद्यतनीकरण की दृष्टि से सर्वोतम निष्पादक निजी बैंक की श्रेणी में तृतीय स्थान प्राप्त किया।
- बैंक की शालीमार बाग शाखा औसत आधार जनन और अद्यतनीकरण की दृष्टि से सर्वोतम निष्पादक निजी बैंक की श्रेणी में सर्वोतम निष्पादक शाखा चुनी गई।

97th REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS

Dear Members,

The Directors of your Bank feel immense pleasure in presenting the 97th Annual Report of the Bank along with statement of the Audited Balance Sheet, Profit & Loss Account, Cash-Flow Statement and the Report on Business and Operations for the Financial Year 2018-19.

KEY PERFORMANCE INDICATORS :

- Total Business of the Bank increased from ₹ 10, 772.09 crore as on 31 st March, 2018 to ₹10, 930.91 crore as on 31 st March, 2019 showing annualized growth of 1.47%.
- Gross Advances registered a growth of 5.94% over previous year to reach at ₹ 3, 644.72 crore against ₹ 3,440.22crore last year.
- Total Deposits stood at ₹7286.19 crore against ₹7331.87 crore last year.
- Share of CASA to Total Deposits stood at 33.76% in comparison to last year's 33.36%.
- C. D. Ratio of the Bank increased to 50.02% in comparison to last year's 46.92%.
- Bank's Net owned Funds increased to ₹ 624.00 crore as on March 31 st, 2019 as against ₹ 601.79 crore last year.
- Cost of Deposits decreased to 5.94 % as on March 31 st, 2019 as against 5.96% last year.
- Yield on Advances stood at 9.74% in comparison to last year's 10.45%.
- Priority Sector Lending stood at 56.48% of Adjusted Net Bank Credit (ANBC) against RBI stipulation of minimum 40%.
- Operating Profit of the bank stood at ₹ 109.31 crore as on 31st March, 2019 against ₹ 97.68 crore as on 31st March, 2018, registering a growth of 11.91%.
- Net Profit of the bank decreased to ₹ 26.88 crore as on 31 st March, 2019, against ₹ 48.89 crore as on 31 st March, 2018 due to higher provisioning for NPAs.
- Capital Adequacy Ratio stood at 15.15% as per Basel-II and 14.85 % as per Basel-III norms as compared to last year's 15.30% as per Basel-II and 14.95% as per Basel-III norms.
- Gross NPA to Gross Advances stood at 10.65% as on March 31st, 2019 as against 4.87% last year.
- Net NPA to Net Advances was increased to 5.77% in comparison to last year's 1.14 %.
- Net Interest Margin (NIM) increased to 2.82% in comparison to last year's 2.67%.
- Average Return on Assets stood at 0.33% in comparison to last year's 0.63%.
- Business per Employee stood at ₹ 12.58 crore in comparison to last year's ₹ 11.70Crore and profit per employee Stood at ₹ 0.03 crore in comparison to last year's ₹ 0.06 crore.
- Book Value per Share increased to ₹ 80.52 as on March 31st, 2019 as against ₹77.65 last year.
- Earnings per Share (EPS) decreased to ₹ 3.47 as on March 31st, 2019 as against ₹ 6.31 last year.
- Opened two new branches at Dineshpur and Nanakmatta in Uttarakhand.
- Bank went LIVE on UPI platform in January 2019.
- Bank ranked 3rd in the category of Best Performing Private Bank in terms of Average Aadhar Generation and Update by UIDAI for The Aadhaar Excellence Awards, 2018.
- Bank's Shalimar Bagh branch Chosen as Best Performing Branch in the category of Best Performing Private Bank in terms of Average Aadhar Generation and Update.

वैश्विक आर्थिक परिदृश्य

गत वर्ष पूर्व आर्थिक गतिविधि विश्व के प्रायः समस्त क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रही थी और 2018 व 2019 में वैश्विक अर्थव्यवस्था के 3.9 प्रतिशत की दर से बढ़ने का प्रक्षेपण किया गया था। एक वर्ष बाद, बहुत–कुछ बदल गया है अमेरिका–चीन व्यापार तनाव में बढ़ोतरी, अर्जेंटीना और टर्की में व्यापक आर्थक तनाव ,जर्मनी में ऑटो सेक्टर में अवरोध, चीन में कठोरतर ऋण–नीतियाँ, और विशालतर उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में वित्तीय तंगी के साथ–साथ मौद्रिक नीति के सामान्यीकरण आदि सबने वैश्विक विस्तार के काफी कमजोर रहने में योगदान दिया है, विशेषकर 2018 के उत्तरार्ध में।

2019 के पूर्वार्ध में इस कमजोरी के बने रहने की आशा से विश्व आर्थिक अनुमान (डब्ल्यूईओ) 2019 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में 70 प्रतिशत गिरावट का पूर्वानुमान करता है। 2017 में लगभग 4 प्रतिशत की ऊँचाई पर पहुँची वैश्विक वृद्धि 2018 में 3.6 प्रतिशत तक नरम पड़ गई और 2019 में उसके और गिरकर 3.3 प्रतिशत हो जाने का अनुमान किया गया है। यद्यपि 3.3 प्रतिशत वैश्विक विस्तार भी वाजिब है, किंतु अनेक देशों में अल्प काल में अत्यधिक अनिश्चितता, विशेषकर उन्नत अर्थव्यवस्था वृद्धि दरों के अपने नरम दीर्घकालीन संभावना की ओर झुकने के साथ दृश्य बहुत चुनौतीपूर्ण है।व्यापार संबंधी मतभेद यदि जल्दी सुलझा लिए जाते है जिससे कि व्यवसाय का भरोसा वापस लौट आए और निवेशकों की धारणा और मजबूत हो, वैश्विक वृद्धि जहाँ प्रशंसात्मक ढंग से चकित कर सकती है, वहीं अनुमान के प्रति जोखिमों का संतुलन नकारात्मक बना हुआ है। व्यापार संबंधी तनावों के और बढ़ने तथा नीतिगत अनिश्चितता में संबद्ध बढ़ोतरी से वृद्धि और कमजोर हो सकतीहै।

इसी प्रकार, ओईसीडी के अंतरिम आर्थिक प्रक्षेपणों के अनुसार वैश्विक विस्तार की गति धीमी बनी हुई है। नकारात्मक जोखिमों का निर्माण जारी रहने के साथ वैश्विक वृद्धि और घटकर 2019 में 3.3% और 2020 में 3.4% प्रक्षेपित की गई है। वृद्धि लगभग सभी जी20 देशों में संशोधित करके घटाई गई है, विशेषकर यूरो क्षेत्र में 2019 और 2020 दोनों वर्षों में बड़े संशोधन किए गए हैं।

भारतीय आर्थिक परिदृश्य

भारतीय अर्थव्यवस्था ऊर्ध्वमुखी वृद्धि–पथ पर चलते रहकर वित्तीय वर्ष 2018–19 में लगातार दूसरे वर्ष सर्वाधिक तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी रही, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अग्रिम अनुमानों के अनुसार उसने 2018–19 की अवधि में 7% की वृद्धि–दर दर्ज की।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के विश्व आर्थिक दृश्य की जनवरी अपडेट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था के 2019 में 7.5% की दर से बढ़ने और 2020 के दौरान और बढ़कर 7.7%हो जाने का अनुमान लगाया गया है। उसकी वृद्धि–दर इन्हीं वर्षों के लिए वैश्विक वृद्धि–दरों अर्थात 2019 और 2020 के लिए क्रमश रू 3.5% और 3.6% से बहुत ऊँची आँकी गई है और इस प्रकार उसे बढ़ती वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भी ठोस धरातल पर रखा गया है।

भारतीय अर्थव्यवस्था वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान जबरदस्त औद्योगिक वृद्धि की साक्षी रही और अगले वर्ष भी उसकी यही गति रहने की आशा है। 2011–12 के आधार वाले औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) ने 2018–19 की अप्रैल–जनवरी अवधि में पिछले वर्ष की समान अवधि से 4.4% वृद्धि दर्ज की। व्यापार के मोर्चे पर, भारतीय निर्यात जनवरी 2018 में 3.74% बढकर जनवरी 2019 में 26.36 बिलियन यूएस डॉलर पर पहुँच गए। दवाईयाँ और फार्मास्यूटिकल्स, कार्बनिक एवं अकार्बनिक रसायन तथा सिलेसिलाए वस्त्र क्रमश रू 15.2%, 15.56% और 9.33% की वृद्धि–दर के साथ शीर्ष निष्पादक वस्तु–समूह रहे।

भारतीय बैंकिंग परिदृश्य

भारतीय बैंकिंग प्रणाली में सहकारी ऋण संस्थाओं के अतिरिक्त 27 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, 21 निजी क्षेत्र के बैंक, 49 विदेशी बैंक, 56 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, 1,562 शहरी सहकारी बैंक और 94,384 ग्रामीण सहकारी बैंक शामिल हैं।

वित्तीय वर्ष 2019 की तीसरी तिमाही के अनुसार / वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिया गया कुल ऋण 93,751.17 बिलियन रुपये (1,299.39 बिलियन यूएस डॉलर) रहा और जमाराशियाँ बढ़कर 120,818.92 बिलियन रुपये (1,866.22 बिलियन डॉलर) हो गईं। वित्तीय वर्ष 2018 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की आस्तियाँ 1,557.04 बिलियन यूएस डॉलर रहीं।

GLOBAL ECONOMIC SCENARIO

Economic activities were accelerating in almost all regions of the world during last year and the global economy was projected to grow at 3.9 percent in 2018 and 2019. One year later, much has changed: the escalation of US–China trade tensions, macroeconomic stress in Argentina and Turkey, disruptions to the auto sector in Germany, tighter credit policies in China, and financial tightening alongside the normalization of monetary policy in the larger advanced economies have all contributed to a significantly weakened global expansion, especially in the second half of 2018.

With this weakness expected to persist into the first half of 2019, the World Economic Outlook (WEO) projects a decline in growth in 2019 for 70 percent of the global economy. Global growth, which peaked at close to 4 percent in 2017, softened to 3.6 percent in 2018, and is projected to decline further to 3.3 percent in 2019. Although a 3.3 percent global expansion is still reasonable, the outlook for many countries is very challenging with considerable uncertainties in the short term, especially as advanced economy growth rates converge toward their modest long-term potential. While global growth could surprise favourably if trade differences are resolved quickly so that business confidence rebounds and investor sentiment strengthens further, the balance of risks to the outlook remains on the downside. A further escalation of trade tensions and the associated increases in policy uncertainty could further weaken growth.

Similarly, as per OECD Interim Economic Projections, the global expansion continues to lose momentum. Global growth is projected to ease further to 3.3% in 2019 and 3.4% in 2020, with downside risks continuing to build. Growth has been revised downwards in almost all G20 economies, with particularly large revisions in the euro area in both 2019 and 2020.

INDIAN ECONOMIC ENVIRONMENT

The Indian economy retained its tag of the fastest growing major economy in the world in FY 2018-19 for a second year in a row as it continued its climb on an upward growth path. The economy registered a growth rate of 7% during the 2018-19 period as per advance estimates of the Central Statistical Office.

The economy is projected to grow at the rate of 7.5% during 2019, expanding further to 7.7% during 2020 as per the International Monetary Fund (IMF) World Economic Outlook January update. The growth rates for the economy are pegged much higher than the global growth rates for the same years, at 3.5% and 3.6% for 2019 and 2020 respectively, thus placing the economy on a solid footing even amidst growing global uncertainties.

The Indian economy witnessed robust industrial growth during FY 2018-19 and the momentum is expected to continue next year as well. The Index of Industrial Production (IIP) with base 2011-12 for the April-January period for 2018-19 registered a 4.4% increase over the corresponding period for the previous year. On the trade front, Indian exports grew by 3.74% over January 2018 to reach US$ 26.36 billion in January 2019. Drugs and pharmaceuticals, organic and inorganic chemicals and readymade garments were the top performing commodity groups with growth rates of 15.2 %, 15.56% and 9.33% respectively.

INDIAN BANKING SCENARIO

The Indian banking system consists of 27 public sector banks, 21 private sector banks, 49 foreign banks, 56 regional rural banks, 1,562 urban cooperative banks and 94,384 rural cooperative banks, in addition to cooperative credit institutions.

As of Q3 FY19 @ total credit extended by commercial banks surged to Rs 93,751.17 billion (US$ 1,299.39 billion) and deposits grew to Rs 120,818.92 billion (US$ 1,866.22 billion). Assets of public sector banks stood at US$ 1,557.04 billion in FY18.

वर्ष 2018–19, बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक और देना बैंक के त्रिकोणीय समामेलन का भी साक्षी रहा। भारत में समामेलन अनिवार्यतः एक संकटमोचन कार्रवाई होती है, किंतु अतीत के विपरीत, जहाँ जमाकर्ताओं को बचाने के लिए विफल निजी बैंकों का सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विलय किया गया था, इन तीनों के बीच विलय, बलात् किए जाने के बावजूद, एक ही प्रवर्तक के अधीन किया गया बैंकों का समेकन है, ताकि बड़े पैमाने की किफायतें हासिल की जा सकें और दोहराव टाला जा सके। भारतीय बैंक जोखिम–प्रबंधन के प्रति एकीकृत दृष्टिकोण पर अधिकाधिक फोकस कर रहे हैं। बैंकों ने पहले ही बेसलII के अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग पर्यवेक्षण समझौते को अपना लिया है, और अधिकतर बैंक बेसलIII की पूंजीगत अपेक्षाएँ पूरी करते हैं, जिसकी अंतिम तिथि 31 मार्च 2019 थी।

भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी नवीनतम वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में माना है कि सकल अशोध्य ऋण 2019 में, 2015 के बाद पहली बार, कम होंगे।

आस्ति गुणवत्ता की चिंताएँ कम हुई हैं और उच्चतर प्रावधानों वाले बैंक अधिक मजबूत तुलन–पत्र दर्शाएँगे। अब, वे वृद्धि के पथ पर कितनी तेजी से आ पाएँगे, यह पूँजी उगाहने की उनकी योग्यता पर निर्भर करेगा।

कमजोर बैंकों के पुनर्पूंजीकरण से ऋण–वृद्धि में गति आने, विशेषकर लघु व्यवसायों को, और साथ ही पूँजीगत आवश्यकताएँ पूरी करने में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सहायता मिलने की भी संभावना है। इसका उद्देश्य उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) के ढाँचे से बाहर आने में मदद करना भी है।

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के दौरान दरों में सतत कटौती और हाल ही में लिखतों के एक संयोजन के माध्यम से बैंकिंग–प्रणाली में नकदी डालने की अपनी सुचिंतित कार्रवाई द्वारा रिजर्व बैंक आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए मौद्रिक उपकरणों का प्रयोग करने पर स्पष्ट विचार कर रहा है।

पुनर्खरीद दर में कटौती के अतिरिक्त रिजर्व बैंक उपकरणों के एक संयोजन के माध्यम से प्रणालीगत नकदी बढ़ा रहा है, जिनमें अपने खुला बाजार परिचालनों (ओएमओ) द्वारा बाजार से सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और तीन–वर्षीय डॉलर–रुपया अदला–बदली का आयोजन शामिल हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2018–19 में बाजार में 2.98 लाख करोड़ रुपये की कुल नकदी डाली है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने ऋण सूचना का एक विस्तृत डाटाबेस, सार्वजनिक ऋण पंजीकरण (पीसीआर) की स्थापना करने का निर्णय किया है, जिस तक समस्त हितधारकों की पहुँच है। दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2017 विधेयक पारित कर दिया गया है, जिससे बैंकिंग क्षेत्र के मजबूत होने की आशा है।

बैंक का कार्य निष्पादन

उपरोक्त परिदृश्य में विभिन्न मानकों पर बैंक कार्य निष्पादन निम्नलिखित अनुसार था–

वित्तीय उपलब्धियां

क्र. सं	विवरण	31.03.19 की स्थिति के अनुसार	31.03.18 की स्थिति के अनुसार
1.	कुल ब्याज आय	653.20	617.28
	क. अग्रिमों से ब्याज के रुप में आय	325.35	324.63
	ख. निवेशों से ब्याज के रुप में आय	127.48	135.46
	ग. अन्य	200.37	157.19
2.	गैर ब्याज आय	29.09	35.47
	कुल आय–क (1+2)	682.30	652.75
3.	कुल ब्याज जो दिया गया	425.88	411.41
	क. जमा पर दिया गया ब्याज	425.88	409.55
	ख. अन्य ब्याज व्यय	----	1.86
4.	स्टाफ लागत	90.11	89.87
5.	अन्य परिचालन लागत	57.00	53.81
	कुल खर्चे–ख (3+4+5)	572.99	555.09
	परिचालन लाभ (क–ख)	109.31	97.68
	प्रावधान और आकस्मिकताएं–ग	82.42	48.79
	शुद्ध लाभ (क–ख–ग)	26.89	48.89

The year 2018-19 also witnessed the success of the three-way amalgamation of Bank of Baroda, Vijaya Bank and Dena Bank. Mergers in India are essentially a bail-out exercise. But unlike in the past, where failed private banks were merged with public banks to save depositors, the amalgamation between these three, albeit forced, is consolidation of banks under the same promoter to achieve economies of scale and to eliminate duplication. Indian banks are increasingly focusing on adopting integrated approach to risk management. Banks have already embraced the international banking supervision accord of Basel II, and majority of the banks already meet capital requirements of Basel III, which has a deadline of March 31, 2019.

The Reserve Bank of India in its latest Financial Stability Report acknowledged that gross bad loans would slide in fiscal 2019, the first since 2015.

Concerns over asset quality have eased and banks with higher provisions would show stronger balance sheet. Now, how quick they can take the growth path will hinge on their ability to raise capital.

The recapitalisation of weak banks is expected to boost credit growth, especially to small businesses, as well as help PSU banks meet capital requirements. It is also aimed at helping them come out of Reserve Bank of India's (RBI) prompt corrective action (PCA) framework.

Coupled with a steady rate cut during Monetary Policy committee (MPC), and its decisive action on liquidity infusion into the system recently through a combination of instruments, RBI is clearly looking to use monetary tools to stimulate economic growth.

Apart from repo rate cuts, RBI has been increasing systemic liquidity through a combination of tools, including buying government securities from the market through its open market operations (OMO) and conducting three-year dollar-rupee currency swaps.The Reserve Bank of India had infused total liquidity of Rs 2.98 lakh crore in the market in 2018-19

Reserve Bank of India (RBI) has decided to set up Public Credit Registry (PCR) an extensive database of credit information which is accessible to all stakeholders. The Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Ordinance, 2017 Bill has been passed and is expected to strengthen the banking sector.

BANK'S PERFORMANCE

Under the above scenario the Bank's performance on various parameters was as listed below:

FINANCIAL HIGHLIGHTS

S. No.	Particulars	As on 31.03.2019	As on 31.03.2018
1.	Total Interest Income	653.20	617.28
	(a)Interest Income from Advances	325.35	324.63
	(b)Interest Income from Investments	127.48	135.46
	(c) Others	200.37	157.19
2.	Non Interest Income	29.09	35.47
	TOTAL INCOME -- A(1+2)	682.30	652.75
3.	Total Interest Expended	425.88	411.41
	(a) Interest Expended on Deposits	425.88	409.55
	(b) Other Interest Expenses	------	1.86
4.	Staff Cost	90.11	89.87
5.	Other Operating Costs	57.00	53.81
	Total Expenses—B (3+4+5)	572.99	555.09
	Operating Profit (A-B)	109.31	97.68
	Provision &Contingencies -C	82.42	48.79
	Net Profit (A-B-C)	26.89	48.89

वित्तीय अनुपात

क्र. सं.	विवरण	31.03.19 की स्थिति के अनुसार	31.03.18 की स्थिति के अनुसार
1.	जमा की औसत लागत :	5.94	5.96
2.	अग्रिमों से औसत आय :	9.74	10.45
3.	शुद्ध ब्याज मार्जिन :	2.82	2.67
4.	आस्तियों से औसत प्राप्तिः	0.33	0.63
5.	औसत कार्यशील निधि में स्टाफ का खर्च :	1.12	1.16
6.	औसत कार्यशील निधि पर परिचालन लाभ :	1.36	1.27
7.	प्रति शेयर आय (रु0 में)	3.47	6.31
8.	प्रति शेयर बही मूल्य (रू0 में)	80.52	77.65

पूंजी पर्याप्तता

बेसल–II के मानकों के अंतर्गत बैंक की पूंजी पर्याप्तता जो विगत वर्ष 15.30% थी, इस वर्ष 15.15% रही। 31.03.2019 को सकलपूंजी पर्याप्तता में टीयर–I पूंजी 14.52% थी और टीयर–II पूंजी 0.63% रही।

बेसल–III के मानकों के अंतर्गत 31.03.2019 को बैंक की पूंजी पर्याप्तता 14.85%रही, जो विगत वर्ष 14.95% थी। जिसमें से टीयर I पूंजी 14.41: और टीयर II पूंजी 0.44% रही।

बैंक की निवल स्वाधिकृत निधि 31.03.2018 के 601.79 करोड़ रुपये की तुलना में 31.03.2019 को 624.00 करोड़ रुपये है, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में पूँजी के 3.69% मजबूत होने का सूचक है।

जमा संग्रहण

बैंक की जमाराशियाँ पिछले वर्ष के ₹ 7331.87 करोड़ से घटकर 31.03.2019 को ₹ 7286.19 करोड़ रह गईं, जो 0.62% गिरावट दर्शाती है।

31.03.2019 को कुल जमा राशियों में कम लागत वाली जमा राशियां 33.76 प्रतिशत रहीं जबकि विगत वर्ष ये 33.36 प्रतिशत थीं। 31 मार्च 2019 को जमा राशियों की लागत दर पिछले वर्ष की लागत दर 5.96% की तुलना में घट कर 5.94% हो गई।

FINANCIAL RATIOS

S. No.	Particulars	As on 31.03.2019	As on 31.03.2018
1.	Average Cost of Deposits (%)	5.94	5.96
2.	Average Yield on Advances (%)	9.74	10.45
3.	Net Interest Margin (%)	2.82	2.67
4.	Average Return on Assests (%)	0.33	0.63
5.	Staff Expenses to Avg. Working Fund (%)	1.12	1.16
6.	Operating Profit to Avg. Working Funds (%)	1.36	1.27
7.	EPS (in)	3.47	6.31
8.	Book Value per share (in)	80.52	77.65

CAPITAL ADEQUACY

Bank's Capital Adequacy under Basel II norms stood 15.15 %against 15.30% last year. Out of the Total Capital Adequacy, Tier –I capital was 14.52% and Tier – II was 0.63% as on 31.03.2019.

The Capital Adequacy under Basel-III norms stood at 14.85 % as against 14.95 %. Out of the Total Capital Adequacy, Tier –I capital was 14.41% and Tier – II was .44% as on 31.03.2019.

The Net Owned Funds of the Bank is ₹ 624.00 crore as on 31.03.2019 against ₹ 601.79 crore as on 31.03.2018 representing a strengthening of capital by 3.69 % over previous financial year.

DEPOSIT MOBILISATION

Deposits of the Bank have declined from ₹ 7331.87 crore of last year to ₹ 7286.19 crore as on 31/03/2019 showing decline of 0.62%.

The Share of low cost deposit was 33.76% as on 31.03.2019 as against 33.36% in previous year. Cost of Deposits decreased to 5.94 % as on March 31st, 2019 as against 5.96% last year.

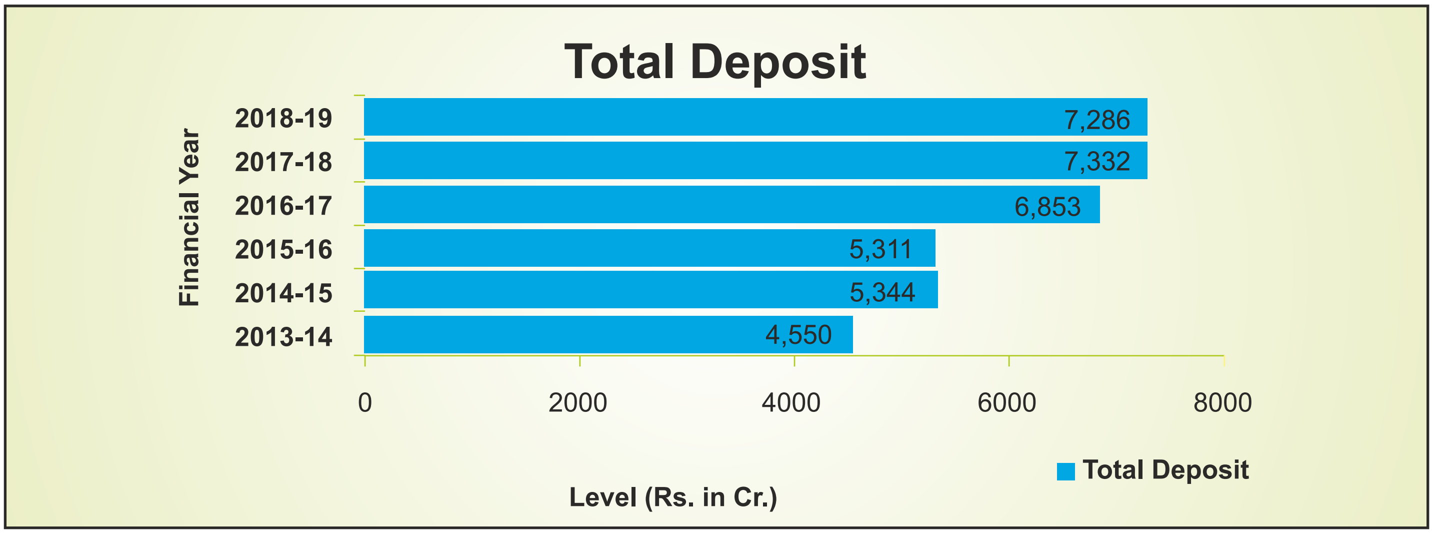

जमाराशियों का सममिश्रण / Deposit Mix

31 मार्च 2019 को / Deposit Mix as On 31st March 2019

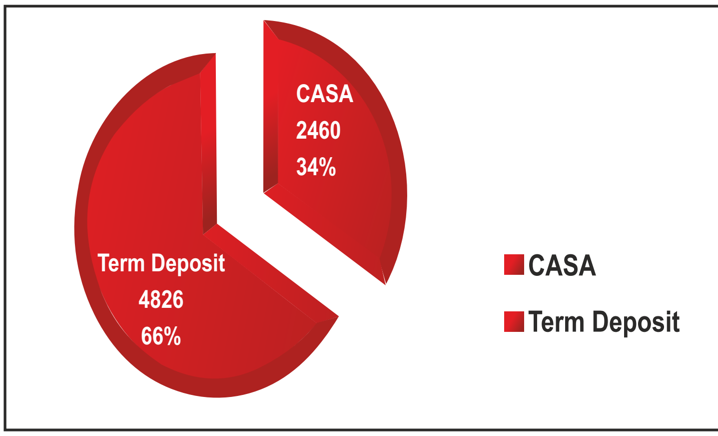

31 मार्च 2018 को / Deposit Mix as On 31st March 2018

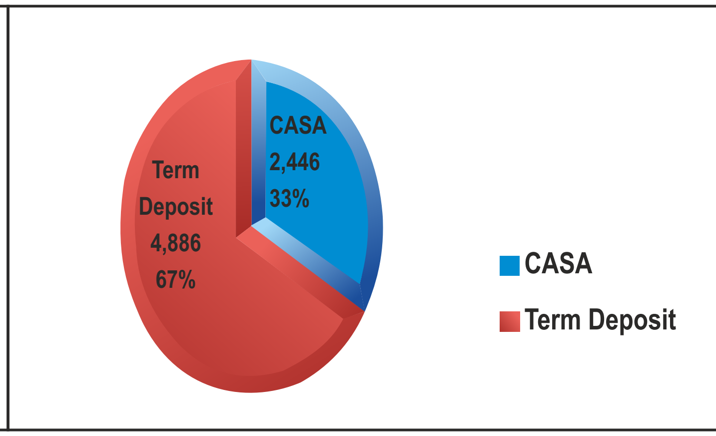

कम लगत वाली जमा राशियों / CASA (Low Cost Deposits)

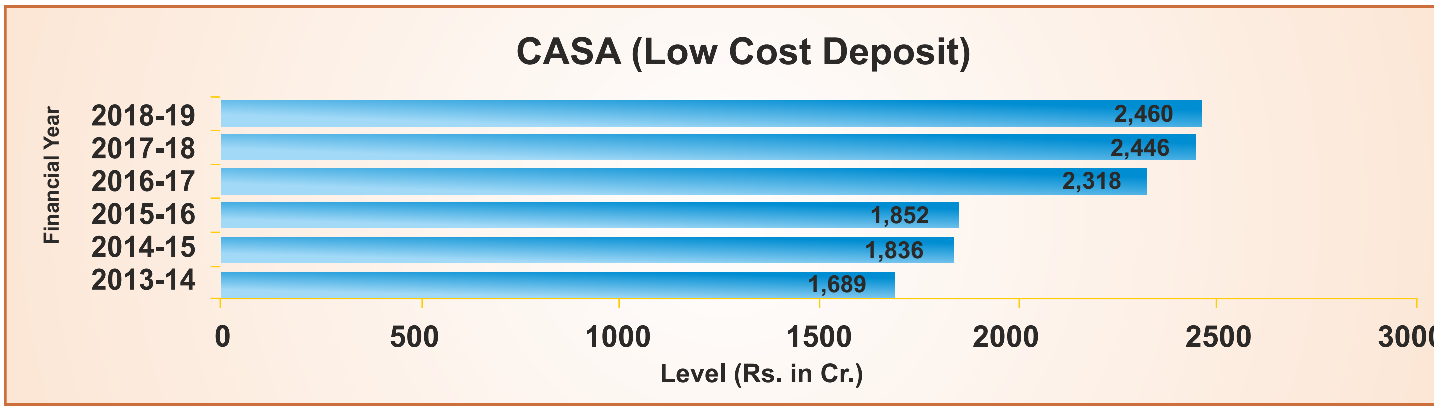

अग्रिम विनियोजन

31.03.2019 को बैंक का सकल ऋण बढ़कर रु.3644.72 करोड़ हो गया जबकि 31.03.2018 को यह रु.3440.22 करोड़ था। इस प्रकार इनमें विगत वर्ष की तुलना में 5.94%की वृद्धि हुई।

CREDIT DEPLOYMENT

The Gross Advances of the Bank increased to ₹ 3644.72 Crore as on 31.03.2019 from ₹ 3,440.22 Crore on 31.03.2018, showing a rise of 5.94% over previous year.

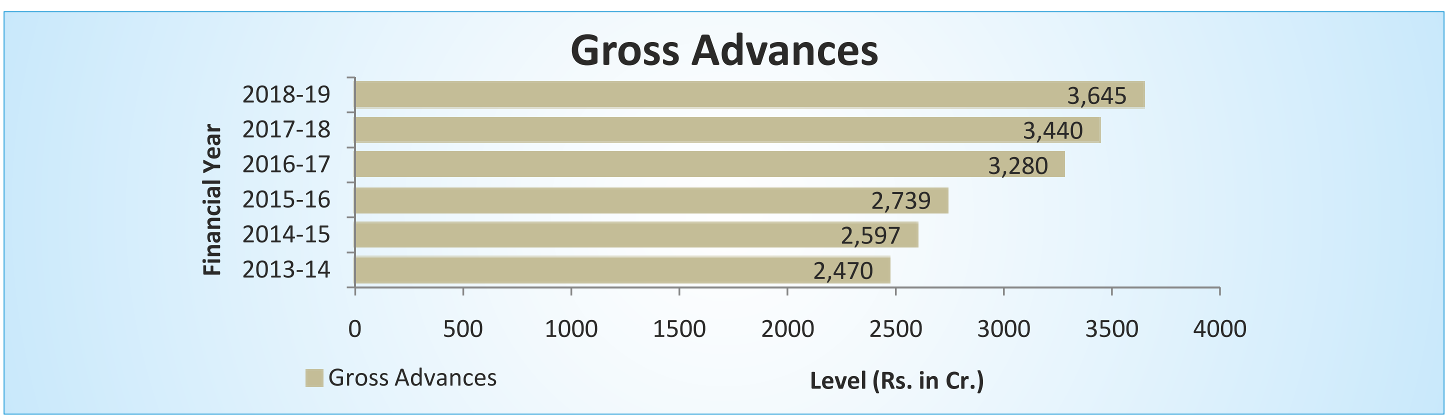

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण पूर्व की तरह ही भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित 40 प्रतिशत की न्यूनतम सीमा से अधिक रहा। 31.03.2019 को बैंक का प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को सकल अग्रिम रू.1964 करोड़ रहा । जबकि 31.03.2018 को यह रू. 1815 करोड़ था, जो कि बैंक के समायोजित शुद्ध ऋण का 56.48 प्रतिशत रहा।

The Priority Sector Advances of the Bank continued to be higher than regulatory stipulation of RBI @ 40%. The Gross Priority Sector Advances of the Bank stood at ₹ 1,964 Crore as on 31.03.2019 against ₹ 1,815 Crore as on 31.03.2018 representing 56.48% of Adjusted Net Bank Credit (ANBC).

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को ऋण / Priority Sector Advances

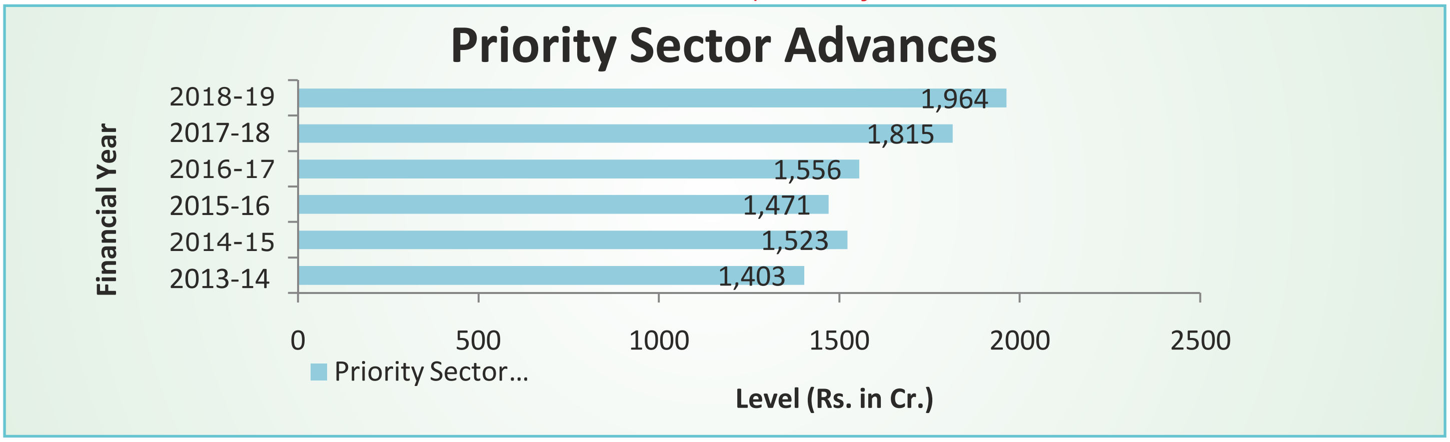

बैंक के खुदरा ऋण जो 31.03.2018 को रू.896 करोड़ थे, 31 मार्च, 2019 को 8.81 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए रू. 975 करोड़ हो गये।

अग्रिमों से औसत प्राप्ति, जो विगत वर्ष 10.45 प्रतिशत थी, 31.03.2019 को कम होकर 9.74 प्रतिशत रह गई।

नये प्रयास एवंप्रौद्योगिकीसमावेश

(क) नई पहल

आज की वैश्विक परिस्थितियों में न केवल सफलता पूर्वक बैंकिंग परिचालन के लिए अपितु ग्राहकों की बढ़ती हुई मांगों को संतोषजनक ढंग से पूरा करने के लिए भी सूचना प्रौद्योगिकी का व्यापक प्रयोग आवश्यक हो गया है। पिछले दो दशकों में तकनीकी प्रगति ने बैंकिंग को पुनःपरिभाषित कियाहै। ग्राहकों को और अधिक कुशलतापूर्वक और प्रभावपूर्ण ढंग से सेवा प्रदान करना, कम्प्यूटरीकरण औरउपलब्ध तकनीक के सर्वाधिक उपयोग के द्वाराहीसंभवहै।बैंक की सभी शाखाएं सीबीएस पटल पर कार्य कर रही हैं और ग्राहकों को इलेक्ट्रानिक भुगतान सुविधाऐं जैसे आरटीजीएस, एनईएफटीआईएमपीएस (एसएमएस चैनल पर मोबाइल बैंकिंग) और नेट बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर रहा है। बैंक अपने ग्राहकों को रुपे डेबिट कार्ड और एसएमएस बैंकिंग उपलब्ध करा रहा है।

बैंक ने सूचना प्रौद्योगिकी युक्त कार्य योजना तैयार की है जिसमें व्यावसायिक वृद्धि और मौजूदा सूचना प्रौद्योगिकी प्लेटफार्म को उन्नत करने/बेहतर बनाने के लिये निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्र, जिन पर जोर देना है, चिन्हित किये हैं। ताकि नैनीताल बैंक लिमिटेड को डिजिटल बैंक बनाया जा सके ।

- बैंकिंग प्रणाली में साइबर खतरों की चुनौतियाँ कम करने के लिए बैंक सुरक्षा परिचालन केंद्र की स्थापना की प्रक्रिया में है।
- बढ़ती व्यावसायिक जटिलता के कारण नई व्यावसायिक अपेक्षाओं से निपटने के लिए बैंक मौजूदा सीबीएस सॉफ्टवेयर के उन्नत वर्जन पर अंतरित होने की प्रक्रिया में है।

विकासात्मक कार्य

ग्राहक की सुविधा सुनिश्चित करने के अपने निरंतर प्रयास में, बैंक ने पेश किया है

- ❖ यूपीआई सेवाओं का सफल कार्यान्वयन।
- ❖ परिपत्र प्रबंधन मॉड्यूल का कार्यान्वयन।
- ❖ एमएसएमई ऋणों के लिए ऋण प्रस्ताव खोज प्रणाली (सीपीटीएस) का कार्यान्वयन।
- ❖ 23 ऑन–साइट बैंक–शाखाओं पर वाइट लेबल एटीएम का विनियोजन।
- ❖ 1 ऑफ–साइट बैंक–शाखा पर वाइट लेबल एटीएम का विनियोजन।
- ❖ चयनित बैंक–शाखाओं पर आधार नामांकन केंद्रों की स्थापना।
- ❖ भारत सरकार की एक पहल, केंद्रीय केवाईसी का सफल कार्यान्वयन।
- ❖ प्रौद्योगिकी–सुसज्जित उपकरणों का उपयोग कर के बैंक को संचालन क्षेत्र के दूर दराज के कोनों तक, यहाँ तक की दूरस्थ गावों तक पहुंचने को सक्षम बनाने के लिए वित्तीय सक्षमता समाधान।
- ❖ गोपालकृष्ण समिति की सूचना सुरक्षा, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, प्रौद्योगिकी जोखिम और साइबर धोखा धड़ी पर सिफारिशें जो बैंक के लिए लागू थी, उन्हें प्रवर्तन तथा कार्यान्वयन के लिए लिया गया है। बोर्ड की आईटी रणनीति समिति, आईटी संचालन समिति, सूचना सुरक्षा समिति, मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सीआईएसओ) तैनात हैं। रिपोर्ट में उल्लिखित विभिन्न दिशा–निर्देशों और नियमों को शामिल करते हुए

Retail Advances of the Bank stood at ₹ 975 Crore as on March 31st, 2019 against ₹. 896 Crore as on 31st March, 2018, registering acceleration of 8.81%.

The Yield on Advances decreased to 9.74% as on 31.03.2019 against 10.45% as on 31.03.2018.

NEW INITIATIVES AND TECHNOLOGY ABSORPTION

(A) New Initiatives

Extensive use of information technology has become a necessity not only to carry out successful banking operations but also to satisfy growing customer demands in present globalized environment. In last two decades, the technology has redefined the 'Banking'. To serve the customer efficiently and effectively, the way-out is to go in for computerization and make maximum use of technology available. Bank's all branches are functioning on CBS platform and facilitating customers by providing electronic payment facility like RTGS, NEFT, UPI, IMPS (mobile banking on SMS channel) and NET BANKING. Bank is issuing EMV chip based Rupay Debit Cards and also providing SMS banking facility to its customers.

Bank has prepared IT Strategy Plan wherein following major thrust areas are identified for achieving business growth and to upgrade/ enhance the existing IT platform so as to make the Nainital Bank Limited a Digital Bank -

- Bank is in process of setting up of Security Operation Centre to mitigate the cyber threats challenges in Banking System.
- Bank is in process of migrating existing CBS software to upgraded version to cope up with the new business requirement because of increasing business complexities.

Developments

In its constant endeavour to ensure customer comfort, the Bank has introduced

- ❖ Successful Implementation of UPI services
- ❖ Implementation of Circular Management Module
- ❖ Implementation of Credit Proposal Tracking System (CPTS) for MSME Loan
- ❖ Deployment of White Label ATMs at 23 on-site Bank's Branches.
- ❖ Deployment of White Label ATM at 1 off-site Bank's Branch.
- ❖ Setting up of Aadhaar Enrolment Centers at selected Bank's Branches.
- ❖ Successful Implementation of Central KYC, an initiative of Govt. of India.
- ❖ Financial Inclusion Solution to enable the Bank to reach nook and corner of the area of operation, even in remote villages using technology enabled tools.
- ❖ Gopalakrishna Committee Recommendations on Information Security, Electronic Banking, Technology Risk and Cyber Frauds as applicable to the Bank have been taken up for enforcement and implementation. IT Strategy Committee of the Board, IT Steering Committee, Information

पुनरुत्थित सूचना सुरक्षा नीति को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है और यह लागू है। जीकेसी की सिफारिशों के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा बोर्ड की आईटी रणनीति समिति और निदेशक मंडल द्वारा तिमाही आधार पर की जाती है। बैंक ने साइबर सुरक्षा नीति और साइबर संकट प्रबंधन योजना भी तैयार की है। नीति में साइबर खतरों से जोखिम और इन जोखिमों को संबोधित कम करने के उपायों पर प्रकाश डाला गया।

❖ सूचना सुरक्षा और जोखिम प्रबंधन–चूंकि बैंक बैंकिंग की उभरती हुई वास्तविकताओं में चुनौतियों का सामना करने के लिए परिष्कृत तकनीक को अपनाते हैं, वे तेजी से तकनिकी जोखिम के संपर्क में आ रहे हैं। इसलिए प्रत्येक बैंक के लिए यह आवश्यक है कि वह अपनी सबसे महत्वपूर्ण सूचना संपत्ति को सुरक्षित करने के लिए उचित आईटी जोखिम प्रबंधनरण नीतियों पर काम करे और यह सुनिश्चित करे कि संबंधित जोखिम प्रबंधन प्रणाली और प्रक्रियाओं को वर्तमान और भविष्य दोनों की बैंकिंग गतिविधियों को सुरक्षित करने के लिए निरंतर आधार पर मजबूत किया जाए। बैंक की सूचना सुरक्षा नीति और सूचना प्रौद्योगिकी नीति ने पहले ही इन पहलुओं को ध्यान में रख के लिए बैंक के पास एक सक्रिय एवं प्रभावशाली दृष्टिकोण है। बैंक की आस्तियों का वर्गीकरण निम्नानुसार है:

	31.03.19 की स्थिति के अनुसार		31.03.18 की स्थिति के अनुसार	
	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
मानक	3256.50	89.35%	3272.74	95.13%
अवमानक	237.60	6.52%	43.13	1.25%
संदिग्ध	134.13	3.68%	114.34	3.32%
हानिकर आस्ति	16.49	0.45%	9.99	0.29%
सकल अग्रिम	3644.72	100.00%	3440.22	100.00%

Security Committee, Chief Information Security Officer (CISO) are in place. Revamped Information Security policy incorporating the various guidelines and stipulations mentioned in the report has been approved by Board and is in place. The progress of implementation of GKC recommendations are reviewed by IT Strategy Committee of the Board and Board of Directors on quarterly basis. The Bank has also formulated Cyber Security Policy and Cyber Crisis Management Plan. The policy highlighted the risks from cyber threats and the measures to address/mitigate these risks.

❖ Information Security and Risk Management- As banks adopt sophisticated technology to face challenges in the emerging realities of banking, they are increasingly exposed to technology risk. It is therefore imperative for each bank to work out appropriate IT risk management strategies to secure its most vital information asset and ensure that related risk management systems and processes are strengthened on continual basis to secure both present and future banking activities. Bank's Information Security Policy and Information Technology Policy have already taken these aspects into consideration.

	As on 31.03.2019		As on 31.03.2018	
	Amount	%	Amount	%
Standard	3256.50	89.35%	3272.74	95.13%
Sub-Standard	237.60	6.52%	43.13	1.25%
Doubtful	134.13	3.68%	114.34	3.32%
Loss assets	16.49	0.45%	9.99	0.29%
Gross Advances	3644.72	100.00%	3440.22	100.00%

आस्तियों का वर्गीकरण / Assets Classification as on

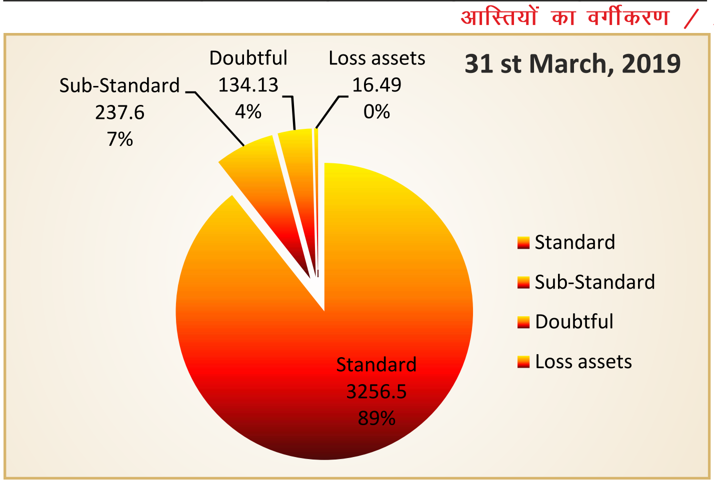

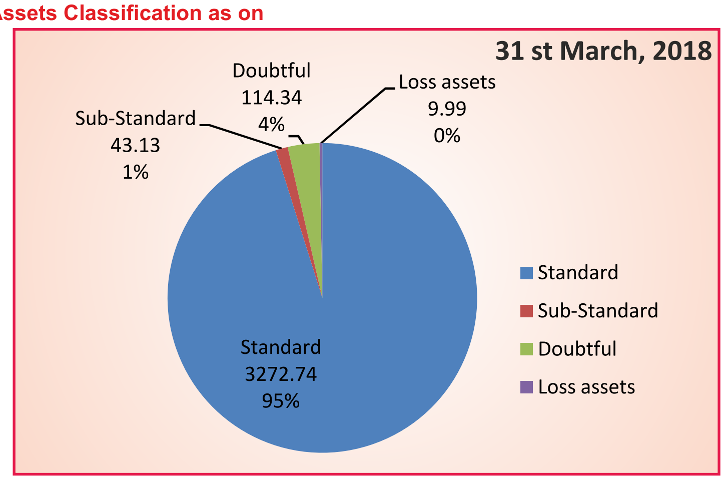

बैंक का सकल एनपीए 31.03.2018 के स्तर रु.167.48करोड़ से बढ़ कर 31.03.2019 को रु. 388.22 करोड़ हो गया। बैंक चालू वित्त वर्ष के दौरान पुराने एनपीए खातों के साथ–साथ हाल ही में जुड़े नए एनपीए खातों में वसूली करने और उन्हें अपग्रेड करने के लिये निरंतर प्रयास रत है। शुद्ध अग्रिमों में शुद्ध एनपीए का स्तर 5.77:रहा।

निवेश परिचालन

विभिन्न प्रतिभूतियों में बैंक के कुल निवेश जो 31.03.2018 को रु.1704.76 करोड़ थे, 31.03. 2019 को रु.1533.53 करोड़ हैं। कुल निवेश में से

43.17:प्रतिभूतियों को बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस) श्रेणी और व्यापार के लिए धारित" (एचएफटी) श्रेणी में ''बाजार (क्रय–विक्रय) हेतु'' ''चिह्नित'' किया गया है और शेष 56. 83:को परिपक्वता के लिए धारित (एचटीएम) श्रेणी'' के तहत वर्गीकृत किया गया है।

निवेशों में लेन–देन, प्राप्तियों में सर्वाधिक वृद्धि करने तथा मूल्य ह्रास सेसंविभाग को सुरक्षित रखने के साथ–साथ पर्याप्त तरलता बनाये रखने के लिए किया गया।

Gross NPA of the Bank increased to ₹388.22 crore as on 31.03.2019 from ₹. 167.48 crore as on 31.03.2018. The Bank endeavors to recover and upgrade recently added NPA accounts along with old NPA accounts during the current financial year. Net NPA to Net Advances stood at 5.77% level.

INVESTMENT OPERATIONS

Total Investments of the Bank in various securities stood at ₹1533.53 crore as on 31.03.2019 against ₹ 1704.76 crore on 31.03.2018. Out of total investments, 43.17% securities have been "marked to market" in "Available for Sale (AFS) category & Held for Trading (HFT)" and rest 56.83% is classified under "Held to Maturity (HTM)" category.

The investment transactions were taken with a view to maximize yield, protect portfolio against depreciation and simultaneously ensuring sufficient liquidity.

लाभप्रदता

बैंक का परिचालन लाभ 31 मार्च, 2018 के स्तर रु. 97.68 करोड़ के मुकाबले 31 मार्च, 2019 को बढ़ कर रु.109.31 करोड़ हो गया, इस प्रकार 11.91%की बढ़ोत्तरी दर्ज हुई। अनुमानित देनदारियों के लिए सभी प्रावधान करने के बाद, 31 मार्च, 2019 को बैंक का शुद्ध लाभ रु 26.88 करोड़ रहा जबकि 31 मार्च 2018 को यह रु.48.88करोड़ था, जो 45.02%की गिरावट दर्शाता है। 31.03.2019 को प्रति शाखा कारोबार बढ़कर रु. 78.64 करोड़ हो गया जबकि पिछले वर्ष 31.03.2018 को यह रु.78.63 करोड़ था। यहां यह प्रस्तुत किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान, बैंक की कुल चौबीस (24) शाखाएँ घाटे में रही । इन 24 शाखाओं में से, 2009–10 से पहले चार (04) शाखाएँ खोली गईं और दो (02) शाखाएँ 2009–10 के बाद 2012–13 तक खोली गईं। जिन शाखाओं को घाटा हुआ उनमें से चार (04) शाखाएँ 2013–14 में खोली गई थी, 2014–15 में दो (02) शाखाएँ, 2015–16 में एक (01) शाखा, 2016–2017 में छह (06) शाखाएं और तीन (03) 2017–18 में और शेष दो (02) शाखाएँ चालू वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान खोली गईं।

आंतरिक नियन्त्रण व्यवस्था

बैंक का सी.आई.ए.डी. विभाग उचित लागत से बैंक के कार्य कलापों पर प्रभावपूर्ण नियंत्रण को बढ़ाने के कार्य कर रहा है। बेहतर पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए वर्ष के दौरान ''जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा'' प्रणाली को युक्तिसंगत रुप से अपनाया गया है। सी.आई.ए.डी. निदेशक मंडल की अंकेक्षण समिति को भी और अधिक प्रभावपूर्ण ढंग से कार्य करने में सहयोग देता है। बैंक ने निर्धारित व्यवसाय को समवर्ती लेखा परीक्षा नियंत्रण के अन्तर्गत सम्मिलित करने के सम्बन्ध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों का पालन किया है।

सामाजिक कार्यकलाप

निरंतर बढ़ती प्रतिस्पर्धा और लाभप्रदता पर बढ़ते दबाव के इस माहौल में भी बैंक सामाजिक बैंकिंग के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा करने के प्रति जागरूक रहा है। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण का लक्ष्य पूर्ववत् पूरा कर लिया गया। वर्ष के दौरान प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को रु.1964 करोड़ का

ऋण दिया गया जो समायोजित शुद्ध बैंक ऋण का 56.48 प्रतिशत है, जबकि कृषि ऋण रु. 786.24 करोड़ रहा जो समायोजित शुद्ध बैंक ऋण का 22.61 प्रतिशत है जबकि इस उद्देश्य के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानक 18 प्रतिशत है।

वित्तीय समावेशन योजना

इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक तथा भारत सरकार के निर्देशों के अनुपालन में, हमारे बैंक ने पहले ही निदेशक मंडल की दिनांक 07.05.2010 को हुई बैठक में अनुमोदित वित्तीय समावेशन योजना के कार्यान्वयन के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। वर्ष 2016–19 के लिए बैंक के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत की गई है।

बैंक को मार्च 2019 तक 425 आउटलेट (गांव) को कवर करने के लिए 95 केन्द्रों में एजेंटों की तैनाती करना वित्तीय समावेशन योजना 2016–19 के तहत आवश्यक है। बैंक ने 31 मार्च 2019 तक 340 गांवों को शामिल करते हुए शाखाओं के विभिन्न उप सेवा क्षेत्रों में 76 बीसी एजेंटों को तैनात किया है। हमें आशा है कि वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, बचे हुए शेष 19 उप सेवा क्षेत्रों में बीसी एजेंटों को तैनात कर हम 85 गांवों को इसमें शामिल कर लेंगे।

अटल पेंशन योजना,प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) तथा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई)

हमारा बैंक इन सभी योजनाओं में शामिल है और अब तक एपीवाईके तहत 1708 व्यक्तियों, पीएमएसबीवाई के तहत 25,535और पीएमजेजेबीवाई के तहत 9,842 व्यक्तियों को नामांकित कर चुका है और हमें आशा है कि शाखाएं 31 मार्च, 2019 के बाद इस संख्या में 20% की और उल्लेखनीय वृद्धि कर देगी।वर्ष के दौरान बैंक अटल पेंशन योजना (एपीवाई) पर विशेष बल देगा।

शाखा नेटवर्क और विस्तार कार्यक्रम

बैंक ने वर्ष के दौरान –02– नई शाखाएँ खोली हैं, जिससे 31.03.2019 को उनकी संख्या 139 हो गई है। बैंक का वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान 11 और शाखाएँ खोलने का प्रस्ताव है।

शाखा नेटवर्क और विस्तार कार्यक्रम

बैंक उत्तर भारत भर में अपने नेटवर्क को विस्तार देते हुए शाखाओं की संख्या को 139 तक ले जाने में सफल रहा है। बैंक ने वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान 02 नईशाखाएं खोली हैं। बैंक का शाखा नेटवर्क अब 05 राज्यों / संघ शासित प्रदेशों में फैला है। बैंक की वित्तीय वर्ष 2019–20 में 11 नई शाखाएँ खोलने की योजना है।

PROFITABILITY

Operating Profit of the Bank increased to ₹ 109.31 crore as on 31st March, 2019 against ₹ 97.68 crore as on 31st March, 2018 showing growth of 11.91%. After making all provisions for estimated liabilities, the Net Profit of the Bank stood at ₹ 26.88 crore as on 31st March, 2019, against ₹ 48.88 crore as on 31st March, 2018, showing decline of 45.02%. Business per branch increased to ₹ 78.64 crore as on 31.03.2019 in comparison to last year's₹ 78.63 crore as on 31.03.2018. It is submitted that during the financial year 2018-19, Twenty Four (24) Branches of the Bank were in loss. Out of these 24 branches, Four (04) branches were opened before 2009-10 and two (02) branches were opened after 2009-10 up to 2012-13. Four (04) branches had incurred losses which were opened in 2013-14, two (02) branch in 2014-15, One (01) branch in 2015-16, Six (06) branches in 2016-2017 and Three (03) branches in 2017-18 and remaining two (02) branches was opened during the current financial year 2018-19.

INTERNAL CONTROL SYSTEM

CIAD Department of the Bank is promoting effective control on the affairs of the Bank at a reasonable cost. The 'Risk Based Internal Audit' system has been suitably adopted to have better supervision and control. Audit committee of the Board is also being assisted by CIAD Department to discharge its obligations more effectively. Bank has complied with the directives of the regulator in respect of coverage of stipulated business under concurrent audit system.

SOCIAL COMMITMENT

The Bank has maintained its focus on meeting commitments under social banking even in the era of increased competition and stress on profitability. Priority sector lending targets continued to be surpassed. Lending to priority sector stood at Rs. 1,964 crore during the year and constituted 56.48% of Adjusted Net Bank Credit. Whereas agriculture credit stood at Rs. 786.24 crore constituting 22.61% of Adjusted Net Bank Credit, against the minimum norms of 18% laid down by the Reserve Bank of India, for the purpose.

Financial Inclusion Plan (FI)

In compliance to the directives of the Reserve Bank of India, and Government of India in this regard, our Bank has already initiated process for implementation of Financial Inclusion Plan, duly approved by the Board of Directors in its meeting held on 7th May 2010. Detailed FI Plan of the Bank for the period 2016-19 was submitted to Reserve Bank of India, as approved by the Board.

Bank is required to equip a total of 95 Centres with BC Agents covering 425 outlets (villages) by March 2019, under the FI Plan 2016-19.Bank has deployed 76 BCs at various Sub Services Areas of branches covering 340 villages as on 31 March, 2019. We expect that during the F.Y. 2019-20, we shall be able to provide B.C. Agents in all the remaining 19 Sub Service Areas covering 85 villages.

Atal Pension Yojna/Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojna/Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojna

Our Bank has been participating in all the abpve schemes and enrolled 1708 persons under APY, 25,535 persons under PMSBY and 9,842 persons under PMJJBY so far and we hope that branches will further add to the figure significantly by an increase of 20% over and above 31st March, 2019. The Bank will lay Special emphasis on Atal pension Yojna (APY) during the year.

BRANCH NETWORK & EXPANSION PROGRAMME

The Bank has opened -02- new branches during the year increasing its tally to 139 as on 31.03.2019. The Bank is proposing to open 11 more branches in F.Y. 2019-20.

BRANCH NETWORK & EXPANSION PROGRAMME

The Bank had been successful in widening its network across North India with 139 branches. The Bank has opened 02 new branches during the financial year 2018-19. The branch network now covers 05 States/Union Territories. The Bank plans to open 11 new Branches in the financial year 2019-20.

शाखाओं की राज्य वार स्थिति

क्षेत्रवार शाखाएँ			
	क्षेत्र	शाखाओं की संख्या	
		2019*	2018
1	महानगरीय	33	33
2	शहरी	35	35
3	अर्धशहरी	32	31
4	ग्रामीण	39	38
	कुल	139	137

AREA WISE POSITION OF BRANCHES

Area-wise Branches			
	Area	No. of Branches	
		2019*	2018
1	Metro	33	33
2	Urban	35	35
3	Semi-Urban	32	31
4	Rural	39	38
	Total	139	137

'जनगणना 2011 के अनुसार बैंक की शाखाओ का क्षेत्रवार वर्गीकरण शाखाओं का क्षेत्रवार विस्तार, वर्ष की समाप्ति पर / * Area-wise classification of branches as per Census 2011

शाखाओं का क्षेत्रवार विस्तार, वर्ष की समाप्ति पर / Area-wise Spread of Branches at the year ended on

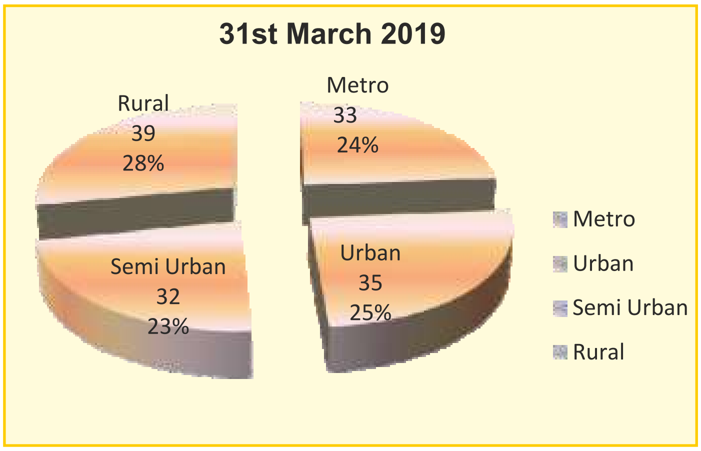

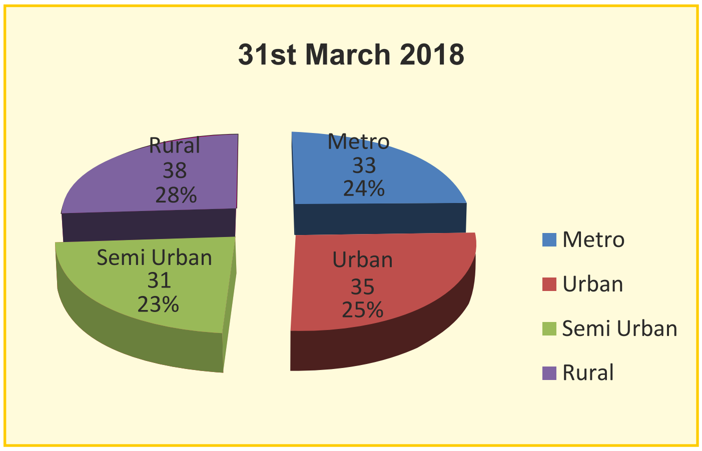

वर्तमान में बैंक की शाखायें देश के 05 राज्यों में हैं। इनका राज्य वार विवरण नीचे दिया गया है:

The Bank is having its presence in -05- states of the country. The State wise position of branches is given below

शाखाओं की राज्य वार स्थिति

राज्यवार शाखाएं			
S. No.	राज्य	शाखाओं की संख्या	
		2019	2018
1	Uttarakhand	77	75
2	Uttar Pradesh	36	36
3	Delhi	16	16
4	Haryana	7	7
	Rajasthan	3	3

STATE WISE POSITION OF BRANCHES

Area-wise Branches			
S. No.	Area	No. of Branches	
		2019	2018
1	Uttarakhand	77	75
2	Uttar Pradesh	36	36
3	Delhi	16	16
4	Haryana	7	7
	Rajasthan	3	3

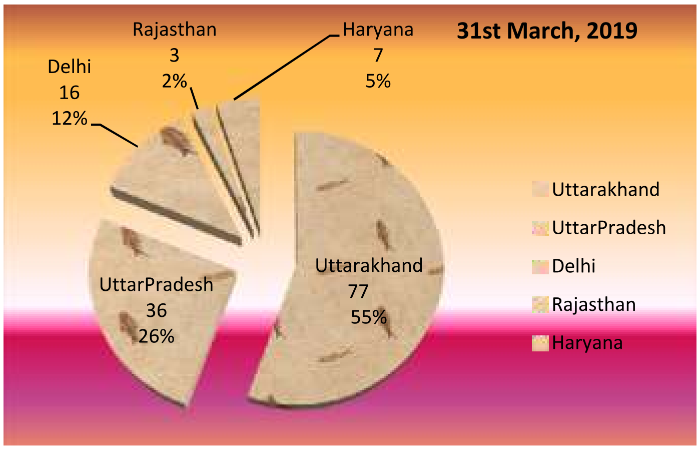

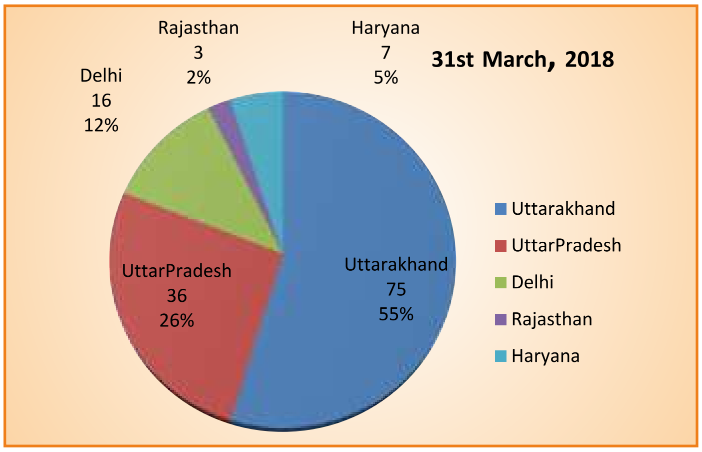

मानव संसाधन की स्थिति

किसी भी संगठन के प्रभावी और कुशल संचालन के लिए मानव संसाधन सबसे महत्वपूर्ण कारक है। बढ़ती प्रतिस्पर्धा ने इस आयाम को और भी महत्वपूर्ण बना दिया है। बैंक का एक प्रतिबद्ध, स्वःप्रेरित और सहानुभूतिपूर्ण कार्यबल (टीम) है जो ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करता है। बैंक के स्वस्थ और निरंतर विकास और नेटवर्क विस्तार के साथमौजूदा जनशक्ति को बढ़ाने के लिए बैंक ने वित्तीय वर्ष 2018–19 में प्रमुख प्रतिभा अधिग्रहण की अपनी पहल को जारी रखा है।

बैंक के कुल कर्मचारियों की संवर्ग वार संख्या इस प्रकार रही:

क्र.सं.	कार्यपालक	2019	2018
1.	कार्यपालक	25	29
2.	अधिकारी	426	425
3.	लिपिक	305	330
4.	अधीनस्थ कर्मचारी	49	60
5.	अंशकालिक अधीनस्थ कर्मचारी	111	79
	कुल योग	**916**	**923**

HUMAN RESOURCE POSITION

Human Resource is the single most important catalyst for effective and efficient operation of any organization. Competition has rendered this dimension still more critical. The Bank has a team of committed, self-motivated and empathetic workforce who strive to meet the customers' requirements. To augment the existing manpower in line with the Bank's healthy and sustained growth and expansion of network, the Bank has continued its initiatives of major talent acquisition in the FY 2018-19.

The cadre wise strength of Bank staff was as under:

S. No.	Cadre	2019	2018
1.	Executive	25	29
2.	Officers	426	425
3.	Clerks	305	330
4.	Sub-Ordinate Staff	49	60
5.	Part Time Sub-Staff	111	79
	TOTAL	**916**	**923**

मानव संसाधन की स्थिति / Human Resource Position
वर्ष के अंत में संवर्गवार स्टाफ संख्या / Cadre-wise Staff Strength at the year ended on

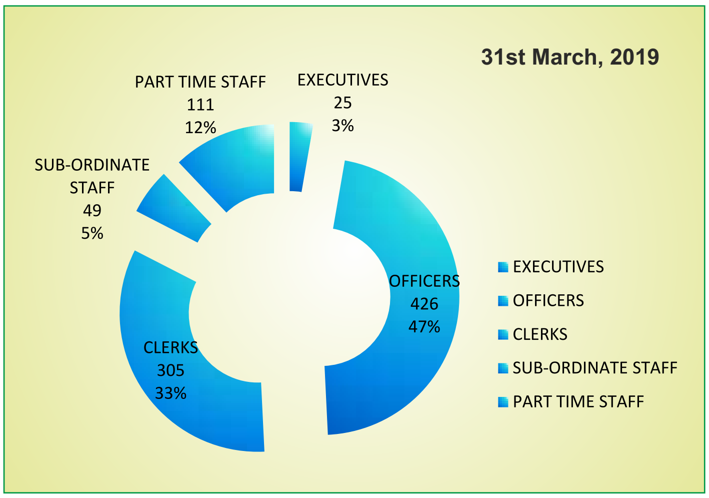

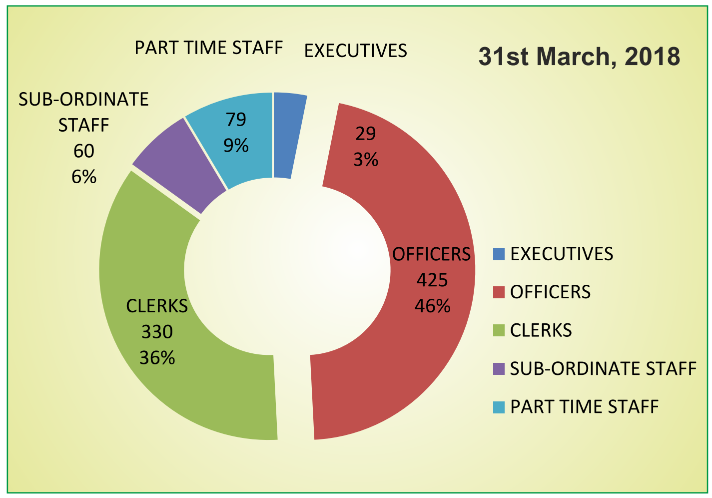

बैंक में मानव संसाधन की उपरोक्त वर्णित स्थिति के अतिरिक्त 31–03–2019 को बैंक में –05–प्रबन्धन प्रशिक्षु (मैनेजमेन्ट ट्रेनीज़) सेवारत थे।

उत्प्रेरक पहलें / प्रयास

बैंक कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए बैंक द्वारा की गई कुछ पहलें निम्नानुसार हैं:

(क) –35– प्रबंधन प्रशिक्षु जेएमजीएस–I में आत्मसात किए गए।

(ख) विभिन्न श्रेणियों के स्टाफ को निब्सकॉम–नोएडा, बर्ड–लखनऊ, आरबीआई, एमिटी, एनपीसीआई, आईडीआरबीटी, नाबार्ड, यूआईडीएआई और एफआईयू–आईएनडी में प्रशिक्षण–कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया.

(ग) वर्ष के दौरान –135– स्टाफ सदस्यों ने विभिन्न प्रशिक्षण–कार्यक्रमों में भाग लिया.

31–03–2019 को संवर्गवार ब्रेक–अप निम्नानुसार है :

क्र.सं.	कार्यपालक	महिला	पुरूष	कुल
1.	कार्यपालक	01	24	25
2.	अधिकारी	64	362	426
3.	लिपिक	64	241	305
4.	अधीनस्थ कर्मचारी	03	46	49
5.	अंशकालिक अधीनस्थकर्मचारी	35	76	111
	कुल	**167**	**749**	**916**

In addition to the above listed position of the Human Resources in the Bank, there were -05- Management Trainee in the Bank as on 31.03.2019.

MOTIVATIONAL INITIATIVES

Some of the initiatives undertaken by the Bank in order to boost

the morale of the Bank employees are as under:

A. -35- Management Trainees were absorbed in JMGS-I.

B. Various categories of Staff were deputed to and attended training programmes at NIBSCOM-Noida, BIRD-Lucknow, RBI, Amity, NPCI, IDRBT, NABARD, UIDAI and FIU-IND.

C. During the year under review -135- staff members attended various training programmes, seminars/workshops on the subject of immediate concern to the Bank.

Cadre wise break-up as on 31.03.2019 is as under:

S.No.	Cadre	Female	Male	TOTAL
1.	Executive	01	24	25
2.	Officers	64	362	426
3.	Clerks	64	241	305
4.	Sub-Ordinate Staff	03	46	49
5.	Part Time Sub-Staff	35	76	111
	TOTAL	**167**	**749**	**916**

कारपोरेट गवरनैन्स

बैंक सभी स्तरों पर कॉर्पोरेट अभिशासन (गवर्नेंस) के महत्व से भली भांति परिचित है। बैंक न केवल इस संबंध में सांविधिक अपेक्षाओं का अनुपालन कर रहा है बल्कि शेयरधारकों, ग्राहकों, सरकार और जनता सहित अपने सभी हितधारकों को सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करने का प्रयास कर रहा है।

कार्पोरेट गवर्नेंस पर बैंक का दर्शन उच्चतम स्तर की पारदर्शिता, शेयरधारकों के मूल्यों में अधिकतम अभिवृद्धि करने और उनके हितों को सुरक्षित रखने हेतु व्यावसायिक नैतिकता के उच्च स्तर को बनाए रखने के लिए, संबद्ध नियमों के तहत आवश्यक सरकारी और नियामक प्राधिकरणों और अन्य हितधारकों के लिए सभी निष्पक्ष और सटीक प्रकटीकरण है। बैंक ने बोर्ड के सदस्यों और अपने निदेशकों के लिए एक आचार संहिता तैयार की है जिसमें वरिष्ठ प्रबंधन सहित कर्मियों के कोर प्रबंधन दल और बैंक के कार्यात्मक प्रमुख शामिल हैं।

बेहतर कॉर्पोरेट अभिशासन के एक भाग के रूप में प्रत्येक वर्ष वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में बोर्ड के समक्ष समीक्षा के लिए एक स्थिति रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जाती है।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस के तहत पर्यावरण सुधार हेतु पहल (ग्रीन इनिशिएटिव)

इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से कागज रहित कार्यशैली को बढ़ावा देने के लिए, कॉरपोरेट गवर्नेंस के एक भाग के रूप में कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा "ग्रीन इनिशिएटिव" की शुरुआत की गई थी। यह दस्तावेजों के त्वरित संचार की सुविधा और डाक पारगमन में सांविधिक दस्तावेजों के खो जाने की आशंकाओं से बचने के लिए एक पहल है। इस संबंध में, हमने शेयरधारकों, जिन्होंने बैंक में अपने ई–मेल पते पंजीकृत किए हैं, कोई–मेल भेजने की शुरुआत की है और उन्हें बैंक की वेबसाइट पर एक लिंक के साथ सुविधा प्रदान की है, जो बैंक के दस्तावेजों जैसे वार्षिक सामान्य बैठक हेतु नोटिस, बैंक की वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ निदेशकों की रिपोर्ट और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट इत्यादि भी शामिल है तक निःशुल्क पहुंच प्रदान करते हैं ताकि बैंक के शेयर धारकों की सांविधिक दस्तावेजों तक पहुंच बनाने को और अधिक सुविधा जनक बनाया जा सके।

शेयरों का अमूर्तीकरण

कंपनी कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने 10 सितंबर 2018 की अधिसूचना द्वारा असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनियों द्वारा प्रतिभूतियाँ केवल अमूर्त (डीमैट) रूप में जारी करना अनिवार्य बना दिया है और 02 अक्तूबर 2018 से असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनियों द्वारा आगामी शेयरों का निर्गम और समस्त शेयरों का अंतरण केवल अमूर्त(डीमैट) रूप में ही होगा। अधिसूचना का सार नीचे दिया जा रहा है रू

- किसी असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी की प्रतिभूतियों का प्रत्येक धारक, जो 02 अक्तूबर 2018 को या उसके बाद प्रतिभूतियाँ अंतरित करना चाहता है, उन प्रतिभूतियों को अंतरण से पूर्व अमूर्त करवाएगा।
- किसी असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी की प्रतिभूतियों का प्रत्येक धारक, जो 02 अक्तूबर 2018 को या उसके बाद किसी असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी की किन्हीं प्रतिभूतियों में अभिदान करता है (चाहे वह निजी आबंटन द्वारा हो या बोनस शेयरों द्वारा या फिर अधिकार शेयरों के प्रस्ताव द्वारा), यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे अभिदान से पूर्व उसकी समस्त मौजूदा प्रतिभूतियाँ अमूर्त रूप में धारित हैं।
- प्रत्येक असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी किसी निक्षेपागार (डिपोजिटरी) को आवश्यक आवेदन करके अपनी समस्त मौजूदा प्रतिभूतियों को अमूर्त करने की सुविधा प्रदान करेगी और हर प्रकार की प्रतिभूति के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रतिभूति पहचान संख्या (आईएसआईएन) प्राप्त करेगी तथा अपने समस्त प्रतिभूति–धारकों को इस सुविधा के बारे में **सूचित** करेगी।

उपर्युक्त के संबंध में बैंक ने कर्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड को 'पंजीयक और शेयर अंतरण अभिकर्ता' नियुक्त किया है। शेयरधारकों से हमारी ओर से सुचारु और अबाध सेवाओं की प्राप्ति के लिए अपने शेयर अमूर्त करवाने का अनुरोध किया गया।

निवेशक शिक्षा संरक्षण निधि (आईईपीएफ)

समय–समय पर **संशोधित**निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखापरीक्षा, अंतरण और धन–वापसी) नियमावली, 2016 (नियमावली) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) के अनुसार कंपनी (बैंक) के वे शेयर, जिनका लाभांश लगातार सात या अधिक वर्षों तक नहीं चुकाया गया है या उसके लिए दावा नहीं किया गया है, आईईपीएफ प्राधिकरण के अमूर्त खाते में अंतरित किए **जाना** अनिवार्य हैं।

यह भी निवेदन किया जाता है कि वे समस्त शेयर, जिन्हें आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित किया जाना अनिवार्य है, चाहे वे अमूर्त रूप में धारित हों या भौतिक रूप में, कॉरपोरेट कार्रवाई द्वारा आईईपीएफ प्राधिकरण के अमूर्त खातों में अंतरित कर दिए जाएँ।

यह भी निवेदन किया जाता है कि बैंक ने वित्तीय वर्ष 2009–10 और 2010–11 के लिए वे शेयर, जिनका लाभांश लगातार सात या अधिक वर्षों तक नहीं चुकाया गया है या उसके लिए दावा नहीं किया गया है, आईईपीएफ प्राधिकरण के अमूर्त खाते में अंतरित कर दिए हैं।

CORPORATE GOVERNANCE

Bank recognizes the importance of corporate governance at all levels. The Bank is not only complying with statutory requirements in this regard but endeavoring to serve the best to all its stakeholders including Shareholders, Customers, Government and Public at large. The Bank's philosophy on Corporate Governance is to stick to highest level of transparency, all fair and accurate disclosures to the Government & Regulatory Authorities and other Stakeholders', as required under relevant laws, to maintain a high level of business ethics to maximize shareholders' value and to protect their interest. The Bank has formulated a Code of Conduct for its Directors on the Board and its Senior Management including personnel's forming Core Management Team and functional Heads of the Bank.

As a part of good Corporate Governance, a status report is also placed before the Board each year for Board's review at the commencement of Financial Year.

GREEN INITIATIVE UNDER CORPORATE GOVERNANCE

"GREEN INITIATIVE" was introduced by The Ministry of Corporate Affairs as a part of Corporate Governance, in order to promote paperless compliances through electronic mode. This is to facilitate early communication of the documents and evade loss of statutory documents in postal transit. In this regard, we have initiated to send e-mail to the shareholders' who have registered their e-mail addresses with the Bank and facilitating them with a link on the Bank's website, providing free access to documents of the Bank like Notice of Annual General Meeting, Annual Report of the Bank which, inter-alia, includes Directors' Report and Auditors' Report etc. in order to make it more convenient to the shareholders of the Bank to access Statutory documents.

DEMATERISATION OF SHARES

Ministry of Corporate Affairs (MCA), vide notification dated September 10, 2018 has made it mandatory for issuance of securities in demat form only by unlisted public companies and that with effect from October 02, 2018, issue of further shares and transfer of all shares by unlisted public companies shall be in dematerialized form only. Following is a gist of the same:

- Every holder of securities of an unlisted public company, who intends to transfer such securities on or after October 02, 2018, shall get such securities dematerialised before the transfer;
- Every holder of securities of an unlisted public company, who subscribes to any securities of an unlisted public company (whether by way of private placement or bonus shares or rights offer) on or after October 02, 2018 shall ensure that all his existing securities are held in dematerialized form before such subscription;
- Every unlisted public company shall facilitate dematerialisation of all its existing securities by making necessary application to a depository and shall secure International Security Identification Number (ISIN) for each type of security and shall inform all its existing security holders about such facility;

In relation to the above, the Bank has appointed M/s Karvy Fintech Private Limited as'Registrar and Share Transfer Agent' for dematerialization of shares of the Bank. The shareholders were requested to get their shares dematerialized for smooth uninterrupted services at our end.

TRANSFER OF SHARES TO INVESTORS EDUCATION PROTECTION FUND (IEPF)

In terms of section 124(6) of the Companies Act, 2013 read with Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 (Rules), as amended from time to time, shares of the Company (Bank) in respect of which dividends for seven consecutive years or more remaining unpaid or unclaimed are liable to be transferred to the demat account of the IEPF authority.

It is further submitted that all the shares which are required to be transferred to IEPF authority, whether held in dematerialised form or physical form, to be transferred to the demat accounts of IEPF authority by way of corporate action.

It is further submitted that the Bank has transferred shares of shareholders for F.Y. 2009-10 and 2010-11 in respect of which dividends for seven consecutive years or more were remaining unpaid or unclaimed.

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 203 में निहित प्रावधानों के संदर्भ में श्री दिनेश पंत (अध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक अधिकारी), श्री ए के सिंह (मुख्य वित्तीय अधिकारी) और श्री विवेक साह (कंपनी सचिव) बैंक के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक ने अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी पद को अलग करने से संबंधित 'गांगुली समिति' सिफारिशों से बैंक को छूट प्रदान की है।

निदेशक मंडल

बोर्ड की संरचना:

बोर्ड का विधान कंपनी अधिनियम, 2013, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों और कॉर्पोरेट गवर्नेंस की अपेक्षाओं के संबद्ध प्रावधानों के अनुरूप है। बोर्ड के सदस्य लागू सभी कानूनों के तहत यथानिर्दिष्ट विभिन्न क्षेत्रों जैसे बैंकिंग, वित्त, लेखा, विधि, आईटी, डिजिटल और अन्य क्षेत्रों में कौशल अनुभव और ज्ञान रखने वाले प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं।

निरंतर, टिकाऊ और संतुलित विकास को प्राप्त करने के उद्देश्य से, बैंक अपने रणनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु बोर्ड स्तर पर विविध योग्यताओं वाले सदस्यों को शामिल किये जाने को एक अत्यंत आवश्यक और महत्वपूर्ण उपाय मानता है। एक विविध योग्यताओं वाले निदेशक सदस्यों से युक्त बोर्ड में कौशल, क्षेत्रीय और उद्योग के अनुभव प्राप्त, पृष्ठभूमि, जाति, लिंग और गुणों से युक्त निदेशकों की उपस्थिति शामिल है।

बैंक लगातार अपने बोर्ड की प्रभावशीलता को बढ़ाने और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के उच्चतम मानकों को बनाए रखने और बोर्ड रूम में विविध योग्यताओं वाले सदस्य निदेशकों को शामिल किये जाने को अहमियत देता रहा है। कौशल, क्षेत्रीय और उद्योग के अनुभव, पृष्ठभूमि और अन्य गुणों सहित कई कारकों पर विचार करते हुए विविध योग्यताओं वाले निदेशकों से युक्त बोर्ड को सुनिश्चित किया जाता है।

विविधता पर अपने परिप्रेक्ष्य को स्पष्ट करते हुए, बैंक समय–समय पर अपने व्यवसाय मॉडल और विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर कारकों को भी ध्यान में रखता है।

एक निदेशक की कार्य की स्वतंत्रता निर्धारित करनेके लिए मानदंड:

निदेशक की कार्य की स्वतंत्रता का निर्धारण कंपनी अधिनियम, 2013 में उल्लिखित शर्तों के आधार पर किया जाता है। स्वतंत्र निदेशक बोर्ड की अपनी पहली बैठक में, जिसमें वह एक निदेशक के रूप में भाग लेता है और उसके बाद प्रत्येक वित्तीय वर्ष में बोर्ड की पहली बैठक में या जब भी परिस्थितियों में कोई बदलाव होता है जो एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में उसकी स्थिति को प्रभावित करता है, तो वह इस आशय की घोषणा करेगा कि वह एक स्वतंत्र निदेशक के मानदंडों को पूरा करता है।

बोर्ड स्तर पर प्रदर्शन का मूल्यांकन:

कंपनी अधिनियम, 2013 बोर्ड के अध्यक्ष, बोर्ड और इसकी समितियों सहित निदेशकों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन निर्धारित करता है। उल्लिखित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, बैंक ने कार्य निष्पादन के मूल्यांकन के लिए प्रक्रिया और मानदंड तय किए हैं, जिन्हें नामांकन और पारिश्रमिक तथा मानव संसाधन समिति द्वारा अनुशंसित किया गया है और बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है।

औपचारिक वार्षिक कार्य निष्पादन के मूल्यांकन की प्रक्रिया निम्नानुसार है:

- स्वतंत्र निदेशक, अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी और समग्र बोर्ड के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करते हैं।
- नामांकन और पारिश्रमिक और मानव संसाधन समिति (मूल्यांकन हेतु निर्दिष्ट निदेशक के अलावा) सभी निदेशकों के कार्य निष्पादनका मूल्यांकन करती है और अंतिम अनुमोदन के लिए बोर्ड को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है।
- बोर्ड, बोर्ड स्तर की उप–समितियों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करता है।
- नामांकन और पारिश्रमिक तथा मानव संसाधन समिति प्रत्येक निदेशक के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन/समीक्षा करती है और बोर्ड को निदेशकों की नियुक्ति/पुनः नियुक्ति/निरंतरता की सिफारिश करती है। नामांकन और पारिश्रमिक समिति की सिफारिश के आधार पर, बोर्ड समुचित कार्वाई करता है।

निदेशकों के कार्य निष्पादन संबंधी मानदंड निम्नानुसार हैं:

बोर्ड और समिति की बैठकों में उपस्थिति और भागीदारी, गम्भीर मुद्दों को बोर्ड के समक्ष उठाना, गोपनीय सूचनाओं की अभिरक्षा, स्वतंत्र, निष्पक्ष राय प्रस्तुत करना और बैठकों में मुद्दों का समाधान, बैंक के लिए नए विचारों और योजनाओं के संदर्भ में पहल, सतर्क तंत्र के तहत सतर्क करने वालों (विसल ब्लोअर्स) के हितों की रक्षा करना और समिति की बैठकों के कार्यवृत्तों पर समय पर इनपुट उपलब्ध कराना, यदि कोई हो, तो बैंक की ब्रांड छवि में वृद्धि, जोखिम मूल्यांकन और जोखिम शमन की समीक्षा करना।

KEY MANAGERIAL PERSONNEL

In terms of provisions contained in Section 203 of Companies Act 2013, as on the date Mr. Dinesh Pant (Chairman and Chief Executive Officer), Mr. A.K. Singh (Chief Financial Officer) resigned June 07, 2019 and Mr. Vivek Sah (Company Secretary) are/were the Key Managerial Personnels of the Bank.

Reserve Bank of India has exempted the Bank from 'Ganguly Committee' recommendations pertaining to separating post of Chairman and Managing Director/Chief Executive officer.

BOARD OF DIRECTORS

Composition of Board:

The constitution of the Board is in conformity with relevant provisions of the Companies Act, 2013, Banking Regulation Act, 1949, Reserve Bank of India directives and Corporate Governance requirements. The Board members are persons of repute, having skills experience and knowledge in various sectors such as Banking, Finance, Accountancy, Law, IT, Digital& other areas as specified under all applicable laws.

With a view to achieve sustainable and balanced development, the Bank sees increasing diversity at the Board level as an essential element in supporting the attainment of its strategic objectives. A diverse Board includes and makes good use of differences in the skills, regional and industry experience, background, race, gender and other qualities of directors.

The Bank continuously seeks to enhance the effectiveness of its Board and to maintain the highest standards of corporate governance and recognizes and embraces the benefits of diversity in the boardroom. Diversity is ensured through consideration of a number of factors, including but not limited to skills, regional and industry experience, background and other qualities. In informing its perspective on diversity, the Bank also take into account factors based on its own business model and specific needs from time to time.

Criteria for determining independence of a Director:

The criteria of independence of a director is determined based on conditions as laid down in the Companies Act, 2013. The independent director shall at the first meeting of the Board in which he/she participates as a director and thereafter at the first meeting of the Board in every financial year or whenever there is any change in the circumstances which may affect his/her status as an independent director, give a declaration that he/she meets the criteria of independence.

Board Level Performance Evaluation:

The Companies Act, 2013 stipulates the performance evaluation of the Directors including Chairman, Board and its Committees. Considering the said provisions, the Bank has devised the process and the criteria for the performance evaluation which has been recommended by the Nomination & Remuneration and Human Resource Committee and approved by the Board.

The process for formal annual performance evaluation is as under:

- Independent Directors evaluate the performance of Chairman & C.E.O.and the Board as a whole.
- The Nomination & Remuneration and Human Resource Committee(excluding the director being evaluated) evaluates the performance of all the Directors and submit its report to the Board for final approval.
- The Board Evaluates the performance of Board level Sub-Committees.
- Nomination & Remuneration and Human Resource Committee evaluate/review the performance of each Director and recommends the appointment/reappointment/continuation of Directors to the Board. Based on the recommendation of Nomination & Remuneration Committee, Board takes appropriate action.

The criteria for performance of Directors are as under:

Attendance and participations in Board & Committee Meetings, Raising of concerns to the Board, Safeguard of confidential information, Rendering independent, unbiased opinion and resolution of issues at meetings, Initiative in terms of new ideas and planning for the Bank, Safeguarding interest of whistle-blowers under vigil mechanism, Timely inputs on the minutes of the meetings of the Board and Committee's, if any, Contribution to the enhancement of brand image of the Bank, Review of risk assessment and risk mitigation.

अध्यक्ष एवं सीईओ के कार्य निष्पादन के लिए मानदंडनिम्नानुसार हैं:

बोर्ड और समिति की बैठकों में उपस्थिति और भागीदारी, नेतृत्व पहल तथा गम्भीर मुद्दों को बोर्ड के समक्ष उठाना, गोपनीय सूचनाओं की अभिरक्षा, स्वतंत्र, निष्पक्ष राय प्रस्तुत करना और बैठकों में मुद्दों का समाधान, बैंक के लिए नए विचारों और योजनाओं के संदर्भ में पहल, सतर्क तंत्र के तहत सतर्क करने वालों (विसल ब्लोअर्स) के हितों की रक्षा करना और बोर्ड एवं समिति की बैठकों के कार्यवृत्तों पर समय पर इनपुट उपलब्ध कराना, यदि कोई हो तो, वित्तीय विवरणियों की समीक्षा, व्यावसायिक कार्य निष्पादन को बेहतर बनाना और रणनीतिक निर्णय लेने में योगदान, बैंक की ब्रांड छवि के संवर्द्धन में योगदान, जोखिम आकलन और जोखिम में कमी, बैंक में मानव संसाधन पहलों, बैंक की नीतियों, नैतिकता, आचार संहिता आदि का अनुपालन, धोखाधड़ी, नियमों का उल्लंघन की रिपोर्टिंग इत्यादि, बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन के कार्य निष्पादन, बैंक का समग्र कार्य निष्पादन की समीक्षा।

समितियों के कार्य निष्पादन के लिए मानदंड निम्नानुसार हैं:

बैठकों की संख्या, बैठकों की कार्य सूचियों का समुचित मूल्यांकन तथा विचार–विमर्श, समिति की बैठकें इस प्रकार आयोजित की जाती हैं कि इनमें प्रतिभागी अपने विचार खुलकर रख सकें, अपनी भागीदारी को सार्थक कर सकें और मुद्दों का समय पर समाधान हो सके, बैठक के कार्यवृत्तोंपर समय पर इनपुट प्रस्तुत करना।

बोर्ड के कार्य निष्पादन के संदर्भ में स्वतंत्र निदेशकों के लिए मानदंड निम्नानुसार हैं:

- बैंक का निदेशक मंडल निर्णय लेने में प्रभावशाली है।
- निदेशक मंडल कॉर्पोरेट गवर्नेस की संरचना विकसित करने में सक्षम एवं प्रभावशाली है जो बोर्ड को अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने की अनुमति देता है और प्रोत्साहित करता है।
- बैंक की नियंत्रण प्रणालियां तथ्यपरक जोखिमों की पहचान करने और नीतियों तथा नियमों के विचलन की रिपोर्टिंग में प्रभावशाली हैं।
- बोर्ड निर्दिष्ट मिशन को पूरा करने में संगठन के कार्य निष्पादन की नियमित आधार पर समीक्षा करता है।
- निदेशक मंडल कंपनी प्रबंधन को आवश्यक परामर्श और सुझाव देने में प्रभाशाली है, क्या बोर्ड नियामक पर्यावरण और बाजार में नवीनतम परिवर्तनों आदि से पूरी तरह परिचित है?
- बोर्ड की बैठक से पहले निदेशकों को उपलब्ध करायी गई जानकारी,रूपरेखा और विवरण के संदर्भ में आपकी अपेक्षाओं को पूरा करती है।
- बोर्ड की बैठकें इस प्रकार आयोजित की जाती हैं कि ये बैठकें मुक्त चर्चा, सार्थक प्रतिभागिता और मुद्दों के सामयिक समाधान को प्रोत्साहित करती हैं।
- बोर्ड के अध्यक्ष, बोर्ड की बैठकों, बोर्ड की नीति तथा गवर्नेस का समुचित और प्रभावी नेतृत्व करते हैं और बोर्ड की नीति और प्रशासनिक कार्य को प्रभावी ढंग से और उचित रूप से नेतृत्व और सुविधा प्रदान करते हैं।
- बोर्ड, आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट, प्रबंधन के उत्तर और सुधार पर समुचित रूप से विचार करता है।
- बोर्ड, स्वतंत्र लेखा परीक्षक के चयन से कार्य समाप्ति तक उसकी भूमिका की पूरी तरह देखरेख करता है तथा स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की योग्यता और कार्य निष्पादन के मूल्यांकन की एक प्रभावी प्रक्रिया है।
- बोर्ड स्वतंत्र लेखा परीक्षा योजना पर विचार करता है और इस संबंध में अपनी सिफारिशें देता है।

  निदेशक मंडल की समितियाँ (रिपोर्टिंग की तारीख को) वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान बैठकों की संख्या. निम्नलिखित हैं :

1. बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी)
2. बोर्ड की प्रबंधन समिति (एमसीबी)
3. जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी)
4. आईटी रणनीति और डिजिटल संवर्धन समिति (आईटीडी)
5. हितधारक संबंध समिति (एसआर)
6. नामांकन और पारिश्रमिक और मानव संसाधन समिति (एनआरएचआर)
7. ग्राहक सेवा समिति (सीएस)
8. विलफुल डिफॉल्टर समिति (डब्ल्यूडी)
9. कॉर्पोरेट सामाजिक कार्यदायित्व समिति (सीएसआर)
10. बड़ी राशियों की धोखाधड़ी समिति (एलवीएफ)
11. असहयोगी ऋणी (एनसीबी)
12. वसूली समिति (आरसी)
13. निवेश समिति (आईसी)

The criteria for performance of Chairman & C.E.O. are as under:

Attendance and participations in Board & Committee Meetings, Leadership initiative and raising of concerns to the Board, Safeguard of confidential information, Rendering independent, unbiased opinion and resolution of issues at meetings, Initiative in terms of new ideas and planning for the Bank, Safeguarding interest of whistle-blowers under vigil mechanism, Timely inputs on the minutes of the meetings of the Board and Committee's, if any, Review of financial statements, driving business performance and contribution to strategic decision making, Contribution to the enhancement of brand image of the Bank, Review of Risk Assessment and Risk Mitigation, Human Resource Initiatives in the Bank, Compliance with policies of the Bank, ethics, code of conduct, etc., Reporting of frauds, violation etc., Review of performance Senior Management of the Bank, Overall performance of the Bank.

The criteria for performance of Committees are as under:

Number of Meetings, Proper evaluation and deliberation on the agendas, Committee Meetings are conducted in a manner that encourages open communication meaningful participation and timely resolution of issues, Timely inputs on the Minutes of the Meetings.

The criteria for performance of Board by Independent Directors are as under:

- The Board of Directors of the Bank is effective in decision making.
- The Board of Directors is effective in developing a corporate governance structure that allows and encourages the Board to fulfill its responsibilities.
- The Bank's systems of control are effective for identifying material risks and reporting material violations of policies and law.
- The Board reviews the organization's performance in carrying out the stated mission on a regular basis.
- The Board of Directors is effective in providing necessary advice and suggestions to the Company's management, Is the Board as a whole up to date with latest developments in the regulatory environment and the market?
- The information provided to Directors prior to Board Meetings meets your expectations in terms of length and level of detail.
- Board meetings are conducted in a manner that encourages open communication, meaningful participation, and timely resolution of issues.
- The Board Chairman effectively and appropriately leads and facilitates the Board meetings and the policy and governance work of the Board.
- The Board appropriately considers internal audit reports, management's responses, and steps towards improvement.
- The Board oversees the role of the Independent Auditor from selection to termination and has an effective process to evaluate the Independent Auditor's qualifications and performance.
- The Board considers the Independent Audit plan and provides recommendations.
- Committees of the Board [on the date of reporting] and number of Meetings during F.Y. 2018-19. are as under :

1. Audit Committee of Board (ACB)
2. Management Committee of Board (MCB)
3. Risk Management Committee (RMC)
4. IT Strategy & Digital Promotion Committee (ITD)
5. Stakeholders' Relationship Committee (SR)
6. Nomination & Remuneration and Human Resource Committee (NRHR)
7. Customer Service Committee (CS)
8. Wilfull Defaulter Committee (WD)
9. Corporate Social Responsibility Committee (CSR)
10. Large Value Fraud's Committee (LVF)
11. Non-Co-operative Borrower (NCB)
12. Recovery Committee (RC)
13. Investment Committee (IC)

वित्तीय वर्ष 2018–19 में बोर्ड और समिति की बैठकों की संख्या

NUMBER OF BOARD AND COMMITTEE MEETINGS IN FINANCIAL YEAR 2018-19

S.N क्र.सं.	BM बीएम	ACB एसीबी	MCB एमसीबी	RMC आरएमसी	ITD आईटीडी	SR एसआर	NRHR एनआरएचआर	CS सीएस	WD डब्ल्यूआर	CSR सीएसआर	LVF एलभीएफ	NCB एनसीबी	RC आरसी	IC आईसी
1.	28.05.18	28.05.18	28.05.18	28.05.18	28.05.18	-	28.05.18	28.05.18	-	28.05.18	-	-	28.05.18	28.05.18
2.	21.06.18	-	21.06.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	30.07.18	30.07.18	30.07.18	30.07.18	30.07.18	-	30.07.18	30.07.18	-	30.07.18	-	-	30.07.18	30.07.18
4.	-	-	-	24.09.18	-	24.09.18	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	16.11.18	-	16.11.18	16.11.18	16.11.18		16.11.18	16.11.18					16.11.18	16.11.18
6.	-	16.11.18	18.12.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	-	-	09.01.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	08.02.19	-	-	-	-	-	08.02.19	-	-	-	-	-	-	-
9.	-	06.03.19	06.03.19	06.03.19	-	-	-	-	-	-	-	-	06.03.19	06.03.19
10.	26.03.19	26.03.19	26.03.19	26.03.19	26.03.19	-	26.03.19	-	-	-	-	-	-	-
T	6	5	8	6	4	1	5	3	0	2	0	0	4	4

समितियों की संरचना (रिपोर्टिंग की तारीख पर) :

1.बोर्ड की लेखा परीक्षा समितिः

1.	**श्री मृदुल कुमार अग्रवाल**	**समिति अध्यक्ष**
2.	श्री डी.के.नामदेव	सदस्य
3.	डॉ (श्रीमती) के.के. शर्मा	सदस्य

2.बोर्ड की प्रबंधन समितिः

1.	**श्री दिनेश पंत**	**समिति अध्यक्ष**
2.	श्री डी.के.नामदेव	सदस्य
3.	श्री मृदुल कुमार अग्रवाल	सदस्य

3. जोखिम प्रबंधन समितिः

1.	**श्री दिनेश पंत**	**समिति अध्यक्ष**
2.	श्री डी.के.नामदेव	सदस्य
3.	डॉ (श्रीमती के के शर्मा)	सदस्य

4. आईटी रणनीति और डिजिटल संवर्धन समितिः

1.	श्री डी.के.नामदेव	समिति अध्यक्ष
2.	श्री के वेकटेश्वरलू	सदस्य
3.	डॉ (श्रीमती के के शर्मा)	सदस्य
4.	श्री दिनेश पंत	सदस्य

Composition of the Committees[As on 01.04.2019] are as under:

1.Audit Committee of Board:

1.	**Mr. Mradul Kumar Agarwal**	**Chairman of the Committee**
2.	Mr. D.K. Namdeo	Member
3.	Dr. (Mrs.) K.K. Sharma	Member

2.Management Committee of Board:

1.	**Mr. Dinesh Pant**	**Chairman of the Committee**
2.	Mr. D.K. Namdeo	Member
3.	Mr. Mradul Kumar Agarwal	Member

3.Risk Management Committee:

1.	**Mr. Dinesh Pant**	**Chairman of the Committee**
2.	Mr. D.K. Namdeo	Member
3.	Dr. (Mrs.) K.K. Sharma	Member

4. IT Strategy & Digital Promotion Committee:

1.	**Mr. D.K. Namdeo**	**Chairman of the Committee**
2.	Mr. K. Venkateswarlu	Member
3.	Dr. (Mrs. K.K. Sharma)	Member
4.	Mr. Dinesh Pant	Member

5.हित धारक संबंध समितिः

1.	श्री मृदुल कुमार अग्रवाल	समिति अध्यक्ष
2.	श्री डी.के.नामदेव	सदस्य
3.	डॉ (श्रीमती) के.के. शर्मा	सदस्य

6.नामांकन और पारिश्रमिक एवं मानव संसाधन समितिः

1.	डॉ (श्रीमती) के.के. शर्मा	समिति अध्यक्ष
2.	श्री मृदुल कुमार अग्रवाल	सदस्य
3.	श्री दिनेश पंत	सदस्य

7.ग्राहक सेवा समितिः

1.	श्री के वेकटेश्वरलू	समिति अध्यक्ष
2.	श्री दिनेश पंत	सदस्य
3.	डॉ (श्रीमती) के.के. शर्मा	सदस्य

8.विलफुल डिफाल्टर समिति :

1.	श्री दिनेश पंत	समिति अध्यक्ष
2.	श्री डी.के.नामदेव	सदस्य
3.	श्री मृदुल कुमार अग्रवाल	सदस्य

9.कार्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति :

1.	डॉ (श्रीमती) के.के. शर्मा	समिति अध्यक्ष
2.	श्री दिनेश पंत	सदस्य
3.	श्री डी.के.नामदेव	सदस्य

10.बड़ी राशि की धोखाधड़ियां समिति :

1.	श्री दिनेश पंत	समिति अध्यक्ष
2.	श्री के वेकटेश्वरलू	सदस्य
3.	श्री मृदुल कुमार अग्रवाल	सदस्य

11.असहयोगी ऋणी समिति :

1.	श्री दिनेश पंत	समिति अध्यक्ष
2.	श्री डी.के.नामदेव	सदस्य
3.	श्री मृदुल कुमार अग्रवाल	सदस्य

12. वसूली समिति :

1.	श्री दिनेश पंत	समिति अध्यक्ष
2.	श्री डी.के.नामदेव	सदस्य
3.	डॉ (श्रीमती) के.के. शर्मा	सदस्य

5. Stakeholders' Relationship Committee:

1.	Mr. Mradul Kumar Agarwal	Chairman of the Committee
2.	Mr. D.K. Namdeo	Member
3.	Dr. (Mrs.) K.K. Sharma	Member

6. Nomination and Remuneration & Human Resource Committee:

1.	Dr. (Mrs.) K.K. Sharma	Chairperson of the Committee
2.	Mr. Mradul Kumar Agarwal	Member
3.	Mr. Dinesh Pant	Member

7.Customer Service Committee:

1.	Mr. K. Venkateswarlu	Chairman of the Committee
2.	Mr. Dinesh Pant	Member
3.	Dr. (Mrs.) K.K. Sharma	Member

8. Willful Defaulter Committee:

1.	Mr. Dinesh Pant	Chairman of the Committee
2.	Mr. D.K. Namdeo	Member
3.	Mr. Mradul Kumar Agarwal	Member

9.Corporate Social Responsibility Committee:

1.	Dr. (Mrs.) K.K. Sharma	Chairperson of the Committee
2.	Mr. Dinesh Pant	Member
3.	Mr. D.K. Namdeo	Member

10.Large Value Fraud's Committee:

1.	Mr. Dinesh Pant	Chairman of the Committee
2.	Mr. K. Venkateswarlu	Member
3.	Mr. Mradul Kumar Agarwal	Member

11. Non-Co-operative Borrower Committee:

1.	Mr. Dinesh Pant	Chairman of the Committee
2.	Mr. D.K. Namdeo	Member
3.	Mr. Mradul Kumar Agarwal	Member

12. Recovery Committee

1.	Mr. Dinesh Pant	Chairman of the Committee
2.	Mr. D.K. Namdeo	Member
3.	Dr. (Mrs.) K.K. Sharma	Member

13. निवेश समिति :

1.	श्री डी.के.नामदेव	समिति अध्यक्ष
2.	श्री मृदुल कुमार अग्रवाल	सदस्य
3.	श्री दिनेश पंत	सदस्य

बोर्ड की संरचना में बदलावः

वित्तीय वर्ष के दौरान निम्नलिखित निदेशकों ने त्यागपत्र दिए:

S.N.	नाम (श्री / श्रीमती)	नियुक्ति की तारीख	त्यागपत्र / सेवानिवृत्ति की
1.	श्री एस.एस. घाग	24-10-2017	30-7-2018

वित्तीय वर्ष के दौरान निम्नलिखित निदेशको नियुक्त किये गए :–

S.N.	नाम (श्री / श्रीमती)	नियुक्ति की तारीख	डी.आई.एन. नं.
1.	श्री दिनेश पंत	26.03.2019 को निदेशक और अध्यक्ष और अप्रैल 01, 2019के बाद से सी.ई.ओ.	08391769
2.	श्री डी.के.नामदेव	08-02-2019	07738940

निर्देशकों द्वारा घोषणापत्र

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (5) के अंतर्गत– निदेशकों की जिम्मेदारी संबंधीवक्तव्य)

निदेशक मंडल का एतद्द्वारा कथन है कि:

यह अभिव्यक्त किया जाता है कि वार्षिक खातों की तैयारी के लिये लागू मानकों का पालन किया गया है ताकि बैंक के कार्यकलापों की सही और वास्तविक स्थिति प्रस्तुत की जा सके।

पुनः यह व्यक्त किया जाता है कि आपके बैंक ने उन लेखा नीतियों को चुना है तथा उन पर अमल किया हैजो हमारे निर्णय और आकलन मे उचित एवं विवेक सगंत है एवं बैंक के कार्य कलापों को वित्तीय वर्ष के अंत मे तथा उक्त अवधि में बैंक के लाभ की सही एवं वास्तविक स्थिति दर्शाती है।

पुनः, निदेशकों ने खातों के अभिलेखों की देख रेख के लिए कम्पनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार उचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती है ताकि बैंक की आस्तियां सुरक्षित रहें तथा धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं की पहचान और रोकथाम हो सके।

पुनः बैंक ने सभी प्रयोज्य नियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये उचित व्यवस्था अपनायी है। यह व्यवस्था पर्याप्त है तथा प्रभावी ढंग से कार्य कर रही है।

पुनः यह व्यक्त किया जाता है कि निदेशकों ने वार्षिक खातों को चालू कारोबार आधार पर तैयार किया है।

13. Investment Committee:

1.	Mr. D.K. Namdeo	Chairman of the Committee
2.	Mr. Mradul Kumar Agarwal	Member
3.	Mr. Dinesh Pant	Member

Changes in the composition of the Board:

The below mentioned Directors resigned during the Financial Year-

S.N.	Name [Mr./Mrs.]	Date of Appointment	Date of Resignation / Retirement
1.	Mr. S.S. Ghag	24-10-2017	30-7-2018

The below mentioned Directors were appointed during the Financial Year-

S.N.	Name [Mr./Mrs.]	Date of Appointment	DIN. No.
1.	Mr. Dinesh Pant	26.03.2019 as Director and Chairman & C.E.O. w.e.f April 01, 2019	08391769
2.	Mr. D.K. Namdeo	08-02-2019	07738940

DECLARATION BY DIRECTORS

(Information u/s 134 (5) of the Companies Act, 2013 - Directors' Responsibility Statement)

The Board of Directors hereby state that:

It is stated that for preparation of annual accounts, the applicable accounting standards have been followed so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank.

It is further stated that your Bank has opted such accounting policies and applied them consistently, which in Bank's judgments and estimates are reasonable and prudent and give a true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and of the profit of the Bank for the said period.

Further, the Directors had taken proper and adequate care for the maintenance of accounts and records in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013 for safeguarding the assets of the Bank and for prevention and detection of fraud and other irregularities.

Further, the Bank has devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

It is further stated that Directors had prepared the annual accounts on a going concern basis.

लाभांश

आपके निदेशक 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए 5 प्रतिशत के लाभांश की संस्तुति करते हैं।

यदि वार्षिक साधारण सभा में इसकी अनुमति मिलती है तो वर्ष 2018–19 के लाभांश पर रु. 0.80 करोड़ (लगभग) के लाभांश कर सहित रु. 4.67 करोड़ (लगभग) व्यय होगा।

जोखिम प्रबन्धन

जोखिम बैंकिंग व्यवसाय का अभिन्न अंग है और बैंक का उद्देश्य जोखिम और प्रतिलाभों के बीच एक उपयुक्त संतुलन स्थापित करना है। बैंक विभिन्न जोखिमों का सामना करता है, जो किसी भी बैंकिंग व्यवसाय के अंतर्निहित अंग होते हैं। प्रमुख जोखिम ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, नकदी जोखिम और परिचालन जोखिम हैं। धारणीय और सुसंगत वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए बैंक ने एक मजबूत जोखिम प्रबंधन ढाँचा विक्सि किया है, ताकि बैंक द्वारा कल्पित जोखिमों का उचित आकलन और निगरानी हो सके। गौरतलब है कि जोखिम प्रबंधन ढाँचा स्थापित करने का परम दायित्व बैंक के निदेशक मंडल का है। निदेशक मंडल ने मंडल की एक जोखिम प्रबंधन समिति भी गठित की है, जो विभिन्न प्रकार के जोखिमों के बीच अंतरूसंबंधों का निरीक्षण करती है।

बैंक की एक विशद आंतरिक पूँजी पर्याप्तता आकलन प्रक्रिया और तनाव परीक्षण नीति है। नकदी जोखिम, ब्याज दर जोखिम, संकेंद्रण जोखिम और पूँजी पर्याप्तता जैसे स्तंभ 2 के जोखिमों का सामान्य और तनावग्रस्त दोनों स्थितियों में वर्तमान नीतियों के अनुसार आकलन किया जाता है। बैंक के भीतर विभिन्न जोखिमों की पहचान, आकलन और प्रबंधन करने के तंत्र की एक संक्षिप्त रूपरेखा निम्नानुसार है रू.

आस्ति देयता प्रबन्धन (एएलएम)

नकदी जोखिम उचित लागत पर प्रत्याशित और अप्रत्याशित नकदी और संपार्श्विक दायित्व पूरे करने की योग्यता है। बैंक में नकदी जोखिम का मापन और निगरानी रिजर्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार स्टॉक एप्रोच और अन्य विवेकपूर्ण व्यवस्थाओं के माध्यम से की जाती है। बैंक ने नकदी मानदंडों पर बेसलप्ढाँचे दृ नकदी व्याप्ति अनुपात (एलसीआर), नकदी जोखिम निगरानी औजारों और एलसीआर प्रकटीकरण मानदंडों का कार्यान्वयन किया है। एलसीआर मानदंडों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंक ऐसी भार–रहित उच्च गुणवत्तापूर्ण आस्तियों का एक उपयुक्त स्तर कायम रखें, जो पर्यवेक्षकों द्वारा निर्दिष्ट अत्यधिक गंभीर नकदी तनाव परिदृश्य में 30 कैलेंडर–दिनों की समय–सीमा की नकदी–आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नकदी में बदली जा सकें। बैंक सदैव एलसीआर के निर्धारित स्तर से पर्याप्त ऊपर रहा है। बैंकिंग पुस्तक में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी) दर संवेदनशील आस्तियों और देयताओं के बीच असंतुलन से उत्पन्न होता है, जो ब्याज–दरों में बदलाव के साथ बैंक की ईक्विटी की आयध्आर्थिक मूल्य को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है। बैंकिंग पुस्तक में ब्याज दर जोखिम के मापन और निगरानी के लिए बैंक परंपरागत अंतर विश्लेषण, जोखिम पर आय और ईक्विटी की संशोधित अवधि जैसे जोखिम प्रबंधन औजारों का प्रयोग करता है। निवल ब्याज आय (एनआईआई) पर ब्याज दर की हलचलों के अल्पावधि प्रभाव की गणना 'जोखिम पर आय' दृदृष्टिकोण के माध्यम से की जाती है. ब्याज दर की हलचलों के दीर्घावधि प्रभाव का मापन और निगरानी ईक्विटी के बाजार मूल्य (एमवीई) में बदलाव के माध्यम से की जाती है।

नकदी और ब्याज दर जोखिम प्रबंधन के लिए नीतिगत ढाँचा बैंक की एएलएम नीति में स्थापित किया जाता है, जो विनियामक अनुदेशों से निर्देशित होती है। बैंक की आस्ति देयता समिति (एल्को) सुनिश्चित करती है कि नकदी जोखिम और ब्याज दर जोखिम सहनीयता की सीमाओं के अंतर्गत रहें। इसके अतिरिक्त, आपके बैंक के पास निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नकदी और ब्याज दर जोखिम कवर करने वाला तनाव परीक्षण कार्यक्रम है, जो विनियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप है।

ऋण जोखिम

ऋण जोखिम वह जोखिम है जिसे उधारकर्ताओं के ऋण की गुणवत्ता में कमी आने, प्रतिपक्षों के अचानक डिफाल्ट या पोर्टफोलियो में कमी से सम्बन्धित हानि की सम्भावना के रुप में परिभाषित किया गया है। आपके बैंक का ऋण जोखिम प्रबन्धन एक व्यापक एवं सुपरिभाषित ऋण नीति के द्वारा नियंत्रित होता है जो कि बोर्ड द्वारा स्वीकृत की गयी है। पोर्टफोलियो में अनुचित केन्द्रीकरण जोखिम के निवारण के लिए बैंक ने विभिन्न उद्योगों, सेक्टर व उधारकर्ताओं के लिए विवेकपूर्ण सीमाएं तय की हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरुप बैंक वर्तमान में ऋण जोखिम के लिए एक मानकीक्रत दृष्टिकोण पर कार्य कर रहा है।

DIVIDEND

Your Directors recommend dividend of 5% for the Financial Year ended March 31, 2019.

If approved in the Annual General Meeting the total dividend outgo for the Financial Year 2018-19 would be Rs. 4.67Crore (Approx.) including dividend tax for Rs. 0.80 Crore (Approx.).

RISK MANAGEMENT

Risk is an integral part of the banking business and the Bank aims to achieve an appropriate trade-off between risk and returns. The Bank is exposed to various risks that are an inherent part of any banking business. The major risks are credit risk, market risk, liquidity risk and operational risk. To ensure sustainable and consistent growth, the Bank has developed a sound risk management framework so that the risks assumed by the Bank are properly assessed and monitored. It may be noted that the ultimate responsibility for setting up the risk management framework lies with the Board of the Bank. The Board has also constituted a Risk Management Committee of the Board which oversees the interlinkages among different type of risks.

The Bank has a comprehensive Internal Capital Adequacy Assessment Process and stress test policy. The Pillar 2 risks such as Liquidity Risk, Interest Rate Risk, Concentration Risk and Capital Adequacy under both normal and stressed conditions are assessed as per the extant policies. A brief outline of the mechanism for identifying, evaluating and managing various risks within the Bank is as follows:-

ASSET LIABILITY MANAGEMENT (ALM)

Liquidity Risk is the inability to meet expected and unexpected cash and collateral obligations at reasonable cost. At the Bank, the liquidity risk is measured and monitored through Stock Approach and other prudential stipulations as per RBI's extant guidelines. The Bank has implemented the Basel III Framework on Liquidity Standards - Liquidity Coverage Ratio (LCR), Liquidity Risk Monitoring Tools and LCR Disclosure Standards. The LCR Standard aims to ensure that banks maintain an adequate level of unencumbered High - Quality Liquid Assets that can be converted into cash to meet liquidity needs for a 30-calendar days' time horizon under a significantly severe liquidity stress scenario specified by supervisors. The Bank has always been well above the stipulated level of LCR. Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB) arises due to mismatch between rate sensitive assets and liabilities which may adversely impact the earnings/economic value of equity of the Bank with the change in interest rates. The Bank uses risk management tools such as Traditional Gap Analysis, Earning at Risk and Modified Duration of Equity for the measurement and monitoring of Interest rate risk in the banking book. The short term impact of interest rate movements on Net Interest Income [NII] is calculated through the 'Earnings at Risk' approach. The long-term impact of interest rate movements is measured and monitored through change in Market Value of Equity (MVE).

The policy framework for liquidity and interest rate risk management is established in the Bank's ALM Policy which is guided by regulatory instructions. Bank's Asset Liability Committee (ALCO) ensures that liquidity risk and interest rate risk are within the tolerance limits. Additionally, your Bank has a comprehensive Board approved stress testing programme covering liquidity and interest rate risk which is aligned with the regulatory guidelines.

CREDIT RISK

Credit Risk is defined as the possibility of losses associated with the reduction in the credit quality of borrowers or counterparties from outright default of reduction in portfolio value. Your Bank's Credit Risk management is governed by a comprehensive and well-defined Loan Policy and Credit Risk Management Policy which is approved by the Board. To manage the undue concentration risk in the portfolios, the Bank has put in place prudential caps across industries, sectors and borrowers. In accordance with the RBI guidelines, Bank is currently on the Standardized Approach for credit risk.

बाजार जोखिम

पोर्टफोलियो के मूल्यों में विपरीत बदलावों के कारण होने वाली आय या आर्थिक मूल्य की हानि हैं। विभिन्न बाजार–उत्पादों के आर्थिक मूल्य में बदलाव मुख्यतः बाजार–दर, आर्थिक वृद्धि और व्यापार में भरोसे जैसे कारकों में बदलाव के कारण होता हैं। बैंक के पास अपने बाजार जोखिम की स्थितियाँ ग्रहण करने वाले राजकोषीय क्रिया–कलापों के नियंत्रण और निगरानी के लिए सुपरिभाषित नीतियाँ है। बैंक अपनी व्यापार–पुस्तक में बाजार–दर जोखिम का मापन और निगरानी तिमाही आधार पर संशोधित अवधि दृष्टिकोण के माध्यम से करता है। लेनदेन के स्तर पर हानि–रोध सीमाएँ निर्धारित और कार्यान्वित की गई है। अपने तनाव परीक्षण ढाँचे के अंतर्गत बैंक तिमाही आधार पर अपने व्यापार पुस्तक पोर्टफोलियो के व्यापक तनाव परीक्षण करता है।

परिचालन जोखिम

परिचालन जोखिम का तात्पर्य अपर्याप्त अथवा निष्फल आंतरिक परिचालन प्रक्रिया, लोगों तथा प्रणालियों अथवा बाहरी घटकों से हानि के कारण होने वाला जोखिम है। इसमें विधिक जोखिम भी शामिल है, लेकिन कार्यनीति तथा प्रतिष्ठा सम्बन्धी जोखिम इसमें शामिल नहीं हैं। परिचालन जोखिम काआकलन मूलभूत सूचक प्रणाली से किया गया है।

तरलता कवरेज अनुपात(एलसीआर)

तरलता कवरेज अनुपात बैंक तरलता के लिए एक वैश्विक न्यूनतम मानक है। इस अनुपात का ध्येय यह सुनिश्चित करना है कि बैंक जो भारतीयरिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित महत्वपूर्ण अत्यंत जटिल परिस्थितियों में 30 कैलेंडर दिनों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त भार रहितउच्च कोटि की आस्तियां रखे जिन्हें नकदी में बदला जा सके। जून, 2014 में भारतीय रिजर्व बैंक ने तरलता मानकों पर तरलता

कवरेज अनुपात(एलसीआर) और बेसल–ш फ्रेमवर्क पर आधारित एलसीआर प्रकटीकरण, मॉनिटरिंग टूल्स जारी किया। इन दिशानिर्देशों के आधार पर एलसीआर 1जनवरी, 2015 से न्यूनतम 60 प्रतिशत आवश्यकता के साथ बराबर सालाना वृद्धि के साथ 1 जनवरी, 2019 तक 100 प्रतिशत के लक्ष्य तक पहुंचने केलक्ष्य के साथ लागू हो गया। मार्च 2019 को प्रचलित दिशा–निर्देशों के अनुसार 31 मार्च, 2019 को समाप्त तिमाही के आधार पर आपके बैंक का एलसीआर वर्तमान न्यूनतम आवश्यकता से ऊपर अर्थात 100 प्रतिशत पर था।

बेसल–III कार्यान्वयन

बेसल–III पूंजी विनियमों का कार्यान्वयन भारतीय बैंकों द्वारा 1 अप्रैल 2013 से किया गया है। बेसल–III में सरलता से पारगमन के लिए पूंजी आवश्यकता के अनुरुप समुचित पारगमनीय व्यवस्था की गई है और न्यूनतम बेसल–III पूंजी अनुपातों व पूंजी के घटकों से सम्बन्धित पूर्ण नियामकीय समायोजन की प्राप्ति के लिए वित्तीय परिणामों के प्रकाशन के साथ घोषित करने हेतु सभी आवश्यक घोषणाएं समेकित स्तर पर की गई हैं। इसके कार्यान्वयन के लिए एक ओर पूंजी की परिवर्धित गुणवत्ता एवं मात्रा और दूसरी ओर अधिक प्रकटीकरण की आवश्यकता है। वर्तमान में बैंक की पूंजी बेसल–III के अन्तर्गत जरुरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

निधियों की सीमांत लागत पर आधारित उधार दर (एमसीएलआर)

भारतीय रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उधार दर निर्धारित करने की निधियों की सीमान्त लागत पर आधारित उधार दर (एमसीएलआर) के नाम से एक नई पद्धति आरम्भ की हैं। इस प्रणाली से अप्रैल, 2016 से मौजूदा आधार दर पर आधारित उधार दर प्रणाली में संशोधन हुए।

भारतीय रिजर्व बैंकद्वारा जारी नये दिशानिर्देशों के अनुसार बैंकों को निधियों की सीमान्त लागत पर आधारित उधार दर तैयार करनी है, जो कि आन्तरिक बैंच मार्क उधार दर होगी। इस एमसीएलआर के आधार पर विभिन्न प्रकार के उपभोक्ताओं के लिए उनके जोखिम के अनुसार ब्याजदर निर्धारित की जानी चाहिए।

हमारे बैंक ने दिनांक 1 अप्रैल, 2016 से निधियों की सीमान्त लागत पर आधारित उधार दर (एमसीएलआर) को कार्यान्वित किया।

निदेशक मंडल ने दिनांक 28 अप्रैल, 2016 को आयोजित बैठक में आस्ति देयता प्रबन्धन समिति (एल्को) को निधियों की सीमान्त लागत पर आधारित उधार दर (एमसीएलआर) को अंतिम रुप देने एवं इसकी गणना की पद्धति निर्धारित करने के लिये प्राधिकृत किया। बैंकों को बैंक की प्रचलित पद्धति के अनुसार बोर्ड अथवा आस्ति देयता प्रबन्धन समिति (एल्को) के अनुमोदन से न्यूनतम त्रैमासिक/मासिक अवधि में एक बार समीक्षा करना एवं बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित करना अपेक्षित है। हमारे बैंक ने आरबीआई के निदेशानुसार (वर्ष

MARKET RISK

Market Risk implies the risk of loss of earnings or economic value due to adverse changes in market rates or prices of trading portfolio. The change in economic value of different market products is largely a function of change in factors such as interest rates, exchange rates, economic growth and business confidence. The Bank has well defined policies to control and monitor its treasury functions which undertake Market Risk positions. The Bank measures and monitors interest rate risk in its trading book through modified duration approach on quarterly basis. At a transaction level, stop loss limits have been prescribed and implemented. Under its stress testing framework, the Bank conducts comprehensive stress tests of its trading book portfolio on a quarterly basis.

OPERATIONAL RISK

Operational Risk implies the risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people and systems or from external events. This includes legal risk, but excludes strategic and reputation risks. The Operational Risk is calculated using the Basic Indicator Approach.

LIQUIDITY COVERAGE RATIO (LCR)

The Liquidity Coverage Ratio (LCR) is a global minimum standard for bank liquidity. The ratio aims to ensure that a bank has an adequate stock of unencumbered high-quality liquid assets (HQLA) that can be converted into cash easily and immediately to meet its liquidity needs for a 30 calendar day liquidity stress scenario. In June 2014, RBI released Basel III Framework on Liquidity Standards- Liquidity Coverage Ratio (LCR), Liquidity Risk Monitoring Tools and LCR Disclosure Standards. Based on the guidelines, LCR became effective on January 1, 2015 with minimum requirement for the ratio is at 60%, increasing in equal annual increments to reach 100% on January 1, 2019. As per the prevailing guidelines on March 2019, your Bank's monthly average LCR, for the quarter ended March 31, 2019 was above the present minimum requirement i.e. 100%.

BASEL III IMPLEMENTATION

The Basel III capital regulations have been implemented by Indian banks with effect from April 1, 2013. To ensure smooth transition to Basel III, appropriate transitional arrangements have been made with capital requirement and disclosures at consolidated level which are to be disclosed with the publication of financial results have been provided for meeting the minimum Basel III capital ratios, full regulatory adjustments to the components of capital. This implementation requires enhanced quality and quantity of capital on one side and more elaborate disclosure on the other. The bank is adequately capitalized as per the current requirements under Basel III.

MARGINAL COST OF FUNDS BASED LENDING RATE (MCLR)

The Reserve Bank of India has brought a new methodology of setting lending rate by commercial banks under the name Marginal Cost of Funds based Lending Rate (MCLR). It has modified the existing base rate system from April 2016 onwards.

As per the new guidelines by the RBI, banks have to prepare Marginal Cost of Funds based Lending Rate (MCLR) which will be the internal benchmark lending rates. Based upon this MCLR, interest rate for different types of customers should be fixed in accordance with their riskiness.

Our Bank has implemented Marginal Cost of Funds Based Lending Rate (MCLR) w.e.f 1st April 2016.

Board of Directors in its meeting dated 28th April 2016 authorized the Asset Liability Committee (ALCO) of the bank to finalize Marginal Cost of Funds Based Lending Rate (MCLR) and methodology of computation of Marginal Cost of Funds Based Lending Rate (MCLR) for the bank. Banks are required to review the Marginal Cost of Funds Based Lending Rate (MCLR) at least once in a quarter/once in month with the approval of the Board or the Asset

2016–17 के लिए)त्रैमासिक आधार पर एमसीएलआर की गणना करने का निर्णय लिया है।अप्रैल, 2017 से मासिक आधार पर एमसीएलआर की समीक्षा की जा रही है।

आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार वास्तविक उधार दर का निर्धारण एमसीएलआर में कीमत लागत अंतर को जोड़कर किया जाएगा। कीमत लागत अंतर का अर्थ है कि बैंक उधार लेने वाले के जोखिम के आधार पर अधिक ब्याज दर निर्धारित कर सकते हैं। आधार दर से जुड़ी मौजूदा ऋण एवं क्रेडिट सीमा पुनर्भुगतान अथवा नवीनीकरण, जैसा भी मामला हो, तक जारी रह सकती हैं। उधार लेने वाले मौजूदा ग्राहकों के पास परस्पर सहमत शर्तों पर निधियों की सीमान्त लागत पर आधारित उधार दर (एमसीएलआर)में जाने का भी विकल्प होगा।

आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार वास्तविक उधार दर का निर्धारण एमसीएलआर में कीमत लागत अंतर को जोड़कर किया जाएगा। कीमत लागत अंतर का अर्थ है कि बैंक उधार लेने वाले के जोखिम के आधार पर अधिक ब्याज दर निर्धारित कर सकते हैं। आधार दर से जुड़ी मौजूदा ऋण एवं क्रेडिट सीमा पुनर्भुगतान अथवा नवीनीकरण, जैसा भी मामला हो, तक जारी रह सकती हैं। उधार लेने वाले मौजूदा ग्राहकों के पास परस्पर सहमत शर्तों पर निधियों की सीमान्त लागत पर आधारित उधार दर (एमसीएलआर)में जाने का भी विकल्प होगा।

जोखिम आधारित पर्यवेक्षण (आरबीएस)

भारतीय रिज़र्व बैंक में बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग (डीबीएस) ने वाणिज्यिक बैंकों के पर्यवेक्षण की समीक्षा करने के लिए जोखिम आधारित पर्यवेक्षण (आरबीएस) दृष्टिकोण अपनाया है। आरबीएस फ्रेमवर्क को ''जोखिम एवं पूंजीगत निर्धारण का पर्यवेक्षी कार्यक्रम (एसपीएआरसी)'' का नाम दिया गया है और इस प्रक्रिया में लागू एक महत्वपूर्ण घटक/उपकरण ''समेकित जोखिम और प्रभाव अंकन (आईआरआईएससी)'' है। आरबीएस और प्रभाव अंकन (आईआरआईएससी)'' मॉडल है। आरबीएस ऑफ़साइट और प्रभाव अंकन (आईआरआईएससी)'' मॉडल है। आरबीएस ऑफ़साइट और साथ हीऑफ़साइट पर्यवेक्षण द्वारा संचालित है जिसमें बैंक को आंकड़ा संग्रहण औरसमेकन की प्रक्रिया तथा रिपोर्टिंग की आधुनिक प्रणाली स्थापित करने कीआवश्यकता होती है। आरबीएस 2015–16 पर्यवेक्षी चक्र में आपके बैंक मेंआरंभ किया गया था। एसपीएआरसी जोखिम केन्द्रित है और इसका लक्ष्यपर्यवेक्षी प्रक्रिया और प्रभावी बनाना है। एसपीएआरसी के तहत मूल्यांकनके दो प्रमुख क्षेत्र जोखिम और पूंजीगत मूल्यांकन है। किसी बैंक केलिए जोखिम मूल्यांकन में अंतर्निहित जोखिम, अंतर्निहित जोखिम के लिएनियंत्रण में अंतर के कारण जोखिम, अभिशासन और ओवरसाइट में अंतरके कारण जोखिम तथा साथ ही विनियामक अपेक्षाओं की संस्कृति औरडिग्री शामिल होती है। ये मूल्यांकन बैंक के लिए जोखिम को समेकितकरते हैं। समेकित रूप से उपलब्ध समेकित जोखिम और पूंजी बैंक के लिएविफलता अंकन का जोखिम (आरओएफएस) निर्धारित करता है। आपकेबैंक ने एसपीएआरसी के तहत दो चक्र सफलतापूर्वक पूरे कर लिये हैं औरअब यह 2018–19 का तीसरा पर्यवेक्षी चक्र आरंभ करने की स्थिति में है।

क्रेडिट मॉनिटरिंग

क्रेडिट मॉनिटरिंग आस्तियों की गुणवत्ता को बनाए रखने और समय–सूची के अनुसार लेनदारी को वसूल करने के कार्यकलापों का अभिन्न अंग है। क्रेडिट पोर्टफोलिओ की मॉनिटरिंग के व्यवस्थित दृष्टिकोण के प्रयास में प्रधान कार्यालय स्तर पर एक एसोसिएट उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक संपूर्ण विभाग को बैंक में कार्यात्मक बनाया गया है। बैंक ने क्रेडिट पोर्टफोलियो की प्रभावी मॉनिटरिंग की व्यवस्था की है जिसमें लेखा विशिष्ट मॉनिटरिंग, बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार स्टॉक लेखापरीक्षा और क्रेडिट लेखापरीक्षा शामिल है जिसमें उधार संबंधी खातों की निरंतर निगरानी की जाएगी और बैंक के क्रेडिट पोर्टफोलियो की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।

विपणन

बैंक का विपणन विभाग ग्राहक अधिग्रहण के माध्यम से बैंक के लिए नया व्यवसाय अर्जित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हैं। बैंक, बैंक के उत्पादों के प्रति जागरूकता पैदा कर और ग्राहक केंद्रित अभियान संचालित कर उत्पाद विकास और प्रचार प्रसार में भी पहल करता है। विपणन विभाग के डोमेन के तहत उत्पादों और सेवाओं को व्यापक रूप से धन प्रबंधन सेवाओंके रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

Liability Management Committees (ALCOs) as per the Bank' practice and publish on the Bank's website. Our Bank has decided to compute MCLR at quarterly basis (for year 2016-17) as per RBI directives. From April, 2017 onwards MCLR is being reviewed on monthly basis.

According to the RBI guideline, actual lending rates will be determined by adding the components of spread to the MCLR. Spread means that banks can charge higher interest rate depending upon the riskiness of the borrower. Existing loans and credit limits linked to the Base Rate may continue till repayment or renewal, as the case may be. Existing borrowers will also have the option to move to the Marginal Cost of Funds based Lending Rate (MCLR) linked loan at mutually acceptable terms.

Powerful element of the MCLR system form the monetary policy angle is that banks have to revise their marginal cost on a monthly basis. According to the RBI guideline, "Banks will review and publish their MCLR of different maturities every month on a pre-announced date." Such a monthly revision will compel the banks to consider the change in repo rate change if any made by the RBI during the month.

RISK BASED SUPERVISION (RBS)

The Department of Banking Supervision (DBS) at RBI has adopted a Risk Based Supervisory (RBS) approach for Review of Supervisory Processes of Commercial Banks. The RBS framework has been named as "Supervisory Program for Assessment of Risk and Capital (SPARC)" and one of its important components/ tools employed in the process is the "Integrated Risk and Impact Scoring (IRISc)" Model. RBS is driven by Offsite as well as Onsite supervision which requires a Bank to put in place robust systems for data collection and compilation process and reporting. RBS was rolled out in your Bank in 2015-16 supervisory cycles. SPARC is risk focused and intended to increase the effectiveness of the supervisory process. The two major areas of assessment under SPARC are Risk and Capital Assessment. The risk assessment for a Bank covers the inherent risks, risks due to gaps in controls for the inherent risks, risks due to gaps in the Governance & Oversight as also the culture and degree of compliance to regulatory requirements. These assessments together determine the Aggregate Risk for a Bank. The Aggregate Risk and Capital Available together determine the Risk of Failure Score (RoFS) for a Bank. Your Bank has successfully completed the three cycle under SPARC and is now well positioned to embark on the fourth supervisory cycle of 2018-19.

CREDIT MONITORING

Credit Monitoring is an integral part of lending activity to maintain the quality of assets and recover dues in time as per schedule. In an effort for a regimented approach for monitoring of credit portfolio, a full fledged department headed by an Associate Vice President at Head Office level is made functional in the bank. The bank has put in place an effective monitoring of credit portfolio which includes account specific monitoring, stock audits & credit audits as per board approved policy to have constant watch over borrowal accounts & to take prompt corrective action to improve quality of credit portfolio of bank.

MARKETING

The Marketing Department of the Bank plays a critical role in generating new business for the Bank through customer acquisition. The Bank also takes initiatives in product development and promotion by creating awareness on products and by driving customer-centric campaigns. The products and services under the domain of Marketing Department can be broadly classified as Wealth management services.

धनसंपदा प्रबंधन सेवाएँ

एक विविध ग्राहक आधार की जरूरतों को पूरा करने के लिए, बैंक ने बीमा(जीवन बीमा / सामान्यबीमा) उत्पादों संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिएकई कंपनियों के साथ प्रबंध व्यवस्था की है।बैंक जीवन बीमा और सामान्यबीमा के लिए क्रमशः मैसर्स एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड औरमैसर्स फ्यूचर जनरालि इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बीमा उत्पादोंसंबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए कॉर्पोरेट एजेंट के रूप में कार्य करता है।आईआरडीए (जो 1 अप्रैल, 2016 से प्रभावी है) के नए विनियमन के अनुसार,बैंक जीवन बीमा, सामान्य बीमा और स्वास्थ्य बीमा के तहत 1 से अधिकबीमा प्रदाता, लेकिन अधिकतम 3 बीमा प्रदाताओं के लिए कॉर्पोरेट एजेंट केरूप में कार्य कर सकते हैं।आईआरडीए से प्राप्त अनुमोदन के अनुसार हमने 1 अप्रैल, 2016 से ''अनेक कॉर्पोरेट एजेंसी मॉडल'' का चयन किया है।

बैंक ने सामान्य बीमा के लिये अपने मौजदा साझेदार **नैशनल** इनश्योरेंस कपंनी लिमिटेड के अलावा फ्यूचर जनरालि इंडिया इनश्योरेंस कपंनी लिमिटेड के साथ तथा जीवन बीमा उत्पादों के लिये अपने मौजूदा साझेदार इंडिया फर्स्टलाइफ इनश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड के अलावा एक्साइड लाइफ इनश्योरेंस के साथ करार किया है।

WEALTH MANAGEMENT SERVICES

To cater to the needs of a diverse customer base, the Bank has made arrangements with several companies to distribute Insurance (Life/General) products. The Bank acts as a corporate agent for the distribution of insurance products of both M/s Exide Life Insurance Company Limited and M/s Future Generali India Insurance Company Ltd for life insurance and general insurance respectively. As per the new regulation by IRDA (which is effective from 1st April, 2016), banks can act as Corporate Agent for more than 1 Insurance provider subject to a maximum of 3 insurance providers - under Life, General and Health each. As per the approvals received from IRDA we have opted for Multiple Corporate Agency Model with effect from 1st April, 2016.

The Bank has tied up with Future Generali India Insurance Company Ltd. in addition to our

existing partner National Insurance Company Limited for general Insurance and Exide Life Insurance in addition to our existing partner India First Insurance for Life Insurance products.

अनुपालन विभाग

बैंक ने अपने सभी हितधारकों के बीच पारदर्शिता और विश्वास के रणनीतिक लक्ष्यों के अनुसार संगठन में एक मजबूत अनुपालन संस्कृति और तंत्र को विकसित किया है। बैंक में सभी व्यवसायों और संचालनों में नियामक औरकानूनी अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक एसोसिएट उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक समर्पित स्वतंत्र अनुपालन विभाग सेवारत है।

इस विभाग के प्रमुख कार्यों में बैंक के विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों (वर्टिकलों) को प्रभावित करने वाले प्रमुख विनियामक अनुपालन परिप्रेक्ष्य में प्रक्रियाओं की समीक्षा, अनुपालन संबंधी मामलों पर मार्गदर्शन प्रदान करना, और अनुपालन पहलुओंपर कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना शामिल है।

COMPLIANCE DEPARTMENT

The Bank has institutionalized a strong compliance culture and mechanism across the organization, pursuant to its strategic goals of transparency and trust, among all its stakeholders. The

Bank has a dedicated independent Compliance Department headed by an Associate Vice President for ensuring regulatory and legal compliance, across all its businesses and operations. The key functions of this Department include, dissemination of key regulatory updates affecting the various business verticals of

the Bank, review of processes from a regulatory compliance perspective, provide guidance on compliance-related matters, impart training to employees on compliance aspects, among others.

सांविधिक लेखा परीक्षक

लेखा परीक्षकों की संलग्न रिपोर्ट को इस रिपोर्ट का हिस्सा बनाया गया है। लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 व कम्पनी अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत अपेक्षित सभी सूचनाएं बैंककारी कम्पनियों के लिये अपेक्षित विधि से दी गई हैं तथा यह 31 मार्च, 2019 को बैंक के कामकाज की सही और निष्पक्ष स्थिति दर्शाती हैं।

यह स्पष्ट किया जाता है कि वर्ष के दौरान केन्द्रीय सांविधिक लेखा परीक्षकों में कोई बदलाव नहीं किया गया है चूंकि विद्यमान केन्द्रीय सांविधिक लेखा परीक्षक पुनर्नियुक्ति के लिये पात्र और इस्के लिये आवश्यका स्वीकृति भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रदान कर दी गई थी।

जहाँ तक शाखा सांविधिक लेखापरीक्षा का संबंध है, –78– लेखापरीक्षा फर्में पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र थीं और –18– नई लेखापरीक्षा फर्में लेखापरीक्षा कार्य के लिए नियुक्त की गईं, वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए लेखापरीक्षा कार्य करने के हेतु कुल –96– लेखापरीक्षा फर्में पैनल में रखी गईं.

सांविधिक लेखा परीक्षकों ने यह पुष्टि की है कि तुलनपत्र और लाभ–हांनि खाता बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधानों, जिन्हें कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 133 तथा कम्पनी (लेखा) नियम 2014 केनियम 7 के साथ पढ़ा जाये, के अनुसार तैयार किये गये हैं। उन्होंने इस बात की भी पुष्टि की है कि इस सम्बन्ध में बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 30 के उपनियम 3 एवं कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(3) के प्रावधानों का भी अनुपालन किया गया है। बैंक द्वारा इन्वेस्टर एजुकेशन एण्ड प्रोटेक्शन फंड में आवश्यक धनराशि को अंतरित करने मेंकोई विलंब नहीं किया गया है।

STATUTORY AUDITORS

The appended Auditors Report is made part of this Report. Auditors Report contains all the information required by The Banking Regulation Act, 1949 as well as The Companies Act, 2013, in the manner so required for the banking companies and give a true and fair view of the state of affairs of the Bank as at 31st March, 2019.

It is submitted that no changes was made in respect of Central Statutory Auditors during the year, as existing Central Statutory Auditors were eligible for re-appointment and required approval was granted by Reserve Bank of India in this regard.

As regards, Branch Statutory Audit, -78- Audit firms were eligible for re-appointment and -18- fresh Audit firms were appointed for audit work, hence a total of -96- Audit firms were empanelled for conducting the Audit work for the FY 2018-19.

The Central Statutory Auditors have confirmed that the Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with the provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 read with Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014. They also confirmed compliance of sub section (3) of Section 30 of the Banking Regulation Act, 1949 as well as section 143(3) of the Companies Act, 2013. There has been no delay in transferring amounts, required to be transferred, to the Investor Education and Protection Fund by the Bank

फार्म संख्याए एमजीटी 9 / FORM NO. MGT 9

वार्षिक विवरणी का सारांश / EXTRACT OF ANNUAL RETURN

31.03.2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष की स्थीति / As on Financial Year ended on 31.03.2019

कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुभाग 92(3) एवं कम्पनी (प्रबन्धन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के अनुसार

Pursuant to Section 92 (3) of the Companies Act, 2013 and rule 12(1) of the Company (Management & Administration) Rules, 2014.

पंजीकरण एवं अन्य विवरण / Registration & Other Details:

1.	सीआईएन / CIN	U65923UR1922PLC000234
2.	पंजीकरण दिनांक / Registration Date	31/07/1922
3.	कम्पनी का नाम / Name of the Company	दि नैनीताल बैंक लिमिटेड THE NAINITAL BANK LIMITED
4.	कम्पनी का वर्ग / उपवर्ग Category/Sub-category of the Company	भारतीय गैर–सरकारी कंपनी Indian Non-Government Company
5.	पंजीकृत कार्यालय का पता एवं संपर्क विवरण Address of the Registered Office & Contact Details	जी.बी. पंत रोड, नैनीताल, उत्तराखण्ड–263001 संपर्क विवरण –बे / nainitalbank.co.in,05942–233739 G B PANT ROAD NAINITAL UTTARAKHAND UR 263001 IN Contact Details - cs@nainitalbank.co.in, 05942-233739
6.	क्या कम्पनी सूचीबद्ध है / Whether listed company	नहीं / NO
7.	रजिस्ट्रार एवं ट्रान्सफर एजेन्ट का नाम, पता व संपर्क विवरण Name, Address & contact details of the Registrar & Transfer Agent, if any	मेसर्स कार्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड कार्वी सेलेनियम, टॉवर–B, प्लॉट नंबर 31 और 32., फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, सीरिलंगमपल्ली मंडल, हैदराबाद, 500032, भारत, 040–67162222 M/s Karvy Fintech Private Limited Karvy Selenium,Tower- B, Plot No. 31 & 32., Financial District, Nanakramguda, Serilingampally Mandal, Hyderabad, 500032, India, 040-67162222

II. कम्पनी की प्रमुख व्यावसायिक गतिविधियां / PRINCIPAL BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY

(कम्पनी के कुल कारोबार का 10 प्रतिशत या अधिक योगदान देने वाली व्यावसायिक गतिविधियां)

(All the business activities contributing 10 % or more of the total turnover of the company shall be stated)

क्र.सं. S. No.	मुख्य उत्पाद / सेवाओं का नाम व विवरण Name and Description of main products / services	उत्पाद / सेवा का एनआईसी कोड NIC Code of the Product/service	कम्पनी के कुल कारोबार का प्रतिशत % to total turnover of the company
	बैंकिंग सेवाएं / BANKING SERVICES	64191	100%

III. होल्डिंग, सहायक और एसोसिएट कंपनियों का विवरण / PARTICULARS OF HOLDING, SUBSIDIARY AND ASSOCIATE COMPANIES

क्र.सं. S. No.	कंपनी का नाम और पता Name and address of the Company	सीआईएन / जीएलएन CIN/GLN	होल्डिंग / सब्सीडरी / एसोसिएट Holding/ Subsidiary/ Associate	धारित शेयरों काप्रतिशत % of shares held	लागू धारा Applicable Section
	बैंक ऑफ बड़ौदा / Bank of Baroda		होल्डिंग / Holding	98.57	

IV. शेयर होल्डिंग पैटर्न / SHARE HOLDING PATTERN

(इक्विटी शेयर पूंजी का कुल पूंजी के प्रतिशत में वर्गीकरण) / (Equity share capital breakup as percentage of total equity)

(i) वर्गवार अंश धारिता / Category-wise Share Holding

अंशधारकों का वर्ग Category of Shareholders	वर्ष के प्रारम्भ में शेयरों की संख्या No. of Shares held at the beginning of the year				वर्ष के अन्त में शेयरों की संख्या No. of Shares held at the end of the year				वर्ष के दौरान प्रतिशत परिवर्तन % Change during the year
	डीमेट Demat	प्रत्यक्ष Physical	जोड Total	कुल शेयरों का प्रतिशत % of Total Shares	डीमेट Demat	प्रत्यक्ष Physical	जोड Total	कुल शेयरों का प्रतिशत % of Total Shares	
A. Promoters अ. प्रवर्तक									
(1) Indian 1 भारतीय									
a) Individual/ HUF क) व्यक्ति. / अ.हि.पं				0.00%				0.00%	0.00%
b) Central Govt ख) केन्द्रीय सरकार				0.00%				0.00%	0.00%

c) State Govt(s) ग) राज्य सरकार(रें)				0.00%				0.00%	0.00%
d) Bodies Corp. घ) कारपोरेट निकाय				0.00%				0.00%	0.00%
e) Banks / FI ङ) बैंक / वि.सं				0.00%				0.00%	0.00%
f) Any other च) अन्य कोई				0.00%				0.00%	0.00%
Sub Total (A) (1) उप जोड़ अ (1)				0.00%				0.00%	0.00%
(2) Foreign (2) विदेशी				0.00%				0.00%	0.00%
a) NRI Individuals क) एनआरआई व्यक्ति				0.00%				0.00%	0.00%
b) Other Individuals ख) अन्य व्यक्ति				0.00%				0.00%	0.00%
c) Bodies Corp. ग) कारपोरेट निकाय				0.00%				0.00%	0.00%
d) Any other घ) अन्य कोई				0.00%				0.00%	0.00%
Sub Total (A) (2) उप जोड़ अ (2)				0.00%				0.00%	0.00%
TOTAL (A) जोड़ (अ)				0.00%				0.00%	0.00%
B. Public Shareholding ब. सार्वजनिक अंशधारिता									
1. Institutions 1 संस्था									
a) Mutual Funds क). म्यूचुअल फंड									
b) Banks / FI ख). बैंक / वि.सं.		7,63,92,430	7,63,92,430	98.57%		7,63,92,430	7,63,92,430	98.57	0.00%
c) Central Govt ग). केन्द्रीय सरकार				0.00%				0.00%	0.00%
d) State Govt(s) घ) राज्य सरकार(रें)				0.00%				0.00%	0.00%
e) Venture Capital Funds ङ) उद्यम पूंजी कोष				0.00%				0.00%	0.00%

f) Insurance Companies च). बीमा कम्पनियां								0.00%	0.00%
g) FIIs छ). वि.सं. नि				0.00%				0.00%	0.00%
h) Foreign Venture Capital Funds ज). विदेशी उद्यम पूंजी कोष								0.00%	
झ. अन्य(विवरण दें) i) Others (specify)				0.00%				0.00%	0.00%
उप जोड़ (ब)(1) Sub-total (B)(1):-		7,63,92,430	7,63,92,430	98.57%		7,63,92,430	7,63,92,430	98.57	
2. Non-Institutions 2. गैर संस्थाए									
a) Bodies Corp. क) कारपोरेट निकाय									
i) Indian i) भारतीय		36456	36456	0.05%		36256	36256	0.05%	0.55%
ii) Overseas ii) विदेशी				0.00%					
b) Individuals ख) व्यक्तिगत		00.00	00.00	0.00%					
i) Individual shareholders holding nominal share capital upto Rs. 1 lakh रु. एक लाख तक शेयरपूंजी वाले व्यक्तिगत शेयर धारकों की शेयर धारिता		851187	851187	1.10%		839868	639868	1.08%	1.33%
ii) Individual shareholders holding nominal share capital in excess of Rs 1 lakh रु. एक लाख से अधिक शेयरपूंजी वालेव्यक्तिगत अंशधारकों की अंशधारिता		219927	219927	0.28%		221013	221013	0.29%	0.49%
c) Others (specify) ग. अन्य (विवरण दें)									
Non Resident Indians अनिवासी भारतीय				0.00%					0.00%
Overseas Corporate Bodies विदेशी कॉरपोरेट निकाय				0.00%					0.00%
Foreign Nationals विदेशी नागरिक				0.00%					0.00%
Clearing Members समाशोधन सदस्य				0.00%					0.00%
Trusts न्यास				0.00%					0.00%

Foreign Bodies-D R विदेशी निकाय–डीआर				0.00%					
Others IEPF दूसरेआईइपीएफ				0.00%		10433	10433	0.01%	0.01%
Sub-total (B)(2):- उप जोड़ ब (2)		11,07,570	11,07,570	1.43%		11,07,570	11,07,570	1.43%	0.00%
Total Public (B) कुल सार्वजनिक(ब)		7,75,00,000	7,75,00,000	100.00%		7,75,00,000	7,75,00,000	100.00%	0.00%
C. Shares held by Custodian for GDRs & ADRs स. जीडीआर व एडीआरके लिए अभिरक्षक द्वाराधारित शेयर				0.00%				0.00%	0.00%
Grand Total (A+B+C) समग्र योग (अ+ब+स)		7,75,00,000	7,75,00,000	100.00%		7,75,00,000	7,75,00,000	100.00%	0.00%

(ii) प्रमोटरों की शेयरधारिता / Shareholding of Promoter

SN	Shareholder's Name शेयरधारकों का नाम	Shareholding at the beginning of the year वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता			Shareholding at the end of the year वर्ष के अंत में शेयरधारिता			% change in shareholding during the year वर्ष के दौरान शेयरधारिता में : परिवर्तन
		No. of Shares शेयरों की संख्या	% of total Shares of the company कंपनी के कुल शेयरों का :	% of Shares Pledged / encumbered to total shares कुल शेयरों में वचनबद्ध /भारित शेयरों का	No. of Shares शेयरों की संख्या	% of total Shares of the company कंपनी के कुल शेयरों का	% of Shares Pledged / encumbered to total shares कुल शेयरों में वचनबद्ध /भारित शेयरों का	
1.			0.00%			0.00%		0.00%
2.			0.00%			0.00%		0.00%
3.			0.00%			0.00%		0.00%
4.			0.00%			0.00%		0.00%

(iii) प्रमोटरों की शेयरधारिता में परिवर्तन (उल्लेख करे यदि कोई परिवर्तन नहीं है तो) Change in Promoters' Shareholding (please specify, if there is no change)

SN	Particulars विवरण	Date दिनांक	Reason कारण	Shareholding at the beginning of the year वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		Cumulative Shareholding during the year वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
				No. of shares शेयरों की संख्या	% of total shares % कुल शेयरों का	No. of shares शेयरों की संख्या	% of total shares कुल शेयरों का
	वर्ष के आरंभ में At the beginning of the year				0.00%		0.00%
	वर्ष के दौरान परिवर्तन Changes during the year				0.00%		0.00%
	वर्ष के अंत में At the end of the year				0.00%		0.00%

(iv) शीर्ष दस शेयरधारकों का अंशधारिता शेयरहोल्डिंग पैटर्न / **Shareholding Pattern of top ten Shareholders**
(निदेशकों, प्रमोटर्स एवं जीडीआर व एडीआर के धारकों के अतिरिक्त) / **(Other than Directors, Promoters and Holders of GDRs and ADRs):**

क्रसं.	प्रत्येक शीर्ष 10 शेयरधारकों के लिए For each of the Top 10 shareholders	दिनांक Date	कारण Reason	वर्ष के प्रारम्भ में अंशधारिता Shareholding at the beginning of the year		वर्ष के दौरान संचयी अंशधारिता Cumulative Shareholding during the year	
				शेयरों की संख्या No. of shares	कुल शेयरों का प्रतिशत % of total shares	शेयरों की संख्या No. of shares	कुल शेयरों का प्रतिशत % of total shares
1.	बैंक ऑफ बड़ौदा M/s Bank of Baroda						
	वर्ष के प्रारम्भ में Beginning of the year	01.04.2018		7,63,92,430	98.57%	7,63,92,430	98.57%
	वर्ष के दौरान परिवर्तन Changes during the year				0.00%		0.00%
	वर्ष के अन्त में At the end of the year	31.03.2019		7,63,92,430	98.57%	7,63,92,430	98.57%
2.	**मैसर्स जिन्दल पौलीमर प्रोडक्ट्स प्रा.लि / M/s Jindal Polymers Products Private Limited**						
	वर्ष के प्रारम्भ में Beginning of the year	01.04.2018		36,256	0.05%	36,256	0.05%
	वर्ष के दौरान परिवर्तन Changes during the year				0.00%		0.00%
	वर्ष के अन्त में At the end of the year	31.03.2019		36,256	0.05%	36,256	0.05%
3.	**श्री संजय रावल / Mr. Sanjay Rawal**						
	वर्ष के प्रारम्भ At the beginning of the year	01.04.2018		31,586	0.04%	31,586	0.04%
	वर्ष के दौरान परिवर्तन Changes during the year				0.00%		0.00%
	वर्ष के अन्त में At the end of the year	31.03.2019		31,586	0.04%	31,586	0.04%
4.	**श्रीमती कामाक्षी रावल /Mrs. Kamakshi Rawal**						
	वर्ष के प्रारम्भ में At the beginning of the year	01.04.2018		31,586	0.04%	31,586	0.04%
	वर्ष के दौरान परिवर्तन Changes during the year				0.00%		0.00%
	वर्ष के अन्त में At the end of the year	31.03.2019		31,586	0.04%	31,586	0.04%
5.	**श्री इन्द्र देव /**						
	वर्ष के प्रारम्भ में At the beginning of the year	01.04.2018		23,679	0.03%	23,679	0.03%
	वर्ष के दौरान परिवर्तन Changes during the year				0.00%		0.00%
	वर्ष के अन्त में At the end of the year	31.03.2019		23,679	0.03%	23,679	0.03%

क्रसं.	प्रत्येक शीर्ष 10 शेयरधारकों के लिए For each of the Top 10 shareholders	दिनांक Date	कारण Reason	वर्ष के प्रारम्भ में अंशधारिता Shareholding at the beginning of the year		वर्ष के दौरान संचयी अंशधारिता Cumulative Shareholding during the year	
				शेयरों की संख्या No. of shares	कुल शेयरों का प्रतिशत % of total shares	शेयरों की संख्या No. of shares	कुल शेयरों का प्रतिशत % of total shares
6.	**श्री प्रमोद कुमार उप्रेती / Mr. Pramod Kumar Upreti**						
	वर्ष के प्रारम्भ में At the beginning of the year	01.04.2018		20,846	0.03%	20,846	0.03%
	वर्ष के दौरान परिवर्तन Changes during the year				0.00%		0.00%
	वर्ष के अन्त में At the end of the year	31.03.2019		20,846	0.03%	20,846	0.03%
7.	**डॉ. डी.पी. गंगोला / Dr. D.P. Gangola**						
	वर्ष के प्रारम्भ में Beginning of the year	01.04.2018		18,056	0.02%	18,056	0.02%
	वर्ष के दौरान परिवर्तन Changes during the year				0.00%		0.00%
	वर्ष के अन्त में At the end of the year	31.03.2019		18,056	0.02%	18,056	0.02%
8.	**श्री मोहन चन्द्र जोशीसुश्री तनुश्री जोशी / Mr. Mohan Chandra Joshi and Ms. Tanushri Joshi**						
	वर्ष के प्रारम्भ में Beginning of the year	01.04.2018		18,000	0.02%	18,000	0.02%
	वर्ष के दौरान परिवर्तन Changes during the year				0.00%		0.00%
	वर्ष के अन्त में At the end of the year	31.03.2019		18,000	0.02%	18,000	0.02%
9.	**श्री तारा चन्द्र उप्रेती / Mr. Tara Chandra Upreti**						
	वर्ष के प्रारम्भ में Beginning of the year	01.04.2018		17,985	0.02%	17,985	0.02%
	वर्ष के दौरान परिवर्तन Changes during the year				0.00%		0.00%
	वर्ष के अन्त में At the end of the year	31.03.2019		17,985	0.02%	17,985	0.02%
10.	**श्री सुनील कुमार साह/ Mr. Tara Chandra Upreti**						
	वर्ष के प्रारम्भ में Beginning of the year	01.04.2018		16,875	0.02%	16,875	0.02%
	वर्ष के दौरान परिवर्तन Changes during the year				0.00%		0.00%
	वर्ष के अन्त में At the end of the year	31.03.2019		16,875	0.02%	16,875	0.02%

(v) निदेशकों एवं मूल प्रबंधकीय व्यक्तियों की अंशधारिता / **Shareholding of Directors and Key Managerial Personnel:**

SN	प्रत्येक निदेशक एवं प्रत्येक मूल प्रबंधकीय व्यक्ति की अंशधारिता Shareholding of each Directors and each Key Managerial Personnel	Date	Reason	वर्ष के प्रारम्भ में अंशधारिता Shareholding at the beginning of the year		वर्ष के दौरान संचयी अंशधारिता Cumulative Shareholding during the year	
				शेयरों की संख्या No. of shares	कुल शेयरों का प्रतिशत % of total shares	शेयरों की संख्या No. of shares	कुल शेयरों का प्रतिशत % of total shares
1.	**श्री मुकेश शर्मा, 31.03.2019 तक अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी / Mr. Mukesh Sharma (Chairman & Chief Executive Officer upto 31.03.2019)**						
	वर्ष के प्रारम्भ में At the beginning of the year	01.04.2018		1,019	0.0013%	1,019	0.0013%
	वर्ष के दौरान परिवर्तन Changes during the year			-	0.00%		0.00%
	वर्ष के अन्त में At the end of the year	31.03.2019		1,019	0.0013%	1,019	0.0013%
2.	**श्री दिनेश पंत – अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (01.04.2019 से) / Mr. Dinesh Pant - Chairman & Chief Executive Officer (w.e.f. 01.04.2019)**						
	वर्ष के प्रारम्भ में At the beginning of the year	01.04.2018		0	0.00%	0	0.00%
	वर्ष के दौरान परिवर्तन Changes during the year			-	0.00%	-	0.00%
	वर्ष के अन्त में At the end of the year	31.03.2019		0	0.00%	0	0.00%
3.	**श्री काकेरा वेंकटेश्वरु / Mr. Kakkera Venkateswarlu**						
	वर्ष के प्रारम्भ में At the beginning of the year	01.04.2018		150	0.0001%	150	0.0001%
	वर्ष के दौरान परिवर्तन Changes during the year			-	0.00%	-	0.00%
	वर्ष के अन्त में At the end of the year	31.03.2019		150	0.0001%	150	0.0001%
4.	**श्री दिनेश कुमार नामदेव / Mr. Dinesh Kumar Namdeo**						
	वर्ष के प्रारम्भ में At the beginning of the year	01.04.2018		300	0.0003%	300	0.0003%
	वर्ष के दौरान परिवर्तन Changes during the year			-	0.00%	-	0.00%
	वर्ष के अन्त में At the end of the year	31.03.2019		300	0.0003%	300	0.0003%
5.	**श्री मृदुल कुमार अग्रवाल / Mr. Mradul Kumar Agarwal**						
	वर्ष के प्रारम्भ में At the beginning of the year	01.04.2018		0	0.00%	0	0.00%
	वर्ष के दौरान परिवर्तन Changes during the year			-	0.00%	-	0.00%
	वर्ष के अन्त में At the end of the year	31.03.2019		0	0.00%	0	0.00%
6.	**डॉ (श्रीमती) के.के. शर्मा / Dr. (Mrs.) K.K. Sharma**						
	वर्ष के प्रारम्भ में At the beginning of the year	01.04.2018		0	0.00%	0	0.00%
	वर्ष के दौरान परिवर्तन Changes during the year			-	0.00%	-	0.00%
	वर्ष के अन्त में At the end of the year	31.03.2019		0	0.00%	0	0.00%

क्रसं. SN	प्रत्येक निदेशक एवं प्रत्येक मूल प्रबंधकीय व्यक्ति की अंशधारिता Shareholding of each Directors and each Key Managerial Personnel	दिनांक Date	कारण Reason	वर्ष के प्रारम्भ में अंशधारिता Shareholding at the beginning of the year		वर्ष के दौरान संचयी अंशधारिता Cumulative Shareholding during the year	
				शेयरों की संख्या No. of shares	कुल शेयरों का प्रतिशत % of total shares	शेयरों की संख्या No. of shares	कुल शेयरों का प्रतिशत % of total shares
7.	**श्री राकेश कुमार भाटिया (30 अप्रैल, 2019 को सेवानिवृत्त) /Mr. Rakesh Kumar Bhatia (Retired on April 30, 2019)**						
	वर्ष के प्रारम्भ में At the beginning of the year	01.04.2018		300	0.00%	300	0.00%
	वर्ष के दौरान परिवर्तन Changes during the year			-	0.00%	-	0.00%
	वर्ष के अन्त में At the end of the year	31.03.2019		300	0.00%	300	0.00%
8.	**श्री अनिल कुमार सिंह (07 जून, 2019 को सेवानिवृत्त) / Mr. Anil Kumar Singh (Retired on June 07, 2019)**						
	वर्ष के प्रारम्भ में At the beginning of the year	01.04.2018		0	0.00%	0	0.00%
	वर्ष के दौरान परिवर्तन Changes during the year			-	0.00%	-	0.00%
	वर्ष के अन्त में At the end of the year	31.03.2019		0	0.00%	0	0.00%
9.	**श्री विवेक साह – कंपनी सचिव / Mr. Vivek Sah - Company Secretary**						
	वर्ष के प्रारम्भ में At the beginning of the year	01.04.2018		2,792	0.0036%	2,792	0.0036%
	वर्ष के दौरान परिवर्तन Changes during the year				0.00%		0.00%
	वर्ष के अन्त में At the end of the year	31.03.2019		2,792	0.0036%	2,792	0.0036%

VI. ऋण ग्रस्तता / INDEBTEDNESS

कम्पनी की ऋणग्रस्तता बकाया ब्याज व प्रोद्भूत परन्तु भुगतान के लिए अदेय ब्याज शामिल
Indebtedness of the Company including interest outstanding/accrued but not due for payment.

विवरण Particulars	जमा के अलावा सुरक्षित ऋण Secured Loans excluding deposits	असुरक्षित ऋण Unsecured Loans	जमाएं Deposits	कुल ऋणग्रस्तता Total Indebtedness
वर्ष के प्रारम्भ में ऋणग्रस्तता				
i) मूल राशि i) Principal Amount	0	0	0	0
ii) ब्याज देय परन्तु भुगतान नहीं किया गया ii) Interest due but not paid	0	0	0	0
iii) ब्याज प्रोदभूत परन्तु अदेय iii) Interest accrued but not due	0	0	0	0
कुल / Total(i+ii+iii)	-	-	-	-
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन / Change in Indebtedness during the financial year				
*वृद्धि / * Addition	0	0	0	0
*कम / * Reduction	0	0	0	0
शुद्ध परिवर्तन / Net Change	-	-	-	-
वर्ष के अन्त में ऋणग्रस्तता / Indebtedness at the end of the financial year				
i) मूल राशि i) Principal Amount	0	0	0	0
ii) ब्याज देय परन्तु भुगतान नहीं किया गया ii) Interest due but not paid	0	0	0	0
iii) ब्याज प्रोदभूत परन्तु अदेय iii) Interest accrued but not due	0	0	0	0
कुल / Total(i+ii+iii)	-	-	-	-

VII. निदेशकों तथा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक का पारिश्रमिक / Remuneration of Directors And Key Managerial Personnel

क) प्रबंध निदेशक, पूर्णकालीन निदेशकों और/अथवा प्रबंधक का पारिश्रमिकः /Remuneration to Managing Director, Whole-time Directors and/or Manager:

क्र.सं. S.N.	पारिश्रमिक का विवरण Particulars of Remuneration	एमडी/डब्ल्यूटीडी/प्रबंधक का नाम Name of MD/WTD/ Manager	कुल राशि Total Amount
	श्री मुकेश शर्मा 31.03.2019 तक अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी Mr. Mukesh Sharma Chairman & Chief Executive Officer upto 31.03.2019		(रु/लाख)
1.	सकल वेतन / Gross salary		
	क)खडं 17 (1)आयकर अधिनियम, 1961 में निहित प्रावधानों के अनसुार वेतन (a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income-tax Act, 1961	17.69	17.69
	ख)अनुलाभ का मूल्य17 (2)आयकर अधिनियम, 1961 (b) Value of perquisites u/s 17(2) Income-tax Act, 1961	1.19	1.19
	ग)खडं 17 (3)आयकर अधिनियम, 1961 के तहत वते न के एवज में मुनाफे (c) Profits in lieu of salary under section 17(3) Income- tax Act, 1961	- -	- -
2.	स्टॉक ऑप्शन / Stock Option		
3.	स्वेट इक्विटी / Sweat Equity	-	-
4.	कमीशन / Commission	-	-
	– लाभ के प्रतिशत के रूप मे / - as % of profit	-	-
	–अन्य, उल्लेख करें / others, specify	-	-
5.	अन्य, कृपया उल्लेख करें / Others, please specify		
	कुल (क)/ Total (A)	-	-
	'अधिनियम के अनुसार सीमा / *Ceiling as per the Act	18.88	18.88

* 'बैंकिंग कंपनी होने के कारण, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के उपबंध बैंकिंग कंपनी पर लागू होते हैं और कार्यपालकध्पूर्णकालिक निदेशक का पारिश्रमिक रिजर्व बैंक के अनुमोदन के अधीन है।

*Being a Banking Company, the provisions of Banking Regulation Act, 1949 apply to the Banking Compny and remunneration of Executive/Whole Time Director is subject to approval of RBI

तथापि, पारिश्रमिक पूरी तरह से कंपनी अधिनियम, 2013 में निर्धारित सीमाओं के भीतर है।

However, the remunneration is well within the prescribed limits of Companies Act, 2013

ख. अन्य निदेशकों का पारिश्रमिक / Remuneration to other directors

क्र.सं. S.N.	पारिश्रमिक का विवरण Particulars of Remuneration	निदेशक का नाम/Name of Directors		कुल राशि / Total Amount
1.	स्वतंत्र निदेशक Independent Directors	श्री मृदुल के अग्रवाल Mr. Mradul K. Agarwal	डॉ (श्रीमती) के.के. शर्मा Dr. (Mrs.) K.K. Sharma	
	बोर्ड समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए शुल्क Fee for attending board committee meetings	98,000.00	45,000.00	1,43,000.00
	कमीशन / Commission	-	-	-
	अन्य, कृपया उल्लेख करें Others, please specify	-	-	-
	कुल (1) / Total (1)	98,000.00	45,000.00	1,43,000.00
2.	अन्य गैर–कार्यकारी निदेशक– निदेशक–शून्य			
	बोर्ड समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए शुल्क Fee for attending board committee meetings	-	-	-
	कमीशन / Commission	-	-	-
	अन्य, कृपया उल्लेख करें Others, please specify	-	-	-
	कुल / Total (2)	-	-	-
	कुल (ख)= (1+2)	98,000.00	45,000.00	1,43,000.00

ग. प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति एमडी/प्रबंधक/डब्ल्यूटीडी के अलावा अन्य कार्मिक को पारिश्रमिक
C. Remuneration to Key Managerial Personnel other than MD/Manager/WTD

क्र.सं. S.N.	पारिश्रमिक का विवरण Particulars of Remuneration	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक का नाम Name of Key Managerial Personnel			कुल (रु / लाख) Total Amount (Rs/Lac)
	नाम / Name	श्री मुकेश शर्मा Mr. Mukesh Sharma	श्री अनिल कुमार सिंह Mr. Anil Kumar Singh	श्री विवेकशाह Mr. Vivek Sah	
	Designation	(मुख्य कार्यकारी अधिकारी) CEO	(मुख्य वित्तीयअधिकारी) CFO	(कम्पनीसचिव) CS	
	सकल वेतन / Gross salary	(भाग ए में ऊपर उल्लेख किया गया है) (Mentioned above in Part A)			
	क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसारवेतन (Mentioned above in Part A)	-	14.48	7.24	21.72
	ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा17(2) के तहत अनुलाभ का मूल्य (b) Value of perquisites u/s 17(2) Income-tax Act, 1961	-	0.92	0.98	1.90
	ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा17(3) के तहत वेतन के लिए लाभ (c) Profits in lieu of salary under section 17(3) Income- tax Act, 1961	-	-	-	-
	स्टॉक विकल्प / Stock Option	-	-	-	-
	स्वेट इक्विटी / Sweat Equity	-	-	-	-
	कमीशन / Commission	-	-	-	-
	लाभ के प्रतिशत के रूप में / - as % of profit	-	-	-	-
	अन्य, उल्लेख करें/ - others, specify	-	-	-	-
	अन्य, कृपया उल्लेख करें/ Others, please specify	-	-	-	-
	कुल/ Total	-	15.40	8.22	23.62

VIII.दंड/सजा/अपराधों के समझौता: / PENALTIES / PUNISHMENT/ COMPOUNDING OF OFFENCES:

प्रकार Type	कंपनी अधिनियम की धारा Section of the Companies Act	संक्षिप्त विवरण Brief Description	लगाया गया जुर्माना/सजा/कंपाउंडिंग फीसका विवरण Details of Penalty Punishment/ Compound -ing fees imposed	लगाया गया जुर्माना/सजा/कंपाउंडिंग फीस का विवरण Authority [RD/NCLT/COURT]	यदि कोई अपील की गई हो Appeal made, if any (give Details)
क. कंपनी / COMPANY					
दंड / Penalty		1करोड़ 1 Crore	एनपीए ऑटोमेशन NPA Automation	भारतीय रिजर्व बैंक (नियामक) Reserve Bank of India (Regulator)	
सजा / Punishment					
समझौता / Compounding					
ख. निदेशक /DIRECTORS					
दंड / Penalty		शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil
सजा / Punishment		शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil
समझौता / Compounding		शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil
ग. अन्य चूककर्ताअधिकारी					
दंड / Penalty		शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil
सजा / Punishment		शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil
समझौता / Compounding		शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil

कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी

नैनीताल बैंक लिमिटेड अपनी शुरूआत से ही सदैव सामाजिक विकास के प्रति प्रतिबद्ध रहा है। कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) गतिविधियों का समेकित भाग बनते हुए बैंक इसके प्रति दीर्घावधि के लिए प्रतिबद्ध रहा है। बैंक अच्छे कारपोरेट अभिशासन और कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी पर विश्वास रखता है जिससे अंशधारकों और अन्य हित धारकों का विश्वास बढ़े और सभी की उन्नति हो। मूल रूप से कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी व्यापारिक प्रतिष्ठानों केकर्मचारियों, उनके परिवारों स्थानीय समुदायों और समाज के साथ कार्य करते हुए सतत आर्थिक विकास मेंयोगदान के लिए वचनबद्ध है। जिससे उनके जीवन में सुधार आये औरजो व्यापार और विकास के लिये अच्छा हो।

बैंक ऐसे लक्षित कार्यक्रमों की पहचान और उनकी सहायता के लिए वचनबद्ध है जिनका लक्ष्य समुदाय के लोगों (विशेषकर ऐसे लोग जिनका जीवन स्तर उचित नहीं है) के विकास और उन्नति और पर्यावरण पर उनके कार्यों के नकारात्मक प्रभाव को कम करने में केन्द्रित है। यह सीएसआर नीति इसी भावना को ध्यान में रखते हुए सीएसआर परियोजनाओं की सहायता, पहचान, निष्पादन और निगरानी के लिए निर्देशी दस्तावेजके रूप में कार्य करेगी और इस संबंध में कानून और नीतिगत मानको तथा पद्धतियों के अनुपालन द्वारा बैंक की सीएसआर गतिविधियों के लिए स्वःविनियामक तंत्र के रूप में कार्य करेगी। यह नीति सीएसआर गतिविधियों कोचलाते और कार्यान्वित करते हुए नियमों का अनुपालन भी निर्धारित करेगी।

उद्देश्य

सीएसआर कारपोरेट व्यवहार और अभिशासन का उच्च स्तर है और इसे ऐसे साधन के रूप में मान्यता प्राप्त है जो कारपोरेट और सामाजिक क्षेत्र की एजेंसियों के प्रयासों का सामाजिक उद्देश्यों की सतत् वृद्धि और विकास के संबंध में तालमेल करता है। सीएसआर आंतरिक (कर्मचारी, शेयरधारकों, निवेशकों) और बाह्य (सार्वजनिक अभिशासन, समुदाय सदस्यों, सिविल सोसायटी समूहों, अन्य उद्यमों) हितधारको दोनों के लिए व्यापार गतिविधियों की लागत और व्यापार के प्रबंधन की प्रक्रिया है। सीएसआर न तो परोपकार है और न ही विपणन का माध्यम। यह बैंक द्वारा समाज के कल्याण में सहयोग करने का प्रयास है जहां से वह अनिवार्य प्रावधानों को सुनिश्चित करते हुए सीमाओं के भीतर अपनी ताकत प्राप्त करता है।

कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी का विवरण

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के तहतव्यय की गयी राशि–

क. कुल राशि जो वित्तीय वर्ष में व्यय की जानी थी –रुपये 0.96 करोड़
ख. बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय की गयी राशि –रुपये 0.10 करोड़
ग. वित्तीय वर्ष में व्यय न हो पायी (बाकी) राशि –रुपये 0.86 करोड़
घ. वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय की गयी राशि का विवरण (व्यय स्वरूप) निम्नवत है–

(राशि लाख में)

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

The Nainital Bank Limited, since its incorporation, has always been committed to social development. Corporate Social Responsibility (CSR) has been a long-standing commitment of the Bank, forming an integral part of Social activities. The Bank believes for good corporate governance and also in corporate social responsibility for strengthening the trust of its shareholders and other stakeholders preferring prominence for growth of all. Basically Corporate Social Responsibility is the commitment of businesses to contribute to sustainable economic development by working with employees, their families, the local community and society at large, to improve their lives in ways that are good for business and for development.

The Bank is committed to identifying and supporting programs aimed at Developing and advancing the community and in particular, those at the bottom of the pyramid and also reducing negative impact of its operations on the environment This CSR Policy will serve as a guiding document to help, identify, execute and monitor CSR Projects in keeping with the spirit of the Policy and would function as a self-regulating mechanism for the Bank's CSR activities by observing adherence to laws and ethical standards and practices in this regard. The Policy also sets out the rules that need to be adhered to while taking up and implementing CSR activities.

OBJECTIVES

CSR is a niche area of corporate behavior and governance and is recognized as one of the tools that synergizes the efforts of corporate and the social sector agencies towards sustainable growth and development of social objectives at large. CSR is a process of managing the costs and benefits of business activity to both internal (employees, shareholders, investors) and external (institutions of public governance, community members, civil society groups, other enterprises) stakeholders. CSR is neither charity nor a marketing tool. It shall be an effort of the Bank to contribute to the welfare of the society from where it derives its strength, within the limits, while simultaneously ensuring the mandatory provisions.

DETAILS OF CORPORATE SOCIAL RESONSIBILTY

Amount Spent during the Financial Year 2018-19 under Corporate Social Responsibility-

A. Total amount which was to be spent in the Financial Year –Rs. 0.96 Crore
B. Amount spent by bank during the Financial Year - Rs. 0.10 Crore
C. Amount which remained unspent in the Financial Year - Rs. 0.86 Crore
D. Manner in which the amount spent during the Financial Year is mentioned below

(Amount in Lac)

क्र सं.	सीएसआर परियोजना या गतिविधि की पहचान की गई CSR Project or Activity Identified	उद्देश्य Purpose	परियोजना या कार्यक्रम (1)स्थानीय क्षेत्र या अन्य (2)राज्य और जिला जहां परियोजनाएं शुरू की गई थीं Project or Program (1) Local area or other (2) State and District where the projects were undertaken	राशि परिव्यय (बजट) परियोजना या कार्यक्रम–वार Amount outlay (Budget) project or program-wise	संचयी व्यय Cumulative expenditure	स्वीकृति प्राधिकरण Sanctioning Authority
1.	एसओएस चिल्ड्रेन ऑफ विलेजेज SOS Children's of Villages	वार्षिक समारोह में पुरस्कार वितरण Prize distribution on Annual Function	हरमन माइनेर, स्कूल भीमताल, नैनीताल Herman Gmeiner,School Bhimtal, Nainital	0.20	0.20	मुख्य परिचालन अधिकारी Chief Operating Officer
2.	नौ छत के पंखे का दान Donation of Nine Ceiling Fans	गरीब छात्रों के जीवन का उन्नयन Upgradation of life of the poor students	गवर्नमेंट आदर्श पब्लिक स्कूल, कपकोट जिला बागेश्वर Govt. Adarsh Public School, KapkoteDistt. Bageshwar.	0.13	0.33	मुख्य परिचालन अधिकारी Chief Operating Officer
3.	प्रायोजन वाद–विवाद प्रतियोगिता Sponsoring Debate Competition.	वाद–विवाद प्रतियोगिताओं के लिए For Debate Competitions.	देवकी साह कुंदन लाल साह मेमोरियल ट्रस्ट नैनीताल Devki Sah Kundan Lal Sah Memorial Trust Nainital	0.12	0.45	मुख्य परिचालन अधिकारी Chief Operating Officer

क्र सं.	सीएसआर परियोजना या गतिविधि की पहचान की गई CSR Project or Activity Identified	उद्देश्य Purpose	परियोजना या कार्यक्रम (1)स्थानीय क्षेत्र या अन्य (2)राज्य और जिला जहां परियोजनाएं शुरू की गई थीं Project or Program (1) Local area or other (2) State and District where the projects were undertaken	राशि परिव्यय (बजट) परियोजना या कार्यक्रम–वार Amount outlay (Budget) project or program-wise	संचयी व्यय Cumulative expenditure	स्वीकृति प्राधिकरण Sanctioning Authority
4.	नैनीताल समाचार निबंध प्रतियोगिता 2018 को प्रायोजित करना Sponsoring Nainital Samachar Essay Competition 2018.	निबंध प्रतियोगिता Essay competition.	नैनीताल समाचार, निबंध प्रतियोगिता नैनीताल Nainital Samachar, essay competition Nainital	0.20	0.65	मुख्यपरिचालन अधिकारी Chief Operating Officer
5.	सीआरएसटी, बॉयज, फुटबॉल टूर्नामेंट CRST, Boys,, Football Tournament	फुटबॉल टूर्नामेंट Football Tournament	सीआरएसटी कॉलेज ओल्ड बॉयज एसोसिएशन, नैनीताल द्वारा स्वतंत्रता दिवस बच्चों का टूर्नामेंट Independence Day children tournament by CRST Collage Old Boys Association, Nainital	0.50	1.15	अध्यक्षएवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी Chairman & CEO
6.	देवकी साह कुंदन लाल साह मेमोरियल ट्रस्ट Devki Sah Kundan Lal Sah Memorial Trust.	वाद–विवाद प्रतियोगिता 2018 Debate Competition 2018	देवकी साह कुंदन लाल साह मेमोरियल ट्रस्ट नैनीताल Devki Sah Kundan Lal Sah Memorial Trust. Nainital	0.20	1.35	मुख्य परिचालन अधिकारी Chief Operating Officer
7.	स्कूलों और कॉलेज के गरीब छात्रों के लिए सुरक्षित पेयजल, निवारक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना Providing safe drinking water, preventive health care for poor student of schools & collages	15 प्योरिट वाटर प्यूरीफायर, दो कमर्शियल आर–ओ, स्पीकर और एलईडी के साथ प्रोजेक्टर 15 Puret Water Purifier, Two Commercial R-O, Projector with speaker & LED.	रानीखेत के पास ग्रामीण क्षेत्रों के विभिन्न प्राथमिक, उच्च विद्यालय, इंटरमीडिएट कॉलेज Various Primary, High Schools, Intermediate Collages of Rural Areas Near Ranikhet.	0.91 0.12= (1.03)	2.38	अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी Chairman & CEO
8.	स्कूलों और कॉलेज के गरीब छात्रों के लिए सुरक्षित पेयजल, निवारक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना Providing safe drinking water, preventive health care for poor student of schools & collages	एक्वागार्ड Aquaguard	एसओएस चिल्ड्रेन विलेज, भीमताल (नैनीताल) SOS Children Village, Bhimtal (Nainital)	0.44 0.29= 0.18 (0.91)	3.29	अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी Chairman & CEO
9.	कला और संस्कृति संवर्धन Art & Culture promotion	कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए To promote art & Culture.	एसओएस चिल्ड्रन विलेज, भीमताल (नैनीताल) में साउंड सिस्टम के साथ वाद्य यंत्र Musical Instruments with sound system to SOS Children Village, Bhimtal (Nainital)			अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी Chairman & CEO
10.	सौर जल तापक प्रणाली Solar Water Heater System	सौर जल तापक प्रणाली Solar Water Heater System	मिशनरीज ऑफ चौरिटी द्वारा चलाए जा रहे आशा दीप आश्रय गन्तव्य के लिए घर अर्जुनपुर, हल्द्वानी Asha Deep Shelter Home for Destitute run by Missionaries of Charity. Arjunpur, Haldwani.	0.25	3.54	मुख्य परिचालन अधिकारी Chief Operating Officer
11.	इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश के लिए जिसमें एफएंडएफ भी शामिल है For Infrastructural Investment Including F& F	संग्रहालय और आर्ट गैलरी चलाने के लिए To run Museum & Art Gallery	लोक संस्कृति संग्रहालय, भीमताल जिला नैनीताल Lok Sanskriti Sanghralaya, Bhimtal, Disst. Nainital	2.50 2.00 0.50 (5.00)	8.54	अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी Chairman & CEO
12.	सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना और कला साक्षरता स्तर नैनीताल के उत्थान को बढ़ावा देना To encourage cultural activities & promote upliftment of art Literacy Level . Nainital	कला प्रतियोगिता Art Competetion	शारदा संघ कला प्रतियोगिता, नैनीताल Sharda Sangh Art Competition , Nainital	0.25	8.79	मुख्य परिचालन अधिकारी Chief Operating Officer

क्र सं.	सीएसआर परियोजना या गतिविधि की पहचान की गई CSR Project or Activity Identified	उद्देश्य Purpose	परियोजना या कार्यक्रम (1)स्थानीय क्षेत्र या अन्य (2)राज्य और जिला जहां परियोजनाएं शुरू की गई थीं Project or Program (1) Local area or other (2) State and District where the projects were undertaken	राशि परिव्यय (बजट) परियोजना या कार्यक्रम–वार Amount outlay (Budget) project or program-wise	संचयी व्यय Cumulative expenditure	स्वीकृति प्राधिकरण Sanctioning Authority
13.	सेवन ए साइड फुटबॉल टूर्नामेंट Seven A side Football Tournament.	खेल गतिविधियों को प्रोत्साहित करना और खेल स्तर के उत्थान को बढ़ावा देना To encourage sports activities & promote upliftment of sports level.	चेजर फाउंडेशन, नैनीताल Chasers Foundation, Nainital	0.25	9.04	मुख्यपरिचालन अधिकारी Chief Operating Officer
14.	गवर्नमेंट गर्ल्स पी.जी. कॉलेज हल्द्वानी Govt. Girls P.G. Collage Haldwani	सुरक्षित पीने का पानी, वाणिज्यिक आर–ओ के लिए सरकार गर्ल्स पी.जी. कॉलेज हल्द्वानी Safe drinking Water, Commercial R-O for Govt. Girls P.G. Collage Haldwani.	गवर्नमेंट पी.जी. कॉलेज, हल्द्वानी Govt. Girls P.G. Collage Haldwani	0.31	9.35	मुख्यपरिचालन अधिकारी Chief Operating Officer
15.	नैनीताल जिमखाना और जिला खेल संघ नैनीताल Nainital Gymkhana & Distt. Sports Association. Nainital	95 वें अखिल भारतीय ऑटम जिम्नेजियम क्रिकेट टूर्नामेंट का प्रायोजन Sponsoring 95th All India Autumn Gymnasium Cricket Tournament.	नैनीताल जिमखाना और जिला खेल संघ नैनीताल Nainital Gymkhana & Distt. Sports Association. Nainital.	0.10	9.45	मुख्यपरिचालन अधिकारी Chief Operating Officer
16.	एसओएस चिल्ड्रेन ऑफ विलेजेज SOS Children's of Villages	हरमन माइनेर स्कूल भीमताल के प्राथमिक छात्रों को प्रायोजन पोशाक Sponsoring Dress to the primary students of Herman Gmeiner school Bhimtal	हरमन माइनेर, स्कूल भीमताल Herman Gmeiner, School Bhimtal	0.12	9.57	मुख्यपरिचालन अधिकारी Chief Operating Officer
17.	मरीजों के लिए सुरक्षित पेयजल और निवारक स्वास्थ्य देखभाल Safe drinking water & preventive health care of Patients.	दो वाणिज्यिक आर–ओ Two Commercial R-O	हरगोविंद पंत अस्पताल, अल्मोड़ा Hargovind Pant Hospital, Almora	0.63	10.20	अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी Chairman & CEO

यद्यपि बैंक को सीएसआर गतिविधियों के लिए कई प्रस्ताव, अनुरोध प्राप्त हुए लेकिन इन पर इसलिए विचार नहीं किया गया क्योंकि ये प्रस्ताव, अनुरोध सीएसआर गतिविधियों के लिए उचित/अर्हता प्राप्त नहीं पाए गए।जिसके परिणामस्वरूप इस निधि का उपयोग कम हो पाया। बैंक एतद् द्वारापुष्टि करता है कि सीएसआर नीति का कार्यान्वयन और निगरानी बैंक कीसीएसआर नीति एवं इसके उद्देश्यों के अनुरूप है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाया गया जुर्माना

जोखिम न्यूनीकरण योजना के तहत अपनी एनपीए पहचान प्रक्रिया के स्वचालन से संबंधित कार्य योजना के अनुपालन के गैर–अनुपालन के लिए, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 46 (4) (i) के साथ पढ़ी गई धारा 47। (1) (सी) के तहत निहित शक्तियों के प्रयोग करते हुए दिनांक 06 मई 2019 को, नैनीताल बैंक लिमिटेड पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है

महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएँ

बैंक ने अपनी 96वीं वार्षिक रिपोर्ट में समस्त हितधारकों को सूचित किया था कि बैंक ने डिजिटाइजेशन के माध्यम से विभिन्न प्लेटफार्मों पर संस्था का पुनर्निर्माण शुरू कर दिया है।

किंतु बैंक का प्रस्तावित पुनर्निर्माण कार्यान्वित नहीं किया जा सका, इसलिए निदेशक मंडल ने बैंक में डिजिटल उपक्रम रोकने का संकल्प किया।

However, the bank had received various proposals, requests for CSR activities but did not consider them, as the same did not qualify for CSR activities which resulted in the underutilization of the funds. The bank hereby, confirms that the implementation and monitoring of CSR Policy is in compliance with the CSR objectives and policy of the bank

PENALTY IMPOSED BY RESERVE BANK OF INDIA

In exercise to the power conferred under section 47A(1)(c) read with section 46(4)(i) of the Banking Regulation Act,1949,a penalty of Rupees Ten Million is imposed on the Nainital Bank Limited for non-compliance with the one of the action plan pertaining to automation of its NPA identification process under Risk Mitigation Plan on 06/05/2019.

MATERIAL CHANGES AND COMMITMENTS

The Bank through its 96th Annual Report had informed all the stakeholders, that the Bank initiated revamping the institution at various platforms through digitisation of the Bank.

However, the proposed digitisation of the Bank could not be implemented in the Bank and therefore, the Board resolved to stop the Digital Venture in the Bank.

आभार

निदेशक मंडल, भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक को, महत्वपूर्णदिशानिर्देशों एवं सहयोग के लिये धन्यवाद देता है। निदेशक मंडल बैंक ऑफ़बड़ौदा के प्रति भी उसके द्वारा सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर दिये गये बहुमूल्य दिशानिर्देशों एवं उचित समय पर दिये गये सहयोग के लिए, जिसके बिना वर्तमानपरिणाम प्राप्त करना संभव न होता, कृतज्ञता पूर्वक आभार व्यक्त करता है।निदेशक मण्डल बैंक के सम्माननीय अंशधारकों, ग्राहकों और अन्य सभी हितधारकों के प्रति उनके सतत् संरक्षण के लिए आभार व्यक्त करता है। निदेशकमण्डल बैंक के प्रत्येक कर्मचारी की, उसके द्वारा प्रदत्त समर्पित सेवाओं केलिए भी सराहना करता है।

निदेशक मंडल भारतीय बैंक संघ के प्रति भी, उनको भेजे गए मसलों पर उनके सहयोग एवं दिशा–निर्देश के लिए आभार व्यक्त करता है।

निदेशक मंडल की ओर से तथा उनके लिए

स्थान : नोएडा

दिनांक : 19/08/2019

(दिनेश पंत)

अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

फार्म न. MR-3

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 (1) और कंपनी नियम संख्या 9 के अनुसार (नियुक्ति एवं पारिश्रमिक कार्मिक) नियम 2014)

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए

सेवा में,
श्रीमान सदस्य
नैनीताल बैंक लिमिटेड
नैनी बैंक हाउस, सेवेन ओक्स
मल्लीताल नैनीताल, उत्तराखंड –263001

सिन नं.U65923UR1922PLC000234
अधिकृत पूंजी : 1,500,000,000
चुकता पूंजी: 77,50,00,000

मैं आर के टंडन, प्रेक्टिसिंग कंपनी सचिव सी पी न. 3356 ने कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नैनीताल बैंक लिमिटेड का सचिवीयपद्धतियों के पालन एवं लागू सांविधिक प्रावधानों के परिपालन कीलेखा परीक्षा दिनांक 03 से 04 जून 2019 तक किया जिसमे दिनैनीताल बैंक लिमिटेड (जिसे यहां बैंकिंग कंपनी कहा गया है) द्वारा बेहतर कार्पोरेट प्रथाओं के पालन एवं लागू सांविधिक प्रावधानों के परिपालन कीलेखा परीक्षा की गई। सचिवीय लेखा परीक्षा इस तरह से की गई कि मुझे वैधानिक अनुपालन एवं कार्पोरेट आचरण के परिपालन का मूल्यांकन केलिए एक उचित आधार प्राप्त हुआ, और जिससे मैं अपनी राय व्यक्त कर सकूं।

नैनीताल बैंक लिमिटेड की बहियों, कागज़ातों, कार्य वृत्त पुस्तको, फार्म औरदायर रिटर्न और अन्य रिकार्ड, जो कंपनी ने रखे हैं के सत्यापन के आधार पर और कंपनी एवं इसके अधिकारियों, एजेंट एवं अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा सचिवीय लेखापरीक्षा के संचालन के दौरान दी गयी जानकारी केआधार पर मैं व्यक्त करता हूँ कि मेरी राय में, कंपनी ने 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुये वित्तीय वर्ष में नीचे दिए गए नियमों का संविधिकरूप से पालनकिया है और कंपनी के पास उचित–बोर्ड–प्रक्रिया एवं उचित अनुपालन–तंत्र है जो यहां दिये गए तरीके और इस सीमा तक नीचे दी गई रिपोर्टिंग केअधीन है।

मैंने नैनीताल बैंक लिमिटेड (बैंकिंग कंपनी) की 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष की बहियों/बुक्स, कागज़ातों, कार्यवृत्त बहियों, फार्म और दायर रिटर्न एवं अन्य रिकार्डकी कंपनी अधिनियम के उपबंधों, 2013 (अधिनियम) के तहत बनाए गए नियमों, बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुसार की जांच कीहै तथा जहां लागू है, निम्नलिखित के संबंध में–

ACKNOWLEDGEMENT

The Board of Directors expresses its sincere thanks to the Government of India, Reserve Bank of India for the valuable guidance and support. The Board also acknowledges with gratitude and especially thanks Bank of Baroda for their valuable guidance and well-timed support on all vital issues, without which it would not have been feasible for the Bank to achieve present growth. The Board also records its sincere gratitude to the Bank's valuable shareholders, esteemed customers and all other stakeholders for their continued patronage. The Board also expresses its appreciation for every employee of the Bank for their dedicated service.

The Board of Directors places on record the support and guidance received from IBA on the issues referred by the Bank.

FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

PLACE: NOIDA

DATE: 19/08/19

(DINESH PANT)

CHAIRMAN & CEO

Form No. MR-3

SECRETARIAL AUDIT REPORT

FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 2018-19

[Pursuant to section 204 (1) of the Companies Act, 2013 and rule No.9 of the Companies (Appointment and Remuneration Personnel) Rules, 2014]

SECRETARIAL AUDIT REPORT

FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 2018-19

To
The Members
The Nainital Bank Limited
Naini Bank House, Seven Oaks
Mallital, Nainital, Uttarakhand-263001

CIN NO: U65923UR1922PLC000234
AUTHORISED CAPITAL: 1,500,000,000
PAID UP-CAPITAL: 77,50,00,000

I, R K Tandon Practising Company Secretary having CP No.3556 Partner at R K Tandon & Associates have conducted the Secretarial Audit, from 03rd to 04thday of June 2019 at Nainital, of the compliances of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by The Nainital Bank Limited (hereinafter called the Banking Company). Secretarial Audit was conducted in a manner that provided me a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing my opinion thereon.

Based on my inspection of The Nainital Bank Limited books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the company and also the information provided by the Company, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of secretarial audit, I hereby report that in my opinion, the company has, during the audit period covering the financial year ended on 31st March, 2019 complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Company has proper Board-processes and compliance-mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

I have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by The Nainital Bank Limited ("the Banking Company") for the financial year ended on 31st March, 2019according to the provisions of The Companies Act, 2013 (the Act) and the rules made there under; The Banking Regulation Act, 1949; RBI Act, 1934 as and where applicable with regard to-

क) विविध सांविधिक रजिस्टर और दस्तावेजों का रख–रखाव और उनमें आवश्यक प्रविष्टिया।

ख) फार्म, विवरणी, दस्तावेज और प्रस्ताव जिन्हें रजिस्ट्रार आफ कम्पनीज, क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्र सरकार, एन.सी.एल.टी. या अन्य अधिकारियों के सम्मुख फाइल किया जाना अपेक्षित है।

ग) बोर्ड और निदेशकों की विभिन्न समितियों की बैठकों के नोटिस।

घ) निदेशकों और निदेशकों की सभी समितियों की बैंठकें और परिपत्र सेपारित प्रस्ताव।

ङ) वार्षिक साधारण सभा, जो 31 जुलाई, 2018 को हुई, को आयोजित किये जाने कानोटिस 21 जून, 2018 को ।

च) बोर्ड और उसकी समितियों की बैठकों और सामान्य बैठकों की कार्य वाही का कार्यवृत्त।

छ) निदेशक मंडल का गठन, निदेशकों की समितियां और प्रबंध निदेशक और कार्यकारी निदेशकों सहित निदेशकों की नियुक्ति, सेवानिवृत्ति और पुनरू नियुक्ति।

ज) सांविधिक और आंतरिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति और मानदेय।

झ) आंतरिक लेखा परीक्षा के लिए निरीक्षण विभाग की समिति कागठन।

ञ) कम्पनी के शेयरों का अन्तरण और संचरण, शेयरों को जारी और आबंटित करना और शेयर सर्टिफिकेटों की सुपुर्दगी।

ट) लाभांश की घोषणा एवं भुगतान।

ठ) जैसा कि अधिनियम में अपेक्षित है, निवेशक शिक्षा और संरक्षणकोष में राशि काअन्तरण।

ड) निदेशक मंडल की रिपोर्ट।

ढ) 31 मार्च, 2018 के तुलनपत्र को प्रकाशित करवाना और उन महत्वपूर्ण विवरणियों को फाइल करना जैसे– बैंक की तरल आस्तियां और देयताएं, फार्म–8 जिन्हें बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत करना है।

ण) इन्स्टीट्यूट ऑफ़ कम्पनी सेक्रेटरीज ऑफ़ इण्डिया द्वारा जारी सेक्रेटेरियल मानकों के प्रयोज्य प्रावधानों का अनुपालन।

त) सीएसआर कमेटी का गठन एवं कम्पनीज एक्ट 2013 के खण्ड 135 केअनुसार इसका कार्यान्वयन।

थ) वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान कोई और पूंजी जारी नहीं की गई।

द) सामान्यतः अधिनियम के अन्य सभी प्रयोज्य प्रावधान और उसके अन्तर्गत नियम।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान बैंक ने अधिनियम के प्रावधानों, नियमों, विनियमों, दिशा–निर्देश, मानकों, आदि का पालन किया है।

शेयरों का अमूर्तीकरण

समीक्षाधीन अवधि के दौरान बैंक ने कंपनी कार्य मंत्रालय द्वारा 10 सितंबर 2018 को जारी अधिसूचना के अनुपालन में अपने मौजूदा शेयरों का अमूर्तीकरण शुरू कर दिया है।

सीएसआर अनुपालन

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार, नैनीताल बैंक लिमिटेड के लिये प्रत्येक पिछले वित्तीय वर्ष मे तत्काल पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षो के दौरान कम्पनी को हुए औसत शुद्ध लाभ के कम से कम दो प्रतिशत खर्च अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तर दायित्वों के अनुसरण में करना आवश्यक है, लेकिन बैंक ने रुपये 96०21लाखराशि (औसत शुद्ध लाभ का 2:)के समक्ष रु. 10०20लाखव्यय किये। वर्ष के दौरान बैंक को सीएसआर गतिविधियों के लिए विभिन्न प्रस्ताव, अनुरोध प्राप्त हुए थे, लेकिन इस पर विचार नहीं किया क्योंकि यह सीएसआर गतिविधियों के लिए अर्हताएं/शर्तें पूरी नहीं करते थे। बैंक ने निधि के कमउपयोग के संबंध में सीएसआर समिति को सूचित कर दिया है।

सीएसआर में खर्च की गई धनराशि वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान खर्च की जाने वाली आवश्यक कुल राशि का 10:है जिसके लिए बोर्ड को तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।

श्रम कानूनों के संबंध में अनुपालन

a. Maintenance of various statutory registers and documents and making necessary entries therein;

b. Forms, returns, documents and resolutions required to be filed with the Registrar of Companies, Regional Director, Central Government, IEPF,NCLT or other authorities;

c. Notice of Board and various Committee meetings of Directors;

d. Meetings of Directors and all the Committees of Directors and passing of circular resolutions;

e. Notice dated 21st June, 2018 for convening of Annual General Meeting which was held on 31st July, 2018;

f. Minutes of the proceedings of the Board Meetings, Committee Meetings and General Meetings;

g. Constitution of the Board of Directors, Committees of Directors and appointment, retirement and reappointment of Directors including Managing Directors and Executive Directors;

h. Appointment and remuneration of Statutory & Internal Auditors;

i. Constitution of inspection department committee for conducting internal audit;

j. Transfer and transmission of the Company's shares, issue and allotment of shares and issue and delivery of certificates of shares;

k. Declaration and payment of dividend;

l. Transfer of amounts as required under the Act to the Investor Education and Protection Fund;

m. Report of the Board of Directors;

n. Publishing of Balance sheet as on 31st March, 2018& filing of important returns which are to be submitted to the RBI such as return of Bank's Liquid Assets & Liabilities, Form 8, as per the Banking regulation Act, 1949;

o. Compliance with the applicable clauses of the Secretarial Standards issued by the Institute of the Company Secretaries of India;

p. CSR Committee constituted and functioning in accordance with the section 135 of Companies Act, 2013;

q. No further Capital was issued during the F.Y. 2018-19.

r. Generally, all other applicable provisions of the Act and the Rules there under.

During the period under review the Bank has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc.

DEMATERIALISATION OF SHARES

During the period under review the Bank has undertaken compliance of Dematerialisation of its existing shares adherence to notification issued by the Ministry of Corporate Affairs dated 10th September 2018.

CSR COMPLIANCES

According to section 135 of Companies Act, 2013, The Nainital Bank Limited is required to spend, in every financial year, at least two per cent of the average net profits of the company made during the three immediately preceding financial years, in pursuance of its Corporate Social Responsibility, but the Bank has spent funds amounting to Rs. 10.20 lakhs out of Rs.96.21 lakhs (2% of average net profit).

The funds spent on CSR are approx. 10% of the total amount required to be spent during F.Y. 2018-19which requires immediate attention of the Board.

COMPLIANCE IN RELATION TO LABOUR LAWS

As per the information provided to us the Bank is in compliance with various

हमें उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार बैंक स्वयं पर लागू विभिन्न श्रम और अन्य संबंधित कानूनों का पालन करता है और कर्मचारियों तथा प्रबंधन के बीच पूर्ण सौहार्द है. दोनों का संबंध हार्दिक प्रतीत होता है।

विनियामक मामले

बैंक ने वित्तीय वर्ष 2018–19 के अपने तुलन–पत्र की टिप्पणी सं. 6.8.2 में प्रकट किया है कि रिजर्व बैंक ने उचित ऋण निगरानीध्एनपीए की पहचान सुनिश्चित करने के लिए जोखिम घटाने की योजना (आरएमपी) का अनुपालन न करने के कारण उस पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए, 47ए के तहत 1.00 करोड़ रुपये का दंड लगाया है. इस पर निदेशक मंडल को विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

मुझे आगे कहना है कि–

कंपनी के निदेशक मंडल का गठन कार्यकारी निदेशक, गैर कार्यकारी निदेशकों, और स्वतंत्र निदेशकों के समुचित संतुलन के साथ विधिवत किया गया है। निदेशक मंडल मे एक महिला निदेशक भी है। समीक्षा अवधि के दौरान बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टरर्स की संरचना में परिवर्तन बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधानों और कंपनी अधिनियम 2013, जहां लागू हो के अनुपालन में किया गया है। सभी निदेशकों को बोर्ड की बैठकों मे भाग लेने के लिए आवश्यक नोटिस दिया जाता हैं, कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत नोट कम से कम सात दिन पहले भेजे ग़ये हैं और बैठक से पहले बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए और अधिक जानकारी तथा एजेंडा आइटम पर स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

सभी निदेशकों को बोर्ड की बैठकों मे भाग लेने के लिए समुचित नोटिस दिया जाता है, बैठक की कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत नोट कम से कम सात दिन पहले भेजे दिये गये थे और बैठक से पहले बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए और अधिक जानकारी तथा कार्यसूची मदों पर स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए एकव्यवस्थित कार्य पद्धति है। सचिवीय मानक में दिए गए दिशानिर्देशों का पालन किया गया है।

मुझे आगे कहना है कि कंपनी में प्रक्रियाओं और अनुपालन पर नजर रखने के लिए बैंक के आकार एवं संचालन के अनुरूप पर्याप्त व्यवस्था एवं प्रक्रियाएं है तथा यहलागू कानूनों, नियमों, दिशा निर्देशों और नियमों के अनुपालन के अनुरूप सुनिश्चित हैं।

की ओर से तथा उसके अनुपालन के लिए

आर के टंडन एंड एसोसिएट्स

(रमेश कुमार टंडन)
प्रेक्टिसिंग कंपनी सचिव
सदस्यता क्रमांक एफ 672
सीपी संख्या 3556

दिनांक: 04.06.2019
स्थान: नैनीताल

इस रिपोर्ट को इस रिपोर्ट में अनुलग्नक I के साथ पढ़ा जाए।

"अनुलग्नक–I

सेवा में
श्रीमान सदस्य
नैनीताल बैंक लिमिटेड
नैनी बैंक हाउस, सेवेन ओक्स
मल्लीताल नैनीताल, उत्तराखंड –263001

मुझे यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि मैंने वत्तीय वर्ष 2018.19 के लिए नैनीताल बैंक लिमिटेड की सचिवीय लेखा परीक्षा संचालित की जिसका गठन 31.07.1922 को हुआ था, जिसका पंजीकरण आगरा एवं अवध के संयुक्त प्रांत की संयुक्त स्टॉक कम्पनियों के रजिस्टार के पास हुआ है। हमारी राय मे 'नैनीताल बैंक लिमिटेड' ने विधिवत लागू कानूनों के प्रावधानों का पालन किया है। यह पाया गया कि रिकार्ड को ठीक से रखा गया है और संरक्षित किया गया है।

मैं आगे निम्नलिखित घोषणा करता हूं।

1. सचिवीय रिकार्ड का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन सचिवीयरिकार्डपर राय व्यक्त करने के लिए है।
2. हमने लेखा परीक्षा अभ्यास और प्रक्रिया का पालन किया है जो सचिवीय और अन्य

labour and other related laws as applicable upon it and there is complete harmony between the employees and management. The relationship appears to be cordial.

REGULATORY MATTERS

The Bank has disclosed in its notes 6.8.2 of the Balance Sheet F.Y. 2018-19 that RBI has imposed penalty of Rs. 1.00 Crore u/s 35A, 47A of Banking Regulation Act, 1949 due to non-compliance of (RMP) Risk Mitigation Plan to ensure proper credit monitoring/NPA identification. This needs specific attention of the Board.

I further report that -

The Board of Directors of the Company is duly constituted with proper balance of Executive Directors, Non-Executive Directors and Independent Directors one of them is also a women director. The changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review were carried out in compliance with the provisions of the Banking Regulation Act, 1949, and Companies Act, 2013 wherever applicable.

Proper notice is given to all directors to attend the Board Meetings, agenda and detailed notes on agenda were sent at least seven days in advance and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting. The guidelines as given in the Secretarial Standard have been followed.

I further report that there are adequate systems and processes in the company commensurate with the size and operations of the company to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

For & on behalf of

R K Tandon & Associates

(R K TANDON)
Company Secretary in Practice
Membership No. F672
CP No. 3556

Date: 04.06.2019
Place: Nainital

This report is to be read with the Annexure I to this report

"Annexure I"

To
The Members
The Nainital Bank Limited
Naini Bank House, Seven Oaks
Mallital, Nainital, Uttarakhand-263001

I am pleased to inform that I have conducted the Secretarial Audit of' The Nainital Bank Limited' which was incorporated on 31.07.1922, registered under the Registrar of Joint Stock Companies United Provinces of Agra and Avadh for the Financial Year2018-19. As per our opinion'The Nainital Bank Limited' has duly complied with the provisions of the applicable laws as and when required. The Records were found to be properly maintained and preserved.

I further declare the following.

1. Maintenance of the Secretarial record is the responsibility of the management of the Company. Our responsibility is to express an opinion on these secretarial records based on our audit.
2. We have followed the audit practice and process as were appropriate to

रिकार्डकी सामग्री की शुद्धता और अंर्तवस्तु केबारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थे।

3. एक बैंकिंग कंपनी होने के नातेए खातों और लेखा मानक की पुस्तक की सत्यता का ऑडिट भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदितसंविधिकलेखा परीक्षक द्वारा किया जा रहा है।

4. जहाँ भी आवश्यक है हमने बैंकिंग कंपनी और उसके परिणामी कानूनों पर लागू विभिन्न कानूनों के अनुपालन के संबंध में जानकारी,दस्तावेज़ और प्रबंधन के विचार प्राप्त किये हैं। स्पष्टीकरण और बैंक प्रबंधन केविचार प्रथम दृष्टया अनुपालन की पुष्टि करते हैं।

5. रिपोर्ट तैयार करने में, हमने हमारे सामने प्रस्तुत दस्तावेजों, व्यक्तिगत रूप से हमें किए गए खुलासे और हमें प्रदान किए गए प्रमाण पत्रों पर भरोसा किया है।

की ओर से तथा उनके लिए

आर के टंडन एंड एसोसिएट्स

(रमेश कुमार टंडन)

प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव

सदस्यता क्रमांक एफ 672

सीपी संख्या 3556

दिनांकः 04.06.2019

स्थानः नैनीताल

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

नैनीताल बैंक लिमिटेड के अंशधारकों के प्रति

एकल वित्तीय विवरणियों पर रिपोर्ट

राय

हमने नैनीताल बैंक लिमिटेड (इसके बाद जिसे ''बैंक'' लिखा गया है) की, संलग्न एकल विवरणियों जिनमें 31 मार्च, 2019 का तुलन पत्र, लाभ–हांनि खाता विवरण और उसी तिथि को समाप्त हुए वर्ष की नकदी प्रवाह विवरणी और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सारांश तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचनाएं सम्मिलित हैं, लेखा परीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणियों में हमारे द्वारा लेखा परीक्षित 6 शाखाओं की विवरणियां तथा शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा परीक्षित 133 शाखाओं का जोकि दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखण्ड एवं उत्तर प्रदेश स्थित शाखाओं की विवरणियां सम्मिलित हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार बैंक द्वारा निर्धारित शाखाए हमारे द्वारा एवं अन्य शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा परीक्षित की गई।

हमारे मत में और हमारी अधिकतम जानकारी के मुताबिक तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उपर्युक्त एकल वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") द्वारा माँगी गई जानकारी यथा अपेक्षित रूप में देते हैं और कंपनी (लेखे) नियमावली,

2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 में निर्दिष्ट लेखा प्रणाली मानकों तथा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों और दिशानिर्देशों सहित भारत में सामान्यतरू स्वीकृत लेखा–सिद्धांतों के अनुरूप 31 मार्च 2019 के अनुसार बैंक के कार्यों की स्थिति और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और नकदी–प्रवाह के संबंध में सत्य और निष्पक्ष विचार प्रस्तुत करते हैं।

मत का आधार

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा के मानदंडों (एसए) के अनुसार लेखापरीक्षा की. उन मानदंडों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारी हमारी रिपोर्ट के एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी खंड में भी वर्णित की

obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the secretarial and other records.

3. Being a Banking company the correctness of the Book of accounts and accounting standard are being audited by the Central Statutory Auditors approved by the Reserve Bank of India.

4. Wherever required we have obtained information, documents and management views with regard to compliance of various laws applicable on banking company and consequential laws thereof, the explanations and views of Bank's Management prima facie confirm compliances.

5. In preparation of the report, we have relied on documents presented before us, disclosures made to us in person and certificates rendered to us.

For & on behalf of

R K Tandon & Associates

(R K TANDON)
Company Secretary in Practice
Membership No. F672
CP No. 3556

Date: 04.06.2019
Place: Nainital

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To the Members of The Nainital Bank Limited

Report on the Audit of the Standalone Financial Statements

Opinion

We have audited the standalone financial statements of The Nainital Bank Limited ("the Bank"), which comprise the balance sheet as at 31st March, 2019, and the statement of profit and loss and the statement of cash flows for the year then ended and notes to the standalone financial statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information [in which are included the returns of 6 branches audited by us and 133 branches audited by Statutory Branch Auditors of bank branches at Delhi, Haryana, Uttar Pradesh, Rajasthan and Uttarakhand. The branches audited by us and those audited by other Statutory Branch Auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India.]

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid standalone financial statements give the information required by the Companies Act, 2013, ("the Act") in the manner so required and give a true & fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards specified under section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014 and provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars, guidelines and directions issued by the Reserve Bank of India ('RBI') from time to time, of the state of the affairs of the Bank as at 31st March 2019, and profit and its cash flows for the year ended on that date.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) specified under section 143(10) of the Act. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Standalone Financial Statements section of our report. We are

गई है। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी नीति–संहिता के साथ–साथ अधिनियम के उपबंधों और उसके अंतर्गत जारी नियमों के अंतर्गत एकल वित्तीय विवरणों की अपनी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक अपेक्षाओं के अनुसार हम बैंक से स्वतंत्र हैं, और हमने इन अपेक्षाओं तथा नीति–संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियाँ पूरी की हैं। हमारा विश्वास है कि हमें प्राप्त लेखापरीक्षा–साक्ष्य हमारे मत को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

एकल वित्तीय विवरणों से इतर जानकारी और उस पर लेखापरीक्षक रिपोर्ट

बैंक का निदेशक मंडल अन्य जानकारी के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में निदेशक मंडल की रिपोर्ट और उसके अनुलग्नकों में दी गई जानकारी शामिल है, पर उसमें एकल वित्तीय विवरण तथा उन पर हमारी लेखापरीक्षक रिपोर्ट शामिल नहीं है।

एकल वित्तीय विवरणों पर हमारा मत अन्य जानकारी को कवर नहीं करता और हम उस पर किसी प्रकार का आश्वासन–निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते।

एकल वित्तीय विवरणों की अपनी लेखापरीक्षक रिपोर्ट के संबंध में हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम उपलब्धहोने पर ऊपर चिह्नित अन्य जानकारी पढ़ें और ऐसा करते हुए विचार करें कि क्या अन्य जानकारी एकल वित्तीय विवरणों या लेकपरीक्षा में प्राप्त हमारी जानकारी के साथ वस्तुतरू असंगत है या अन्यथा वस्तुतरू गलतबयानी लगती है।

निदेशक मंडल की रिपोर्ट और उसके अनुलग्नक पढने पर यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि उसमे वस्तुतरू गलतबयानी है, तो हमसे अपेक्षित है कि हम इस मामले को उन्हें संप्रेषित करें, जिनके पास अभिशासन का प्रभार है।

एकलवित्तीय विवरणियों के लिये प्रबन्धन का दायित्व

बैंक का निदेशक मण्डल कम्पनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) के खण्ड 134(5) में दिए गए मसलों के लिए उत्तरदायी है जो इन एकल वित्तीय विवरणियोंजो वित्तीय स्थितियों, वित्तीय कार्यकलापों और बैंक के वित्तीय प्रवाह कीउन लेखा सिद्धान्तों, जो सामान्यतः भारत में स्वीकार्य हैं तथा अधिनियम केखण्ड 133 के अन्तर्गत निर्दिष्ट लेखा मानकों जिन्हें कम्पनी (लेखा) नियम2014 के नियम 7 के साथ तथा बैंकिंग रेग्यूलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 29के प्रावधानों और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय–समय पर जारी विभिन्नदिशा–निर्देशों व परिपत्रों के अनुसार पढ़ा जाये, का विवरण सही और निष्पक्षस्थिति दर्शाता है। इस दायित्व में अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बैंककी आस्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकनेऔर उनका पता लगाने, उचित लेखा नीतियों के चयन और कार्यान्वयन,यथोचित और विवेकपूर्ण निर्णय लेने और आंकलन करने तथा पर्याप्त आंतरिकवित्तीय नियंत्रण की रुपरेखा के कार्यान्वयन, क्रियान्वयन और रख–रखाव, जो

ऐसी वित्तीय विवरणियों जो सही एवं निष्पक्ष स्थिति दर्शाती हैं और किसी भीअवास्तविकता चाहे वह धोखाधड़ी की वजह से हो या त्रुटिवश, से मुक्त हो,से सम्बन्धित लेखा रिकार्ड को पूरा करने और उसकी यथार्थता को सुनिश्चितकरने लेखा रिकार्ड को पूरा करने और उसकी यथार्थता को सुनिश्चित करनेरख–रखाव की जिम्मेदारी भी सम्मिलित है।

एकल वित्तीय विवरण तैयार करते हुए प्रबंधन की यह जिम्मेदारी है कि अगर वह बैंक को परिसमाप्त करने या उसके परिचालन बंद करने का इरादा नहीं रखता या उसके पास ऐसा करने का कोई यथार्थपरक विकल्प न हो, तो वह एक लाभकारी संस्था से संबंधित मामले यथा लागू प्रकट करते हुए और लेखांकन के लाभकारी संस्था आधार का प्रयोग करते हुए एक लाभकारी संस्था के रूप में जारी रहने की बैंक की योग्यता का आकलन करे।

बैंक का निदेशक मंडल बैंक की वित्तीय रिपोर्ट की प्रक्रिया का निरीक्षण करने के लिए भी उत्तरदायी है।

एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियाँ

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना कि क्या एकल वित्तीय विवरण समग्र रूप से, धोखाधड़ी के कारण या गलती से, महत्त्वपूर्ण गलतबयानी से मुक्त हैं, और एक ऐसी लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी करना है, जिसमें हमारा मत शामिल हो। उपयुक्त आश्वासन एक उच्च स्तरीय आश्वासन है, पर वह इस बात की गारंटी नहीं है कि लेखापरीक्षा के मानदंडों (एसए) के अनुसार की गई लेखापरीक्षा किसी महत्त्वपूर्ण गलतबयानी के होने पर सदैव उसका पता लगा लेगी. गलतबयानियाँ धोखाधड़ी या गलती से हो सकती हैं और तब महत्त्वपूर्ण समझी जाती हैं, जब उनसे, अकेले या सकल रूप में, प्रयोगकर्ताओं द्वारा इन एकल वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए आर्थिक निर्णयों के प्रभावित होने की काफी संभावना हो।

independent of the Bank, in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the standalone financial statements under the provisions of the Act and the Rules thereunder, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Information Other than the Standalone Financial Statements and Auditor's Report thereon

The Bank's Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises the information included in Board's Report and annexures to Board Report but does not include the standalone financial statements and our auditor's report thereon.

Our opinion on the standalone financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the standalone financial statements, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the standalone financial statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the Board's Report and annexures to the Board's Report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance.

Responsibility of Management for Standalone Financial Statements

The Bank's Board of Directors is responsible for the matters stated in Section 134(5) of the Act with respect to the preparation of these standalone financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Bank in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards specified under section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014 and provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars, guidelines and directions issued by the Reserve Bank of India ('RBI') from time to time. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the standalone financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the standalone financial statements, management is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The Board of Directors are also responsible for overseeing the Bank's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Standalone Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the standalone financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these standalone financial statements.

लेखापरीक्षा के मानदंडों (एसए) के अनुसरण में लेखापरीक्षा के एक अंग के रूप में हम व्यावसायिक विवेक का इस्तेमाल करते हैं और पूरी लेखापरीक्षा के दौरान पेशेवराना संदेहवाद बनाए रखते हैं। हम यह भी करते हैं रू

- एकलवित्तीय विवरणों की सामग्री के गलत विवरण के जोखिमों को पहचानें और उनका आकलन करें, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, उन जोखिमों के लिए उत्तरदायी प्रक्रियाओं की रचना और निष्पादित करें, और ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली सामग्री के गलत विवरण का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले एक से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण की प्रत्यादिष्ट करना शामिल हो सकती है।
- ऐसी परिस्थितियों के लिए उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रिया निरूपित करने के लिए लेखापरीक्षा हेतु प्रासंगिक आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ हासिल करते हैं। अधिनियम की धारा 143(3)(प) के तहत हम इस बारे में अपना मत व्यक्त करने के लिए भी उत्तरदायी हैं कि बैंक में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय प्रणाली मौजूद है या नहीं और ऐसे नियंत्रण परिचालन की दृष्टि से कितने कारगर हैं।
- इस्तेमाल की जाने वाली लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखा अनुमानों तथा उनके संबंध में प्रबंधन द्वारा किए गए प्रकटीकरणों की समुचितता का आकलन करते हैं।
- इस बातपर निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं कि प्रबंधन द्वारा लेखांकन के लाभकारी संस्था आधार का प्रयोग उपयुक्त है या नहीं और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर बताते हैं कि घटनाओं और स्थितियों के संबंध में ऐसी कोई महत्त्वपूर्ण अनिश्चितता तो मौजूद नहीं है, जो एक लाभकारी संस्था के रूप में जारी रहने की बैंक की योग्यता पर उल्लेखनीय संदेह पैदा करता हो। अगर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि कोई महत्त्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है, तो हमसे अपेक्षित है कि हम एकल वित्तीय विवरणों में सबंधित प्रकटीकरणों की अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उसके प्रति ध्यान आकर्षित करें, या अगर वे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं तो अपना मत संशोधित करें। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित होते हैं। तथापि, भावी घटनाएँ या स्थितियाँ लाभकारी संस्था के रूप में जारी रहने की बैंक की योग्यता समाप्त कर सकती है।
- प्रकटीकरणों सहित एकल वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, ढाँचे और विषयवस्तु का आकलन करते हैं और जाँच करते हैं कि क्या एकल वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेनों और घटनाओं का उस रूप में प्रतिनिधित्व करते हैं, जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति हासिल होती हो।

हम अभिशासन के प्रभारियों से, अन्य मामलों के अतिरिक्त, लेखापरीक्षा के नियोजित विस्तार और समय तथा आंतरिक नियंत्रण में अपनी लेखापरीक्षा के दौरान पाई जाने वाली उल्लेखनीय कमियों सहित महत्त्वपूर्ण लेखापरीक्षा–निष्कर्षों के बारे में बात करते हैं।

हम अभिशासन के प्रभारियों को इस आशय का विवरण भी देते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में संबंधित नैतिक अपेक्षाओं का पालन किया है, और उन्हें उन समस्त संबंधों तथा अन्य मामलों की जानकारी देते हैं जिनके बारे में वाजिब तौर पर सोचा जा सकता है कि वे हमारी स्वतंत्रता पर प्रभाव डालती हैं, और जहाँ लागू हो, संबंधित सुरक्षा–उपाय भी बताते हैं।

अन्य विधिक और नियामक मामलों पर रिपोर्ट

तुलन–पत्र एवं लाभ–हानि खाता बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधानों जिन्हें कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 133 तथा कम्पनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 7 तथा कंपनियां (लेखा मानक) संशोधन, 2016 के साथ पढ़ा जाए, के अनुसार तैयार किए गए हैं।

जैसा कि बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 के खण्ड 30 के उपखण्ड(3) के अनुसार अपेक्षित है हम सूचित करते हैं कि:

क) वे समस्त सूचनाएं और स्पष्टीकरण जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास से लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक थे, हमें मिल गए हैं और हमने इन्हें सन्तोषजनक पाया है।

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the standalone financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal financial controls relevant to the audit in order to design audit procedure that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Act, we are also responsible for expressing our opinion on whether the Bank has adequate internal financial controls system in place and the operating effectiveness of such controls.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the standalone financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Bank to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the standalone financial statements, including the disclosures, and whether the standalone financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

The Balance Sheet and the Statement of Profit and Loss have been drawn up in accordance with the provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 read with Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014 and Companies (Accounting Standards) Amendment Rules, 2016.

As required by sub section (3) of section 30 of the Banking Regulation Act, 1949, we report that:

(a) we have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purpose of our audit and have found them to be satisfactory;

ख) हमारी जानकारी में आये बैंक के लेन–देन बैंक के अधिकार क्षेत्र में किए गए हैं।

ग) बैंक के कार्यालयों व शाखाओं से प्राप्त विवरणियां लेखा परीक्षा हेतु पर्याप्त पायी गयीं।

भारत सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा (11) के अनुसार जारी किए गए कंपनियाँ (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 ("आदेश") की अपेक्षानुसार, हम अनुलग्नक में आदेश के पैरा 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर यथा लागू सीमा तक एक विवरण देते हैं.

जैसा कि कम्पनी अधिनियम 2013 के खण्ड 143 (3) के अनुसार अपेक्षित है हम पुनः सूचित करते हैं कि:–

वे समस्त सूचनाएं और स्पष्टीकरण जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी औरविश्वास से लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक थे, हमने मांगे तथा यह हमें मिल गए हैं।

क) हमारी राय में बैंक ने यथोचित लेखा बहियां, जहां तक इनकी जांच से प्रकट होता है यथाविधि तैयार की हैं और उन शाखाओं जिनकी हमने लेखा परीक्षा नहीं की है, से उचित विवरणियां जो हमारे द्वारा की जा रही लेखा परीक्षा के लिए पर्याप्त है, प्राप्त कर ली गई हैं।

ख) बैंक के शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा कम्पनी अधिनियम के खण्ड 143 (8) के अन्तर्गत लेखा परीक्षित शाखाओं के खातों पर रिपोर्ट भी हमें भेजी गई है और इन्हें इस रिपोर्ट में लिया गया है।

ग) तुलन–पत्र और लाभ–हानि खाता तथा नकदी प्रवाह विवरणी जिनसे यह रिपोर्ट सम्बन्धाति है लेखा बहियों और उन शाखाओं से, जिनकी हमने लेखा परीक्षा नहीं की है, प्राप्त विवरणियों से मिलान कर तैयार किये गये हैं।

घ) हमारी राय में उपरोक्त एकल वित्तीय विवरणियां अधिनियम के खण्ड 133 में विनिर्दिष्ट लेखा मानकों जिन्हें कम्पनी (लेखा) नियम, 2014के नियम 7 के साथ पढ़ा जाये, के अनुसार हैं और वे आर.बी.आई. द्वारा निर्धारित दिशा – निर्देशों का समय–समय पर पालन करते हैं।

ई) 31 मार्च, 2019 को प्राप्त निदेशकों द्वारा दिए गए लिखित प्रतिवेदनों जिन्हें निदेशक मंडल ने रिकार्ड में लिया है, के आधार पर कोई भी निदेशक 31 मार्च, 2019 को अधिनियम के खण्ड 164 (2) की शर्तों के अनुसार निदेशक के पद के लिए अपात्र नहीं है।

च) बैंक की वित्तीय रिर्पोटिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता के सन्दर्भ में एवं ऐसे नियन्त्रणों की परिचालनात्मक प्रभाव के लिये हमारी प्रथक रिपोर्ट अनुलग्नक (क) का संदर्भ लें।

छ) हमारी राय में एवं समुचित सूचना एवं स्पष्टीकरण के आधीन अन्य मामलों में, जिन्हें कम्पनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षा की रिपोर्ट में सम्मिलित करना है:–

(i) बैंक ने अपनी वित्तीय विवरणियों में विचाराधीन मुकदमों के अपनी वित्तीय स्थिति पर प्रभाव को उजागर किया है– देखें वित्तीयविवरणियों की अनुसूची 12, अनुसूची 18–नोट 7.8।

(ii) बैंक ने दीर्घ अवधि की ऐसी कोई संविदा जिसमें अनुमानित संविदाएं भी सम्मिलित हैं, जिसमें कोई पूर्वानुमानित नुकसान हो, नहीं की है।

(iii) निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष में अंतरण योग्य वांछित धनराशि के अन्तरण में कोई विलम्ब नही किया गया है।

दिनांक: 27.05.2019
स्थान:नोएडा

कृते पीएसएमजी एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ.आर.एन. 008567सी
ह./–
(सीए राघवेन्द्र गोयल)
साझेदार
स.सं. 426476

(b) The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank.

(c) The returns received from the offices; and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.

As required by the Companies (Auditor's Report) order, 2016 ("the order"), issued by the Central Government of India in terms of sub-section(11) of section 143 of the Act, we give in the Annexure-A, a statement on the matters specified in paragraph 3 and 4 of the Order, to the extent applicable.

As required by section 143(3) of the Act, we report that:

We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit.

a) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from the branches not visited by us.

b) The reports on the accounts of the branch offices of the Bank audited under Section 143(8) of the Act by statutory branch auditors have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report.

c) The Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss and the Cash Flow Statement dealt with by this Report are in agreement with the books of account and with the returns received from the branches not visited by us.

d) In our opinion, the aforesaid standalone financial statements comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014 and provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars, guidelines and directions issued by the Reserve Bank of India ('RBI') from time to time.

e) On the basis of the written representations received from the directors as on 31st March 2019 taken on record by the Board of Directors, none of the directors is disqualified as on 31st March 2019 from being appointed as a director in terms of Section 164 (2) of the Act.

f) With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Bank and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate report in "Annexure-A";

g) With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:

(i) The Bank has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its standalone financial statements - Refer Note 7.8 to the standalone financial statements;

(ii) The Bank does not have any long term contracts including derivative contracts for which there are any material foreseeable losses;

(iii) There has been no delay in transferring amounts, required to be transferred, to the Investor Education and Protection Fund by the Bank.

Date: 27-05-2019
Place: Noida

For PSMG & Associates
Chartered Accountants
FRN 008567C
CA. Raghvendra Goel
Partner
M No 426476

नैनीताल बैंक लिमिटेड (बैंक) की एकल वित्तीय विवरणियों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की समान तिथि की रिपोट का संलग्नक (क)

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उप–धारा 3 के खंड (प) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2019 को बैंक की समान तिथि को समाप्त वर्ष की एकल वित्तीय विवरणियों के लेखा परीक्षण के संयोजन में नैनीताल बैंक लिमिटेड की वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर वित्तीय नियंत्रण का लेखा परीक्षण किया।

आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिये प्रबन्धन की जिम्मेदारी

इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस आफ इन्डिया द्वारा जारी की गई वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त परिपत्रों एवं निर्देशों के आधार पर आन्तरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए बैंक द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण को नियत करने एवं बनाए रखने के लिए बैंक का निदेशक मंडल जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों का रुपांकन लागू करना व बनाए रखना शामिल है जो कि अपने व्यवसाय के कुशल एवं नियमबद्ध संचालन जिसमें बैंक की नीतियों पर कायम रहना, इसकी आस्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी व गलतियों को रोकना एवं पता लगाना लेखा रिकॉर्ड की सटीकता, पूर्णता एवं विश्वसनीय वित्तीय सूचना की समय पर तैयारी जैसा कि कम्पनी अधिनियम, 2013 के अधीन वांछित है, को सुनिश्चित करते हुएप्रभावपूर्ण तरीके से काम कर रहे हैं।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखा परीक्षण के आधार पर वित्तीय रिर्पोटिंग के ऊपर बैंक के आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण पर अपनी राय देना है। हमने अपना लेखा परीक्षण आईसीएआई द्वारा जारी एवं अधिनियम के अनुभाग 143(10) के अन्तर्गत निर्धारित समझे गये वित्तीय रिर्पोटिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण पर गाईडेन्स नोट और लेखा परीक्षण के मानकों के आधार पर जहां तक कि वे आन्तरिक लेखा नियन्त्रण के लेखा परीक्षण पर लागू हों, किया है। ये मानक एवं गाईडेन्स नोट द्वारा वांछित है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करें तथा लेखा परीक्षण कीइस तरह योजना एवं क्रियान्वयन करें कि इस सम्बन्ध में उचित आश्वासन मिल सके कि क्या वित्तीय रिर्पोटिंग पर पर्याप्त आन्तरिक नियंत्रण स्थापित है एवं बनाये रखा गया हे एवं क्या ऐसे नियंत्रण प्रभावी ढंग से सभी तात्विक संदर्भो में संचालित हो रहे हैं।

हमारा लेखा परीक्षण वित्तीय रिर्पोटिंग के ऊपर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण तंत्र की पर्याप्तता एवं उनकी परिचालन प्रभावशीलता के सम्बन्ध में लेखा परीक्षण साक्ष्य प्राप्त करने की प्रदर्शन प्रक्रिया को शामिल करता है। वित्तीय रिर्पोटिंग के ऊपर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण के हमारे लेखा परीक्षण में वित्तीय रिर्पोटिंग के ऊपर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करने, यह जोखिम आकलन करने की तात्विक कमजोरी मौजूद है । आन्तरिक नियंत्रण की परिचालनात्मक कार्यक्षमता जो कि जोखिम आकलन पर आधारित है शामिल हैं । चुनी गई प्रक्रिया लेखा परीक्षक के निर्णय, धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण वित्तीय विवरण में तात्विक गलत ब्यौरे के आकलन पर निर्भर करती है।

हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा लिया गया लेखा परीक्षण प्रमाण बैंक केवित्तीय रिर्पोटिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण के विषय में एक आधारप्रदान करने के लिए पर्याप्त एवं समुचित है।

वित्तीय रिर्पोटिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणका अर्थ

बैंक की वित्तीय विवरणी पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण एक प्रक्रिया है जो कि वित्तीय रिर्पोटिंग की विश्वसनीयता एवं वाह्य उद्देश्य से सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के आधार पर तैयार की गई वित्तीय विवरणी की प्रस्तुति के विषय में एक उचित आश्वासन देने हेतु तैयार की गई है। बैंक की वित्तीय रिर्पोटिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण (1) उन अभिलेखों के रख–रखाव से सम्बन्ध रखती है जो सही, स्पष्टरुप सेएवं समुचित विस्तार के साथ बैंक के लेन–देन एवं निपटारे को दर्शाताहै। (2) पर्याप्त आश्वासन देता है कि बैंक के लेन–देन सामान्यतः स्वीकार्य लेखा सिद्धान्तों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने हेतु अनुमत आवश्यक नियमों के अन्तर्गत दर्ज किये गये हैं तथाबैंक की प्राप्तियां एवं व्यय केवल बैंक के प्रबन्धन व निदेशकों के प्राधिकार के आधार पर किये जा रहे हैं। (3) समुचित आश्वासन देना कि बैंक कीकिसी आस्ति का जो कि बैंक के वित्तीय विवरण पर एक तात्विक प्रभाव डालता है अनधिकृत अधिग्रहण की समय पर पहचान व रोकथाम केसम्बन्ध में समुचित आश्वासन देता है।

वित्तीय रिर्पोटिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण की निहित सीमाएं

आन्तरिक वित्तीय रिर्पोटिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण की निहितसीमाओं के कारण मिलीभगत की संभावना या नियंत्रणों पर प्रबन्धनका अत्यधिक दबाव तात्विक मिथ्या कथन जोकि त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण हों, हो सकते हैंऔर पता नहीं लगाया जा सकता। भविष्य के सम्बन्ध में वित्तीय रिर्पोटिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण के आकलनका कोई

Annexure A to the independent auditor's report of even date on the standalone financial statements of The Nainital Bank Limited

Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")

We have audited the internal financial controls over financial reporting of The Nainital Bank Limited ('the Bank') as at 31 March 2019 in conjunction with our audit of the Standalone financial statements of the Bank for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Board of Director is responsible for establishing and maintaining internal financial controls over financial reporting criteria established by the bank based on the circulars and instructions received from RBI and the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India. These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to Bank's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Act and guidelines issued by the Reserve bank of India.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Bank's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting ('the Guidance Note') and the Standards on Auditing ('the Standards'), as specified under section 143(10) of the Act, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both issued by the ICAI. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the standalone financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Bank's internal financial controls system over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

A Bank's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A Bank's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the branch; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of standalone financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the branch are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the bank; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the branch's assets that could have a material effect on the standalone financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the

अनुमान यह जोखिम रखताहै कि वित्तीय रिर्पोटिंग परवित्तीय नियंत्रण परिस्थितियों में बदलाव के साथ अपर्याप्त हो सकता है या नीतियों एवं कार्यविधियों के सन्दर्भ में अनुपालन की स्तर घट सकती है।

विपरीत मत

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार और हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर 31 मार्च 2019 तक निम्नलिखित कमियाँ चिह्नित की गई हैं रू

क) बैंक ने डाटा केंद्र (डीसी) और डाटा पुनर्प्राप्ति (डीआर) साइट बाहरी विक्रेताओं को आउटसोर्स की है. इस संबंध में बैंक द्वारा डीसीध्डीआर साइट्स के सत्यापनध्सूचना लेखापरीक्षा की कोई प्रणाली निर्मित नहीं की गई है. आईटी के बैंकिंग उद्योग की रीढ़ की हड्डी होने के कारण, डीसीध्डीआर साइट्स की लेखापरीक्षा के अभाव में और ऐसी गतिविधियों की तृतीय पक्ष विक्रेताओं को आउटसोर्सिंग करने से बैंक साइबर धोखाधड़ियों के लिए असुरक्षित है।

ख) बैंक में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट आय–निर्धारण और वर्गीकरण मानदंडों (आईआरसीए) के अनुसार गैर–निष्पादक परिसंपतियों (एनपीए) के निर्धारण के संबंध में कोई स्वचालन (ऑटोमेशन) नहीं है। एनपीए की पहचान के लिए फिनक्राफ्ट सिस्टम (बैंक द्वारा अपनाया गया कोर बैंकिंग सलूशन सॉफ्टवेयर) को क्रिस्मैक सिस्टम में डाला जाता है। मानवीय हस्तक्षेप के बाद क्रिस्मैक द्वारा वर्गीकरण में कोई परिवर्तन किए जाने पर सिस्टम में कोई ऑडिट–ट्रेल कायम नहीं रखी जाती। इस संबंध में बैंक पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 35ए, 47ए के तहत 1 करोड़ रुपये का दंड लगाया गया है।

ग) ऋणी द्वारा बैंक के स्वीकृति–पत्र में निर्धारित शर्तें पूरी न किए जाने के मामलों में अतिरिक्त ब्याज वसूलने के लिए बैंक के पास कोई उपयुक्त प्रणाली नहीं है।

घ) मूल्यांकन रिपोर्टें प्राप्त करने की प्रणाली अपर्याप्त है और यह देखा गया कि जिन ऋणियों के मामले राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण के पास लंबित हैं, उनके मामलों में मूल्यांकन रिपोर्टें प्राप्त नहीं की जा रहीं।

ङ) रिजर्व बैंक के दिनांक 07.02.2018 के परिपत्र सं. आरबीआईध2017–18–129 डीबीआर. सं. बीपी.बीसी 100ध21.04.048ध2017–18 के अनुसार एमएसएमई श्रेणी में आने वाले ऋणियों को आईआरएसी मानदंडों के अंतर्गत अतिरिक्त समय प्रदान किया गया था. इस लाभ की एक शर्त ऐसे खातों में नकदी आधार पर ब्याज की पहचान थी. सिस्टम में उपयुक्त संशोधन सुनिश्चित नहीं किया है।

एक महत्त्वपूर्ण कमजोरी वित्तीय रिपोटिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में एक ऐसी कमी या कमियों का संयोजन है, जिनसे इस बात की काफी संभावना होती है कि कंपनी के वार्षिक या अंतरिम एकल वित्तीय विवरणों में कोई महत्त्वपूर्ण गलतबयानी सामयिक आधार पर रोकी या पहचानी नहीं जा सकेगी।

हमारे मत में बैंक ने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन टिप्पणी में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए स्वयं द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण के मानदंडों के आधार पर समस्त महत्त्वपूर्ण पहलुओं में 31 मार्च 2019 तक वित्तीय रिपोटिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण बनाए रखा, और नियंत्रण मानदंडों के उद्देश्य हासिल करने पर ऊपर वर्णित महत्त्वपूर्ण कमजोरियों के संभावित प्रभावों को छोड़कर 31 मार्च 2019 तक वित्तीय रिपोटिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण कारगर ढंग से काम कर रहे थे।

हमने बैंक के 31 मार्च 2019 के एकल वित्तीय विवरणों की अपनी लेखापरीक्षा में लागू किए गए लेखा–परीक्षणों के स्वरूप, समय और विस्तार के निर्धारण में ऊपर चिह्नित और सूचित महत्त्वपूर्ण कमजोरियों पर विचार किया है, और ये महत्त्वपूर्ण कमजोरियाँ बैंक के एकल वित्तीय विवरणों पर हमारे मत को प्रभावित नहीं करतीं।

अन्य मामले

बैंक शाखाओं से संबंधित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता पर अधिनियम की धारा 143(3)(प) के तहत हमारी उपरोक्त रिपोर्ट, शाखा लेखा परीक्षकों की तदनुरूपीरिपोर्टों पर आधारित है। इस मामले में हमारी राय के संबंध में किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं है।

दिनांकः 27.05.2019
स्थानःनोएडा

कृते पीएसएमजी एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ.आर.एन. 008567सी

risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Adverse Opinion

According to the information and the explanations given to us and based on our audit, the following weaknesses have been identified as at March 31, 2019:

a) The bank has outsourced the Data Centre(DC) and Data Recovery(DR) Site to outside vendors. No system of verification/information system audit of the DC/DR sites has been framed by the bank in this regard. IT being the backbone of banking industry, in the absence of IT audit of DC/DR sites and outsourcing of such activities to third party vendors, the bank is vulnerable to Cyber frauds.

b) The bank has no automation with regard to determination of non-performing assets (NPA) as per the Income Recognition and Classification Norms (IRAC) specified by Reserve Bank of India. The data from the Fincraft system (Core Banking Solution Software adopted by the bank) is fed into the CRISMAC system for identification of NPA. No audit trail is maintained in the system in case there is a change in classification as done by CRISMAC after manual intervention. In this regard, a penalty of Rs 1 crore has been levied on the bank u/s 35A , 47A of the Banking Regulation Act, 1949.

c) The bank lacks an adequate system with respect to charge of additional interest in cases where term and conditions as prescribed by the sanction letter issued by the Bank are not complied with by the borrower.

d) The system of obtaining valuation reports is inadequate and it was noticed that valuation reports are not being obtained in cases of borrower, whose cases are pending at National Company Law Tribunal.

e) As per RBI circular no. RBI/2017-18-129 DBR.No.BP.BC100/21.04.048/2017-18 dated 07.02.2018, additional time under IRAC norms was allowed to the borrowers covered under MSME category. One of the conditions of the said benefit was recognition of interest in such accounts on cash basis. Suitable modification have not been ensured in the system.

A material weakness is a deficiency, or a combination of deficiencies, in internal financial control over financial reporting, such that there is a reasonable possibility that a material misstatement of the company's annual or interim standalone financial statements will not be prevented or detected on a timely basis.

In our opinion, the Bank has in all material aspects, maintained adequate internal financial controls over financial reporting as of March 31, 2019, based on the internal control over financial reporting criteria established by the bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India and except for the possible effects of the material weaknesses described above on the achievement of the objectives of the control criteria, the bank's internal financial controls over financial reporting were operating effectively as of March 31, 2019.

We have considered the material weaknesses identified and reported above in determining the nature, timing, and extent of audit tests applied in our audit of the March 31, 2019 standalone financial statements of the bank, and these material weaknesses does not affect our opinion on the standalone financial statements of the bank.

Other Matters

Our Aforesaid report under Section 143(3)(i) of the Act on the adequacy of internal financial controls over Financial reporting in so far as it relates to bank branches, is based on the corresponding reports of the branch auditors. Our opinion is not modified in respect of this matter

Date: 27-05-2019
Place: Noida

For PSMG & Associates
Chartered Accountants
FRN 008567C
CA. Raghvendra Goel
Partner
M No 426476

बेसल III पिलर 3 प्रकटीकरण (31.03.2019)

Basel III Pillar 3 Disclosures (31.03.2019)

सारणी डीएफ– 1: लागू किये जाने का दायरा

बैंकिंग समूह के प्रधान का नाम, जिस पर यह ढांचा लागूहोता है :

दि नैनीताल बैंक लिमिटेड

पद्धगुणात्मक प्रकटीकरण

क. समेकन हेतु विचार में लिए गए समूह हस्तियों की सूची

ऐसी कोई हस्ती नहीं है जिसे समेकन हेतु विचार में लिया जा सके।

Table DF-1: Scope of Application

Name of the head of the banking group to which the framework applies: The Nainital Bank Ltd.

(i) Qualitative Disclosures:

a. List of group entities considered for consolidation

There is no such entity which may be considered under accounting scope of consolidation.

संस्था का नाम / निगमन देश	क्या उस हस्ती को समेकन के लेखांकन दायरे के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है (हां / नहीं)	समेकन के तरीके को स्पष्ट करें	क्या उस हस्ती को समेकन के विनियामक दायरे के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है (हां / नहीं)	समेकन के तरीके को स्पष्ट करें	समेकन के तरीके में अंतर के कारणों को स्पष्ट करें	यदि समेकन के केवल एक ही दायरे में समेकित किया गया हो, तो उसके कारण स्पष्ट करें।
Name of the entity/ (Country of Incorporation)	Whether the entity is included under accounting scope of consolidation (Yes/No)	Explain the method of consolidation	Whether the entity is included under regulatory scope of consolidation (Yes/No)	Explain the method of consolidation	Explain the reasons for difference in method of consolidation	Explain the reasons if consolidated under only one of the scopes of consolidation
शून्य / Nill						

ख समेकन के लेखांकन और विनियामक दोनों दायरों के अंतर्गत समेकन हेतु विचार में न लिए गए समूह हस्तियो की सूची।

ऐसी कोई समूह हस्ती नहीं है जिसे समेकन के लेखांकन और विनियामक दोनो दायरों के अंतर्गत समेकन हेतु लिया गया हो।

ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण

ग. समेकन हेतु विचार में लिए गए समूह हस्तियो की सूची

ऐसी कोई समूह हस्ती नहीं है जिसे लिया गया हो।

घ. सभी अनुषंगियों में पूंजी मे कमियों की सकल राशि जिसे समेकन केविनियामक दायरेमें शामिल नही किया गया है,

अर्थात् जिसे घटायागयाहै :

बैंक की ऐसी कोई अनुषंगी नहीं है इसलिए किसी अनुषंगी में पूंजी के अभाव का अवसर नही है।

ङ बीमा संस्थाओं में बैंक के कुल हितों की सकल राशियां (जैसे वर्तमान बही मूल्य), जो जोखिम भारित हैं :

बैंक बीमा संस्थाओं में कोई रुचि नहीं रखता है।

च. बैंकिंग समूह के भीतर निधियां या विनियामक पूंजी के अंतरण पर कोई प्रतिबंध याबाधाएं।

कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

b. List of group entities not considered for consolidation both under the accounting and regulatory scope of consolidation

There are no entities in the group which are considered for consolidation under both accounting and regulatory scope of consolidation.

(ii) Quanitative Disclosures:

c. List of group entities considered for consolidation

There is no such entity which may be considered for consolidation.

d. The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries which are not included in the regulatory scope of consolidation i.e. that are deducted

Bank does not have any subsidiary as such there is no scope of capital deficiency in any of subsidiary.

e. The aggregate amounts (e.g. current book value) of the Bank's total interests in insurance entities, which are risk-weighted

The bank has no interest in insurance entity.

f. Any restrictions or impediments on transfer of funds or regulatory capital within the banking group

There is no restriction.

सारणी डीएफ–2 : पूंजी पर्याप्तता

i) गुणात्मक प्रकटीकरण

क) बैंकने एक संतुलित जोखिम प्रबन्धन संरचना बनाई है जिसमें पूंजी को इष्टतम बनाने और लाभ को सर्वाधिक करने अर्थात् उपलब्ध पूंजी से सर्वाधिक व्यवसाय करने जिससे बदले में सर्वाधिक लाभ या इक्विटी से वापसी होगी पर ध्यान केन्द्रित किया है। बैंक बेसल–III की रुपरेखा के अनुसार वैश्विक रुप से स्वीकृत मजबूत जोखिम व्यवस्था जो संसाधनों के कुशल, साम्य पूर्ण और विवेकपूर्ण आवंटन में सक्षम है को बैन्चमार्क बना रहा है।

पूंजी योजना प्रक्रिया में बैंक निम्नलिखित की समीक्षा करता है:–

- बैंक की चालू पूंजीगत आवश्यकता
- व्यावसायिक व्यूह रचना और जोखिम अभिरुचि के संबंध में लक्षित और पर्याप्त पूंजी

पूंजी की आवश्यकता की निगरानी शीर्षस्थ कार्यपालकों की जोखिम प्रबन्धन समिति करती है। पूंजी की आवश्यकता का अग्रिमों, निवेशों, जमा, एनपीए, परिचालन लाभ आदि में वृद्धि की उम्मीद को ध्यान में रखते हुए पूर्वानुमान लगाया जाता है।

बैंक एक्सपोजरों, कारोबारों इत्यादि के मूल्य में हानि के जोखिम को संभालने के लिए पूंज बनाये रखता है। उसकी सभी जोखिमों के व्यापक मूल्यांकन एवं उसे प्रलेखित करने तथा उसके लिए पूंजी के आवंटन की पुष्टि हेतु एक सुपरिभाषित आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन नीति (ICAAP) है।

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार बैंक ने अग्रिम जोखिम के लिए मानकी कृत पद्धति, परिचालन जोखिम के लिए आधार भूत संकेतक पद्धति तथा सीआरएआर की गणना के लिए बाजार जोखिम हेतु मानकी कृत आवधिक पद्धति अपनायी है।

पूंजीगत आवश्यकता आर्थिक परिवेश, नियामक जरूरतें तथा बैंक की गति विधियों से होने वाले जोखिम से प्रभावित होती है। बैंक की पूंजीगत आयोजना का उद्देश्य आर्थिक परिस्थितियों के परिवर्तन के समय, यहां तक कि आर्थिक मंदी के दौर में भी पूंजी की पर्याप्तता को सुनिश्चित करना है। पूंजीगत आयोजन की प्रक्रिया मे बैंक निम्नलिखित की समीक्षा करता है :

- बैंक की मौजूदा पूंजीगत आवश्यकता।
- कारोबार रणनीति तथा जोखिम प्रवृत्ति के संदर्भ में लक्षित तथा धारणीय पूंजी।
- भविष्य की पूंजीगत आयोजना अगले पाँच वर्ष को ध्यान में रखकर की जाती है।

Table DF-2: Capital Adequacy

(i) Qualitative Disclosures

a. The Bank has put in place a robust Risk Management Architecture with due focus on Capital optimization and on profit maximization, i.e. to do maximum business out of the available capital which in turn maximize profit or return on equity. Bank is benchmarking on globally accepted sound risk management system, conforming to Basel III framework, enabling a more efficient equitable and prudent allocation of resources.

In Capital Planning process the bank reviews:

- Current capital requirement of the Bank
- The targeted and sustainable capital in terms of business strategy and risk appetite.

Capital needs are monitored periodically by the Internal Risk Management Committee comprising Top Executives. Capital requirement is projected annually considering the expected growth in advances, investments, Deposits ,NPA, Operating Profit etc.

Bank maintains capital to cushion the risk of loss in value of exposure, businesses etc. so as to protect the depositors and general creditors against losses. Bank has a well defined Internal Capital Adequacy Assessment Policy (ICAAP) to comprehensively evaluate and document all risks.

In line with the guidelines of the Reserve Bank of India, the Bank has adopted Standardised Approach for Credit Risk, Basic Indicator Approach for Operational Risk and Standardized Duration Approach for Market Risk for computing CRAR.

The capital requirement is affected by the economic environment, the regulatory requirement and by the risk arising from bank's activities. The purpose of capital planning of the bank is to ensure the adequacy of capital at the times of changing economic conditions, even at times of economic recession. In capital planning process the bank reviews:

- Current capital requirement of the bank.
- The targeted and sustainable capital in terms of business strategy and risk appetite.
- The future capital planning is done on a five-year outlook.

ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण

क्रं. सं.	मद	(राशि करोड़ में) 31.03.2019
(ख)	**ऋण जोखिम के लिए पूंजी अपेक्षाएं:**	
	• मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन संविभाग	395.29
	• प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर	----
(ग)	**बाजार जोखिम के लिए पूंजी अपेक्षाएं**	
	• मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण	46.51
	• ब्याज दर जोखिम	33.77
	• विदेशी मुद्रा जोखिम (स्वर्ण सहित)	----
	• इक्विटी जोखिम	0.00
(घ)	**परिचालनात्मक जोखिम के लिए पूंजी अपेक्षाएं**	
	• मूल संकेतक दृष्टिकोण	46.12
(ङ)	**सामान्य इक्विटी टियर 1, टियर 1 तथा कुल पूंजी अनुपात :**	
	• समेकित समूह के लिए	
	• सीईटी 1 अनुपात	----
	• टियर 1 अनुपात	----
	• टियर 2 अनुपात	----
	• सीआरएआर	----
	• एकल सीआरएआर	
	• सीईटी 1 अनुपात	14.41%
	• टियर 1 अनुपात	14.41%
	• टियर 2 अनुपात	0.44%
	• सीआरएआर	14.85%

S. No.	Items	Amount (Rs. in Crores) 31.03.2019
(b)	**Capital requirements for Credit Risk**	
	• Portfolios subject to Standardized Approach	395.29
	• Securitization Exposures	----
(c)	**Capital requirements for Market Risk**	
	• Standardized Duration Approach	46.51
	• Interest Rate Risk	33.77
	• Foreign Exchange Risk (including Gold)	----
	• Equity Risk	0.00
(d)	**Capital requirements for Operational Risk**	
	• Basic Indicator Approach	46.12
(e)	**Common Equity Tier 1, tier 1 and Total Capital ratios:**	
	• Group CRAR	
	• CET 1 Ratio	----
	• Tier 1 Ratio	----
	• Tier 2 Ratio	----
	• CRAR	----
	• Stand alone CRAR	
	• CET 1 Ratio	14.41%
	• Tier 1 Ratio	14.41%
	• Tier 2 Ratio	0.44%
	• CRAR	14.85%

सारणी डीएफ–3 : ऋण जोखिम

(i) गुणात्मक प्रकटीकरण

क) ऋण आस्तियों को वगीकृत करने के लिए बैंक की निम्नलिखित नीति है :–

गैर निष्पादक आस्तियां (एनपीए) : गैर निष्पादक आस्तियां(एनपीए) ऐसा ऋण या अग्रिम है जहाँ –

- मीयादी ऋण के संदर्भ में 90 दिन से अधिक की अवधि के लिएब्याज तथा/या मूलधन की किश्त, अतिदेय हो जाती है।
- ओवर ड्राफ्ट/नकद उधार (ओडी/सीसी) के संबंध में खाताअनियमित (आउट ऑफ आर्डर) रहा है।
- खरीदे और भुनाए गए बिलों के मामले में बिल 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए अतिदेय रहता है,
- अल्पावधि फसलों के लिए ऋण के मामले में मूल राशि की किश्तअथवा उस पर बकाया ब्याज दो फसली मौसमों से अतिदेय होजाता है।
- लम्बी अवधि की फसलों के लिए ऋण के मामले में मूल राशि की किश्त अथवा उस पर बकाया ब्याज एक फसली मौसम सेअतिदेय हो जाता है।

TABLE DF-3: CREDIT RISK

(i) Qualitative Disclosures

a. The policy of the bank for classifying bank's loan assets is as under:

NON PERFORMING ASSETS (NPA): A non performing asset (NPA) is a loan or an advance where;

- interest and/ or installment of principal remain overdue for a period of more than 90 days in respect of a term loan,
- the account remains 'out of order' in respect of an Overdraft/Cash Credit (OD/CC),
- the bill remains overdue for a period of more than 90 days in the case of bills purchased and discounted.
- the installment of principal or interest thereon remains overdue for two crop seasons for short duration crops,
- the installment of principal or interest thereon remains overdue for one crop season for long duration crops.

An OD/CC account is treated as 'out of order' if the outstanding balance

किसी भी ओ.डी. / सी.सी. खाते को उस स्थिति में "खराब" खाता मानाजाता है जब खाते में स्वीकृत सीमा / आहरण सीमा से अधिक राशि निरन्तररूप से बकाया रहती हो। उन मामलों में, जहाँ मूल परिचालनगत खाते मेंबकाया शेष स्वीकृत सीमा / आहरण सीमा से कम रहता हो लेकिन जहांतुलन–पत्र की तारीख को निरन्तर 90 दिनों से कोई जमा न किया गया हो या जमा की गई राशि उसी अवधि में लगाये जा रहे ब्याज की पूर्ति केलिए पर्याप्त न हो ऐसे खाते खराब समझे जाते हैं।

किसी भी ऋण सुविधा के अन्तर्गत बैंक को देय किसी भी राशि को उसस्थिति में "अतिदेय" माना जाता है जब इसका बैंक द्वारा निर्धारित देयतारीख को भुगतान नहीं किया जाता है।

बैंक की गैर निष्पादक आस्तियों को आगे निम्नलिखित तीन श्रेणियों मेंवर्गीकृत किया गया है –

अवमानक आस्तियां

अवमानक आस्ति से अभिप्राय, ऐसी आस्तियों से है जो 12 महीनों याउससे कम समय से गैर निष्पादक आस्ति रही हो। वसूली संबंधी सभीउपाय–अवमानक अस्तियों से भी सम्बधित हैं। यदि सम्पूर्ण अतिदेय नकदवसूली के रूप में प्राप्त हो जाता है तो खाते को तुरन्त ही मानक श्रेणी केअन्तर्गत अपग्रेड किया जा सकता है। इसी प्रकार यदि कोई खाता तकनीकीकारणों से एनपीए के रूप में वर्गीकृत हो जाता है तो उसे तकनीकी कारणोंके संबंध में "क्लीयरेंस" प्राप्त होने पर अपग्रेड किया जाएगा।

संदिग्ध आस्तियां

किसी भी आस्ति को 12 महीनों तक अवमानक श्रेणी में बने रहने की स्थितिमें संदिग्ध के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। ऐसे अवमानक तथा संदिग्धखाते जो पुनःसारणी बद्ध हो सकते हों / जिनकी अवधि का पुनर्निर्धारणकिया जा सकता हो को अवधि के दौरान खाते के संतोषजनक कार्यनिष्पादन को देखते हुए उस तारीख जब ब्याज अथवा मूल राशि का प्रथमभुगतान किया गया हो तथा इनमें से जो भी पहले हो से एकवर्ष की अवधिके पश्चात उक्त मानक श्रेणी में अपग्रेड किया जा सकता है।

हानिकर आस्तियां

हानिकर आस्ति से अभिप्राय ऐसी आस्ति से है जहां हानि बैंक अथवाआंतरिक अथवा बाहय लेखा परीक्षकों अथवा भारतीय रिजर्व बैंक के निरीक्षणद्वारा पता चली हो। हानि आस्तियों में उपलब्ध प्रतिभूति का वसूली योग्यमूल्य बकाया शेष / देयों का 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होता है। चूंकिप्रतिभूति बैकअप उपलब्ध नहीं होता है अतः पुनर्निर्धारण / पुनर्स्थापन यदियह आवश्यक हो तो इस पर अति सावधानीपूर्वक विचार किया जाता है।

कार्यनीति एवं प्रक्रिया :

बैंक की, ऋण जोखिम प्रबंधन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को शामिल करते हुए पूर्णरूप से परिभाषित ऋण नीति,ऋण जोखिम नीति एवं निवेश नीति है जो निम्नानुसार है :

- अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में ऋणकर्त्ताओं के विभिन्न प्रकार औरउनके ग्रुप और उद्योग के लिए एक्सपोजर सीमाएं।
- ऋण वितरण में उचित व्यवहार संहिता।
- बैंक के विभिन्न स्तर के प्राधिकारियों के लिए ऋण प्रदान करनेसंबंधी विवेकाधिकार।
- ऋण वितरण के संबंध में प्रक्रियाएं–स्वीकृति पूर्व निरीक्षण, रद्द करना,मूल्यांकन, स्वीकृति, दस्तावेजीकरण, मानीटरिंग और वसूली।
- मूल्य निर्धारण

remains continuously in excess of the sanctioned limit/drawing power. In cases where the outstanding balance in the principal operating account is less than the sanctioned limit/drawing power, but there are no credits continuously for 90 days as on the date of Balance Sheet or credits are not enough to cover the interest debited during the same period, these accounts are treated as 'out of order'.

An amount due to the bank under any credit facility is 'overdue' if it is not paid on the due date fixed by the bank.

Non Performing Assets of the Bank are further classified in to three categories as under:

Sub standard Assets

A sub standard asset would be one, which has remained NPA for a period less than or equal to 12 months. All the recovery measures are relevant in substandard assets also. If the entire overdues are recovered by way of cash recovery, the account can be upgraded to standard category immediately. Similarly, if an account is classified as NPA due to technical reasons, the account shall be upgraded on clearance of technical reasons.

Doubtful Assets

An asset would be classified as doubtful if it remained in the sub standard category for 12 months. Substandard and Doubtful accounts which are subjected to restructuring/rescheduling, can be upgraded to standard category only after a period of one year after the date when first payment of interest or of principal, whichever is earlier, falls due, subject to satisfactory performance during the period.

Loss Assets

A loss asset is one where loss has been identified by the bank or internal or external auditors or the RBI inspection. In Loss assets, realizable value of security available is not more than 10% of balance outstanding/ dues. Since security back up will not be available, the restructuring/ rehabilitation, if required, is considered with utmost care.

Strategies and Processes:

The bank has a well defined Loan Policy,Credit Risk Policy & Investment Policy covering the important areas of credit risk management as under:

- Exposure ceilings to different sectors of the economy, different types of borrowers and their group and industry
- Fair Practice Code in dispensation of credit.
- Discretionary Lending Powers for different levels of authority of the bank.
- Processes involved in dispensation of credit – pre sanction inspection, rejection, appraisal, sanction, documentation, monitoring, and recovery.
- Fixation of pricing.

The Credit Risk philosophy, architecture and systems of the bank are as

बैंक का ऋण जोखिम दर्शन, संरचना और प्रणालीनिम्नानुसार है :

ऋण जोखिम दर्शन :

- बैंक के ऋणों तथा उनसे प्राप्ति में अत्यधिक वृद्धि करना ताकि बैंकके संसाधनों की सुरक्षा व कार्पोरेट वृद्धि एवं समृद्धि सुनिश्चित होनेके साथ सभी हित धारकों के हित संरक्षित हों एवं शेयर धारकों कोआर्थिक लाभ में बढ़ोत्तरी हो।
- बैंक अपने वित्तीय संसाधनों को क्रमिक रूप से सुव्यवस्थित औरकारगर बनायें ताकि विभिन्न चैनलों को परस्पर जोड़ा जा सके तथाबैंक के सामान्य लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके।
- अर्थव्यवस्था की विभिन्न राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को योजनाबद्ध ढंगसे पूरा करना ताकि संस्थागत वित्त के उपयोग द्वारा अर्थव्यवस्था केविभिन्न उत्पादक क्षेत्रों में योजनाबद्ध ढंग से लक्ष्य की प्राप्ति की जासके।
- उद्यमवार ऋण संस्कृति विकसित करना और परिचालन स्टाफ कोसहयोग प्रदान करना।
- विभिन्न ऋण खण्डों को आवश्यकता पर आधारित और समय परऋण सुविधा उपलब्ध करवाना।
- ऋण प्रबंधन की दक्षता जैसे स्वीकृतिपूर्व, स्वीकृति उपरांत निगरानी,पर्यवेक्षण और अनुवर्ती कार्यवाही के उपाय को सुदृढ़ बनाना ताकिबैंक में कारगर ऋण संस्कृति विकसित की जा सके तथा ऋणसंविभाग को गुणवत्ता युक्त बनाया जा सके।
- गुणवत्तापूर्ण मूल्यांकन एवं गति के साथ विस्तृत मार्गनिर्देशों कीपूर्ण अनुपालना के साथ ऋण प्रस्तावों पर अधिक प्रभावपूर्ण ढंग सेकार्यवाही करना।
- विभिन्न विनियामक आवश्यकताओं विशेष रूप से भारतीय रिजर्वबैंक/अन्य प्राधिकारियों द्वारा एक्सपोजर मानदंडों, प्राथमिकता प्राप्तक्षेत्र के मानदंडों, आय पहचान और आस्ति वर्गीकरण मार्गनिर्देशों,पूंजीगत पर्याप्तता, ऋण जोखिम प्रबंधन पर दिये गये मार्ग निर्देशों आदि की अनुपालना करना।

बैंक की ऋण जोखिम प्रबंधन की संरचना और प्रणालियां :

- बैंक में जोखिम प्रबंधन कार्यकलापों की देखरेख तथा समन्वय कार्योंके लिए बोर्ड द्वारा निदेशकों की एक उपसमिति का गठन किया गयाहै।
- ऋण नीतियों सहित विभिन्न ऋण जोखिम नीतियों को तैयार करनेऔर उन का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने और बैंक के जोखिमप्रबंधन कार्यों की नियमित देख-रेख करने के लिए ऋणनीति समितिका गठन किया गया है।
- सीआरएमसी (ऋण जोखिम प्रबंधन समिति) बैंकवार आधार पर ऋण जोखिम के मापन, नियंत्रण और प्रबंधन के साथ-साथ निदेशक मंडल द्वारा नियत विवेकपूर्ण सीमाओं के भीतर कार्यपद्धति के अनुपालन के लिए जिम्मेदार है।
- ऋण प्रस्तावों के मानकों, वित्तीय प्रसंविदाओं, रेटिंग मानकों तथाबेंचमार्क के संबंध में मानक नीतियां तैयार करना।
- ऋण विभाग निर्धारित सीमाओं के भीतर पहचान, माप, देखरेख तथाऋण जोखिम नियंत्रण संबंधी कार्य देखता है।
- ऋण जोखिम प्रबंधन विभाग ऋण जोखिम नीति के तहत परिभाषित पद्धतियों के अनुसार तिमाही आधार पर पोर्टफोलियो विश्लेषण करता है।
- बोर्ड/नियामकों आदि द्वारा तैयार किये गये जोखिम पैरामीटर्स तथाविवेकपूर्ण सीमाओं को लागू करना तथा उनका अनुपालन सुनिश्चितकरना।
- जोखिम मूल्यांकन प्रणालियों को तैयार करना, एम आई एस कोविकसित करना और ऋण संविभाग की गुणवत्ता की देख-रेख,समस्याओं की पहचान, कमियों में सुधार करना।

under :

Credit Risk Philosophy:

- To Optimise the Credit and return envisaged in order that the Economic Value Addition to Shareholders is maximized and the interests of all the Stakeholders are protected alongside ensuring corporate growth and prosperity with safety of bank's resources.
- To regulate and streamline the financial resources of the bank in an orderly manner to enable the various channels to incline and achieve the common goal and objectives of the Bank.
- To comply with the national priorities in the matter of deployment of institutional finance to facilitate achieving planned growth in various productive sectors of the economy.
- To instill a sense of credit culture enterprise-wide and to assist the operating staff.
- To provide need-based and timely availability of credit to various borrower segments.
- To strengthen the credit management skills namely pre-sanction, post-sanction monitoring, supervision and follow-up measures so as to promote a healthy credit culture and maintain quality credit portfolio in the bank.
- To deal with credit proposals more effectively with quality assessment, speed and in full compliance with extant guidelines.
- To comply with various regulatory requirements, more particularly on Exposure norms, Priority Sector norms, Income Recognition and Asset Classification guidelines, Capital Adequacy, Credit Risk Management guidelines etc. of RBI/other Authorities.

Architecture and Systems of the Bank:

- A Sub-Committee of Directors has been constituted by the Board to specifically oversee and co-ordinate Risk Management functions in the bank.
- Credit Policy Committee has been set up to formulate and implement various credit risk strategy including lending policies and to monitor Bank's Risk Management function on a regular basis.
- The CRMC (Credit Risk Management Committee) is responsible for measuring, controlling and managing the credit risk on a bank-wide basis and to ensure compliance to functioning within the prudential limits set by the Board.
- Formulating of policies on standards for credit proposals, financial covenants, rating standards and benchmarks.
- Credit Department deal with identification, measurement, monitoring and controlling credit risk within the prescribed limits.
- Credit Risk Management department does the portfolio analysis on quarterly basis as per the defined methods under credit risk policy.
- Enforcement and compliance of the risk parameters and prudential limits set by the Board/regulator etc.,
- Laying down risk assessment systems, developing MIS, and monitoring quality of loan portfolio, identification of problems, correction of deficiencies.

- तैयार किए गए नियमों और दिशा निर्देशों की पूर्ण रूप से अनुपालनाके लिए ऋण सुपुर्दगी प्रणाली में सुधार लाना।

जोखिम रिर्पोटिंग और/अथवा आकलन पद्धति काक्षेत्र व प्रकृति

बैंक में ऋण एक्सपोजर के लिए कड़ी ऋण जोखिम रेटिंग प्रणाली विद्यमानहै। ऋण जोखिमों को कम करने के प्रभावी उपायों में किसी भी आस्तिविशेष में जोखिम की संभावनाओं का पता लगाना, स्वस्थ आस्ति गुणवत्ता कोबनाये रखना तथा इसके साथ ही बैंक की समग्र कार्यनीति और ऋणनीतिके अनुरूप अपेक्षित जोखिम रिटर्न पैरामीटर्स को पूरा करने के लिए आस्तियोंकी कीमत लगाने में लचीलापन रखना शामिल है।हालांकि बैंक कीएक अलग ऋण जोखिम नीति है,जहां पोर्टफोलियो ऋण जोखिम आधार परिभाषित तरीकों पर त्रैमासिक अंतराल पर विश्लेषण किया जाता है।

ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण

ख) कुल सकल जोखिम एक्सपोजर

विवरण	राशि (करोड़ रू. में) 31.03.2019
निधि आधारित एक्सपोजर	3644.73
गैर निधीतर आधारित एक्सपोजर	143.66
कुल सकल ऋण एक्सपोजर	3788.38

ग) एक्सपोजरों का भौगोलिक वितरण:

एक्सपोजर	राशि (करोड़ रू. में)	
	निधि आधारित एक्सपोजर	निधीतर आधारित एक्सपोजर
घरेलू परिचालन	3644.73	143.66
ओवरसीज परिचालन	....	....
कुल	3644.73	143.66

- Improving credit delivery system upon full compliance of laid down norms and guidelines.

The Scope and Nature of Risk Reporting and/or Measurement System:

The Bank has in place a robust credit risk rating system for its credit exposures. An effective way to mitigate credit risks is to identify potential risks in a particular asset, maintain a healthy asset quality and at the same time impart flexibility in pricing assets to meet the required risk-return parameters as per the bank's overall strategy and credit policy.However Bank has a separate Credit Risk Policy where portfolio credit risk is analysed on quarterly interval on the basis defined methods.

(ii) Quantitative Disclosures

(b) Total Gross Credit Risk Exposure

Particulars	Amount (Rs. in Crores)
Fund Based Exposures	3644.73
Non-fund Based Exposures	143.66
Total Gross Credit Exposures	3788.38

(c) Geographic Distribution of Exposures:

Exposures	Amount (Rs. in Crores)	
	Fund Based Exposures	Non-fund Based Exposures
Domestic operations	3644.73	143.66
Overseas operations	....	....
Total	3644.73	143.66

घ) एक्सपोजरों का उद्योग के प्रकार के अनुसार वितरण:

(d) Industry Type Distribution of Exposures

क्र.सं. S.No.	उद्योग / Industry		निधि आधारित(अवशेष) Fund Based (O/s)	गैर निधि आस्तियां(अवशेष) Non Fund Based (O/S)	कुल Total
क	**खान एवं खनन**	**Minning and Quarrying**	**45.96**	**0.20**	**46.16**
क.1	कोयला	Coal	0.00	0.00	0.00
क.2	अन्य	Other	45.96	0.20	46.16
ख	**फूड प्रोसेसिंग**	**Food Processing**	**108.28**	**4.74**	**113.02**
ख.1	चीनी	Sugar	49.62	3.37	52.99
ख.2	खाने का तेल और वनस्पति	Edible Oils and Vanaspati	29.47	0.00	29.47
ख.3	चाय	Tea	0.44	0.00	0.44
ख.4	काफी	Coffee	0.00	0.00	0.00
ख.5	अन्य	Others	28.76	1.37	30.13
ग	**पेय पदार्थ**	**Beverages**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
ग.1	तम्बाकू व तम्बाकू उत्पाद	Tobacco and Tobacco Products	0.00	0.00	0.00
ग.2	अन्य	Others	0.00	0.00	0.00
घ	**टैक्सटाईल**	**Textiles**	**68.62**	**1.88**	**70.50**

क्रं.सं. S.No.	उद्योग / Industry		निधि आधारित(अवशेष) Fund Based (O/s)	गैर निधि आस्तियां(अवशेष) Non Fund Based (O/S)	कुल Total
घ.1	सूती टैक्सटाईल	Cotton Textile	1.97	0.07	2.04
घ.2	जूट टैक्सटाईल	Jute Textile	0.00	0.00	0.00
घ.3	हैन्डीक्राफ्ट/खादी	Handicraft/Khadi	53.82	1.56	55.38
घ.4	सल्क	Silk	0.00	0.00	0.00
घ.5	ऊनी	Woollen	0.00	0.00	0.00
घ.6	अन्य	Others	12.83	0.25	13.07
	टैक्सटाईल में से स्पिनिंग मिलों को	Out of D to Spinning Mills	0.00	0.00	0.00
ङ	चमड़ा और चमड़े के उत्पाद	Leather and Leather Products	0.78	0.14	0.91
च	लकड़ी और लकड़ी के उत्पाद	Wood and Wood Products	2.98	0.00	2.98
छ	कागज और कागज के उत्पाद	Paper and Paper Products	32.45	0.04	32.49
ज	पैट्रोलियम	Petroleum	41.63	0.00	41.63
झ	कैमिकल और कैमिकल उत्पाद	Chemicals and Chemical Products	25.30	0.61	25.91
झ.1	फर्टिलाईजर	Fertilizers	0.50	0.00	0.50
झ.2	दवाई एवं फार्मास्यूटिकल्स	Drugs and Pharmaceuticals	16.28	0.00	16.29
झ.3	पैट्रो –कैमिकल्स	Petro-Chemicals	0.00	0.00	0.00
झ.4	अन्य	Other	8.51	0.61	9.12
ञ	रबड़ प्लास्टिक और उनके उत्पाद	Rubber Plastic and their Products	63.27	0.00	63.27
ट	कांच एवं कांच के उत्पाद	Glass and Glassware	8.90	0.00	8.90
ठ	सीमेंट और सीमेंट के उत्पाद	Cement and Cement Products	7.95	0.32	8.27
ड	मूलभूत धातु एवं धातु उत्पाद	Basic Metal and Metal Products	43.78	0.14	43.92
ड.1	लोहा एवं इस्पात	Iron and Steel	37.33	0.13	37.46
ड.2	अन्य धातु एवं धातु उत्पाद	Other Metal and Metal Products	6.45	0.01	6.46
ढ	सभी इन्जीनियरिंग	All Engineering	104.45	10.08	114.53
ढ.1	इलैक्ट्रोनिक्स	Electronics	1.62	0.00	1.62
ढ.2	अन्य इन्जीनियरिंग	Other Engg	102.83	10.08	112.91
ण	वाहन, वाहन के पुर्जे और ट्रांसपोर्ट इक्विपमैंट	Vehicle, vehicle parts and Transport Equipments	52.08	0.01	52.08
त	रत्न एवं आभूषण	Gems and Jewellery	0.00	0.00	0.00
थ	निर्माण	Construction	46.42	8.77	55.19
द	आधारभूत सुविधाएं	Infrastructure	95.85	4.62	100.47
द.1	ट्रांसपोर्ट	Transport	91.39	1.67	93.06
द.1.1	रेलवे	Railways	0.00	0.00	0.00
द.1.2	रोडवेज	Roadways	16.09	0.00	16.09
दण1ण3	एविएशन	Aviation	0.00	0.00	0.00
द.1.4	वाटरवेज	Waterways	0.00	0.00	0.00

क्र.सं. S.No.	उद्योग / Industry		निधि आधारित(अवशेष) Fund Based (O/s)	गैर निधि आस्तियां(अवशेष) Non Fund Based (O/S)	कुल Total
द.1.5	अन्य ट्रांसपोर्ट	Others Transport	75.30	1.67	76.97
द.2	ऊर्जा	Energy	0.00	0.00	0.00
द.2.1	विद्युत उत्पादन–ट्रांस–संवितरण	Electricity gen-trans-distribution	0.00	0.00	0.00
द.2.1.1	जिसमें से राज्य बिजली बोर्ड	Of which state electricity board	0.00	0.00	0.00
द.2.2	तेल	Oil	0.00	0.00	0.00
द.2.3	गैस/एल.एन.जी.(भण्डारण एवं पाइपलाईन)	Gas/LNG(Storage and Pipeline)	0.00	0.00	0.00
द.2.4	अन्य	Other	0.00	0.00	0.00
द.3	संचार	Telecommunication	0.00	0.04	0.04
द.4	अन्य	Others	4.46	2.90	7.37
द.4.1	वाटर सेनिटेशन	Water Sanitation	0.00	0.00	0.00
द.4.2	आधारभूत सामाजिक एवं वाणिज्यिक सुविधाए	Social and Commercial Infrastructure	4.28	2.90	7.19
द.4.3	अन्य	Others	0.18	0.00	0.18
ध	अन्य उद्योग	Other Industries	54.19	5.84	60.03
	समस्त उद्योग (सकल)	ALL INDUSTRIES(Total)	802.86	37.38	840.24
	अवशिष्ट अन्य अग्रिम	Residuary other advances	2841.86	106.28	2948.14
न.1	शिक्षा ऋण	Education Loan	17.28	0.00	17.28
न.2	विमानन क्षेत्र	Aviation sector	0.00	0.00	0.00
न.3	अन्य अवशिष्ट अग्रिम	Other residuary Advances	2824.58	106.28	2930.86
	कुल ऋण और अग्रिम	Total Loan & Advances	3644.73	143.66	3788.39

उद्योगों को उस ऋण एक्सपोजर जहां बकाया एक्सपोजर बैंक के समग्र सकल ऋण एक्सपोजर के 5 प्रतिशत से अधिक है का विवरणनिम्नानुसार है:

Credit Exposure of industries where outstanding exposure is more than 5% of the Total Gross Credit Exposure of the Bank is as follows:

क्र. सं. S.No.	उद्योग Industry	कुल एक्सपोजर (रुपये करोड़ में) Total Exposure/ (O/s bal.) (in Crores)	कुल ऋण एक्सपोजर का प्रतिशत % of Total Gross Credit Exposure
	शून्य / NIL		

ङ) परिसम्पत्तियों का अवशिष्ट संविदागत परिपक्वता विश्लेषण:

(e) Residual maturity breakdown of assets

राशि (करोड़ रू. में)

	भा.रि.बैं. के पास नकदी एवं शेष Cash & Balances with RBI	अन्य बैंकों के पास शेष तथा मांग एवं अल्प सूचना पर देय राशि Balances with other Banks & Money at call & short notice	निवेश Investments	अग्रिम Advances	स्थिर आस्तियां Fixed Assets	अन्य Other Assets	जोड़ Total
1 दिन / Day	117.68	240.54	0.00	111.69	0.00	56.24	526.15
2..7 दिन/ Day	12.97	20.00	0.00	109.10	0.00	11.29	153.36
8..14दिन / Day	8.59	100.00	0.00	112.99	0.00	0.73	222.31
15.30दिन/ Day	6.99	40.00	197.54	252.07	0.00	1.24	497.84
31.दिन 2 महीने 31 Day 2 Month	9.81	31.00	240.02	123.02	0.00	16.41	420.26
2.3 महीने/Month	16.83	147.00	162.45	119.04	0.00	16.41	461.73

	भा.रि.बैं. के पास नकदी एवं शेष Cash & Balances with RBI	अन्य बैंकों के पास शेष तथा मांग एवं अल्प सूचना पर देय राशि Balances with other Banks & Money at call & short notice	निवेश Investments	अग्रिम Advances	स्थिर आस्तियां Fixed Assets	अन्य Other Assets	जोड़ Total
3.6 महीने / Month	47.72	647.00	33.46	60.05	0.00	72.02	860.25
6.12 महीने / Month	80.25	1137.02	98.12	96.14	0.00	1.63	1413.16
1.3 वर्ष / Year	108.59	50.09	85.47	1751.91	0.00	0.67	1996.73
3.5 वर्ष / Year	2.58	0.00	115.30	387.15	0.00	8.39	513.42
5 वर्ष से अधिक over 5 Year	1.13	0.00	601.17	392.57	32.71	8.96	1036.54
जोड़ / Total	413.13	2412.65	1533.53	3515.73	32.71	193.99	8101.75

क्र.सं. S.No.	Asset Category / आस्ति श्रेणी		Amount / जोड़ (Rs. in Crores) /(रु.करोड़ में)
च)	एनपीए (सकल)ʹ :	NPAs (Gross)*:	388.22
	अवमानक	Substandard	237.61
	संदिग्ध 1	Doubtful 1	35.72
	संदिग्ध 2	Doubtful 2	70.01
	संदिग्ध 3	Doubtful 3	28.39
	हानिकर	Loss	16.49
छ)	शुद्ध एनपीए	Net NPAs	199.52
ज)	एनपीए अनुपात	NPA Ratios	-
	सकल अग्रिमों में सकल एनपीए	Gross NPAs to gross advances (%)	10.65%
	निवल अग्रिम में निवल एनपीए	Net NPAs to net advances (%)	5.77%
झ)	एनपीए (सकल) में उतार–चढ़ाव	Movement of NPA(Gross)	-
	प्रारंभिक शेष	Opening balance	167.47
	वृद्धि	Additions	252.92
	कमी	Reductions	32.18
	अन्तिम शेष	Closing balance	388.22
ञ)	एनपीए के लिए प्रावधान में उतार– चढ़ाव	Movement of provisions for NPAs	-
	प्रारंभिक शेष	Opening balance	68.84
	वर्ष के दोरान किया गया प्रावधान	Provisions made during the period	52.67
	बट्टे खाते	Write offs	0.96
	अतिरिक्त प्रावधानों को निकाल देना	Write back of excess provisions	5.56
	प्रावधानों के बीच अन्तरणों सहित कोई अन्य समायोजन	Any other adjustments, including transfers between provisions	-
	अन्तिम शेष	Closing balance	114.98

क्र.सं. S.No.	Asset Category / आस्ति श्रेणी				Amount / जोड़ (Rs. in Crores) /(रु.करोड़ में)
आय विवरण में सीधे बुक किये गये राइट–आफ Write-offs that have been booked directly to the income statement					0.00
आय विवरण में सीधे बुक किये गयी वसूलियां Recoveries that have been booked directly to the income statement					0.27
ट)	गैर निष्पादक निवेश की राशि		Amount of Non-Performing Investments		0.00
ठ)	गैर निष्पादक निवेश के लिए किये गयेप्रावधान की राशि		Amount of provisions held for non-performing investment		0.00
ड)	निवेश पर मूल्यह्रास हेतु प्रावधानों मेंउतार–चढ़ाव		Movement of provisions for depreciation on investments		
	प्रारंभिक शेष		Opening balance		5.37
	अवधि के दौरान किया गया प्रावधान		Provisions made during the period		5.61
	बट्टे खाते		Write-off		0.00
	अतिरिक्त प्रावधानों को निकाल देना		Write back of excess provisions		0.00
	अन्तिम शेष		Closing balance		10.98
ढ)	मुख्य उद्योग द्वारा या प्रतिपक्षकार प्रकार		By major industry or counter type		
		एनपीए राशि		Amount of NPAs	प्रावधान / Provision
	5 शीर्ष उद्योग	154.59	Top 5 Industries	154.59	31.69
ण)	भौगोलिक क्षेत्रवार विश्लेषण	सकल एनपीए	Geographic-wise breakup	Gross NPA	प्रावधान / Provision
	घरेलू	388.22	Domestic	388.22	174.70

सारणी डीएफ–4 : ऋण जोखिमः मानकीकृत दृष्टिकोणके अधीन संविभागों के लिए प्रकटीकरण

प) गुणात्मक प्रकटीकरणः

क) मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन संविभागों के लिएः

बैंक ने निम्नलिखित ऋण पात्रता एजेन्सियों को ऋण पात्रता निर्धारणऔर मानकीकृत दृष्टिकोण के आधीन पूंजी प्रभाग की गणना के लिए औरजोखिम भार निधारित करने के लिए निम्नलिखित ऋण पात्रता निर्धारणसमितियों को स्वीकार किया है–

घरेलू ऋण पात्रता निर्धारण समितियां–

- क्रेडिट एनालिसेज एण्ड रिसर्च लिमिटेड (केयर)
- क्रिसिल लिमिटेड
- इकरा लिमिटेड
- इण्डिया रेटिंग(पूर्व में फिच इण्डिया)
- ब्रिक वर्क
- एसएमईआरए

एक्सपोजरों के प्रकार जिनके लिए प्रत्येक एजेन्सी का उपयोग किया गया :

उपरोक्त सभी एजेन्सियों को सभी प्रकार के एक्सपोजर के पात्रता निर्धारणके लिए स्वीकार किया है।

सार्वजनिक निर्गम पात्रता निर्धारणों को बैंकिंग बही में तुलनीय परिसंपत्तियों पर अंतरित करने हेतु प्रयुक्त प्रकिया का वर्णनः

Table DF-4: Credit Risk Disclosures for portfolios subject to Standardised Approach

(i) Qualitative Disclosures

(a) For portfolios under the Standardised Approach:

The Bank has recognized following credit rating agencies for the purpose of rating of an exposure & assigning risk weights for computation of capital charge under standardized approach.

Domestic credit rating agencies:

- Credit Analysis & Research Limited (CARE),
- CRISIL Limited,
- ICRA Limited,
- India Ratings (Formerly FITCH India)
- Brickwork
- SMERA

Types of exposure for which each agency is used:

All the above agencies are recognized for rating all types of exposures.

A description of the process used to transfer public issue ratings onto comparable assets in the banking books:

- बैंक उन आस्तियों जिनकी परिपक्वता अवधि 1 वर्ष तक है लघुअवधि की पात्रता निर्धारण तथा उन आस्तियों के लिए जिनकी परिपक्वता 1 वर्ष के बाद है दीर्घ अवधि की ऋण पात्रता निर्धारण भा.रि.बैं.द्वारा अनुमोदित बाह्य ऋण पात्रता निर्धारण एजेन्सियों की रेटिंग कोस्वीकार करता है।
- बैंक ने एक ऋण पात्रता निर्धारण एजेन्सी की एक एक्सपोजर केलिए ऋण पात्रता निर्धारण और दूसरी ऋण पात्रता निर्धारण एजेन्सीकी दूसरे एक्सपोजर उसी काउन्टर पार्टी के दूसरे एक्सपोजर कोतब तक स्वीकार नहीं किया है जब तक कि दिए गए एक्सपोजर केलिए एक ऋण पात्रता निर्धारण न उपलब्ध हो।
- रु. 50 करोड़ से अधिक की राशि बाह्य रेटिगं के अधीन है।
- बैंक ने अनुमोदित ऋण पात्रता निर्धारण एजेन्सियों से केवल मांगीगई निर्धारित दर को स्वीकार किया है।

ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण :

ख) मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन जोखिम कम करने के बादएक्सपोजर की राशियों के लिए, निम्नलिखित तीन प्रमुख जोखिमसमूंहों में बैंक की बकाया (पात्रता निर्धारण किए तथा पात्रतानिर्धारण न किए) राशि तथा वे जिनकी कटौती की गयी है :

एक्सपोजर की राशि जिसमें गैर निधि आधारित भी सम्मिलित है मानकीकृतदृष्टिकोण (दर निर्धारित या बिना दर निर्धारित) के आधीन जोखिम न्यूनीकरणके बाद तीन बड़े जोखिम समूहों में निम्नानुसार है :

राशि (करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	विवरण	निधि आधारित 31.03.2019	निधीतर आधारित 31.03.2019
1	100%जोखिम भार से कम	1777.96	0.00
2	100%जोखिम भार	1062.37	94.31
3	100%जोखिम भार से अधिक	403.68	0.00
4	कुल सीआरएम कटौती	400.72	49.35
5	कुल एक्सपोजर	3644.73	143.66

सारणी डीएफ–5 : ऋण जोखिम कम करना : मानकीकृतदृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण

i) गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक के निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित संपार्श्विक नीति है : जिसमें प्रभावपूर्ण संपार्श्विक प्रबंधन के लिए उचित प्रबन्धन सूचना व्यवस्थासम्मिलित है, निहित है। संपार्श्विक प्रतिभूतियों और गारन्टियों को उचिततरीके से लिया गया और निम्नलिखित के लिए नियोजित किया गया है:–

- अपेक्षित नकदी प्रवाह की अपर्याप्तता होने अथवा न होने केकारण/ऋण सुविधा में उधारकर्ता की चूक होने पर पुनर्भुगतान केगौण स्रोत को उपलब्ध कराके जोखिम को कम करना;
- चूक होने पर पुनर्भुगतान के स्रोत पर नियन्त्रण प्राप्त करना;
- उधारकर्ता की भुगतान क्षमता के क्षरण पर पहले ही चेतावनी देना;
- जोखिम भारित आस्तियों को समक्ष रखना ओर बचे हुए जोखिमों मेंपर्याप्त रुप से कमी लाना।

बैंक अपने एक्सपोजरों में ऋण जोखिमों को कम करने के लिये अनेकतकनीकों का उपयोग कर रहा है। बैंक की संपार्श्विक प्रबंधन प्रक्रिया औरबैंक का व्यवहार समूचे कार्यकलापों जिनमें संपार्श्विक मूल्यों की सुरक्षाऔर संरक्षण, संपार्श्विकों और गारंटियों की वैधता ओर मूल्यांकन/आवधिकनिरीक्षण सम्मिलित है को आवेष्टित करती है।

- Bank has used short term ratings for assets with maturity up to one year and long term ratings for assets maturing after one year as accorded by the approved external credit rating agencies.
- Bank has not used one rating of a CRA (Credit Rating Agency) for one exposure and another CRA's rating for another exposure on the same counterparty unless only one rating is available for given exposure.
- Amount above Rs. 50 Crores are subject to external rating.
- Bank has used only solicited rating from the recognized CRAs.

(ii) Quantitative Disclosures

(b) Amount of the Bank's Exposures- Gross Advances (Rated & Unrated) in Major Risk Buckets -under Standardized Approach, after factoring Risk Mitigants (i.e. Collaterals):

The amount of exposure including non-fund based after risk mitigation subject to Standardized Approach (rated and unrated) in the following three major risk buckets are as under :

Amount(Rs. in Crores)

S.No.	Particulars	Fund Based 31.03.2019	Non –Fund Based 31.03.2019
1	Below 100 % risk weight	1777.96	0.00
2	100 % risk weight	1062.37	94.31
3	More than 100 % risk weight	403.68	0.00
4	CRM Deducted	400.72	49.35
5	Total Exposure	3644.73	143.66

Table Df-5: Credit Risk Mitigation: Disclosures for Standardized Approaches

(i) Qualitative Disclosures

Policies and processes for collateral valuation and management: The Bank is having a Board approved collateral management policy which lays down the process, objectives, accepted types of collaterals and the framework including suitable management information system for effective collateral management ,The Collaterals and guarantees properly taken and managed that would serve to:

- mitigate the risk by providing secondary source of repayment in the event of borrower's default on a credit facility due to inadequacy in expected cash flow or not;
- gain control on the source of repayment in the event of default;
- provide early warning of a borrower's deteriorating repayment ability; and
- Optimize risk weighted assets and to address Residual Risks adequately.

Bank uses a number of techniques to mitigate the credit risks to which it is exposed. Collateral Management process and practices of the Bank cover the entire activities comprising security and protection of collateral value, validity of collaterals and guarantees, and valuation /periodical inspection.

मूल्यांकन :

बैंक द्वारा दिये गये ऋणों की सुरक्षा के लिये प्राप्त की गई आस्तियां बैंक केपैनल में रखे गये वैल्यूअर्स द्वारा किये गये मूल्यांकन के आधीन हैं। खातोंकी मौद्रिक सीमाएं, उधारकर्ता की आस्तियों का वर्गीकरण जो मूल्यांकन केआधीन है, मूल्यांकन की आवधिकता बैंक की नीति दिशा निर्देश (पालिसीगाइडलाइन्स) में दिये गए हैं।

बैंक द्वारा ली गई संपार्श्विक के मुख्य प्रकारों का वर्णन

जोखिम के न्यूनीकरण के लिए बैंक द्वारा समान्यतः प्रयोग में लाई गईसंपार्श्विक आस्तियाँ:

1. स्टॉक, चल मशीनरी इत्यादि जैसी चल आस्तियाँ।
2. भूमि, भवन, प्लांट तथा मशीनरी जैसी अचल आस्तियाँ।
3. बैंक की स्वाधिकृत जमाराशियाँ।
4. राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र, इंदिरा विकास पत्र, किसान विकास पत्र,सरकार एवं भा.रि.बै. द्वारा जारी बाण्ड, एलआइसी पॉलिसियाँ इत्यादि।
5. गैर निधि आधारित सुविधाओं के सापेक्ष नकदी मार्जिन।
6. स्वर्ण आभूषण।
7. अनुमोदित सूची के अनुसार शेयर।

बैंक को प्रभारित प्रतिभूतियों के मूल्यांकन के सम्बन्ध में बैंक ने सुस्पष्ट नीतितैयार की है। बैंक ने ऊपर क्रम संख्या 3 से 6 पर उल्लिखित प्रतिभूतियोंको ऋण जोखिम कमी कारक के रूप में लिया है।

गांरटीकर्ता काउंटर पार्टी के मुख्य प्रकार और उनकीविश्वसनीयताः

बैंक के ऋण जोखिम के विरूद्ध गारंटरों के प्रमुख प्रकार निम्नानुसार है :

- वैयक्तिक (व्यक्तिगत गारंटिया)
- कार्पोरेट्स
- केन्द्रीय सरकार
- राज्य सरकार
- सीजीटीएमएसई

सीआरएम संपार्श्विक प्रतिभूति प्रमुखतः बैंक की स्वयं की जमा राशियों,सरकारी प्रतिभूतियों और एलआईसी पॉलिसियों के सापेक्ष ऋणों में उपलब्ध हैं।

सीआरएम प्रतिभूतियां, गैर निधि आधारित सुविधाओं जैसे गारंटियों औरऋण-पत्रों में भी ली जाती हैं।

नई पूंजी की पर्याप्तता की रुपरेखा के अन्तर्गत पूंजी की आवश्यकताकम करने के लिए बैंक द्वारा अपनाए गए ऋण जोखिम कम करनेवाले उपायः

बैंक ने नई पूंजी की पर्याप्तता की रुपरेखा के अन्तर्गत पूंजी की आवश्यकताकम करने के लिए नकदी, बैंक की निजी जमाराशि, स्वर्ण और सोने केजेवर को स्वीकार किया।

Valuation:

Assets obtained to secure the loans granted by the Bank are subjected to valuation by valuers empanelled by the Bank. Monetary limits of the accounts, asset classification of the borrower, which is to be subjected to valuation, periodicity of valuation, are prescribed in the Banks' policy guidelines. Bank reviews the guidelines on valuation periodically.

Description of the main types of collateral taken by the Bank:

The collateral commonly used by the Bank as risk mitigants comprises of

1. Moveable assets like stocks, moveable machinery etc.
2. Immoveable assets like land, building, plant & machinery.
3. Bank's own deposits
4. NSCs, IVPs, KVPs, Govt. Bonds, RBI Bonds, LIC policies, etc.
5. Cash Margin against Non-fund based facilities
6. Gold Jewellery
7. Shares as per approved list

The bank has well-laid out policy on valuation of securities charged to the bank. The Bank has applied securities mentioned at sr.no.3 to 6 above as Credit Risk Mitigants.

Main types of Guarantor counterparty and their creditworthiness:

The main types of guarantors against the credit risk of the bank are :

- Individuals (Personal guarantees)
- Corporate
- Central Government
- State Government
- CGTMSE

CRM collaterals are mostly available in Loans Against Bank's Own Deposit and Loans against Government Securities, LIC Policies/ Shares.

CRM securities are also taken in non fund based facilities like Guarantees and Letters of Credit.

Credit Risk Mitigation recognized by the Bank for the purpose of reducing capital requirement under New Capital Adequacy Framework

The Bank has recognized Cash, Bank's own Deposits, Gold & Gold Jewellery as Credit Risk Mitigations for the purpose of reducing capital requirement under the New Capital Adequacy Framework.

ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2019
(ख)	अलग से प्रकट किये गए प्रत्येक ऋण जोखिम पोर्टफोलियो के लिए कुल एक्सपोजर (जहां लागू हो वहां तुलन पत्र या तुलन पत्रेतर नेटिंग के बाद) जिसे हेयरकट लागू करने के बाद पात्र वित्तीय संपार्श्विक द्वारा किया गया हो।	450.08
(ग)	अलग से प्रकट किये गये प्रत्येक पोर्टफोलियो के लिएकुल एक्सपोजर (जहां लागू हो वहां तुलन पत्र यातुलन पत्रेतर नेटिंग के बाद) जो गारंटी/ऋण डेरिवेटिव(जहां भारतीय रिजर्व बैंक की विनिर्दिष्ट अनुमतिहो) द्वारा कवर हो।	....

सारणी डीएफ–6 : प्रतिभूतिकरण एक्सपोजरः मानकीकृत विधि के लिए प्रकटीकरण

i) गुणात्मक प्रकटीकरण

नीति संबंधी दिशा–निर्देश किसी प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर को ग्रहण नहीं करती।

ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण :

बैंकिंग बही

क्र.सं.	विवरण	31.03.2019
	शून्य	

ट्रेडिंग वही

क्र.सं.	विवरण	31.03.2019
	शून्य	

बैंक के पास 31.03.2019को प्रतिभूतिकृत आस्ति का कोई मामला नहीं है।

सारणी डीएफ–7 : ट्रेडिंग बही में बाजार जोखिमः

i) गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक, बाजार जोखिम को ऐसी संभाव्य हानि में वर्गीकृत करता है जो बाजारमूल्यों में प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण हो सकती है।

बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा–निर्देशों के अनुसार व्यवसाय संविभागपर बाजार जोखिम से संबंधित पूंजी प्रभार की गणना करने के लिएमानकीकृत अवधि दृष्टिकोण नामक एक समुचित पद्धति बनाई है। इसप्रकार आंकलित पूंजी प्रभार को जोखिम भारित आस्तियों में रूपांतरित कियागया है। ऋण जोखिम के लिए सकल जोखिम भारित आस्तियों, बाजारजोखिम और परिचालन जोखिम को सीआरएआर का निर्धारण करने के लिएहिसाब में लिया जाता है।

सम्बन्धित जोखिम प्रबन्धन के कार्य की संरचना और संगठनः बैंक की बाजारजोखिम प्रबन्धन संरचना निम्नानुसार है–

- निदेशक मण्डल
- निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी)
- एल्को समिति
- आंतरिक जोखिम प्रबंधन समिति
- निवेश समिति
- निवेश और जोखिम विभाग

(ii) Quantitative Disclosures AMOUNT (Rs. in Crores)

S.No.	PARTICULARS	31.03.2019
(b)	The total exposure (after, where applicable, on- or off balance sheet netting) that is covered by eligible financial collateral after the application of haircuts for each separately disclosed credit risk portfolio.	450.08
(c)	The total exposure (after, where applicable, on- or off balance sheet netting) that is covered by guarantees/credit derivatives (whenever specifically permitted by RBI) for each separately disclosed portfolio	....

Table DF-6: Securitization Exposures: Disclosures for Standardized Approach

(i) Qualitative disclosures

The policy guidelines do not undertake any securitization exposures.

(ii) Quantitative Disclosures

BANKING BOOK

S.No.	Particulars	31.03.2019
	NIL	

TRADING BOOK

S.No.	Particulars	31.03.2019
	NIL	

The bank does not have any case of its assets securitised as on 31.03.2019.

Table DF-7: Market Risk in Trading Book

(i) Qualitative Disclosures

The Bank defines market risk as potential loss that the Bank may incur due to adverse developments in market prices.

Bank has put in place a proper system for calculating capital charge on Market Risk on Trading Portfolio as per RBI Guidelines, viz., Standardised Duration Approach. The capital charge thus calculated is converted into Risk Weighted Assets. The aggregated Risk Weighted Assets for credit risk, market risk and operational risk are taken in to consideration for arriving at the CRAR.

The structure and organization of the relevant risk management function: The Market Risk Management Structure in the Bank is as under:

- Board of Directors
- Risk Management Committee of the Board (RMC)
- ALCO Committee
- Internal Risk Management Committee
- Investment Committee
- Investment and Risk Department

ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण :

क्र.सं.	विवरण	पूंजी की आवश्यकता की राशि (करोड़ रुपये में)
क	ब्याज दर जोखिम	33.77
ख	इक्विटी स्थिति पर जोखिम	0.00
ग	विदेशी मुद्रा जोखिम	....

सारणी डीएफ–8 : परिचालन जोखिम

i) गुणात्मक प्रकटीकरण

कार्य योजनाएं एवं प्रक्रियाएं:

बैंक की परिचालन जोखिम प्रबन्धन प्रक्रिया एक मजबूत संगठनात्मक संस्कृतिऔर मजबूत परिचालन प्रक्रिया, जिसमें कारपोरेट मूल्य, रवैया, सक्षमता,आंतरिक नियंत्रण संस्कृति, प्रभावी आंतरिक रिपोर्टिंग और अनिश्चित योजनासम्मिलित हैं द्वारा संचालित है। बैंक में परिचालन जोखिम के प्रभावी प्रबन्धनके लिए नीतियां बनाई गई है।

सम्बन्धित जोखिम प्रबन्धन कार्यों की संरचना और संगठन:

बैंक में परिचालन जोखिम प्रबन्धन संरचना निम्नानुसार है–

- निदेशक मण्डल
- जोखिम प्रबंधन बोर्ड समिति
- एल्को समिति
- जोखिम प्रबंधक
- परिचालन जोखिम प्रबंधन के लिए सहायता समूह

जोखिम रिपोर्टिंग और/या मापने की व्यवस्था का क्षेत्र और स्वभाव:

जोखिम रिपोर्टिंग में शाखा/कार्यालय में लोगों, प्रक्रिया, तकनीकी औरबाह्य घटनाओं से सम्बन्धित परिचालन जोखिम घाटे की घटनाएं सम्मिलितहै।

जोखिम को कम करने और/या से बचाव करने की नीति तथा कमकरने/बचाव करने वालों की सतत् प्रभावशीलता की निगरानी केलिए प्रक्रियाएं:

बैंक ने परिचालन जोखिम प्रबन्धन के लिए नीतियां बनाई है। नीति की रुपरेखा में परिचालन जोखिम प्रबन्धन जैसे– चिन्हीकरण, प्रबन्धन, परिचालनजोखिम क्षेत्रों की निगरानी और अल्पीकरण के विभिन्न पहलू निहित हैं।

कार्यकलापों की आउटसोर्सिंग में निहित जोखिम को कम करने के लिए बैंकने आउटसोर्सिंग जोखिम प्रबन्धन के लिए नीतियां बनाई हैं।

परिचालनगत जोखिम पूंजी का आकलन

बैंक ने परिचालन जोखिम हेतु पूंजी आवश्यकताओं का आकलन करने केलिये आधारमूल सूचक पद्यति अपनायी है।

ii) गुणात्मक प्रकटीकरण :

31.03.2019को परिचालन जोखिम के लिये पूंजी प्रभार रु. 33ण्92 करोड़का था जबकि 31.03.2019को परिचालन जोखिम आस्तियां रु. 424ण्06करोड़ की थीं।

सारणी डीएफ–9 : बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम(आइआरआरबीबी)

i) गुणात्मक प्रकटीकरण :

बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आइआरआरबीबी)

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है जहां बाजार ब्याज दर में परिवर्तनबैंक की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करता है। चूंकि बैंक का तुलन पत्रविभिन्न परिपक्वता/पुनः कीमत, करैन्सी, बाजार एवं बैंचमार्क दरों के प्रतिसंवेदनशील होता है और इन मानकों में कोईविपरीत घट–बढ़ बैंक कोब्याज दर जोखिम में डाल देती है। बैंक की बहियों में ब्याज दर जोखिमबैंक की आय पर (लघु अवधि का प्रभाव) और शुद्ध सम्पत्ति (दीर्घ अवधिप्रभाव) को दर्शाता है।ब्याज दर में विपरीत उतार–चढ़ाव के कारण इसकामापन मासिक आधार पर किया जाता है।

(ii) Quantitative Disclosures

S.No.	Particulars	Amount of capital requirement (Rs. in Crores)
(a)	Interest Rate Risk	33.77
(b)	Equity Position Risk	0.00
(c)	Foreign Exchange Risk	....

Table DF-8: Operational Risk

(i) Qualitative Disclosures

Strategies and processes

The Operational Risk Management process of the Bank is driven by a strong organizational culture and sound operating procedures, involving corporate values, attitudes, competencies, internal control culture, effective internal reporting and contingency planning. Policies are put in place for effective management of Operational Risk in the Bank.

The structure and organization of the relevant risk management function

The Operational Risk Management Structure in the Bank is as under:

- Board of Directors
- Risk Management Committee of Board
- ALCO Committee
- Risk Managers
- Support Group for Operational Risk Management

The scope and nature of risk reporting and/or measurement systems

The Risk reporting consists of operational risk loss incidents/events occurred in branches/offices relating to people, process, technology and external events.

Policies for hedging and/or mitigating risk and strategies and processes for monitoring the continuing effectiveness of hedges/mitigants

Bank has put in place policies for management of Operational Risk management. The policy framework contains various aspects of Operational risk management such as identification, management, monitoring & mitigation of Operational risk areas.

In order to address risks involved in Outsourcing of activities, bank has put in place policies for management of Outsourcing Risk.

Operational Risk capital assessment

The Bank has adopted Basic Indicator Approach for calculating capital charge for Operational Risk.

(ii) Quantitative Disclosures

Capital charge for operational Risk as on 31.03.2019 was Rs.33.92 Cr. and Risk Weighted Assets for Operational Risk as on 31.03.2019 was Rs.424.06 Cr.

Table DF-9: Interest Rate Risk in the Banking Book(IRRBB)

(i) Qualitative Disclosures

Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB)

Interest rate risk is the risk where changes in market interest rates affect a bank's financial position. As the bank holds rate sensitive on and off balance-sheets items of different maturity/repricing, currencies, markets and benchmark rates, and any adverse movement in these parameters exposes bank to interest rate risk. Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB) reveals the impact on bank's earnings (short-term impact) and net worth (long-term impact) due to adverse movement of interest rates and is measured on a monthly basis.

संगठनात्मक रुपरेखाः

बैंक की आस्ति देयता प्रबन्धन समिति (एल्को), निदेशक मण्डल/जोखिमप्रबन्धन समिति द्वारा स्थापित जोखिम सहनशीलता के अनुसार विकास, आयदर प्रबन्धन कार्ययोजना के कार्यान्वयन और प्रबन्धन के प्रति उत्तदायी है।

कार्ययोजना और प्रकियाएंः

बैंक उचित परिपक्वता मिलान के साथ अपनी उन आस्तियों और देयताओंकी कीमतों के मिलान के लिये प्रयास करता है जो अलग–अलग समयमें परिपक्व हो रही हैं या जिनकी पुनः कीमत लगायी जा रही है के लियेप्रयास करता है ताकि उनकी समय श्रेणी के अन्तर को कम किया जा सके।आस्तियों, देयताओं और तुलनपत्र के मदों जो दरों के प्रति संवेदनशील हैघरेलू स्थिति के ब्याज दर जोखिम को मापने और उसके प्रबन्धन केलिए बैंक पारंपरिक अन्तर (अल्पावधि) विश्लेषण और ड्यूरेशन गैप विश्लेषणदोनों को ग्रहण कर रहा है।

ब्याज दर जोखिम पुनः कीमत लगाने, प्राप्ति रेखा में परिवर्तन और आधारजोखिम के कारण उत्पन्न होता है। बैंक का लक्ष्य इन जोखिमों जोपरिपक्वता और पुनः कीमत लगाने के गलत मिलान की वजह से उत्पन्नहोते हैं को आय और आर्थिक मूल्य के परिपेक्ष में निम्नलिखित तरकीबों काप्रयोग करते हुए रोकना है।

1. **अंतर विश्लेषणः** ब्याज दर जोखिम को मापने का मूलभूत हथियारब्याज दर संवेदनशीलता विवरणी को दरों के प्रति संवेदनशीलआस्तियों और दरों के प्रति संवेदनशील दायित्वों और तुलनपत्र केअलग–अलग समय श्रेणी के विभिन्न मदों को समूहीकृत करके बचीहुई परिपक्वता के अनुसार या अगली पुनः कीमत लगाने जो पहले होविवरणी बनाना और शुद्ध अन्तर पर पहुंचना है।

   एक सकारात्मक या आस्ति संवेदनशील अंतर का मतलब है बाजारमें ब्याज दर में वृद्धि जिसके परिणाम स्वरुप शुद्ध ब्याज आय में वृद्धिहो। एक नकारात्मक या देयता के प्रति संवेदनशील अंतर यह सूचितकरता है कि बाजार ब्याज दरों में वृद्धि के परिणाम स्वरुप बैंक की शुद्ध ब्याज आय में कमी आ रही है।

2. **जोखिम से आयः** जोखिम से आय सूचित करती है कि क्या बैंकइस स्थिति में है कि वह सकारात्मक अंतर होने के कारण ब्याज दरमें वृद्धि से लाभ कमा सके या नकारात्मक अंतर होने के कारण ब्याजदर में कमी से लाभ कमा सके। ब्याज दर में समानान्तर शिफ्ट के कारण आय पर पुनःकीमत लगाने के जोखिम का प्रभाव का विभिन्नदर समूहों पर आकलन किया जाता है।

3. **इक्विटी का बाजार मूल्यः** बदलती हुई ब्याज दर का दीर्घ अवधिप्रभाव बैंक की इक्विटी के बाजार मूल्य या शुद्ध सम्पत्ति (नेट वर्थ)पर होता है क्योंकि बैंक की आस्तियों का आर्थिक मूल्य, देयताएं और तुलन पत्र की स्थिति बाजार ब्याज दरों में परिवर्तन के कारणप्रभावित होते हैं। समूचे बैंक में संवेदनशील परिस्थितियों में ब्याज दरमें परिवर्तन से निर्धारित रेट–शाक के परिणाम स्वरुप इक्विटी के बाजारमूल्य में आकलित कमी अवधि अन्तर विश्लेषण (डी.जी.ए.) द्वाराअनुमानित है।

ii) मात्रात्मक प्रकटीकरणः

आय जोखिम (परम्परागत अन्तर विश्लेषण) (लघु अवधि):

बैंक की शुद्ध ब्याज आय पर ब्याज दर में परिवर्तन के त्वरित प्रभाव काविश्लेषण इसके द्वारा किया जाता है। घरेलू परिचालन के लिये जोखिम सेआय का विश्लेषण विभिन्न परिदृश्यों के अन्तर्गत निम्नानुसार किया जाताहै।

- प्राप्ति रेखा (कर्व) जोखिमः आस्ति और देयताओं के लिये 1 प्रतिशतका समानान्तर परिवर्तन (शिफ्ट) मान लिया गया है।
- आस्तियों के लिये समूहवार विभिन्न प्राप्ति परिवर्तनों को मान लियागया है और यही बात देयताओं के लिये भी लागू होती है।

Organizational Framework

Asset Liability Management Committee (ALCO) of the Bank is responsible for developing, implementing and managing interest rate risk management strategy as per the risk tolerance established by the Board of Directors/Risk Management Committee.

Strategies and Processes

The Bank strives to match the price of its assets and liabilities coupled with proper maturity matching in-order to reduce the gap in different time buckets which are maturing or getting repriced. For measurement and management of interest rate risk, Bank adopts both the Traditional Gap Analysis (TGA) and the Duration Gap Analysis (DGA) to its domestic position of assets, liabilities and off-balance sheet items, which are rate sensitive.

The interest rate risk arises on account of re-pricing, yield curve change, basis risk. The Bank aims at capturing these risks arising from the maturity and re-pricing mismatches both from earnings perspective and economic value perspective using techniques viz.,

1. **Gap Analysis :** The basic tool for measuring interest rate risk is preparation of Interest Rate Sensitivity Statement (IRS) by grouping various items of Rate Sensitive Assets (RSA) and Rate Sensitive Liabilities (RSL) and off balance-sheet items into different time buckets according to the residual maturity or next re-pricing, whichever is earlier and arriving at the net gap (i.e., RSA - RSL).

   A positive or asset sensitive Gap means that an increase in market interest rates result in an increase in NII. Conversely, a negative or liability sensitive Gap implies that the Bank's NII could decline as a result of increase in market interest rates.

2. **Earnings at Risk (EaR):** Earnings at Risk (EaR) indicates whether the bank is in a position to benefit by the rise in interest rate by having positive gap or benefits by fall in interest rate by having a negative gap. The impact of repricing risk on the earnings due to the parallel shift in interest rate is assessed for different rate shocks. Impact on the earnings is also estimated for yield curve change and basis risk.

3. **Market Value of Equity (MVE):** A long-term impact of changing interest rates is on bank's Market Value of Equity (MVE) or Net-worth as the economic value of bank's assets, liabilities and off balance sheet positions get affected due to variation in market interest rates. The estimated drop in the Market Value of Equity (MVE) as a result of prescribed rate shock is estimated by the Duration Gap Analysis (DGA) arising from changes in the value of interest rate sensitive positions across the whole Bank.

(ii) Quantitative Disclosures

Earning at Risk (Traditional Gap Analysis) (Short Term):

The immediate impact of the changes in the interest rates on net interest income of the bank is analyzed under this approach. The Earning at Risk is analyzed under different scenarios for domestic operations as under:

- Yield curve risk: A parallel shift of 1% is assumed for assets as well as liabilities.
- Bucket wise different yield changes are assumed for the assets and the same are applied to the liabilities as well.

(रू. करोड़ में)

आय पर जोखिम	–100बीपीएस	100बीपीएस
	–8.13	8.13

इक्विटी का आर्थिक मूल्य (अवधि अन्तर विश्लेषण)(दीर्घ अवधि)

- इक्विटी का आर्थिक मूल्य आस्तियों और देयताओं की सशोंधित अवधिकी गणना करके किया गया है ताकि इक्विटी की सशोंधित अवधितक पहचुं जा सके घरलू परिचालन के लिये इक्विटी के आर्थिकमूल्य पर प्रभाव की समीक्षा 200 बीपीएस रटे शॉक के लिये अवधिअन्तर विश्लेषण विधि के माध्यम से मासिक आधार पर की जाती है।

(रू. करोड़ में)

इक्विटी के आर्थिक मूल्य में परिवर्तन	–200बीपीएस	200बीपीएस
	6.05%	(–) 6.05%

सारणी डीएफ–10: प्रतिपक्षकार ऋण जोखिम से संबंधितएक्सपोजरों के लिए सामान्य प्रकटीकरण

i) गुणात्मक प्रकटीकरण

प्रतिपक्षी ऋण जोखिम उसे कहा जाता है जिसमें प्रतिपक्षी नकदी प्रवाह केफाइनल निपटान से पहले अपना संव्यवहार पूरा कर लेता है। यह डेरीवेटिवतथा प्रतिभूति वित्तपोषण संव्यवहार के लिए जोखिम का प्रमुख स्रोत है। इसीप्रकार लोन के माध्यम से ऋण जोखिम के संबंध में बैंक का एक्सपोजर केसमान ही जहां ऋण जोखिम संबंधी एक्सपोजर एक पक्षीय है और इसमेंउधार देने वाला बैंक हानि–जोखिम का सामना करता है। प्रतिपक्षी ऋणजोखिम द्विपक्षीय है अर्थात संव्यवहार का बाजार मूल्य प्रतिपक्षी संव्यवहार सेइतर पाजीटिव या निगेटिव हो सकता है और बाजार घटकों के संचालन केसाथ ही भिन्न हो सकता है।

चूक के समय यदि संव्यवहार या प्रतिपक्षी के साथ संव्यवहार पोर्टफोलियोंमें सकारात्मक आर्थिक मूल्य परिलक्षित होते हैं तो आर्थिक हानि उठानीपड़ सकती है।

बैंक किसी पार्टी को डेरीवेटिव उत्पाद देने से पहले सुनिश्चित करता है किसभी गुणवत्ताओं–अर्थात् केवाईसी मानदंडों, संतुष्टिपूर्ण व्यवहारों, पार्टी कीऋण पात्रता का पालन किया जाए।

ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण

क्र.सं.	विवरण	कल्पित राशि	वर्तमान एक्सपोजर
		31.03.2019	31.03.2019
1.	विदेशी मुद्रा संविदाएं	....	....
2.	पारस्पिरिक मुद्रा ब्याज दर की अदला–बदली	....	....
3.	एकल मुद्रा ब्याज दर की अदला–बदली	....	....
4.	जोड़	....	....

(Rs. in Crores)

Earning at Risk	-100 bps	100 bps
	-8.13	8.13

Economic Value of Equity (Duration Gap Analysis) (Long term)

- Economic Value of Equity is done by calculating modified duration of assets and the liabilities to arrive at the modified duration of equity. Impact on the Economic Value of Equity is analyzed for a 200 bps rate shock at monthly intervals for domestic operations through Duration Gap Method.

(Rs. in Crores)

Change in Economic Value of Equity	-200 bps	200 bps
	6.05%	6.05%

Table DF-10: General Disclosures for exposures related to Counterparty Credit Risk

(i) Qualitative Disclosures

Counterparty Credit Risk is defined as the risk that the counterparty to a transaction could default before the final settlement of the transaction's cash flows and is the primary source of risk for derivatives and securities financing transactions. Unlike a Bank's exposure to credit risk through a loan, where the exposure to credit risk is unilateral and only the lending bank faces the risk of loss, the counterparty credit risk is bilateral in nature i.e. the market value of the transaction can be positive or negative to either counterparty to the transaction and varying over time with the movement of underlying market factors.

An economic loss would occur if the transactions or portfolio of transactions with the counterparty has a positive economic value at the time of default.

Banks ensures all the due diligence are to be adhered to viz. KYC norms, satisfactory dealing, credit worthiness of the party before extending any derivative products to the party.

(ii) Quantitative Disclosures

S.No.	Particulars	Notional Amount	Current Exposure
		31.03.2019	31.03.2019
1.	Foreign Exchange Contracts	....	....
2.	Cross Currency Interest rate Swaps	....	....
3.	Single Currency Interest Rate Swaps	....	....
4.	Total	....	....

सारणी डीएफ–11 : पूंजी की संरचना / Table DF-11: Composition of Capital

भाग–1– 31 मार्च, 2019 से प्रयोग के लिए तालिका / Part I: Template to be used only from March 31, 2019

बेसल–III– केवल 31 मार्च, 2019 से प्रयोग के लिए तालिका / Basel III common disclosure template to be used from March 31, 2019
सामान्य समता टियर 1 पूंजीः लिखत एवं आरक्षित निधियां / Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves

Amount (Rs. in Millions)

1.	सीधे जारी की गयी अर्हता प्राप्त सामान्य शेयर पूंजी और संबंधित स्टाक अधिशेश (शेयर प्रीमियम)	Directly issued qualifying common share capital plus related stock surplus (share premium)	1550.00	a=a1+ a2
2.	प्रतिधारित आय	Retained earnings		
3.	संचित अन्य व्यापक आय (और अन्य आरक्षित निधियां)	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	4745.54	
4.	सीईटी 1 से धीरे–धीरे समाप्त होने के आधीन सीधे जारी की गयी पूंजी (केवल गैर संयुक्त स्टाक कम्पनियों के लिए लागू)	Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies)		
5.	सहायक इकाइयों द्वारा जारी की गयी और तीसरे पक्ष (सीईटी 1 समूह में अनुमत राशि) द्वारा धारित सामान्य शेयर पूंजी	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)		
6.	विनियामक समायोजनों से पहले सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी	Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments	6295.54	
सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी : विनियामक समायोजन / Common Equity Tier 1 capital: regulatory adjustments				
7.	विवेकपूर्ण मूल्यांकन समायोजन	Prudential valuation adjustments		
8.	गुडविल (संबंधित कर देयता का निवल)	Goodwill (net of related tax liability)		
9.	अप्रत्यक्ष (शुद्ध संबंधित कर देयता)	Intangibles (net of related tax liability)		
10.	आस्थगित कर संपत्ति	Deferred tax assets		
11.	नकदी–प्रवाह बचाव रिजर्व	Cash-flow hedge reserve		
12.	अपेक्षित हानिं के लिए प्रावधानों की कमी	Shortfall of provisions to expected losses		
13.	विक्रय पर प्रतिभूतिकरण लाभ	Securitisation gain on sale		
14.	उचित मूल्य देयताओं पर निजी ऋण जोखिम में परिवर्तन के कारण लाभ और हांनि	Gains and losses due to changes in own credit risk on fair valued liabilities		
15.	परिभाषित–लाभ पेंशन कोष निवल संपत्ति	Defined-benefit pension fund net assets		
16.	निजी शेयर में निवेश (रिपोर्ट किए गए तुलन पत्र में यदि पहले से ही प्रदत्त पूंजी का समायोजन न किया गया हो)	Investments in own shares (if not already netted off paid-in capital on reported balance sheet)		
17.	सामान्य ईक्विटी में परस्पर क्रास–होल्डिंग	Reciprocal cross-holdings in common equity		
18.	बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाएं, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर है, के पूंजी में विशेष निवेश का पात्र शार्टपोजिशन निवल, जहां बैंक की जारी शेयर पूंजी 10% से अधिक नहीं है (10%की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि)	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued share capital (amount above 10% threshold)		
19.	बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाएं, जो विनियामक समेकनके दायरे से बाहर है, के सामान्य शेयर में महत्वपूर्ण निवेशका पात्र शार्टपोजिशन (10%की प्रारंभिक सीमा से अधिकराशि) निवल	Significant investments in the common stock of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions (amount above 10% threshold)		
20.	मोर्टगेज सर्विसिंग अधिकार (10%की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि)	Mortgage servicing rights (amount above 10% threshold)		

21.	अस्थायी भिन्नता से उत्पन्न आस्थगित कर संपत्ति (10%की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि, संबंधित कर देयता का निवल)	Deferred tax assets arising from temporary differences (amount above 10% threshold, net of related tax liability)		
22.	15%की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि	Amount exceeding the 15% threshold		
23.	जिनमें से: वित्तीय संस्थाओं के समान्य शेयर में महत्वपूर्ण निवेश	of which: significant investments in the common stock of financial entities		
24.	जिनमें से: मार्टगेज सर्विसिंग अधिकार	of which: mortgage servicing rights		
25.	जिनमें से: अस्थायी भिन्नता से उत्पन्न होने वाली आस्थगितकर आस्तियां	of which: deferred tax assets arising from temporary differences		
26.	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (26क + 26ख + 26ग+ 26घ)	National specific regulatory adjustments (26a+26b+26c+26d)		
26(क)	जिसमें से: असमेकित बीमा सहायक कंपनियों के ईक्विटी पूंजी में निवेश	of which: Investments in the equity capital of the unconsolidated insurance subsidiaries		
26(ख)	जिसमें से: असमेकित गैर–वित्तीय सहायक कंपनियों के ईक्विटी पूंजी में निवेश	of which: Investments in the equity capital of unconsolidated non-financial subsidiaries		
26(ग)	जिसमें से: बैंक के साथ गैर–समेकित प्रमुख निजी वित्तीय संस्थाओं के ईक्विटी पूंजी में कमी	of which: Shortfall in the equity capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank		
26(घ)	जिसमें से: अपरिषोधित पेंशन निधि व्यय	of which: Unamortised pension funds expenditures		
27.	अपर्याप्त अतिरिक्त टियर 1 और टियर 2 कटौती को कवर करने के लिए सामान्य ईक्विटी टियर 1 पर लागू विनियामकसमायोजन	Regulatory adjustments applied to Common Equity Tier 1 due to insufficient Additional Tier 1 and Tier 2 to cover deductions		
28.	सामान्य ईक्विटी टियर 1 में कुल विनियामक समायोजन	Total regulatory adjustments to Common equity Tier 1		
29.	सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी (सीईटी1)	Common Equity Tier 1 capital (CET1)	6295.54	
अतिरिक्त टियर 1 पूंजी: लिखत / Additional Tier 1 capital: instruments				
30.	सीधे जारी किए गए पात्र अतिरिक्त टियर 1 लिखत और संबंधित अधिशेष (शेयर प्रीमियम) (31 + 32)	Directly issued qualifying Additional Tier 1 instruments plus related stock surplus (31+32)		
31.	जिसमें से: लागू लेखांकन मानकों के अंतर्गत ईक्विटी के रुपमें वर्गीकृत (सतत गैर–संचयी अधिमानी शेयर)	of which: classified as equity under applicable accounting standards (Perpetual Non-Cumulative Preference Shares)		
32.	जिसमें से: लागू लेखांकन मानकों के अंतर्गत देयता के रुप में वर्गीकृत (सतत ऋण लिखत)	of which: classified as liabilities under applicable accounting standards (Perpetual debt Instruments)		
33.	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी से चरणबद्ध रुप से बाहर (फेज आउट) होने के आधीन सीधे जारी किए गए पूंजी लिखत	Directly issued capital instruments subject to phase out from Additional Tier 1		
34.	सहायक कंपनियों द्वारा जारी तथा तीसरे पक्ष द्वारा (एटी1 समूहमें अनुमत राशि तक) धारित अतिरिक्त टियर 1 लिखत (औरऽवीं पंक्ति में शामिल नहीं किए गए सीईटी1 लिखत)	Directly issued capital instruments subject to phase out from Additional Tier 1		
35.	जिसमें से: चरणबद्ध रुप से बाहर (फेज आउट) होने के आधीनसहायक कंपनियों द्वारा जारी किए गए लिखत	Additional Tier 1 instruments (and CET1 instruments not included in row 5) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group AT1)		
36.	विनियामक समायोजन करने से पूर्व अतिरिक्त टियर पूंजी 1	Additional Tier 1 capital before regulatory adjustments		
अतिरिक्त टियर 1 पूंजी: लिखत /Additional Tier 1 capital : regulatory adjustments				
37.	निजी अतिरिक्त टियर 1 लिखत में निवेश	Investments in own Additional Tier 1 instruments		
38.	अतिरिक्त टियर 1 लिखतों में पारस्परिक क्रास–होल्डिंग्स	Reciprocal cross-holdings in Additional Tier 1 instruments		

38.	अतिरिक्त टियर 1 लिखतों में पारस्परिक क्रास–होल्डिंग्स	Reciprocal cross-holdings in Additional Tier 1 instruments		
39.	बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाएं, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर है, के सामान्य शेयर में विशेष निवेश का पात्र शार्ट पोजिशन निवल, जहां बैंक का संस्था के जारी शेयर पूंजी (10:की प्रारम्भिक सीमा से अधिक राशि) के 10:से अधिक का स्वामित्व नहीं है।	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above 10% threshold)		
40.	बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाएं, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हैं, के सामान्य शेयर में महत्वपूर्ण निवेश का पात्र शार्टपोजिशन निवल।	Significant investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)		
41.	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन(41 क + 41 ख)	National specific regulatory adjustments (41a+41b)		
41. (क)	जिनमें से: गैर–समेकित बीमा सहायक कंपनियों के अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में निवेश	Of which: Investments in the Additional Tier 1 capital of unconsolidated insurance subsidiaries		
41.(ख)	बहमुत के स्वामित्व वाली वित्तीय सस्थाओं के अतिरिक्त टियर 1 पूजी में कमी जिनको बकैं के साथ समेकित नहीं किया गया है	Of which: Shortfall in the Additional Tier 1 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank		
42.	कटौती को कवर करने के लिए अपर्याप्त टियर 2 के कारण अतिरिक्त टियर 1 पर लागू विनियामक समायोजन	Regulatory adjustments applied to Additional Tier 1 due to insufficient Tier 2 to cover deductions		
43.	अतिरिक्त टियर 1 में कुल विनियामक समायोजन	Total regulatory adjustments to Additional Tier 1 capital		
44.	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी (एटी–1)	Additional Tier 1 capital (AT1)	0.00	
45.	टियर 1 पूंजी (टी1+सीईटी1+एटी1) (29+44)	Tier 1 capital (T1 = CET1 + AT1) (29 + 44)	6295.54	
	टियर 2 पूंजीः लिखत एवं प्रावधान /Tier 2 capital: instruments and provisions			
46.	सीधे जारी किए पात्र अतिरिक्त टियर 1 लिखत और संबंधितस्टाक अधिशेष	Directly issued qualifying Tier 2 instruments plus related stock surplus		
47.	टियर 2 पूंजी से चरणबद्ध रुप से बाहर (फेज आउट) होने केआधीन सीधे जारी किए गए पूंजी लिखत	Directly issued capital instruments subject to phase out from Tier 2		
48.	सहायक कंपनियों द्वारा जारी किये गये एवं तत्तीय पक्षों द्वारा धारित (राशि समह टियर 2 में अनमुत) टियर 2 लिखत (तथा पंक्तियों 5 और 34 में शामिल नहीं किये गये सीइटी1 और एटी1 लिखत)	Tier 2 instruments (and CET1 and AT1 instruments not included in rows 5 or 34) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group Tier 2)		
49.	जिनमें से: चरणबद्ध रुप से बाहर (फेज आउट) होने के आधीनसहायक कंपनियों द्वारा जारी किए गए लिखत	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out		
50.	प्रावधान	Provisions	194.28	
51.	विनियामक समायोजनों से पहले टियर 2 पूंजी	Tier 2 capital before regulatory adjustments	194.28	
	टियर 2 पूंजीः विनियामक समायोजन / Tier 2 capital: regulatory adjustments			
52.	विनियामक समायोजनों से पहले टियर 2 पूंजी	Investments in own Tier 2 instruments		
53.	टियर 2 लिखतों में पारस्परिक क्रास–होल्डिंग्स	Reciprocal cross-holdings in Tier 2 instruments		
54.	बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाएं, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हैं, के सामान्य शेयर में विशेष निवेश का पात्र शार्टपोजिशन निवल, जहां बैंक का संस्था के जारी शेयर पूंजी (10:की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि) के 10:से अधिक का स्वामित्व नहीं है।।	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above the 10% threshold)		
55.	बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाएं, जो विनियामक समेकन केदायरे से बाहर हैं, के सामान्य शेयर में महत्वपूर्ण निवेश कापात्र शार्टपोजिशन निवल	Significant investments in the capital banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions		
56.	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन(56 क + 56 ख)	National specific regulatory adjustments (56a+56b)		
56(क).	जिसमें से: गैर–समेकित बीमा सहायक कंपनियों के टियर 2पूंजी में निवेश	of which: Investments in the Tier 2 capital of unconsolidated subsidiaries		

56(ख).	जिसमें से: बहुमत के स्वामित्व वाली वित्तीय संस्थाओं के टियर 2 पूंजी में कमी जिनको बैंक के साथ समेकित नहीं किया गया है।	of which: Shortfall in the Tier 2 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank		
57.	टियर 2 पूंजी में कुल विनियामक समायोजन	Total regulatory adjustments to Tier 2 capital		
58.	टियर 2 पूंजी (टी 2)	Tier 2 capital (T2)	194.28	
59.	कुल पूंजी (टीसी त्रटी1 + टी2) (45+58)	Total capital (TC = T1 + T2) (45 + 58)	6489.82	
60.	कुल जोखिम भारित आस्तियां(60 क + 60ख + 60ग)	Total risk weighted assets (60a + 60b + 60c)	43694.71	
60(क).	जिसमें से: कुल क्रेडिट जोखिम भारित आस्तियां	of which: total credit risk weighted assets	36348.39	
60(ख).	जिसमें से: कुल बाजार जोखिम भारित आस्तियां	of which: total market risk weighted assets	3105.70	
60(ग).	जिसमें से: कुल परिचालन जोखिम भारित आस्तियां	of which: total operational risk weighted assets	4240.62	
	पूंजी अनुपात / Capital ratios			
61.	सामान्य ईक्विटी टियर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशतके रुप में)	Common Equity Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	14.41%	
62.	टियर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रुप में)	Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	14.41%	
63.	कुल पूंजी (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रुप में)	Total capital (as a percentage of risk weighted assets)	14.85%	
64.	संस्था विशिष्ट बफर अपेक्षा (न्यूनतम सीईटी1 अपेक्षा और पूंजी संरक्षण और प्रतिचक्रीय बफर अपेक्षाएं, जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रुप में व्यक्त)	Institution specific buffer requirement (minimum CET1 requirement plus capital conservation and countercyclical buffer requirements, expressed as a percentage of risk weighted assets)	7.375%	
65.	जिसमें से: पूंजी संरक्षण बफर अपेक्षाएं	of which: capital conservation buffer requirement	1.875%	
66.	जिसमें से: बैंक विशिष्ट प्रतिचक्रीय बफर अपेक्षाएं	of which: bank specific countercyclical buffer requirement		
67.	जिसमें से: जी–एसआईबी बफर अपेक्षाएं	of which: G-SIB buffer requirement		
68.	बफर की अपेक्षा पूरा करने के लिए उपलब्ध सामान्य ईक्विटीटियर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रुप में)	Common Equity Tier 1 available to meet buffers (as a percentage of risk weighted assets)		
	राष्ट्रीय न्यूनतम (बेसल से भिन्न हो तो) /National minima (if different from Basel III)			
69.	राष्ट्रीय सामान्य ईक्विटी टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बेसल III न्यूनतम से भिन्न हो तो)	National Common Equity Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	5.50%	
70.	राष्ट्रीय टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बेसल III न्यूनतम से भिन्न हो तो)	National Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	7.00%	
71.	राष्ट्रीय कुल पूंजी न्यूनतम अनुपात (यदि बेसल III न्यूनतम से भिन्न हो तो)	National total capital minimum ratio (if different from Basel III minimum)	9.00%	
	कटौती के लिए अधिकतम सीमा के नीचे की राशि (जोखिम भार से पहले) National total capital minimum ratio (if different from Basel III minimum)			
72.	अन्य वित्तीय संस्थाओं की पूंजी में गैर–महत्वपूर्ण निवेश	Non-significant investments in the capital of other financial entities		
73.	वित्तीय संस्थाओं के सामान्य स्टाक में महत्वपूर्ण निवेश	Significant investments in the common stock of financial entities		
74.	मार्टगेज सर्विसिंग राइट्स (संबंधित कर देयता का निवल)	Mortgage servicing rights (net of related tax liability)		
75.	अस्थायी भिन्नताओं से उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियां (संबंधित कर देयता का निवल)	Deferred tax assets arising from temporary differences (net of related tax liability)		
	टियर 2 में प्रावधानों के शामिल किये जाने पर लागू सीमाएं (कैप्स) / Applicable caps on the inclusion of provisions in Tier 2			
76	मानकीकृत दृष्टिकोण के आधीन एकसपोजर के संबंध में टियर 2 पूंजी में शामिल करने हेतु पात्र प्रावधान (सीमा लागू होने से पूर्व)	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to standardized approach (prior to application of cap)	268.89	
77.	मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत टियर 2 में प्रावधानों के शामिल किये जाने की सीमा (पर कैप)	Cap on inclusion of provisions in Tier 2 under standardized approach	454.35	

78.	आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण के आधीन एक्सपोजर के संबंध में टियर 2 पूंजी में शामिल करने हेतु पात्र प्रावधान (सीमा लागू होने से पूर्व)	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to internal ratings-based approach3 (prior to application of cap)		
79.	आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण के अंतर्गत टियर 2 में प्रावधानों के शामिल किये जाने की सीमा	Cap for inclusion of provisions in Tier 2 under internal ratings-based approach		
	फेज आऊट व्यवस्थाओं के आधीन पूंजी लिखत (केवल 31 मार्च 2017 और 31 मार्च 2022 के बीच लागू) Capital instruments subject to phase-out arrangements (only applicable between March 31, 2017 and March 31, 2022)			
80.	फेज आऊट व्यवस्थाओं के आधीन सीईटी 1 लिखतों पर मौजूदा कैप	Current cap on CET1 instruments subject to phase out arrangements		
81.	कैप के कारण सीईटी 1 में नहीं शामिल की गई राशि (भुनाए गए और अवधिपूर्ण लिखतों के बाद कैप के अतिरिक्त)	Amount excluded from CET1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)		
82.	फेज आऊट व्यवस्थाओं के आधीन एटी 1 लिखतों पर मौजूदा कैप	Current cap on AT1 instruments subject to phase out arrangements		
83.	कैप के कारण एटी 1 में शामिल नहीं की गई राशि (भुनाए गए और अवधिपूर्ण लिखतों के बाद कैप के अतिरिक्त)	Amount excluded from AT1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)		
84.	फेज आऊट व्यवस्थाओं के आधीन टी 2 लिखतों पर मौजूदा कैप	Current cap on T2 instruments subject to phase out arrangements		
85.	कैप के कारण टी 2 में नहीं शामिल की गई राशि (भुनाए गए और अवधिपूर्ण लिखतों के बाद कैप के अतिरिक्त)	Amount excluded from T2 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)		

टेम्प्लेट के लिए नोट / Notes to the Templates

टेम्प्लेट की पंक्ति सं. Row No. of the template	विवरण / Particular		(रु. मिलियन में) (Rs. in Million)
10	संचित हानियों से संबद्ध आस्थागित कर आस्तियां	Deferred tax assets associated with accumulated losses	
	आस्थगित कर देयता से घटाई गई (संचित हानियों सेजुड़ी हुई को छोड़कर आस्थगित कर आस्तियां	Deferred tax assets (excluding those associated with accumulated losses) net of Deferred tax liability	
	पंक्ति 10 में इंगित किये गये अनुसार कुल	Total as indicated in row 10	
19	यदि बीमा सहायक कंपनियों में निवेशों को पूंजी से पूरी तरह नहीं घटाया गया और उसकी बजाय कटौती की अधिकतम 10 प्रतिशत की सीमा के अंतर्गत मान्य किया गया तो बैंक की पूंजी में परिणामी वृद्धि	If investments in insurance subsidiaries are not deducted fully from capital and instead considered under 10% threshold for deduction, the resultant increase in the capital of bank	
	जिसमें सेः सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी में वृद्धि	of which: Increase in Common Equity Tier 1 capital	
	जिसमें सेः अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में वृद्धि	of which: Increase in Additional Tier 1 capital	
	जिसमें सेः टियर 2 पूंजी में वृद्धि	of which: Increase in Tier 2 capital	
26 ख / b	यदि गैर–समेकित गैर–वित्तीय सहायक कंपनियों की ईक्विटी पूंजी में निवेश को नहीं घटाया गया औरइसलिए जोखिम भार लगाया गया तोः	If investments in the equity capital of unconsolidated non-financial subsidiaries are not deducted and hence, risk weighted then:	
	i)सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी में वृद्धि	(i) Increase in Common Equity Tier 1 capital	
	ii)जोखिम भारित आस्तियों में वृद्धि	(ii) Increase in risk weighted assets	
50	टियर 2 पूंजी में शामिल पात्र प्रावधान	Eligible Provisions included in Tier 2 capital	268.89
	टियर 2 पूंजी में शामिल पात्र पुनर्मूल्यांकन रिजर्व	Eligible Revaluation Reserves included in Tier 2 capital	----
	पंक्ति 50 का कुल	Total of row 50	268.89

सारणी डीएफ–12: पूंजी की संरचना– मिलान संबंधी अपेक्षाएं

Table DF-12: Composition of Capital- Reconciliation Requirements

Step 1 / चरण 1

(Rs. in Million) / (राशि रु. मिलियन में)

			वित्तीय विवरणों के अनुसार तुलनपत्र रिपोर्टिंग तिथि की स्थिति के अनुसार Balance sheet as in financial statements As on reporting date	समेकन के विनियामक दायरे के अंतर्गत तुलन पत्र रिपोर्टिंग तिथि की स्थिति के अनुसार Balance sheet under regulatory scope of consolidation As on reporting date
(क)	**पूंजी तथा देयताए**	Capital & Liabilities		
(i)	प्रदत्त पूंजी	Paid-up Capital		775.00
	आरक्षित निधि तथा अधिशेष	Reserves & Surplus		5662.78
	अल्प शेयर धारियों को ब्याज	Minority Interest		
	कुल पूंजी	Total Capital		6437.78
(ii)	जमाराशियां	Deposits		72861.90
	जिनमें से: बैंकों की जमाराशियां	of which: Deposits from banks		8275.51
	जिनमें से: ग्राहकों की जमाराशियां	of which: Customer deposits		64586.39
	जिनमें से: अन्य जमाराशियां (कृपया स्पष्ट करें)	of which: Other deposits (pl. specify)		----
(iii)	उधार	Borrowings		----
	जिनमें से:भारतीय रिजर्व बैंक से	of which: From RBI		----
	जिनमें से: बैंकों से	of which: From banks		----
	जिनमें से: अन्य संस्थाओं तथा एजेंसियों से	of which: From other institutions & agencies		----
	जिनमें से: अन्य(कृपया स्पष्ट करें)	of which: Others (pl. specify)		----
	जिनमें से: पूंजी लिखत	of which: Capital instruments		----
(iv)	अन्य देयताएं एवं प्रावधान	Other liabilities & provisions		1717.91
	कुल / Total			**81017.59**
(ख)	आस्तियां / Assets			
	भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकद एवं शेष	Cash and balances with Reserve Bank of India		4131.33
	बैंकों के पास शेष और मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	Balance with banks and money at call and short notice		24126.47
	निवेश	Investments:		15335.28
	जिनमें से: सरकारी प्रतिभूतियां	of which: Government securities		12548.69
	जिनमें से: अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	of which: Other approved securities		----
	जिनमें से: शेयर	of which: Shares		----

	जिनमें से: डिबेंचर तथा बाण्ड	of which: Debentures & Bonds		1645.12
	जिनमें से : अनुषंगी कंपनियां/संयुक्त उद्यम/सहयोगी संस्थाएं	of which: Subsidiaries / Joint Ventures / Associates		----
	जिनमें से: अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्युच्युअल फंड आदि)	of which: Others (Commercial Papers, Mutual Funds & shares etc.)		1251.24
	घटा मूल्यह्रास	Less Depreciation		109.77
	ऋण तथा अग्रिम	Loans and advances		35157.47
	जिनमें से: बैंकों को ऋण तथा अग्रिम	of which: Loans and advances to banks		249.46
	जिनमें से: ग्राहकों को ऋण तथा अग्रिम	of which: Loans and advances to customers		36197.81
	समायोजन मदें	Netting items		1289.80
	अचल आस्तियां	Fixed assets		327.12
	अन्य आस्तियां	Other assets		1939.92
	जिनमें से : साख (गुडविल) तथा अमूर्त आस्तियां	of which: Goodwill and intangible assets		----
	जिनमें से: आस्थगित कर आस्तियां	of which: Deferred tax assets		----
	समेकन पर गुडविल	Goodwill on consolidation		----
	लाभ तथा हानि खाते में नामे शेष	Debit balance in Profit & Loss account		----
	कुल आस्तियां	**Total Assets**		**81017.59**

चरण 2/**Step 2**

			वित्तीय विवरणों के अनुसार तुलनपत्र रिपोर्टिंग तिथि की स्थिति के अनुसार Balance sheet as in financial statements As on reporting date	समेकन के विनियामक दायरे के अंतर्गत तुलनपत्र रिपोर्टिंग तिथि की स्थिति के अनुसार Balance sheet under regulatory scope of consolidation As on reporting date	संदर्भ संख्या Ref No.
(क)	**पूंजी तथा देयताएं**	**Capital & Liabilities**			
(i)	प्रदत्त पूंजी	Paid-up Capital	775.00	775.00	ए1
	जिसमें से: सीईटी 1 के लिए पात्र राशि	of which: Amount eligible for CET1	775.00	775.00	
	जिसमें से: एटी 1 के लिए पात्र राशि	of which: Amount eligible for AT1	----	----	
	आरक्षित निधि तथा अधिशेष	Reserves & Surplus	5662.78	5662.78	
	जिसमें से:	of which:	1668.73	1668.73	
	–सांविधिक आरक्षितियां	- Statutory Reserve			
	– शेयर प्रीमियम	- Share Premium	775.00	775.00	ए2
	–केपिटल रिजर्व	- Capital Reserve	166.35	166.35	
	– स्थाई आस्तियों का पुनर्मूल्यांकन	-Revaluation of Fixed Assets	165.80	165.80	

			वित्तीय विवरणों के अनुसार तुलनपत्र रिपोर्टिंग तिथि की स्थिति के अनुसार Balance sheet as in financial statements As on reporting date	समेकन के विनियामक दायरे के अंतर्गत तुलनपत्र रिपोर्टिंग तिथि की स्थिति के अनुसार Balance sheet under regulatory scope of consolidation As on reporting date	संदर्भ संख्या Ref No.
	– अन्य आरक्षितियां	. Other Reserve	0.55	0.55	ए1
	– रेवेन्यू और अन्य आरक्षितियां	-Revenue and Other Reserve	3052.70	3052.70	
	–निवेश आरक्षिति खाता	.Investment Reserve Account	----	----	
	– आरक्षिति या खराब और संदिग्ध ऋण	.Reserve or Bad and Doubtful Debts	31.25	31.25	
	– अन्य आरक्षिति–आस्थगित कर	.Other reserve-deferred tax	0.68	0.68	
	– अन्य आरक्षिति	.Other Reserve	2755.69	2755.69	
	–निवेश उतार–चढ़ाव आरक्षित निधि	.Investment Fluctuation Reserve	19.12	19.12	
	– विशेष आरक्षिति धारा 36 के अन्तर्गत	.Special reserve u/s36	245.96	245.96	ए2
	– वर्तमान समय का लाभ जो खाते में नहीं लिया गया	-Current period profit not recognized	----	----	
	कुल पूंजी	Total Capital	6437.78	6437.78	
(ii)	जमाराशियां	Deposits	72861.90	72861.90	
	जिनमें से:बैंकों की जमाराशियां	of which: Deposits from banks	8275.51	8275.51	
	जिनमें से: ग्राहक जमाराशियां	of which: Customer deposits	64586.39	64586.39	
	जिनमें से :अन्य जमाराशियां (कृपयास्पष्ट करें)	of which: Other deposits (pl. specify)	----	----	
(iii)	उधार	Borrowings	0.00	0.00	
	जिनमें से:भारतीय रिजर्व बैंक से	of which: From RBI	----	----	
	जिनमें से: बैंकों से	of which: From banks	----	----	
	जिनमें से: अन्य संस्थाओं तथा एजेंसियों से	of which: From other institutions & agencies	0.00	0.00	
	जिनमें से :अन्य (कृपया स्पष्ट करें)	of which: Others (pl. specify)	----	----	
	जिनमें से: पूंजी लिखत	of which: Capital instruments	----	----	
	अन्य देयताएं एवं प्रावधान	Other liabilities & provisions	1717.91	1717.91	
	जिनमें से:गुडविल से संबंधित डीटीएल	of which: DTLs related to goodwill	----	----	
	जिनमें से: अमूर्त आस्तियों से संबंधित मांग तथा मीयादी देयताएं	of which: DTLs related to intangible assets	----	----	
	कुल	**Total**	**81017.59**	**81017.59**	

			वित्तीय विवरणों के अनुसार तुलनपत्र रिपोर्टिंग तिथि की स्थिति के अनुसार Balance sheet as in financial statements As on reporting date	समेकन के विनियामक दायरे के अंतर्गत तुलनपत्र रिपोर्टिंग तिथि की स्थिति के अनुसार Balance sheet under regulatory scope of consolidation As on reporting date	संदर्भ संख्या Ref No.
	आस्तियां / Assets				
	भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकद एवं शेष	Cash and balances with Reserve Bank of India	4131.33	4131.33	
	बैंकों के पास शेष और मांग और अल्पसूचना पर प्रतिदेय राशि	Balance with banks and money at call and short notice	24126.47	24126.47	
	निवेश:	Investments:	15335.28	15335.28	
	जिनमें से: सरकारी प्रतिभूतियां	of which: Government securities	12548.69	12548.69	
	जिनमें से: अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	of which: Other approved securities	----	----	
	जिनमें से: शेयर	of which: Shares	----	----	
	जिनमें से: डिबेंचर तथा बांण्ड	of which: Debentures & Bonds	1645.12	1645.12	
	जिनमें से: अनुषंगी कंपनियां/संयुक्तउद्यम/सहयोगी संस्थाएं	of which: Subsidiaries / Joint Ventures / Associates	----	----	
	जिनमें से: अन्य (वाणिज्यिक पत्र,म्युच्युअल फंड आदि)	of which: Others (Commercial Papers, Mutual Funds,shares etc.)	1251.24	1251.24	
	घटा मूल्यह्रास	Less Depreciation	109.77	109.77	
(iv)	ऋण तथा अग्रिम	Loans and advances	35157.47	35157.47	
	जिनमें से:बैंकों को ऋण तथा अग्रिम	of which: Loans and advances to banks	249.46	249.46	
	जिनमें से:ग्राहकों को ऋण तथा अग्रिम	of which: Loans and advances to customers	36197.81	36197.81	
	समायोजन मदें	Netting items	1289.80	1289.80	
(v)	अचल आस्तियां	Fixed assets	327.12	327.12	
	जिनमें से: गुडविल तथा अमूर्त आस्तियां	of which: Goodwill and intangible assets	----	----	
(vi)	अन्य आस्तियां	Other assets	1939.92	1939.92	
	जिनमें से: गुडविल तथा अमूर्त आस्तियां	of which: Goodwill and intangible assets	----	----	
	जिनमें से: आस्थगित कर आस्तियां	of which: Deferred tax assets	----	----	
(vii)	समेकन पर गुडविल	Goodwill on consolidation	----	----	
(viii)	लाभ तथा हानि खाते में नामे शेष	Debit balance in Profit & Loss account	----	----	
	कुल आस्तियां	**Total Assets**	81017.59	81017.59	

चरण 3 / **Step 3**

बेसल III सामान्य प्रकटीकरण टेंम्प्लेट (जोड़े गए स्तंभ सहित) का उद्धरण –सारणी डीएफ–11 (भाग ष्प्ष्जो भी लागू हो)
सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजीः लिखत तथा आरक्षित निधियां
Extract of Basel III common disclosure template (with added column) – Table DF-11 (Part I / Part II whichever, applicable)
Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves

			बैंक द्वारा रिपोर्ट की गई विनियामक पूंजी के घटक Component of regulatory capital reported by bank	चरण 2 से समेकन के विनियामक दायरे के अंतर्गत तुलनपत्र के संदर्भ संख्या/पत्रों पर आधारित स्रोत Source based on reference numbers /letters of the balance sheet under the regulatory scope of consolidation from step 2
(i)	सीधे निर्गमित की गई अर्हक सामान्य शेयर (तथा संयुक्त–गैर–स्टाक कंपनियों के लिए समतुल्य) पूंजी तथा संबंधित स्टाक अधिशेष का जोड़	Directly issued qualifying common share (and equivalent for non-joint stock companies) capital plus related stock surplus	1550.00	ए1 और ए2
(ii)	प्रतिधारित आय	Retained earnings		
(iii)	संचयित अन्य व्यापक आय आरक्षित (तथा अन्य निधियां)	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	4745.54	
(iv)	सीईटी1 से हटाए जाने के अधीन सीधे निर्गमित पूंजी (केवल असंयुक्त नान स्टाक कंपनियों पर लागू)	Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies		
(v)	अनुषंगी संस्थाओं द्वारा निर्गमित तथा थर्ड पार्टी द्वारा धारित सामान्य शेयर पूंजी (समूह सीईटी1 में अनुमत राशि)	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)		
(vi)	विनियामक समायोजनों से पूर्व सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी	Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments	6295.54	
(vii)	विवेकपूर्ण मूल्यन समायोजन	Prudential valuation adjustments		
(viii)	गुडविल (संबंधित कर देयता का निवल)	Goodwill (net of related tax liability)		

सारणी डीएफ–13: विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताएं

बैंक ने किसी प्रकार की विनियामक पूंजी लिखत जारी नहीं किए हैं।

सारणी डी.एफ. 16: इक्विटीजः बैंकिंग बुक स्थिति का प्रकटीकरण–

विनिवेश खरीद के समय ट्रेडिंग के लिए आयोजित श्रेणी (एचएफटी), बिक्री हेतु उपलब्ध श्रेणी (एएफएस) तथा परिपक्वता अवधि तक रखे गये निवेश (एचटीएम) श्रेणी में वर्गीकृत किये हैं जो कि आर.बी.आई. के मास्टर परिपत्र–वर्गीकरण के लिए विवेकपूर्ण मानदंड, विनिवेश संविभाग के वर्गीकरण मूल्यांकन और परिचालन के लिए विवेकपूर्ण मानदंड के अनुसार हैं। आर.बी.आई.के दिशा–निर्देशों के अनुसार सहायक कम्पनी एवं संयुक्त उद्यम की इक्विटी में विनिवेश एचटीएम श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत की जानी चाहिए। पूंजी पर्याप्तता उद्देश्य से, आर.बी.आई. के दिशा–निर्देशों के अनुसार इक्विटी प्रतिभूतियां परिपक्वता अवधि तक रखे गये निवेश बैंकिंग बुक के अन्तर्गत वर्गीकृत हैं।

बैंक के पास बैंकिंग बुक के अन्तर्गत कोई इक्विटी प्रतिभूति नहीं है।

लीवरेज अनुपात

बेसल–III के अन्तर्गत लीवरेज पूंजी उपाय (रिस्क वेस्ड कैपिटल फ्रेमवर्क के अन्तर्गत टीयर I पूंजी) के प्रकटीकरण मानदंड से विभाजित कर इस अनुपात को प्रतिशत में दर्शाना है। बैंक से अपेक्षा की जाती है कि न्यूनतम 4.5 प्रतिशत लीवरेज अनुपात बनाये रखे। आर. बी.आई. के दिशा–निर्देशों के अनुसार, बैंक के लिए लीवरेज अनुपात के लिये वांछित प्रकटीकरण 31मार्च, 2019 को निम्नवत हैं :–

Table DF-13: Main Features of Regulatory Capital Instruments

Bank has not issued any kind of regulatory instruments.

Table DF-16: Equities: Disclosures for Banking Book Positions

Investments are classified at the time of purchase into Held for Trade (HFT), Available for Sale (AFS), Held to Maturity (HTM) categories in line with the RBI master circular- Prudential Norms for classification, valuation and operation of investments portfolio by Banks. In accordance with the RBI guidelines, investments in equity of subsidiaries and joint ventures are required to be classified under HTM category. For capital adequacy purpose, as per the RBI guidelines, equity securities held under HTM category are classified under Banking book.

Bank does not have any equities under banking book

Leverage Ratio

The Basel III leverage ratio is defined as the capital measure (Tier-1 capital of the risk based capital framework) divided by the exposure measure, with this ratio expressed as a percentage. The Bank is required to maintain a minimum leverage ratio of 4.5%. As per RBI guidelines, disclosures required for leverage ratio for the Bank at March 31st, 2019 is as follows :-

DF-17: Summary Comparison of Accounting Assets vs. Leverage Ratio Exposure Measure
सारणी डीएफ 17– लेखांकन आस्तियां बनाम लीवरेज अनुपात एक्सपोजर आकलन का तुलनात्मक सारांश

S.No. क्र.सं.		Item	(Rs. in Million) रुपये (मिलियन में)
1.	प्रकाशित वित्तीय विवरणों के अनुसार कुल समेकित आस्तियां	Total consolidated assets as per published financial statements	81017.60
2.	बैंकिंग, वित्तीय, बीमा अथवा वाणिज्यिक संस्थाओं में ऐसे निवेश के लिए समायोजन जो विनियामक समेकन के दायरे के बाहर हैं तथापि लेखांकन प्रयोजनों के लिए जिनका समेकन किया गया है।	Adjustment for investments in banking, financial, insurance or commercial entities that are consolidated for accounting purposes but outside the scope of regulatory consolidation	----
3.	प्रवर्ती लेखांकन संरचना के अनुसार तुलन पत्र की मान्यता प्राप्त प्रत्ययी आस्तियों के लिए समायोजन लेकिन जिन्हें लीवरेज अनुपात एक्सपोजर आकलन में शामिल नहीं किया गया है।	Adjustment for fiduciary assets recognised on the balance sheet pursuant to the operative accounting framework but excluded from the leverage ratio exposure measure	----
4.	डेरिवेटिव वित्तीय लिखतों के लिये समायोजन	Adjustments for derivative financial instruments	----
5.	प्रतिभूतियों के वित्तीयन संबंधी लेनदेनों के लिए समायोजन (अर्थात रेपो और इसी तरह की सुरक्षित उधार)	Adjustment for securities financing transactions (i.e. repos and similar secured lending)	----
6.	तुलनपत्रेतर मदों के लिए समायोजन (अर्थात तुलनपत्रेतर एक्सपोजर की राशि के समकक्ष क्रेडिट में रुपांतरण)	Adjustment for off-balance sheet items (i.e. conversion to credit equivalent amounts of off- balance sheet exposures)	2175.33
7.	अन्य समायोजन	Other adjustments	1399.58
8.	लीवरेज अनुपात एक्सपोजर	Leverage ratio exposure	84592.50

Table DF-18: Leverage Ratio Common Disclosure Template
सारणी डीएफ 18– लीवरेज अनुपात सामान्य प्रकटीकरण टेम्प्लेट

S.No. क्र.सं.		Item	Leverage ratio framework (Rs. in Million) लीवरेज अनुपात संरचना रुपये (मिलियन में)
		तुलनपत्र पर मौजूद / On-balance sheet exposures	
1.	तुलनपत्र पर मौजूद मदें (डेरिवेटिव तथा एसएफटी को छोड़कर परन्तु संपार्श्विक को शामिल करते हुए)	On-balance sheet items (excluding derivatives and SFTs, but including collateral)	82417.17
2.	(बेसल III टियर 1 पूंजी के निर्धारण में घटाई गई आस्तियों की राशि)	(Asset amounts deducted in determining Basel III Tier 1 capital)	----
3.	तुलनपत्र पर मौजूद कुल एक्सपोजर (डेरिवेटिवतथा एसएफटी को छोड़कर) (पंक्ति 1 और 2 का योग)	Total on-balance sheet exposures (excluding derivatives and SFTs) (sum of lines 1 and 2)	82417.17
		डेरिवेटिव एक्सपोजर / Derivative exposures	
4.	समस्त डेरिवेटिव लेनदेनों से जुड़ी प्रतिस्थापनलागत (अर्थात पात्र नकदी रुपांतरण मार्जिन काकुल जोड़)	Replacement cost associated with all derivatives transactions (i.e. net of eligible cash variation margin)	----
5.	समस्त डेरिवेटिव लेनदेनों से जुड़े पीएफई के लिए पूरक राशि	Add-on amounts for PFE associated with all derivatives transactions	----
6.	प्रवर्ती लेखांकन संरचना के अनुरुप तुलनपत्र आस्तियों से घटाए गए डेरिवेटिव संपार्श्विक के लिए समग्रप्रावधान	Gross-up for derivatives collateral provided where deducted from the balance sheet assets pursuant to the operative accounting framework	----
7.	(डेरिवेटिव लेनदेनों में दर्शाए गए नकदी घट–बढ़मार्जिन के लिए प्राप्य आस्तियों की कटौती)	(Deductions of receivables assets for cash variation margin provided in derivatives transactions)	----
8.	(ग्राहक–समाशोधित कारोबारी एक्सपोजर के लिए छूटप्राप्त सीसीपी लेग)	(Exempted CCP leg of client-cleared trade exposures)	----
9.	लिखित क्रेडिट डेरिवेटिव के लिए समायोजित प्रभावी अनुमानित राशि	Adjusted effective notional amount of written credit derivatives	----

10.	(लिखित क्रेडिट डेरिवेटिव के लिए समायोजित प्रभावी अनुमानित समराशि तथा पूरक कटौतियां)	(Adjusted effective notional offsets and add-on deductions for written credit derivatives)	----
11.	कुल डेरिवेटिव एक्सपोजर (पंक्ति सं.4 से 10 का जोड़)	Total derivative exposures (sum of lines 4 to 10)	----
	प्रतिभूति वित्तपोषण लेनदेन एक्सपोजर / Securities financing transaction exposures		
12.	सकल एसएफटी आस्तियों (नेटिंग के लिए मान्य नहीं), बिक्री लेखांकन लेनदेनों को समायोजित करने के बाद)	Gross SFT assets (with no recognition of netting), after adjusting for sale accounting transactions	----
13.	(सकल एसएफटी आस्तियों के लिए नकद देय राशियों तथा नकद प्राप्य राशियों की निवल राशि)	(Netted amounts of cash payables and cash receivables of gross SFT assets)	----
14.	एसएफटी आस्तियों के लिए सीसीआर एक्सपोजर	CCR exposure for SFT assets	----
15.	एजेंट लेनदेन एक्सपोजर	Agent transaction exposures	----
16.	कुल प्रतिभूति वित्तपोषण लेनदेन एक्सपोजर (पंक्ति सं.12 से 15 का जोड़)	Total securities financing transaction exposures (sum of lines 12 to 15)	----
	अन्य तुलनपत्रेतर एक्सपोजर / Other off-balance sheet exposure		
17.	सकल अनुमानित राशि पर तुलनपत्रेतर एक्सपोजर	Off-balance sheet exposure at gross notional amount	6681.73
18.	(ऋण समतुल्य राशि के रुपांतरण के लिए समायोजन)	(Adjustments for conversion to credit equivalent amounts)	-4506.40
19.	तुलनपत्रेतर मदें (पंक्ति सं.17 और 18 का जोड़)	Off-balance sheet items (sum of lines 17 and 18)	2175.33
	पूंजी और कुल एक्सपोजर / Capital and total exposures		
20.	टियर 1 पूंजी	Tier 1 capital	6295.54
21.	कुल एक्सपोजर (पंक्ति सं.3,11,16 और 19 का जोड़)	Total exposures (sum of lines 3, 11, 16 and 19)	84592.50
	लीवरेज अनुपात / Leverage ratio		
22.	बेसल III लीवरेज अनुपात	Basel III leverage ratio	7.44%

31 मार्च, 2019की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र
BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH 2019

(रू. हजार में) / (Rs. in Thousand)

पूँजी और दायित्व / CAPITAL AND LIABILITIES	अनुसूची SCHEDULE	31.03.2019 की स्थिति As on 31.03.2019	31.03.2018 की स्थिति As on 31.03.2018
पूँजी / Capital	1	775000	775000
आरक्षितियां और अधिशेष / Reserves & Surplus	2	5662780	5440608
जमा राशियां / Deposits	3	72861906	73318728
उधार / Borrowings	4	0	28
अन्य दायित्व और उपबंध / Other Liabilities & Provisions	5	1717909	1612534
जोड़ / Total		**81017595**	**81146898**
आस्तियां / ASSETS			
नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक में अतिशेष Cash & Balances With Reserve Bank of India	6	4131334	3857001
बैंकों में अतिशेष और मांग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन Balances with Banks & Money at call and Short Notice	7	24126465	24900392
निवेश / Investments	8	15335285	17047612
अग्रिम / Advances	9	35157469	33639324
स्थिर आस्तियां / Fixed Assets	10	327123	338096
अन्य आस्तियां / Other Assets	11	1939919	1364473
जोड़ / Total		**81017595**	**81146898**
समाश्रित दायित्व / Contingent Liabilities	12	1103883	1123632
संग्रह के लिए बिल / Bills for collection		1717	4923
प्रमुख लेखा नीतियां / Significant Accounting Policies	17		
खातों पर टिप्पणियां Notes on Accounts	18		

ऊपर उल्लिखित अनुसूचियां तुलन–पत्र का अभिन्न अंग हैं।
Schedules referred above form an integral part of Balance Sheet

दिनेश पंत
Dinesh Pant
अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
Chairman & Chief Executive Officer

सीए मृदुल कुमार अग्रवाल
CA Mradul Kumar Agarwal
निदेशक
Director

डी.के. नामदेव
D.K.Namdeo
निदेशक
Director

मुकेश शर्मा
Mukesh Sharma
निदेशक
Director

ए.के. सिंह
A.K.Singh
चीफ आपरेटिंग आफीसर एवं चीफ फाइनेंन्शियल आफीसर
Chief Operating Officer & Chief Financial Officer

एस.सी. शुक्ला
S.C.Shukla
एसो. वाइस प्रेसिडेन्ट
Associate Vice President
(लेखा एवं परिचालन)
Accounts & Operations

विवेक शाह
Vivek Sah
कंपनी सचिव
Company Secretary

हमारी अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार
as per our report of even date
कृते पीएसएमजी एण्ड एसोसिएट्स
For PSMG & Associates
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएन–008567 सी
FRN- 008567 C

स्थान / Place : नोएडा / Noida

दिनांक / Date: 27.05.2019

सी.ए. राघवेन्द्र गोयल / CA Raghvendra Goel
साझेदार / Partner
एम.एन. 426476 / MN-426476

31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष का लाभ और हानि खाता

PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2019

(रू. हजार में) / **(Rs. in Thousand)**

	अनुसूची SCHEDULE	31.03.2019 की स्थिति Year ended 31.03.2019	31.03.2018 की स्थिति Year ended 31.03.2018
I. आय / **INCOME**			
अर्जित ब्याज / Interest Earned	13	6532058	6172881
अन्य आय / Other Income	14	290949	354748
जोड / Total		**6823007**	**6527629**
II. व्यय / **EXPENDITURE**			
व्यय किया गया ब्याज / Interest Expended	15	4258822	4114114
परिचालन व्यय / Operating Expenses	16	1471098	1436744
उपबन्ध और आकस्मिक व्यय / Provisions & Contingencies		824200	487892
जोड / Total		**6554120**	**6038750**
III. लाभ / **PROFIT**			
वर्ष का शुद्ध लाभ / Net profit for the year		268887	488879
विनियोजन के लिए उपलब्ध लाभ / Profit available for appropriation		268887	488879
IV. विनियोजन / **APPROPRIATIONS**			
अंतरणः / Transfer To :			
सांविधिक आरक्षितियां / Statutory Reserve		67222	122220
राजस्व और अन्य आरक्षितियां: / Revenue & Other Reserves:			
i) निवेश विचलन आरक्षितिया / Investment Fluctuation Reserve		1000	0
ii) सामान्य आरक्षितियां / General reserve		135621	182981
iii) विशेष आरक्षितियां / special reserve		18329	15779
प्रस्तावित लाभांश / Proposed Dividend		38750	139500
लाभांश कर (सरचार्ज और शिक्षा प्रतिकर सहित) / Dividend Tax(including surcharge & edu.cess)		7965	28399
आरक्षित पूंजी / Capital Reserve			
जोड / Total		**268887**	**488879**
प्रति शेयर आय (रू.) / Earnings per share (Rs)			
मूल Basic		**3.47**	**6.31**
तनु / Diluted		**3.47**	**6.31**

दिनेश पंत
Dinesh Pant
अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
Chairman & Chief Executive Officer

सीए मृदुल कुमार अग्रवाल
CA Mradul Kumar Agarwal
निदेशक
Director

डी.के. नामदेव
D.K.Namdeo
निदेशक
Director

मुकेश शर्मा
Mukesh Sharma
निदेशक
Director

ए.के. सिंह
A.K.Singh
चीफ आपरेटिंग आफीसर एवं चीफ फाइनेंन्शियल आफीसर
Chief Operating Officer & Chief Financial Officer

एस.सी. शुक्ला
S.C.Shukla
एसो. वाइस प्रेसिडेन्ट
Associate Vice President
(लेखा एवं परिचालन)
Accounts & Operations

विवेक शाह
Vivek Sah
कंपनी सचिव
Company Secretary

हमारी अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार
as per our report of even date
कृते पीएसएमजी एण्ड एसोसिएट्स
For PSMG & Associates
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएन–008567 सी
FRN- 008567 C

सी.ए. राघवेन्द्र गोयल / CA Raghvendra Goel
साझेदार / Partner
एम.एन. 426476 / MN-426476

स्थान / Place : नोएडा / Noida

दिनांक / Date: 27.05.2019

अनुसूची 1—पूंजी / SCHEDULE 1-CAPITAL

(रूपये हजार में) / (₹ in Thousands)

	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2019	31.03.2018 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2018
प्राधिकृत पूंजी (10/— रूपये प्रति शेयर मूल्य वाले 15,00,00,000 शेयर) Authorised Capital (15,00,00,000 Equity Shares of Rs. 10/- each) (विगत वर्ष 10/— रूपये प्रति शेयर मूल्य वाले 15,00,00,000 शेयर) (Previous Year 15,00,00,000 Equity Shares of Rs. 10/- each)	1500000	1500000
जारी, अभिदत्त, मांगी गई और चुकता पूंजी Issued,Subscribed,Called up and Paid up capital 10/— रू0 प्रति शेयर मूल्य वाले 775,00,000 शेयर 775,00,000 Equity Shares of Rs. 10/- each	775000	775000
जोड़ / Total	**775000**	**775000**

अनुसूची 2 — आरक्षितियाँ और अधिशेष / SCHEDULE 2- RESERVES & SURPLUS

(रूपये हजार में) / (₹ in Thousands)

		31.03.2019 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2019	31.03.2018 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2018
(I)	**सांविधिक आरक्षितियाँ /Statutory Reserve :**		
	अथशेष / Opening Balance	1601509	1479289
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Addition during the year	67222	122220
	अंतिम शेष / Closing Balance	1668731	1601509
(II)	**पूँजीगत आरक्षितियाँ / Capital Reserve :**		
(a)	पुनर्मूल्यन आरक्षितियां / Revaluation Reserve		
	अथशेष / Opening Balance	165805	165805
	वर्ष के दौरान वृद्धि / Addition during the year -	0	0
	परिसर के पुनर्मूल्यांकन के कारण हुआ मूल्यह्रास जो लाभ व हानि खाते को अंतरित किया गया Depreciation on account of revaluation of premises transferred to Profit & Loss Account	0	0
	अंतिम शेष / Closing Balance	165805	165805
(b)	अन्य / Others	548	548
	वर्ष के दौरान वृद्धि / Addition during the year -	0	0
	अंतिम शेष / Closing Balance	548	548
	जोड़ (II) / Total(II)	166353	166353
(III)	**शेयर प्रीमियम / Share Premium :**		
	अथशेष / Opening Balance	775000	775000
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Addition during the Year		
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deduction during the Year		
	अंतिम शेष / Closing Balance	775000	775000
(IV)	**राजस्व और अन्य आरक्षितियाँ / Revenue & Other Reserves**		
(i)	**निवेश विचलन आरक्षितियाँ / Investment Fluctuation Reserve :**		
	अथशेष / Opening Balance	18117	0
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Addition during the Year	1000	0
	घटाएं : सामान्य प्रावधान को अंतरण / Less: Transferred To General Provision	0	0
	अन्तिम शेष / Closing Balance	19117	0
(ii)	**अन्य आरक्षितियां / Other Reserve :**		
	अथशेष / Opening Balance	2652000	2469019

		31.03.2019 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2019	31.03.2018 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2018
	जोड़ें : लाभ–हानि खाते से अन्तरित की गई राशि Addition : Transferred from Profit & Loss Account	135621	182981
	कटौती / Deduction:	0	0
	अन्तिम शेष / Closing Balance	2787621	2652000
	निवेश आरक्षिति खाता / Investment Reserve A/C	0	18117
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Addition during the Year	0	0
	अंतिम शेष / Closing Balance	0	18117
	विशेष आरक्षिति खंड 36 (I) (VIII)के अन्तर्गत Special reserve u/s 36 (I) (VIII)	227629	211850
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Addition during the Year	18329	15779
	अंतिम शेष / Closing Balance	245958	227629
	जोड़ (IV) / Total(IV)	3052696	2897746
(V)	**लाभ और हानि खाते का अतिशेष / Balance in Profit & Loss Account**	**0**	**0**
	जोड़ (I से V) / Total (I to V)	5662780	5440608

अनुसूची 3 – निक्षेप / SCHEDULE 3 -DEPOSITS

(रूपये हजार में) / (₹ in Thousands)

		31.03.2019 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2019	31.03.2018 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2018
क	I)माँग निक्षेप / A I) Demand Deposits		
	i)बैंकों से / i) From Banks	24214	34957
	ii)अन्य से ii) From Others	3425586	3442112
	जोड़ /Total	3449800	3477069
	II)बचत बैंक निक्षेप / II) Savings Bank Deposits	21147955	20979871
	III)सावधि निक्षेप / III) Term Deposits		
	i)बैंकों से i) From Banks	8251301	8962619
	ii)अन्य से ii) From Others	40012850	39899169
	जोड /Total	48264151	48861788
	जोड़ (I, II एवं III) Total (I, II & III)	72861906	73318728
ख	i)भारत में शाखाओं के निक्षेप / BI) Deposits of Branches in India	72861906	73318728
	ii)भारत के बाहर शाखाओं के निक्षेप / II) Deposits of Branches outside India	0	0
	जोड़(Iएवंll) / Total (I & II)	72861906	73318728

अनुसूची 4– उधार / SCHEDULE 4 -BORROWINGS

(रूपये हजार में) / (₹ in Thousands)

		31.03.2019 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2019	31.03.2018 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2018
(i)	भारत में उधार / Borrowings in India		
	i) भारतीय रिजर्व बैंक / i)Reserve Bank Of India	0	0
	ii) अन्य बैंक / ii)Other Banks	0	28
	iii) अन्य संस्थाएं एवं अभिकरण / iii)Other Institutions and Agencies	0	0
(ii)	भारत के बाहर उधार /Borrowings outside India	0	0
	जोड़ (Iएवंll) / Total (I & II)	0	28
(iii)	जमानती उधार राशियां जो उपरोक्त I में शामिल हैं Secured Borrowings Included in I above	0	28

अनुसूची 5 – अन्य दायित्व और उपबंध
SCHEDULE 5 -OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS

(रूपये हजार में) / (₹ in Thousands)

		31.03.2019 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2019	31.03.2018 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2018
I	संदेय बिल / Bills Payable	151934	200685
II	अंतर कार्यालय समायोजन (शुद्ध) / Inter Office Adjustments(Net)	0	468
III	प्रोद्भूत ब्याज / Interest Accrued	87005	91380
IV	अग्रिम दिया गया कर/स्रोत पर काटा गया कर (प्रावधान को छोड़कर) Tax Paid in advance/tax deducted at source (net of provisions)	0	0
V	अन्य (इसमें उपबंध शामिल हैं) / Others(Including Provisions)	1478970	1320001
	जोड़ (I से V) / Total(I to V)	**1717909**	**1612534**
	नोट : टियर II पूंजी हेतु लिए गए गौण ऋण		
	NOTE : Subordinated Debts raised in Tier II Capital	Nil	Nil

अनुसूची 6 – नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक में अतिशेष
SCHEDULE 6 -CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA

(रूपये हजार में) / (₹ in Thousands)

		31.03.2019 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2019	31.03.2018 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2018
I	नकदी (इसमें विदेशी करैंसी नोट सम्मिलित हैं) Cash in hand(Including foreign currency notes)	250768	324484
II	भारतीय रिजर्व बैंक में अतिशेष/ Balances with Reserve Bank of India		
	(i) चालू खातों में In Current Accounts	3880566	3532517
	(ii) अन्य खातों में In Other Accounts	0	0
	जोड़ / Total	3880566	3532517
	जोड़ / Total (I & II)	4131334	3857001

अनुसूची 7 – बैंकों में अतिशेष और मांग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन
SCHEDULE 7 BALANCES WITH BANKS & MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE

(रूपये हजार में) / (₹ in Thousands)

		31.03.2019 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2019	31.03.2018 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2018
I	भारत में / In India		
	i) बैंकों में अतिशेष / Balances with Banks		
	चालू खातों में / In Current Accouts	176265	150891
	अन्य जमा खातों में / In Other Deposit Accounts	21720200	22349501
	जोड़ / Total	**21896465**	**22500392**
	ii) माँग पर और अल्प सूचना पर प्राप्य धन / Money at call and short notice		
	बैंकों में / With banks	1500000	500000
	अन्य संस्थाओं में / With other institutions	730000	1900000
	जोड़ / Total	**2230000**	**2400000**
	जोड़ (iएवंii) / Total (i & ii)	**24126465**	**24900392**
II	**भारत के बाहर / Outside India**	**NIL**	**NIL**
	जोड़ (IएवंII) / Total (I & II)	**24126465**	**24900392**

अनुसूची– 8 निवेश / SCHEDULE 8- INVESTMENT

(रूपये हजार में) / (₹ in Thousands)

		31.03.2019 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2019	31.03.2018 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2018
I	भारत में निवेश (सकल) / Investments in India(Gross)	15445057	17101321
	घटाएँ : मूल्यह्रास के लिए प्रावधान / Less : Provision for Depreciation	109772	53709
	भारत में शुद्ध निवेश / Net Investments in India	**15335285**	**17047612**
	अलग–अलग विवरण / Break up		
	i)सरकारी प्रतिभूतियां / Government Securities	12438920	15595459
	ii)अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां / Other Approved Securities	0	0
	iii)शेयर / Shares	0	152
	iv)डिबेंचर और बंध पत्र / Debentures and Bonds	2896365	1098628
	v)समनुषंगी और/या संयुक्त उद्यम / Subsidiaries and/or Joint Ventures	0	0
	vi) अन्य (यू.टी.आई. की यूनिट्स और अन्य म्यूचूअल फंडस, वाणिज्यिक पत्र आदि) vi) Others(units of UTI and other mutual funds comm.papers)	0	353373
	जोड़ / Total	**15335285**	**17047612**
(II)	भारत के बाहर निवेश / Investments outside India	**Nil**	**Nil**
	जोड़ (IएवंII) / Total (I & II)	**15335285**	**17047612**

अनुसूची– 9 अग्रिम(रुपये हजार में) / SCHEDULE 9- ADVANCES

(रूपये हजार में) / (₹ in Thousands)

		31.03.2019 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2019	31.03.2018 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2018
क)	i) क्रय किये गये और मितीकाटे पर भुगतान किये गये विनिमय पत्र Bills Purchased and Discounted	19880	34503
	ii) कैश क्रेडिट, ओवर ड्राफ्ट और मांग पर प्रति–संदेय उधार Cash Credit ,Overdrafts and Loans repayable on demand	21978310	19517575
	iii) सावधि उधार / Term Loans	13159279	14087246
	जोड़ / Total	**35157469**	**33639324**
ख)	i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत / Secured by Tangible Assets	34344541	32782462
	ii) बैंक/सरकारी प्रत्याभूतियों द्वारा संरक्षित/Covered by Bank/Govt. Guarantees	10	360
	iii) अप्रतिभूत /Unsecured	812918	856502
	जोड़ / Total	**35157469**	**33639324**
ग)	I) भारत में अग्रिम / Advances in India		
	i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र / Priority Sector	17766294	17271265
	घटाएंः बीओबी को जारी आईबीपीसी / Less: IBPC issued to BOB	0	0
	शुद्ध प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण / Net Priority Sector	17766294	17271265
	ii)सार्वजनिक क्षेत्र / Public Sector	662289	2753
	iii) बैंक / Banks	249463	988110
	iv) अन्य / Others	16479423	15377196
	जोड़ेंः बीओबी से सहभागिता में आईबीपीसी/Add: IBPC participation with BOB	0	0
	शुद्ध अन्य / Net Others	16479423	15377196
	II) भारत के बाहर अग्रिम / Advances outside India	0	0
	जोड़ / Total	**35157469**	**33639324**

अनुसूची– 10 स्थिर आस्तियां / SCHEDULE 10- FIXED ASSETS

(रूपये हजार में) / (₹ in Thousands)

		31.03.2019 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2019	31.03.2018 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2018
I	**परिसर / Premises**		
	(पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर/पुनर्मूल्यांकित राशि) At cost/revalued amount as on 31st March of the preceeding year	249593	245965
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Addition during the year	177	3628
	अद्यतन अवक्षयण–(पुनर्मूल्यांकन के कारण वृद्धिशील मूल्यह्रास सहित)ब्लाक I का शेष Depreciation to date(including incremental depreciation due to	24770	24323
	revaluations) Closing Block I	225000	225270
II	**अन्य स्थिर आस्तियां (फर्नीचर और फिक्सचर सहित) Other Fixed Assets(including Furniture & Fixtures)**		
	पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर At cost as on 31st March of the preceeding year	491983	443938
	वर्ष के दौरान परिवर्धन /Addition during the year	25788	48571
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	456	526
	अद्यतन अवक्षयण / Depreciation to date	415192	379157
	ब्लाक II का शेष / Closing Block II	102123	112826
	जोड़ (I एवं II) / Total (I & II)	**327123**	**338096**

अनुसूची– 11– अन्य आस्तियां / SCHEDULE 11- OTHER ASSETS

(रूपये हजार में) / (₹ in Thousands)

		31.03.2019 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2019	31.03.2018 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2018
I	अन्तर कार्यालय समायोजन (शुद्ध) /IInter Office Adjustment (Net)	100197	0
II	प्रोद्भूत ब्याज / Interest Accrued	1038389	829111
III	अग्रिम रूप से संदत्त/स्रोत पर काटा गया कर (प्रावधानों को छोड़कर) Tax Paid in advance/tax deducted at source (net of provisions)	108590	66630
IV	लेखन सामग्री और स्टाम्प / Stationery & Stamps	37	87
V	अन्य / Others	692706	468645
	जोड़ (I से V) / Total (I toV)	1939919	1364473

अनुसूची – 12 समाश्रित दायित्वं / SCHEDULE 12- CONTINGENT LIABILITIES

(रूपये हजार में) / (₹ in Thousands)

		31.03.2019 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2019	31.03.2018 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2018
I	बैंक के विरूद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है Claims against the Bank not acknowledged as Debts	4754	7356
II	धोखाघड़ी के विरूद्ध देनदारी / Liability against frauds	0	0
III	संघटकों की ओर से दी गई प्रत्याभूतियां Guarantees given on behalf of constituents	812779	886126
IV	स्वीकृतियां, बेचान और अन्य दायित्व Acceptances,Endorsements and Other Obligations	130291	73358
V	अन्य / Other	156059	156792
	जोड़ (I सेIV) / Total (I to IV)	1103883	1123632

अनुसूची– 13– अर्जित ब्याज / SCHEDULE 13- INTEREST EARNED

(रूपये हजार में) / (₹ in Thousands)

			31.03.2019 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2019	31.03.2018 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2018
I	अग्रिमों / विनिमय पत्रों पर ब्याज / मितीकाटा Interest/discount On Advances/bills		3253506	3246385
II	निवेशों से आय / Income On Investments	1277144	1274793	1354634
	घटाएं: वर्ष के दौरान परिशोधित राशि Less:amount Amortised During The Year	2351		
III	भारतीय रिजर्व बैंक में अतिशेषों और अन्य अन्तर–बैंक निवेशों पर ब्याज Interest On Balances With Reserve Bank Of India And Other Inter Bank Placements		1885804	1362259
IV	अन्य / Others		117955	209603
	जोड (I से IV) / Total (I To IV)		**6532058**	6172881

अनुसूची– 14– अन्य आय / SCHEDULE 14- OTHER INCOME

(रूपये हजार में) / (₹ in Thousands)

		31.03.2019 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2019	31.03.2018 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2018
I	कमीशन, विनिमय और दलाली / Commission,Exchange & Brokerage	33963	37439
II	निवेशों के विक्रय पर लाभ / हानि / Profit / Loss on sale of investments	32685	120140
III	प्आयकर वापसी पर ब्याज / Interest on Income Tax Refund	518	4749
IV	प्रकीर्ण आय / Miscellaneous Income	212448	183717
V	तृतीय पार्टी का कमीशन / Third party commission	11335	8703
	जोड (I से IV) / Total (I to IV)	290949	354748

अनुसूची – 15– व्यय किया गया ब्याज / SCHEDULE 15-INTEREST EXPENDED

(रूपये हजार में) / (₹ in Thousands)

		31.03.2019 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2019	31.03.2018 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2018
I	निक्षेपों पर ब्याज / Interest on Deposits	4258818	4095494
II	भारतीय रिजर्व बैंक / अंतर बैंक उधारों पर ब्याज Interest on RBI / Inter Bank Borrowings	4	18
III	अन्य / Others	0	18602
IV	जोड (I से III) / Total (I to III)	4258822	4114114

अनुसूची – 16– परिचालन व्यय / SCHEDULE 16- OPERATING EXPENSES

(रूपये हजार में) / (₹ in Thousands)

		31.03.2019 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2019	31.03.2018 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2018
I	कर्मचारियों को भुगतान एवं उनके लिए प्रावधान Payments to and Provisions for Employees	901064	898682
II	किराया, कर और रोशनी / Rent,Taxes and Lighting	132874	121223
III	मुद्रण और लेखन–सामग्री / Printing and Stationery	6019	7123
IV	विज्ञापन और प्रचार / Advertisement and Publicity	6965	4175
V	बैंक की सम्पत्ति पर अवक्षयण / Depreciation on Bank's Property	36481	40795
	घटाइए: परिसर के पुनर्मूल्यांकन के कारण प्रारक्षित पूंजी से समायोजित मूल्यह्रास Less:Depreciation adjusted from Capital reserve on account of revaluation of premises		
VI	निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय / Director's Fees Allowances and Expenses	526	957
VII	लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय (इसमें शाखा लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय सम्मिलित हैं) Auditor's Fees & Expenses (including Branch Auditor's fee & expenses)	5649	5722
VIII	विधि प्रभार / Law Charges	13681	9709
IX	डाक महसूल, तार, टेलीफोन आदि / Postage,Telegrams,Telephones etc	7635	7985
X	मरम्मत और अनुरक्षण / Repairs and Maintenance	15749	16161
XI	बीमा / Insurance	65796	71314
XII	अन्य व्यय / Other Expenditure	278659	252898
	जोड़ (IसेXII) / Total (I to XII)	**1471098**	**1436744**

अनुसूची 17– 31 मार्च, 2019 की विशिष्ट लेखा नीतियां

1. **लेखा अभिधारणाएँ**
ये वित्तीय विवरण जब तक कि अन्यथा न बताया जाये अवधिगतलागत आधार पर तैयार किए गए हैं और देश के बैंकिंग क्षेत्र मेंविद्यमान सांविधिक प्रावधानों और प्रयासों के अनुरूप हैं।

2. **निवेश**
भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा–निर्देशों के अनुसार बैंक के निवेशसंविभाग को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है औरप्रत्येक श्रेणी के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मूल्यांकनमानदण्डों का अनुपालन किया गया है:

2.1.1 परिपक्वता अवधि तक रखे जाने वाले निवेश
2.1.2 बिक्री के लिए उपलब्ध निवेश
2.1.3 खरीद–बिक्री हेतु रखे गए निवेश

2.2 "परिपक्वता अवधि तक रखे जाने वाले" शीर्ष के तहत् आने वालेनिवेशों का मूल्यांकन अभिग्रहण लागत जब तक यह अंकित मूल्य,जिसमें प्रीमियम लागत को प्रतिभूतियों की शेष परिपक्वता अवधि मेंपरिशोधित किया गया है, से अधिक नहीं है, पर किया गया है।

2.3 "बिक्री हेतु उपलब्ध" और "खरीद–बिक्री हेतु रखे गए" श्रेणी केनिवेश बाजार मूल्य पर चिन्हित हैं। उनका मूल्यांकन लागत अथवाबाजार मूल्य, जो भी कम है, पर किया गया है। प्रत्येक स्क्रिपका मूल्यांकन किया गया है तथा मूल्यह्रास/अधिमूल्यन तुलनपत्रकी श्रेणियों के अनुसार श्रेणीवार जोड़ा गया है। शुद्ध मूल्यह्रासका प्रावधान किया गया है किंतु यदि यह मूल्य वृद्धि है तो इसेनजरअंदाज कर दिया गया है।

2.4 "बिक्री हेतु उपलब्ध" और "खरीद–बिक्री हेतु रखे गए" श्रेणी केनिवेश में मूल्यह्रास के कारण किये गये शुद्ध प्रावधानों कोलाभ–हानि खाते में प्रभारित किया गया है तथा इतनी ही राशिअथवा 'निवेश आरक्षित खाते' में उपलब्ध शेष राशि में से जो भीकम हो को "निवेश आरक्षित खाते" से "लाभ–हानि विनियोजन खाते"को अंतरित किया गया है।
"बिक्री हेतु उपलब्ध" और "खरीद–बिक्री हेतु रखे गए" श्रेणी में अतिरिक्त शुद्ध प्रावधान होने पर उसे लाभ–हानि खाते में जमाकिया गया है और उतनी ही राशि का (शुद्ध कर यदि कोई हो एवं ऐसे अतिरिक्त प्रावधान में प्रयोज्य सांविधिक प्रारक्षित निधियोंके अन्तरण को छोड़कर) निवेश आरक्षित खाते में विनियोजन किया गया है।

2.5 निवेशों की बिक्री से लाभ/हानि को जो सम्बन्धित निवेशों कीभारित औसत लागत/उनके बही मूल्य पर आधारित है कोलाभ–हानि खाते में दर्शाया गया है।

2.6 अनर्जक प्रतिभूतियों (जहां ब्याज/मूल बकाया है) के सम्बन्ध में आय का अभिज्ञान नहीं किया गया है और प्रतिभूतियों के मूल्य मेंह्रास के लिए उचित प्रावधान किया गया है।

2.7 निवेशों के अभिग्रहण की लागत में कमीशन, दलाली, स्टाम्प शुल्क,प्रोत्साहन राशि आदि को सम्मिलित नहीं किया गया है।

2.8 "बिक्री के लिए उपलब्ध" और "खरीद–बिक्री हेतु रखे गए" श्रेणी के निवेशों के मूल्यांकन के लिये प्राइमरी डीलर्स एसोसियेशनऑफ इण्डिया (पी.डी.ए.आई)/फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एण्ड डेरिवेटिव्ज एसोसिएशन (फिमडा) और स्टाक एक्सचेंज द्वारा घोषितदरों को आधार बनाया गया है।
ऐसे निवेशों, जिनके लिए ऐसी दरें/कोट्स उपलब्ध नहीं है, का मूल्यांकन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए मानकों जो नीचे दिएगए हैं के अनुसार किया गया है:

2.8.1 इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन कम्पनी के नवीनतम तुलनपत्र (जो 12 माह से अधिक पुराना न हो) यदि उपलब्ध होए के अनुसार अन्यथा एक रूपया प्रति कम्पनी के आधार पर किया गया है।

2.8.2 म्यूचूअल फंडों की यूनिटों में निवेश का मूल्यांकन स्टाक एक्सचेंज की मूल्य सूची के अनुसार हुआ है। गैर सूचीबद्ध म्यूचूअल फंडोंकी यूनिटों का मूल्यांकन योजना विशेष के सन्दर्भ में म्यूचूअल फंड द्वारा घोषित नवीनतम पुनर्खरीद कीमत के आधार पर हुआ है। उनफंडों के मामले में जो लॉक इन अवधि में हैं तथा जहां पुनर्खरीद कीमत/बाजार दाम उपलब्ध नहीं है यूनिटों का मूल्यांकन शुद्धआस्ति मूल्य (एन.ए.वी.) पर हुआ है। यदि शुद्ध आस्ति मूल्य उपलब्ध नहीं है तो इनका मूल्यांकन लॉक इन अवधि की समाप्ति तक कीलागत पर किया गया है। जब कहीं पुनर्खरीद कीमत उपलब्ध नहीं है तो यूनिटों का मूल्यांकन सम्बन्धित योजना के शुद्ध आस्ति मूल्यपर किया गया है।

SCHEDULE 17 – SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES AS ON 31st MARCH,2019

1. **ACCOUNTING CONVENTION :**
The financial statements have been prepared on the historical cost basis unless otherwise stated and conform to the statutory provisions and practices prevailing in the Banking Sector of the country.

2. **INVESTMENTS:**
In accordance with Reserve Bank of India guidelines, Investments portfolio of the bank is classified into the under mentioned categories and the valuation norms, as prescribed by RBI have been applied to each category:

2.1.1 Held to Maturity
2.1.2 Available for Sale, and
2.1.3 Held for Trading

2.2. Investment under "Held to Maturity" are valued at cost of acquisition unless it is more than the face value in which case premium is amortized over the remaining maturity period of the security.

2.3. Investment held under "Available for Sale" & "Held for Trading" category are marked to market and valued at cost or market value whichever is lower. Individual scrips are valued and depreciation / appreciation is aggregated category wise as per the classification in Balance Sheet. Net depreciation is provided for and net appreciation, if any, is ignored.

2.4. The net provisions arising on account of depreciation in "Available for Sale" & "Held for Trading" is charged to Profit & Loss Account and an equivalent amount or the balance available in the "Investment Reserve Account", whichever is less, is transferred from the "Investment Reserve Account" to the "Profit & Loss Appropriation Account".
In case of excess net provision in "Available for Sale" & "Held for Trading", the same is credited to Profit & Loss Account and an equivalent amount (net of taxes, if any, and net of transfer to Statutory Reserve as applicable to such excess provisions) is appropriated to the Investment Reserve Account.

2.5 Profit/ Loss on sale of investments are recognized in the Profit and Loss Account based on the weighted average cost of the related investments/ book value thereof.

2.6 In respect of non-performing securities (where interest / principal is in arrear) income is not recognized, and appropriate provision is made for depreciation in value of securities.

2.7 Cost of acquisition of investments excludes commission, brokerage, stamp duty, incentive etc.

2.8 For the purpose of valuation of Investments in "Available for Sale" & "Held for Trading" category, the rates declared by Primary Dealers Association of India (PDAI) / Fixed Income Money Market and Derivatives Association (FIMMDA) and quotes of Stock Exchange has been considered.
Investments for which such rates/quotes are not available are valued as per norms laid down by Reserve Bank of India, which are as under:

2.8.1 Equity Shares are valued as per latest Balance Sheet of the company (not more than 12 months), if available, otherwise are valued at Re. 1/- per company.

2.8.2 Investments in Mutual Funds Units are valued as per Stock Exchange quotation, Investment in non-quoted Mutual Fund Units are valued on the basis of the latest repurchase price declared by the Mutual Fund in respect of each particular Scheme. In case of funds with a lock-in period, where repurchase price/ market quote is not available, Units are valued at NAV. If NAV is not available, then the same are valued at cost, till the end of the lock-in period. Whenever the re-purchase price is not available, the Units are valued at the NAV of the respective scheme.

2.8.3 शून्य कूपन बाण्डों का मूल्यांकन रखाव लागत अर्थात् अभिग्रहण लागत तथा उस पर अभिग्रहण के समय विद्यमान दर से प्रोद्भूतरियायत पर किया गया है। बाजार मूल्य के सन्दर्भ में इन बाण्डों को बाजार मूल्य पर बही खाते में अंकित किया गया है।

3. अग्रिमों और उन पर प्रावधान :

अग्रिमों को उचंत ब्याज, मुकदमा दायर किये गये खातों से प्राप्त विविध जमा खाते में रखी राशि, सावधि जमा रसीद के रूप मेंरखी मार्जिन राशि (संदिग्ध/हानिकर खातों के मामले में), गैर निष्पादक आस्तियों के लिए समय–समय पर भारतीय रिजर्व बैंकद्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानकों के अनुरूप किये गये प्रावधानों और अनुदान आरक्षित निधि (गैर निष्पादक अग्रिमों पर) घटाकर दिखाया गया है।

4. अचलआस्तियां :

कुछ परिसरों को छोड़कर, जिनका पुनर्मूल्यांकन वित्तीय वर्ष 2015–16मेंकिया गया थाऔर जिनका पुनर्मूल्यांकित मूल्य अनुमोदित मूल्यांकक के द्वारा दीगयी मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार दर्शाया गया है, अचल आस्तियोंको उनकी अवधिगत लागत आधार पर लेखे में लिया गया है।पुनर्मूल्यांकन के कारण आई आधिक्य राशि को 'पूंजीगत आरक्षितनिधि' शीर्ष के अन्तर्गत 'पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधि' में जमा किया गया है।

5. स्टाफ हित लाभ :

मान्यता प्राप्त ग्रेच्युटी कोष, पेंशन निधि और संचित उपार्जित छुट्टियोंके नकदीकरण के लिए प्रावधान की गणना एक्चूरियल आधार परकी गई है।

6. आय अभिज्ञानः

6.1 आय की पहचान उपचित आधार पर की गई है। गैर निष्पादकअग्रिमों और निवेशों के मामले में वसूली की अनिश्चितता को देखतेहुए ऐसी आय को वसूली होने पर ही आय में लिया गया है।

6.2 कमीशन से आय (बैंक गारन्टी सहित), विनिमय और दलाली, शुल्क,लॉकर के किराये और अतिदेय बिलों पर ब्याज को प्राप्ति आधारपर ही आय के रूप में लिया गया है।

7. मूल्यह्रास :

7.1 संबंधित परिसंपत्तियों की लागत का अवशिष्ट मूल्य 5ःकी दर सेआकलित करने के बाद कंपनी अधिनियम, 2013 (डब्लूडीवी विधि केअनुसार) के "अनुसूची ᐦ"में निर्धारित संपत्ति के उपयोगी जीवन केआधार पर मूल्यह्रास शुल्क प्रभारित किया गया है।

एएस–10 में संशोधन के अनुसार, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण केसंशोधित हिस्से पर मूल्यह्रास, पुनर्मूल्यांकन रिजर्व से समायोजितकरने के बजाय लाभ और हानि खाते के विवरण को चार्ज करकेप्रदान किया गया है।

7.2 खरीद वर्ष में पूरे वर्ष का मूल्यह्रास लगाया गया और बिक्री/निस्तारण/समाप्ति के वर्ष में कोई मूल्यह्रास नहीं लगाया/प्रभारितकिया गया है।

7.3 कम्प्यूटरों और कम्प्यूटर सॉफ्टवेयरों पर मूल्यह्रास का प्रावधानभारतीय रिजर्व बैंक के दिशा–निर्देशों के अनुसार 33.33ः कीदर से स्ट्रेट लाइन पद्धति पर किया गया है।

7.4 बैंक खरीदी गई सभी स्थायी परिसंपत्तियों पर चुकाई गई जीएसटीराशि को पूंजीकृत करता है, इसलिए वर्ष के दौरान खरीदी गईस्थायी परिसंपत्तियों के संबंध में कोई निविष्ट (इनपुट) क्रेडिट नहींलिया गया है।

8. आय पर कर

आय कर के लिए लेखाकरण,इन्स्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टैंटऑफ़ इंडियाद्वारा जारी एकाउन्टिंग मानक–22 के अनुरूप स्थगित कर आस्ति/दयेता के प्रभाव पर विचार करते हुए किया गया है।स्थगित कर आस्ति/दयेता की संगणना तुलन पत्र कीदिनांकतकप्रचलित कर की दरों और नियमों के अनुसार की गई है और भविष्य की आय की निश्चितता है।

9. कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) :

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार बैंक द्वारा सीएसआर समिति बनाया जाना अपेक्षित है. बैंक ने सीएसआर समिति बनाने के संबंध में अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन कर लिया है। बैंक ने 31 मार्च 2019 को समाप्त अवधि के दौरान 96.21 लाख रुपये (छियानवे लाख इक्कीस हजार रुपये मात्र) के कुल अपेक्षित खर्च की तुलना में 10.20 लाख रुपये की राशि खर्च की है, जिसकी गणना पिछले तीन वर्षों के औसत निवल लाभ के आधार पर की गई है।

2.8.3 Zero coupon bonds are valued at carrying cost i.e. acquisition cost plus discount accrued at the rate prevailing at the time of acquisition. These bonds are marked to market with reference to market value.

3. ADVANCES AND PROVISIONS THEREON:

Advances are shown net of Interest Suspense, amount received and held in Suit filed Sundry Deposits, Margin held in form of FDR (in case of doubtful/loss accounts), Provisions have been made for Non Performing Advances in accordance with the prudential norms prescribed by Reserve Bank of India from time to time and Subsidy Reserve Fund (on Non-performing advances).

4.FIXED ASSETS:

Fixed Assets are stated at their historical cost except certain Premises, which were revalued in the FY 2015-16 and are stated at revalued amounts in accordance with the valuation report of the approved valuers.The surplus on account of revaluation stands credited to Revaluation Reserve under the head "Capital Reserve".

5. STAFF BENEFITS:

Contribution to recognized Gratuity Fund, Pension Fund and Provision for encashment of accumulated earned leaves are accounted for on actuarial basis.

6. REVENUE RECOGNITION:

6.1 Income is recognized on accrual basis. In view of uncertainty of realization in case of Non-Performing Advances and Investments, such income is accounted for only on realization.

6.2 Income from Commission (including bank guarantee), Exchange & Brokerage, Fees, Locker Rent and Interest on Overdue Bills is taken on receipt basis.

7. DEPRECIATION:

7.1 The depreciation has been charged on the basis of useful life of asset as prescribed in 'Schedule II' of the Companies Act, 2013 (as per WDV Method) after taking residual value @ 5% of the cost of the respective assets.

In accordance with the revision in the AS-10 ,Depreciation on revalued portion of Property, Plant and Equipment, has been provided by charging to Statement of Profit & Loss Account instead of adjusting from Revaluation Reserve.

.7.2 Depreciation is charged, for full year in the year of purchase and no depreciation is provided/ charged in the year of sale/disposal/deletion.

7.3 Depreciation on Computers and Computer Software's are provided on Straight Line Method at the rate of 33.33% in line with guidelines of Reserve Bank of India.

7.4 Bank capitalizes the GST amount paid on all fixed assets purchased and therefore no input credit has been taken in respect of the fixed assets purchased during the year.

8. TAXES ON INCOME:

Incompliance with Accounting Standard-22 on Accounting for Taxes on Income issued by The Institute of Chartered Accountants of India, accounting for Income tax is made after considering the effect of Deferred Tax assets/ liabilities. While calculating the deferred tax assets/ liabilities, tax rates and laws that have been enacted or substantively enacted as of Balance Sheet date are applied and there is certainty of future income.

9. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITIES (CSR):

According to Section 135 of the Companies Act, 2013, bank is required to have CSR Committee. Bank has complied with the provisions of the Act regarding formation of CSR committee. The bank has incurred an amount of Rs.10.20 Lakh during the period ending 31st March,2019 against a total required expenditure of Rs.96.21 lakh(Rupees Ninety Six Lakh Twenty One thousand only) which is calculated on the basis of the average net profit for the last three years.

अनुसूची 18: खातों पर टिप्पणियाँ–2018–19

1. ये खाते बैंककारी विनियमन अधिनियमन, 1949 की धारा 29 जिसेकम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 128 के साथ पढ़ा जाए, केप्रावधानों के अनुसार तैयार किए गए हैं।

2. तुलनपत्र में सभी आंकड़े भारतीय हजार रुपये में दर्शाये गये हैंसिवाय प्रति शेयर आय के जिसे रुपये में दर्शाया गया है।

3. बही संतुलन और समाधान

3.1 कुछ शाखाओं में सहायक बही/तुलन बही में शेष मिलान यामहाबही में तद्नुरूप नियंत्रक खातों से उनके समाधान का कायप्रगति पर है।

3.2 उपरोक्त वहीं संतुलन/समाधान/मिलान का कार्य जो अभी पूरानहीं है, के परिणामस्वरूप होने वाले समायोजन का खातों पर प्रभावसुनिश्चित किये जाने योग्य नहीं है।

4. अग्रिम

4.1 मानक अग्रिमों के लिए किए गए प्रावधान तथा प्रावधान की उस राशिमें से जो भा.रि. बैं. के विवेकपूर्ण मानकों के अनुसार अपेक्षित राशिसे अधिक है हानिकर आस्तियों की बट्टे खाते डाली जाने वालीराशि को कम करके "अन्य दायित्व और उपबन्ध" शीर्ष के अन्तर्गतसम्मिलित किया गया है सिवाय आयकर अधिनियम, 1961 की धारा36 (1) (अपप क) के अन्तर्गत वर्ष 1997–98 की समाप्ति तक की रू0312.54 लाख की संचित राशि के, जिसे निरन्तर "आरक्षितियां औरअधिशेष" शीर्ष के अन्तर्गत दर्शाया जा रहा है।

4.2 भा.रि.बैं. के दिशा–निर्देशों के अनुसार बही ऋण के विरूद्ध किए गएअग्रिमों को "मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत" शीर्षके अन्तर्गत सम्मिलितकिया गया है जो इन्स्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स ऑफइण्डिया द्वारा दिए गए मार्गदर्शन नोट के अनुरूप नहीं है।

4.3 31.03.2019 के अनुसार, मानक आस्तियों पर प्रावधान अर्थात 1734.71 लाख रुपये के अतिरिक्त, रिजर्व बैंक के 07.02.2018 के परिपत्र सं. आरबीआई/2017–18–129 डीबीआरसं. बीपी.बीसी100/21.04.048/2017–18 के अनुसार एमएसएमई खातों के लिए /5% ब्याज का एक अतिरिक्त प्रावधान किया गया है, जिस पर पहले ही वसूली की जा चुकी हैं।

दायरे के भीतर खातों की संख्या रू.1
दायरे के भीतर कुल बकाया राशि रू239ण्25लाख रुपये
प्रावधान अपेक्षित रू11.96लाख

4.4 वर्तमान में एनसीएलटी में दायर किए गए दो खाते हैं :

1. बेनलोन इंडिया लिमिटेड

मामला एनसीएलटी में दायर करने की तारीख:24/10/2018
एनसीएलटी द्वारा मामला स्वीकृत करने की तारीख :18/12/2018
पैन सं. रू AAACB3239P
31.03.2019 को धारित प्रावधान रू 71240945.00 रुपये

2. एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड

मामला एनसीएलटी में दायर करने की तारीख :29/12/2017.
एनसीएलटी द्वारा मामला स्वीकृत करने की तारीख :20/07/2018.
पैन सं. : AAFCA1873K
31.03.2018 को धारित प्रावधान : 75531485.00 रुपये
31.03.2019 को धारित प्रावधान : 75493126.00 रुपये

5. करों के लिए प्रावधान

एसैसमैंट/आयकर अधिनियम की अपील के विचाराधीन मामलों केसम्बन्ध में न्यायिक उद्घोषणा और/या न्यायिक सलाहकार की रायके अनुसार पहले से ही किए प्रावधानों को समुचित माना गया है।

SCHEDULE 18: NOTES ON ACCOUNT 2018-19

1. The accounts have been drawn up in accordance with the provisions of Section 29 of Banking Regulation Act, 1949 read with the provisions of Section 128 of the Companies Act, 2013.

2. All figures in Balance Sheet are provided in Indian Rupees in terms of thousands except EPS, which is shown in Rupees.

3. BALANCING OF BOOKS AND RECONCILIATION:

3.1 Reconciliation of some debit / credit entries outstanding in various heads of accounts included in Inter Branch Adjustments/ Clearing adjustments etc. are in progress.

3.2 Pending completion of aforesaid reconciliation/matching, the impact of consequential adjustments on the accounts is not ascertainable.

4. ADVANCES:

4.1 Provision made for Standard Advances and Provision made in excess of RBI prudential norms after meeting the write off of loss assets are included under the head "Other Liabilities and Provisions" except the accumulated balance of Rs. 312.54 Lac up to the close of the year 1997-98 created under Section 36(1) (vii a) of the Income Tax Act, 1961, which is continued to be shown under the head "Reserve & Surplus".

4.2 In accordance with guidelines issued by Reserve Bank of India, advances against book debts have been included under the head "Secured by Tangible Assets" which is not in line with guidance note issued by The Institute of Chartered Accountants of India.

4.3 In addition to the provision on standard assets as on 31.03.2019 i.e. Rs 1734.71 lacs ,an additional provisioning has been done for MSME accounts as per RBI circular No RBI/2017-18-129 DBR.No.BP.BC100/21.04.048/2017-18 dated 07.02.2018 @5%,interest on which has already been realized.

No. of accounts under purview: 01
Total outstanding amount under purview : Rs 239.25 lacs
Provision required: Rs 11.96 lacs

4.4 At present there are two accounts that are filed at NCLT :

1. BENLON INDIA LIMITED

Date of filing the case to NCLT: 24/10/2018
Date when NCLT admitted the case: 18/12/2018
PAN No: AAACB3239P
Provisions held as on 31.03.2019: Rs.71240945.00

2. ASIAN COLOR COATED ISPAT LIMITED

Date of filing the case to NCLT: 29/12/2017.
Date when NCLT admitted the case: 20/07/2018.
PAN No: AAFCA1873K
Provisions held as on 31.03.2018: Rs. 75531485.00
Provisions held as on 31.03.2019: Rs. 75493126.00

5. PROVISION FOR TAXATION:

In respect of pending cases of assessment /appeal under The Income Tax Act, the provisions already made are, in view of judicial pronouncement and/ or counsel's opinion, considered to be adequate.

6. भा.रि.बैं. द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित प्रकटीकरण प्रस्तुत किए जा रहे हैं:
6. In terms of guidelines issued by the RBI the following disclosures are furnished:

6.1 पूंजी / Capital:

क्र.सं. S.No.	मद / Items		चालू वर्ष Current Year	विगत वर्ष Previous Year
बेसल–II / BASEL II				
i)	जोखिम भारित परिसम्पत्ति की तुलना में पूंजी का अनुपात (प्रतिशत)	CRAR (%)	15.15%	15.30%
ii)	जोखिम भारित परिसम्पत्ति की तुलना में पूंजी का अनुपात – टियर I पूंजी (प्रतिशत)	CRAR - Tier I capital (%)	14.52%	14.67%
iii)	जोखिम भारित परिसम्पत्ति की तुलना में पूंजी का अनुपात – टियर II पूंजी (प्रतिशत)	CRAR - Tier II Capital (%)	0.63%	0.63%
iv)	राष्ट्रीयकृत बैंकों में भारत सरकार की शेयर धारिता का प्रतिशत	Percentage of the shareholding of the Government of India in nationalized banks	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA
v)	बैंक ऑफ बड़ौदा की शेयर धारिता का प्रतिशत	Percentage of Shareholding of Bank of Baroda	98.57%	98.57%
vi)	टियर II पूंजी के रूप में दिए गए गौण ऋण की राशि	Amount of subordinated debt raised as Tier-II capital		
बेसल–III / BASEL III				
i)	जोखिम भारित परिसम्पत्ति की तुलना में पूंजी का अनुपात (प्रतिशत)	i. CRAR (%)	14.85%	14.95%
ii)	जोखिम भारित परिसम्पत्ति की तुलना में टियर–I पूंजी (प्रतिशत)	ii. CRAR - Tier I capital (%)	14.41%	14.51%
iii)	जोखिम भारित परिसम्पत्ति की तुलना में टियर–II पूंजी (प्रतिशत)	iii. CRAR - Tier II Capital (%)	0.44%	0.44%

रिजर्व बैंक ने अपने दिनांक 10 जनवरी 2019 के परिपत्र डीबीआर.बीपी.बीसी. सं. 20६21०06०201६2018.19 द्वारा 31 मार्च 2019 से 31 मार्च 2020 तक पूँजी संरक्षण बफर (सीसीबी) के 0०625: के अंतिम अंश का कार्यान्वयन स्थगित करने का निर्णय किया है। तदनुसार 31 मार्च 2018 से यथा लागू भाग डी पैरा 15.2.2 "पूँजी संरक्षण बफर फ्रेमवर्क" में न्यूनतम पूँजी संरक्षण अनुपात भी 31 मार्च 2019 से 31 मार्च 2020 को सीसीबी द्वारा 2०5: का स्तर प्राप्त किए जाने तक लागू होगा।

RBI vide its circular DBR.BP.BC.NO.20/21.06.201/2018-19 dated Jan 10th,2019 ,decided to defer the implementation of the last tranche of 0.625% of Capital Conservation buffer(CCB)from March 31,2019 to March 31,2020.Accordingly minimum capital conservation ratios in para 15.2.2 of part d "Capital Conservation Buffer Framework" as applicable from March 31st,2018 will also apply from March 31st ,2019 till the CCB attains the level of 2.5% on March 31st,2020.

6.2 निवेश : / Investments:

(रू. करोड़ों में) / (Rs in Crores)

क्र.सं. S.No.	मद / Items		चालू वर्ष Current Year **2018-19**	विगत वर्ष Previous Year **2017-18**
1.	निवेशों का मूल्य	Value of investments		
(i)	निवेशों का सकल मूल्य	Gross value of investments		
(क) / (a)	भारत में	In India	1544.51	1710.13
(ख) / (b)	भारत से बाहर	Outside India	0.00	0.0
(ii)	मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	Provision for depreciation		
(क) / (a)	भारत में	In India	10.98	5.37
(ख) / (B)	भारत से बाहर	Outside India	0.00	0.0
(iii)	निवेशों का शुद्ध मूल्य	Net value of investments		
(क) / (a)	भारत में	In India	1533.53	1704.76
(ख) / (b)	भारत से बाहर	Outside India	0.00	0.0
2.	निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान में उतार–चढ़ाव	Movement of provisions held towards depreciation on investments		
(i)	अथशेष	Opening Balance	5.37	5.15
(ii)	जोड़ें : वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	Add: Provisions made during the year	5.61	0.22
(iii)	घटाइए : वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधान की बट्टे खाते में डाली गई / पुरांकित राशि	Less: Write off/Write back of excess provisions during the year	0.00	0.00
(iv)	इति शेष	(iv)Closing Balance	10.98	5.37

भारतीय रिज़र्व बैंक कापरिपत्र संख्या आरबीआई/2017–18/147 डीबीआर.सं.बीपी. बीसी. 102/21.04.048/2017–18 और आरबीआई/2017–18/200डीबीआर.सं.बीपी. बीसी. 113/21.04.048/2017–18बैंकों को, 31 दिसंबर, 2017 और 31 मार्च, 2018 और 30 जून 2018 को समाप्त तिमाहियोंके लिए निवेश पर मार्क टु मार्केटकोजिस तिमाही में घाटा (लॉस) हुआ है से प्रारम्भ कर चार तिमहियों में समान रूप में प्रावधान को विस्तारित(स्प्रेड) करने का विकल्प देता है।

तदनुसार बैंक ने यह विकल्प कार्यान्वित किया है और घटना की तिमाही में निवेश पर मार्क टु मार्केट (एमटीएम) हानि चिह्नित की है। मार्च 2019 के लिए निवेश पोर्टफोलियो के मूल्यह्रास का प्रावधानीकरण 109771823.88 रुपए है, जिसमें दिसंबर 2018 का आधा, मार्च 2018 का तीन–चौथाई और मार्च 2019 का पूर्ण प्रावधानीकरण शामिल है।

31.03.2019 को एमटीएम हानियों की कुल राशि 10971823.88 रुपये है, जिसमें से 53708521.90 रुपये का प्रावधानीकरण पहले ही किया जा चुका है. अतः मार्च 2019 के लिए कुल प्रावधानीकरण 56063301.98 रुपये है. आधार पिछले वर्षधतिमाही की कोई एमटीएम हानि वहन नहीं कर रहा।

6.2.1 रिपो (पुनः खरीद) लेन–देन : शून्य

6.2.2 गैर एस.एल.आर. निवेश संविभाग :

RBI circular no. RBI/2017-18/147 dbr.no.bp.bc102/21.04.048/2017/-18 & RBI/2017-18/200DBR.No.BP.BC.113/21.04.048/2017-18 grants an option to the Banks to spread provisioning for mark to market losses on investments for the quarter ended December 31, 2017, March 31, 2018 & June 30, 2018 equally over the four quarters commencing with quarter in which the loss is incurred.

Accordingly, the Bank has exercised the option and recognized the Mark to Market loss (MTM Loss) on investment in the quarter of incurrence. The provisioning of depreciation of the investment portfolio for March 2019 is Rs. 109771823.88, which is inclusive of half of December'18, three fourth of March'18 & full provisioning of March'19.

As on dated 31.03.2019 total amount of MTM losses is Rs. 10971823.88, out of which provision of Rs 53708521.90 is already held. Hence net provisioning for March 2019 is Rs. 56063301.98. The base is not carrying any MTM losses of previous year/quarter.

6.2.1 Repo Transactions : NIL

6.2.2. Non-SLR Investment Portfolio :

1. गैर एस.एल.आर. निवेशों के निर्गमकर्ताओं का संघटन / Issuer composition of Non SLR investments

(रू. करोड़ में / (Rs. in Crores)

क्र.सं. S. No.	जारीकर्ता Issue	राशि Amount	प्राइवेट स्थापन Private Placement	'इन्वेस्टमैंट ग्रेड से नीचे' की प्रतिभूतियां 'Below investment Grade' securities	वे प्रतिभूतियां जिनकी दर निर्धारित नहीं हैं। Unrated	'गैर सूचीबद्ध' प्रतिभूतियां Unlisted
(i)	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / PSU	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
(ii)	वित्तीय संस्थान / Financial Institutions	40.81	10.90	0.00	0.00	0.00
(iii)	बैंक / Banks	15.05	10.02	0.00	0.00	0.00
(iv)	निजी कम्पनी / Private Corporate	40.30	0.00	0.00	0.00	0.00
(v)	सहायक/संयुक्त उद्यम Subsidiaries/Joint Ventures	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(vi)	अन्य / Others	188.48	0.00	0.00	0.00	0.00
(vii)	मूल्यह्रास के लिए प्रावधान Provisions held for depreciation	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	जोड़ / Total	**289.64**	**25.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

नोटः कोष्ठक में दी गई संख्याएं विगत वर्ष की संख्याओं को दर्शाती हैं। / Note: Figures in bracket indicates previous year's figures.

2. अनर्जक हो गये गैर एस.एल.आर. निवेश / Not Performing Non- SLR Investments.

(रू. करोड़ में / (Rs. in Crores)

विवरण / Particulars	चालू वर्ष Current Year	विगत वर्ष Previous Year
अथ शेष / Particulars	0.00	0.00
वर्ष के दौरान वृद्धि (1 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019 तक) / Opening Balance	0.00	0.00
उपरोक्त अवधि के दौरान कमी Addition during the year(since 1st April 2018 to 31st March 2019)	0.00	0.00
इति शेष / Reductions during the above period	0.00	0.00
सकल प्रावधान / Closing balance	0.00	0.00

6.3 व्युत्पन्न : शून्य / Derivatives : NIL

6.4.1 अनर्जक आस्तियां– / 6.4.1 Non-Performing Asset –

(रू. करोड़ में / (Rs. in Crores)

		चालू वर्ष Current Year	विगत वर्ष Previous Year
(i)	शुद्ध अग्रिम में शुद्ध गै.नि.अ. (प्रतिशत) / Net NPAs to Net Advances (%)	5.77	1.16
(ii)	गै.नि.अ. (सकल) में उतार–चढ़ाव / Movement of NPAs (Gross)		
a	अथशेष /Opening balance*	167.48	164.27
b	वर्ष के दौरान परिवर्धन /Additions during the year	252.92	47.89
c	वर्ष के दौरान कमी / Reductions during the year	32.18	44.68
d	इति शेष' / Closing balance*	388.22	167.48
	राशि ब्याज उचंत घटाकर है / * Amount is net of interest suspense		
(iii)	शुद्ध गै.नि.अ. में उतार–चढ़ाव / Movement of Net NPAs		
a	अथशेष / Opening balance	38.25	39.51
b	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	161.27	0
c	वर्ष के दौरान कमी / Reductions during the year	0.0	1.26
d	इति शेष / Closing balance	199.52	38.25
(iv)	**गै.नि.अ. के लिए प्रावधान में उतार–चढ़ाव** /Movement of provisions for NPAs		
	(मानकआस्तियों के लिए प्रावधान को छोड़कर) / (excluding provisions on standard assets)		
a	अथशेष'' /Opening balance**	121.76	118.00
b	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान / Provisions made during the year	53.90	17.30
c	अतिरिक्त प्रावधान की बट्टे खाते में डाली गयी/प्रतिलेखित की गई राशि0.9613.54 Provisions made during the year Write-off/ write-back of excess provisions	0.96	13.54
d	**इति शेष''174.70121.76 /Closing balance ****	**174.70**	**121.76**

*उचंत ब्याज की राशि को घटाकर आई राशि / * Amount is net of interest suspense
**इस राशि में अस्थाई प्रावधान सम्मलित है। / ** Amount includes floating provision

6.4.2 पुनर्गठन के आधीन ऋण आस्तियों का विवरण (2017–18) / 6.4.2 Details of Loan Assets subjected to restructuring (2017-18)

(रू. करोड़ में / (Rs. in Crores)

	पुनर्गठन का प्रकार Types of Restructure		कम्पनी ऋण पुनर्गठन तन्त्र के अन्तर्गत Under CDR Mechanism					लघु, सूक्ष्म उद्योग ऋण पुनर्गठन तंत्र के अन्तर्गत Under SME Debt Rest. Mech.					अन्य / Others					योग / Total				
	आस्ति वर्गी / Asset Class.		मा.	अवमा.	सं.	हानि	योग	मा.	अवमा.	सं.	हानि	योग	मा.	अवमा.	सं.	हानि	योग	मा.	अवमा.	सं.	हानि	योग
	विवरण / Details																					
1.	01–04–2017 को पुनर्गठित खाते Rest. a/c as on 1.04.2017	उधारकर्ताओं की संख्या No. of Borr.											08				08	08				08
		बकाया राशि Amt. O/S											0.62				0.62	0.62				0.62
		प्रावधान / Prov.											0.06				0.06	0.06				0.06
2.	वर्ष के दौरान नये पुनर्गठित खाते Fresh. Rest. During The Year	उधारकर्ताओं की संख्या No. of Borr.	शून्य					शून्य					शून्य					शून्य				
		बकाया राशि Amt. O/S																				
		प्रावधान / Prov.																				
3.	उच्चीकरण Upgradation	शून्य NIL																				
4.	पुनर्ग.मा.आ.जिनके लिए बड़े प्रावधान की और/या वि.व. की समाप्ति पर जोखिम भार जोड़ने की आवश्यकता नहीं है अतः उन्हें आगामी वित्तीय वर्ष की शुरुआत पर पुनर्ग.के रुप में दर्शाने की आवश्यकता नहीं है। Rest. St. Adv. which cease to attract higher prov. and or add. Risk weight at the end of the FY and hence need not be shown as rest .St. adv.at the beg. of next FY (-)												08				08	08				08
													0.62				0.62	0.62				0.62
													0.06				0.06	0.06				0.06
5.	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्ग. खातों का स्तर निम्नतर होना Downgrading of rest. a/cs during the FY	शून्य NIL																				
6.	वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाले गये पुनर्ग. खाते Write off rest. a/cs during the year	शून्य NIL																				
7.	31.03.2018 को पुनर्ग.खाते Rest. a/cs as on 31.03.2018	उधारकर्ताओं की संख्या No. of Borr.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		बकाया राशि Amt. O/S	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		प्रावधान Prov.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

पुनर्गठन के आधीन ऋण आस्तियों का विवरण (2018–19) / Details of Loan Assets subjected to Restructuring (2018-19)

(रू. करोड़ में / (Rs. in Crores)

	पुनर्गठन का प्रकार Types of Restructure		कम्पनी ऋण पुनर्गठन तन्त्र के अन्तर्गत Under CDR Mechanism					लघु, सूक्ष्म उद्योग ऋण पुनर्गठन तंत्र के अन्तर्गत Under SME Debt Rest. Mech.					अन्य / Others					योग / Total				
	आस्ति वर्गी / Asset Class.		मा.	अवमा.	सं.	हानि	योग	मा.	अवमा.	सं.	हानि	योग	मा.	अवमा.	सं.	हानि	योग	मा.	अवमा.	सं.	हानि	योग
	विवरण / Details																					
1.	01–04–2018 को पुनर्गठित खाते Rest. a/c as on 1.04.2018	उधारकर्ताओं की संख्या No. of Borr.																				
		बकाया राशि Amt. O/S																				
		प्रावधान / Prov.																				
2.	वर्ष के दौरान नये पुनर्गठित खाते Fresh. Rest. During The Year	उधारकर्ताओं की संख्या No. of Borr.	शून्य					शून्य					शून्य					शून्य				
		बकाया राशि Amt. O/S																				
		प्रावधान / Prov.																				
3.	उच्चीकरण Upgradation	शून्य NIL																				
4.	पुनर्ग.मा.आ.जिनके लिए बड़े प्रावधान की और/या वि.व. की समाप्ति पर जोखिम भार जोड़ने की आवश्यकता नहीं है अतः उन्हें आगामी वित्तीय वर्ष की शुरुआत पर पुनर्ग.के रुप में दर्शाने की आवश्यकता नहीं है। Rest. St. Adv. which cease to attract higher prov. and or add. Risk weight at the end of the FY and hence need not be shown as rest .St. adv.at the beg. of next FY (-)								-----	-----	-----			-----	-----							
5.	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्ग. खातों का स्तर निम्नतर होना Downgrading of rest. a/cs during the FY	शून्य NIL																				
6.	वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाले गये पुनर्ग. खाते Write off rest. a/cs during the year	शून्य NIL																				
7.	31.03.2018 को पुनर्ग.खाते Rest. a/cs as on 31.03.2018	उधारकर्ताओं की संख्या No. of Borr.	-----	-----	-----	-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		बकाया राशि Amt. O/S	-----	-----	-----	-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		प्रावधान Prov.	-----	-----	-----	-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

6.4.3 आस्तियों की पुनर्संरचना के लिए सिक्यूरिटाईजेशन / पुनर्निर्माण कम्पनी को बेची गई वित्तीय आस्तियों का विवरण: शून्य

6.4.3 (क) खरीदी / बेची गई गैर निष्पादक वित्तीय आस्तियों का विवरण : शून्य

6.4.3 Details of financial assets sold to Securitisation /Reconstruction Company for Asset Reconstruction : NIL

6.4.3 (a) Details of non performance financial assets purchases/sold : NIL

6.4.4 Provisions on Standard Asset

(रू. करोड़ में / (Rs. in Crores)

मद / Item	चालू वर्ष / Current Year	विगत वर्ष / Previous Year
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान / Provisions towards Standard Assets	17.47	16.49

6.4.5 वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए अस्थाई प्रावधान / **Floating Provisions for Financial year 2018-19** (रू. करोड़ में) / (Rs. in crores)

मद / Item	चालू वर्ष Current Year	विगत वर्ष Previous Year
क) अस्थाई प्रावधान खाते में अथशेष/Opening balance in the floating provisions account	52.92	52.92
ख) लेखा वर्ष में किये गये अस्थाई प्रावधान की मात्रा/The quantum of floating provision made in the accounting year	6.80	0.00
ग) लेखा वर्ष में किये गये आहरण द्वारा गिरावट की राशि/Amount of draw down made during the accounting year*	-	0.00
घ) अस्थाई प्रावधान खाते में इति शेष/Closing balance in the floating provision account	59.72	52.92

6.4.6 प्रावधान सुरक्षा अनुपात / **Provisioning Coverage Ratio**

मद / Item	चालू वर्ष Current Year	विगत वर्ष Previous Year
सकल प्रावधान/सकल एन.पी.ए. / Total Provision/Total NPA	174.70/388.22	121.76/167.48
	45.00%	72.70%

बैंक 31 मार्च 2019 को सकल एनपीए के संदर्भ में 45% का प्रावधानीकरण कवरेज अनुपात हासिल करने में सफल रहा। अतः कुल एनपीए 199.52 करोड़ रुपये बैठता है। कुल प्रावधान में 174.70 करोड़ रुपये केचल प्रावधानभीशामिल है।

The bank was able to achieve a Provisioning Coverage Ratio of 45% with reference to the gross NPAs as at 31st March, 2019. Hence the net NPAs stands at Rs. 199.52 Crore .Total provision include floating provision amounting to Rs. 174.70 Crore.

6.4.7 आस्तियों वर्गीकरण और प्रोविजनिंग में विचलन (आरबीआई परिपत्र डीबीआर.बीपी. बीसी.सं. 63/21.04.18/2016–17 दिनांक 18 अप्रैल 2017)

6.4.7 Divergence in the Assets Classification and Provisioning(RBI Circular No.DBR.BP.BC.No.63/21.04.18/2016-17 dated April 18,2017

रिजर्व बैंक के दिनांक 1 अप्रैल 2019 के परिपत्र डीबीआर.बीपी.बीसी. सं. 32/21/04/018/2018.19 के अनुसार, यदि संदर्भ–अवधि के लिए रिजर्व बैंक द्वारा आकलित एनपीए के लिए अतिरिक्त प्रावधानीकरण, प्रावधानों और आकस्मिक व्ययों से पूर्व सूचित लाभ से 10: अधिक हो जाता है और/या रिजर्व बैंक द्वारा चिह्नित सकल एनपीए, प्रकाशित वर्धमान सकल एनपीए से 15% अधिक हो जाता है, तो बैंकों को आय–निर्धारण, आस्ति–वर्गीकरण और प्रावधानीकरण पर विवेकपूर्ण मानदंडों से विचलन प्रकट करने आवश्यक हैं। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए सूचित विचलनों के संबंध में कोई प्रकटीकरण नहीं किया गया, क्योंकि वह ऊपर वर्णित सीमाओं से अधिक नहीं है।

As per RBI circular DBR.BP.BC.No.32/21.04.018/2018-19 dated April 1 2019, in case for the additional provisioning for NPAs, assessed by RBI exceeds 10% of reported profit before provisions and contingencies and/or additional Gross NPAs identified by RBI exceeds 15% of published incremental Gross NPAs for the reference period then the banks are required to disclose divergences from prudential norms on income recognition, asset classification and provisioning. Accordingly ,no disclosure is made in respect of divergence reported for the financial year 2018-19,as the same is not beyond the above mentioned thresholds.

6.5 व्यावसायिक अनुपात / **Business Ratio**

क्र.सं. S.No.	मद / Item	चालू वर्ष (%) Current Year (%)	विगत वर्ष (%) Previous Year (%)
i.	कार्यकारी निधि में ब्याज से आय का प्रतिशत Interest Income as a percentage to Working Funds	8.11%	8.00%
ii.	कार्यकारी निधि में गैर ब्याज से आय का प्रतिशत Non-interest income as a percentage to Working Funds	0.36%	0.46%
iii.	कार्यकारी निधि में परिचालन लाभ का प्रतिशत Operating Profit as a percentage to Working Funds	1.36%	1.27%
iv.	आस्तियों से प्राप्ति का प्रतिशत Return on Assets	0.34%	0.63%
v.	प्रति कर्मचारी व्यवसाय (जमा और अग्रिम, बैंक जमा को छोड़कर) (रू. करोड़ में) Business (Deposits plus Advances excluding Bank deposits) per employee (Rs. in crore)	12.55	11.70
vi.	प्रति कर्मचारी लाभ (रू. करोड़ में) Profit per employee (Rs. in crore)	0.03	0.06

6.6 आस्ति देयता प्रबन्धन (ए.एल.एम.)

आस्तियों और देयताओं के कुछ मदों की परिपक्वता पद्धति के आंकड़े नीचे दिये गये हैं (ये आंकड़े प्रबन्धन द्वारा संकलित किए गए हैं तथा उन पर लेखा परीक्षकोंद्वारा विश्वास किया गया है।)

6.6 Asset Liability Management (ALM)

Maturity pattern of certain items of assets and liabilities (as compiled by the management and relied upon by the Auditors) are as under:

देयताएं Liabilities	जमा Deposits	अग्रिम Advances	निवेश Investments	उधार Borrowings	विदेशी मुद्रा आस्तियां Foreign Currency assets	विदेशी मुद्रा देयताएं Foreign Currency liabilities
1 दिन 1 day	41.50 (35.62)	111.70 (80.37)	0.00 (35.34)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
2 से 7 दिन तक 2 to 7 days	220.74 (178.74)	109.10 (98.35)	0.00 (29.56)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
8 से 14 दिन तक 8 to 14 days	206.68 (190.21)	112.99 (107.12)	0.00 (133.10)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
15 से 30 दिन तक 15 to 30days	169.35 (213.65)	252.07 (311.67)	197.54 (277.06)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
31 दिन से अधिक और 2 माह तक Over 31 days upto 2 months	242.87 (260.96)	123.02 (115.89)	240.01 (318.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
2 माह से अधिक और 3 माह तक Over 2 month upto 3 months	418.48 (375.67)	119.04 (118.29)	162.45 (104.49)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
3 माह से अधिक और 6 माह तक Over 3 months & up to 6 months	1188.37 (896.31)	60.05 (220.17)	33.46 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
6 माह से अधिक और 1 वर्ष तक Over 6 months & up to 1 year	2005.37 (2286.58)	96.14 (134.32)	98.12 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक Over 1 year & up to 3 years	2714.05 (2810.74)	1751.91 (1617.75)	85.47 (51.18)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक Over 3 years & up to 5 years	63.34 (64.08)	115.30 (225.28)	115.30 (76.24)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
5 वर्ष से अधिक Over 5 years	15.43 (19.30)	329.73 (334.72)	601.17 (679.79)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
कुल /Total	7286.19 (7331.87)	3515.75 (3363.93)	1533.53 (1704.76)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)

नोट : कोष्ठक में दिए गए आंकड़ें विगत वर्ष के आंकड़ों को दर्शाते हैं / Note: Figures in bracket indicates previous year figures

6.7 संवेदनशील क्षेत्र को उधार / Lending to Sensitive Sector

6.7.1 भूमि भवन क्षेत्र को ऋण / Exposure to Real Estate Sector

(Rs. in crores)

क्र.सं. S.No.	श्रेणी Category		चालू वर्ष Current Year	विगत वर्ष Previous Year
क) / A	**प्रत्यक्ष ऋण / Direct exposure**			
(i)	आवासीय बंधक–आवासीय सम्पत्ति जो उधारकर्त्ता के कब्जे में है या होगी या उसके द्वाराकिराये पर दी गई है को बंधक बनाकर पूरी तरहसुरक्षित उधार (प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अन्तर्गतवर्गीकृत व्यक्तिगत आवास ऋण आर.बी.आई. केदिशा–निर्देशों के अनुसार अलग से दिखाया जासकता है)	(i) Residential Mortgages – Lending fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented; (Individual housing loans classified as Priority Sector as per RBI guidelines may be shown separately)	378.43 (212.73)	362.22* (194.50)
(ii)	व्यापारिक भूमि भवन–व्यापारिक भूमि भवन(कार्यालय भवन, खुदरा जगह, बहु उद्देशीयव्यापारिक परिसर, अनेक परिवारों के आवासीयभवन, अनेक व्यक्तियों को किराये पर दिये गयेव्यावसायिक भवन, उद्योग या गोदाम के लिए जगह,होटल, भूमि पर कब्जा, विकास और संरचना आदि)को बंधक बनाकर पूरी तरह सुरक्षित ऋण। ऋण मेंगैर निधि आधारित सीमाएं भी सम्मिलित होंगी।	(ii) Commercial Real Estate – Lending secured by mortgages on commercial real estates (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc.). Exposure would also include non-fund based (NFB) limits;	133.92	126.88*
(iii)	बंधक से समर्थित प्रतिभूतियों में निवेश तथा अन्य प्रतिभूत ऋण –	Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitised exposures –		
(अ)	आवासीय	a. Residential,	0.00	0.00
(ब)	व्यापारिक भूमि भवन	b. Commercial Real Estate.		
ख)	अप्रत्यक्ष ऋण	b) Indirect Exposure	0.00	0.00
	राष्ट्रीय आवास बैंक और आवास वित्तीयन कम्पनियों को निधि आधारित और गैर निधि आधारित ऋण।	Fund based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs)	0.00	0.00
	भूमि भवन क्षेत्र को कुल ऋण	Total Exposure to Real Estate Sector	482.35	489.10

इसमें स्टाफ को दिए गए आवास ऋणों की राशि सम्मिलित है।

*include staff housing loans.

**इसमें वाणिज्यिक भूमि भवन क्षेत्र को ऋण सम्मलित है–
– निधि आधारित ऋण रू. 128.48करोड़
– गैर निधि आधारित ऋण रू. 5.44करोड़

**Exposure to Commercial Real Estate includes
-Funded Exposure Rs. 128.48 Cr
-Non Funded Exposure Rs. 5.44 Cr

6.7.2 पूंजी बाजार में एक्सपोजर (ऋण) / 6.7.2 Exposure to Capital Market

क्र.सं. S.No.	श्रेणी Category		चालू वर्ष Current Year	विगत वर्ष Previous Year
(i)	इक्विटी शेयर, परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचरों तथाइक्विटी उन्मुख म्युच्युअल फंडों की यूनिटों में प्रत्यक्ष निवेशजिनकी संपूर्ण राशि केवल कंपनी ऋण में निवेशित नहीं है।	i) direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt;	0.00	33.35
(ii)	शेयरों (आई.पी.ओ./ई.एस.ओ.पी. सहित), परिवर्तनीय बांडों,परिवर्तनीय डिबैचरों, तथा ईक्विटी उन्मुख म्युच्युअल फंडोंकी यूनिटों में निवेश करने के लिए व्यक्तियों को शेयरों/बांडों/डिबेंचरों अथवा अन्य प्रतिभूतियों की जमानत परअथवा बेजमानती आधार पर अग्रिम	(ii) advances against shares/bonds/ debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ESOPs), convertible bonds, convertible debentures, and units of equity-oriented mutual funds;		

(रू. करोड़ में)/(Rs. in crores)

क्र.सं. S.No.	श्रेणी Category		चालू वर्ष Current Year	विगत वर्ष Previous Year
(iii)	किसी अन्य प्रयोजनों के लिए अग्रिम जहां शेयर अथवापरिवर्तनीय बांड अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर अथवा ईक्विटीउन्मुख म्युच्युअल फंडों की यूनिटों को प्राथमिक जमानत के रूप में लिया जाता है	advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security;	0.00	33.35
(iv)	किन्हीं अन्य प्रयोजनों शेयरों अथवा परिवर्तनीय बांडों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों अथवा ईक्विटी उन्मुख म्युच्युअल फंडोकी यूनिटों समर्थक जमानत द्वारा रक्षित हिस्से की सीमातक अर्थात जहां शेयरों/परिवर्तनीय बांडों/परिवर्तनीयडिबेंचरों/ईक्विटी उन्मुख म्युच्युअल फंडों की यूनिटों से इतर प्राथमिक जमानत अग्रिमों को पूर्णतः कवर नहीं करती,के लिए अग्रिम	advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/convertible bonds/convertible debentures/units of equity oriented mutual funds `does not fully cover the advances;		
(v)	स्टॉक दलालों को जमानती तथा बेजमानती अग्रिम तथास्टॉक दलालों तथा मार्केट मेकरों की ओर से जारी गारंटियां	secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers;		
(vi)	संसाधन जुटाने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की ईक्विटी में प्रवर्तक के अंशदान को पूरा करने के लिए शेयरों/बांडों/डिबेंचरों अथवा अन्य प्रतिभूतियों की जमानत पर अथवाबिना जमानत के कंपनियों को मंजूर किए गए ऋण	loans sanctioned to corporate against the security of shares / bonds/debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources;		
(vi)	;अपपद्ध अपेक्षित ईक्विटी प्रवाहों/निर्गमों की जमानत पर कंपनियोंको दिए गए तात्कालिक (ब्रिज) ऋण	bridge loans to companies against expected equity flows/issues;		
(vii)	;अपपपद्ध शेयरों/परिवर्तनीय बांडों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों अथवाईक्विटी उन्मुख म्युच्युअल फंडों की यूनिटों के प्राथमिकनिर्गम के संबंध में बैंकों की हामीदारी प्रतिबद्धताएं	underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds;		
(xi)	मार्जिन ट्रेडिंग के लिए स्टॉक दलालों को वित्तपोषण	financing to stockbrokers for margin trading;		
(x)	जोखिम पूंजी निधियों (पंजीकृत तथा पंजीकृत न किए गएदोनों) में सभी एक्सपोजर	all exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered)		
	पूंजी बाजार में कुल एक्सपोजर (ऋण) /Total Exposure to Capital Market		0.00	33.35

6.7.3 जोखिम की श्रेणीवार किसी देश को ऋण : शून्य

6.7.4 ऋण का विवरण जहां बैंक ने व्यक्तिगत/समूह उधारकर्ताके लिये यथोचित उधार सीमा का उल्लंघन किया :

बैंक ने किसी व्यक्तिगत, समूह खाते के लिये विवेक सम्मत ऋणसीमा का उल्लंघन नहीं किया।

6.7.5 गैर जमानती अग्रिम

अनुसूची 9 में दर्शाये गये गैर जमानती अग्रिमों की राशि निश्चितकरने के लिए बैंक द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं (संरचनात्मक परियोजनाओं साहित) में अधिकार, लाईसैंस, अधिकरण आदि जो बैंक में समर्थक जमानत के रूप में हैं को गोचर प्रतिभूति के रूप में नहीं गिना गया है। इसलिए ऐसे अग्रिमों को असुरक्षित माना गयाहै। ऐसा कोई अग्रिम नहीं है जिसके लिए अगोचर प्रतिभूति जैसे– अधिकारों पर प्रभार, लाइसैंस, अधिकार आदि को सिक्योरिटी के रूप में रखा गया हो।

6.7.3 Risk Category wise Country Exposure : NIL

6.7.4 Details of Single Borrower Limit (SBL), Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the bank.

The Bank has not exceeded the prudential limits in respect of any individual, group account.

6.7.5 Unsecured Advances

For determining the amount of unsecured advances reflected in Schedule 9, the rights, licenses, authorizations, etc., charged to the bank as collateral in respect of projects (including infrastructure projects) financed by bank, have not been reckoned as tangible security. Hence such advances have been reckoned as unsecured. Moreover, there is no amount of advance for which intangible securities such as charge over the rights, licenses, authority, etc has been considered.

6.8 विविध

6.8.1 वर्ष के दौरान आय कर के लिए किए गए प्रावधान की राशि

	चालू वर्ष	विगत वर्ष
आयकर के लिए प्रावधान (रू. करोड़ों में)		

6.8.2 भा.रि.बैं. द्वारा लगाये गये अर्थदण्ड का प्रकटीकरण: रूपये1.00 करोड़/–जोखिम घटाने की योजना (आरएमपी) का अनुपालन न करने से संबंधित बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 35ए, 47ए के अंतर्गत बैंक को रिजर्व बैंक द्वारा उपयुक्त ऋण निगरानीध्एनपीए की पहचान (अर्थात सीबीएस और क्रिसमैक) सुनिश्चित करने हेतु प्रसंस्करण द्वारा सीधे (एसटीपी) कार्यान्वित करने तथा परिचालन जोखिम कम करने के लिए एनपीए की स्वतः फ्लैगिंग की प्रक्रिया आसान बनाने हेतु इस्तेमाल में मौजूदा क्रिसमैक को उन्नत करने के लिए कहा गया, किंतु निर्धारित समय में वह नहीं किया जा सका। तथापि, बैंक ने सीबीएस एप्लीकेशन के उन्नत वर्जन की आवश्यकता–पूर्ति के लिए अपना डीसी/डीआर इन्फ्रा आबंटित करने हेतु सेवा–प्रदाता खोजने के लिए अपना आरपीएफ प्रवहमान कर दिया है।

7.लेखा मानकों के अनुसार प्रकटीकरण (जहाँ भा.रि.बैं. नेदिशा निर्देश जारी किये हैं।)

7.1 ले.मा.–15 (संशो.) को अंगीकार करना :

बैंक ने 1 अप्रैल, 2007 से आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक 15 (सं) –कर्मचारी हितलाभ को अंगीकार किया है।

1. पेंशन

भारतीय जीवन बीमा निगम, बजाज एलाएन्स, लाईफ इन्श्योरैन्सकं. लि., आई. सी. आई. सी. आई. प्रूडैन्शियल लाईफ इन्श्योरैन्सक. लि., इण्डिया फर्स्ट लाईफ इन्श्योरैन्स क. लि., एस. बी. आईलाईफइन्श्योरैन्स क. लि., एच. डी. एफ. सी. स्टेन्डर्ड लाइफइन्श्योरेंन्स कम्पनी लि., रिलाइन्स लाईफ इन्श्योरेंन्स कम्पनी लि. औरआईडीबीआई फैडरल लाइफ इन्श्योरैंस कम्पनी लिमिटेड इस निधि केप्रबन्धन का कार्य करते हैं। बैंक पेंशन फंड को वार्षिक योगदान, लाभऔर हानि खाते से देता है। बैंक अपनी बही में आस्ति और देयताका अभिज्ञान नहीं करता है। निधि का प्रबधन एक अलग मान्यताप्राप्त न्यास द्वारा किया जाता है।

2. छुट्टी नकदीकरण

इस निधि का प्रबन्धन भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किया जाताहै। इसके लिए बैंक अपना योगदान लाभ और हानि खाते से देताहै। आस्ति और देयता का हिसाब ज्ञापन बही में रखा गया है।

3. ग्रेच्युटी

एस.बी.आई. लाईफ इन्श्योरैन्स कं.लि., बजाज एलाएन्स, लाईफइन्श्योरैन्स कं.लि., आई.सी. आई.सी आई. प्रूडैन्शियल लाईफ इन्श्योरैन्सकं.लि., इण्डिया फर्स्ट लाईफ इन्श्योरैन्स कं.लि. , एच.डी.एफसी.स्टेन्डर्ड लाइफ इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, रिलायन्स लाईफइन्श्योरेन्स क.लि., एल.आई.सी. आफ इण्डिया और आई.डी.बी.आईफैडरललाईफ इन्श्योरैंस लिमिटेड द्वारा ग्रेच्युटी निधि के प्रबन्धन काकार्य किया जाता है। बैंक ग्रेच्युटी निधि को दिए जाने वाले अपनेवार्षिक योगदान को लाभ और हानि खाते से अदा करता है। बैंकआस्ति और देयता को अपनी बहियों में चिन्हित नहीं करता है। निधिके प्रबन्धन का कार्य एक अलग मान्यता प्राप्त न्यास द्वारा कियाजाता है।

6.8 Miscellaneous

6.8.1 Amount of Provisions made for Income-tax during the year;

	Current Year	Previous Year
Provision for Income Tax (Rs. In Crores)	24.00	27.60

6.8.2 Disclosure of Penalties imposed by RBI : Rs 1.00 Crore /-under sections 35A,47A of Banking Regulation Act 1949 for Noncompliance with Risk Mitigation Plan(RMP) .Under this ,bank was advised by RBI to implement Straight Through Processing(STP) to ensure proper credit monitoring/NPA identification(e.g.CBS & CrisMac) and to upgrade existing CrisMac system in use to facilitate process of automatic flagging of NPAs to mitigate operational risk but the prescribed deadline could not be met. However bank has floated its RFP for scouting of service provider to allocate its DC/DR infra to cater CBS applications upgraded version and the bank would implement ASP.Net CBS software having inbuilt NPA functionality before 30th September 2019.

7. Disclosure as per Accounting Standards (where RBI has issued guidelines)

7.1 Adoption of AS-15(R):

The Bank has adopted Accounting Standard 15 (R) - Employees Benefits, issued by ICAI w.e.f. 1st April, 2007.

1. Pension

The fund is managed by Life Insurance Corporation of India, Bajaj Allianz Life Insurance Co. Ltd., ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd., India First Life Insurance Co. Ltd, SBI Life Insurance Co. Ltd., HDFC Standard Life Insurance Company Limited, Reliance Life Insurance Company Limited and IDBI Federal Life Insurance Co. Ltd. The Bank charges the annual contribution towards pension fund to its Profit & Loss Account. The Bank does not recognize the asset and liability in its books. The fund is managed by a separate recognized Trust.

2. Leave encashment

The fund is managed by LIC of India. The Bank charges the annual contribution towards the fund to its Profit & Loss account. The asset and liability are maintained in Memorandum Books.

3. Gratuity

The fund is managed by SBI Life Insurance Co. Ltd., Bajaj Allianz Life Insurance Co. Ltd., ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd., India First Life Insurance Co. Ltd. HDFC Standard Life Insurance Company Ltd, Reliance Life Insurance Company Ltd., LIC of India and IDBI Federal Life Insurance Co Ltd. The Bank charges the annual contribution towards Gratuity fund to its Profit & Loss Account. The Bank does not recognize the asset and liability in its books. The fund is managed by a separate recognized Trust.

4. कर्मचारियों को अन्य हित लाभ

कर्मचारियोंके अन्य हित लाभ के लिए बैंक ने रू.1ए68ए57ए308करोड़ काछुट्टी यातायात रियायतएवं एक्स ग्रेसिया के लिए रू.2ए58ए28ए476ण्00करोड़ का प्रावधान दिनांक 31.03. 2019 तक के लिए किया है। येप्रावधान एक्चूरियल फर्म द्वारा किये गए दायित्वों के मूल्यांकन परआधारित है।

5. नैनीताल बैंक लिमिटेड के कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट केनुकसान की भरपायी के लिए

भविष्य निधि अधिनियम के अनुसार, न्यास को होने वाले किसी भी नुकसान की भरपाई नियोक्ता अर्थात नैनीताल बैंक लिमिटेड को करनी होगी। इसे दृष्टिगत रखते हुए बैंक ने नैनीताल बैंक लिमिटेड स्टाफ भविष्य निधि न्यास के 2.70 करोड़ रुपये के मौजूदा नुकसान की भरपाई –3– वर्ष में करना स्वीकार कर लिया है। तदनुसार बैंक ने अपने दिनांक 19. 03.2019 के नोट द्वारा 90.00 लाख रुपये (नब्बे लाख रुपये मात्र) का भुगतान कर दिया, जो कि दूसरे वर्ष के लिए देय शेष 1/3 राशि थी। इसके अतिरिक्त, बैंक ने नैनीताल बैंक लिमिटेड स्टाफ भविष्य निधि न्यास को हुए चालू वर्ष (वित्तीय वर्ष 2017–18) के नुकसान की भरपाई के लिए अपने दिनांक 30.03.2019 के नोट द्वारा 33.00 लाख रुपये का भुगतान किया।

7.1.1 देयता के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन (रू. करोड़ में)

विवरण	पेंशन (निधिक)	ग्रेच्यूटी (निधिक)	छुट्टी नकदीकरण (निधिक)
1 अप्रैल, 2018 को निर्धारित हित लाभ के दायित्व का वर्तमान मूल्य	247.31	45.80	21.37
ब्याज लागत	19.17	3.55	1.66
चालू सेवा लागत	4.70	1.66	1.00
पूर्व सेवा लागत	0.00	0.00	0.00
घटाएं:	-	-	-
अदा किए गए हित लाभ	-	-9.06	-3.77
एक्चूरियल हानि/ (लाभ)	7.52	(0.02)	(0.54)
31 मार्च, 2019 को निर्धारित हितलाभ देयता का वर्तमान मूल्य	278.70	41.96	19.72

7.1.2 योजनाबद्ध आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन (रू. करोड़ में)

विवरण	पेंशन (निधिक)	ग्रेच्यूटी (निधिक)	छुट्टी नकदीकरण (निधिक)
1 अप्रैल, 2018 को योजनाबद्ध आस्तियों का उचित मूल्य	153.65	45.70	24.14
प्रारंभिक निधि में अंतर	1.07	(0.06)	(0.16)
योजनाबद्ध आस्तियों से अपेक्षित प्राप्ति, जैसा कि एक्चूरी की रिपोर्टमें दिया गया है	10.00	3.20	1.55
नियोक्ता का योगदान 2018–19	14.50	3.21	0.10
सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए खरीदी गई एन्यूटीज	132.41	-	-
घटाएं :			
प्रदत्त हित लाभ	-33.01	-9.057	-3.77
एक्चूरियल हानि/(लाभ)			
31 मार्च, 2019 को योजनाबद्ध आस्तियों का उचित मूल्य	278.62	42.99	21.86

4.Other Employees Benefits

In respect to other benefits, the Bank has made a provision of Rs. 1,68,57,308 on account of LFC and Rs. 2,58,28,476.00 towards Ex. Gratia payment up to 31.03.2019. These provisions have been made on the basis of valuation obligation carried out by actuarial firm.

5. To make good for the loss of the Nainital Bank Ltd. Staff Provident Fund Trust

As per PF Act, any loss to the Trust has to be made good by the employer i.e. The Nainital Bank Limited. Keeping in view the same, the Bank has agreed to make good for the existing loss amounting to Rs. 2.70 cr of the Nainital Bank Ltd Staff Provident Fund Trust, by spreading it over a period of -3- years. Accordingly, the Bank has made payment for an amount of Rs. 90.00 (Rupees Ninety lakhs only) which was the remaining 1/3rd contribution due for the second year vide its note dated 19.03.2019. Further through its note dated 30.03.2019 The Bank has made payment of Rs.33.00 Lakhs to make good towards the current year loss (FY 2017-18) of the Nainital Bank Ltd Staff Provident Fund Trust.

7.1.1.Changes in the present value of the obligation: (Rs. in crores)

Particulars	Pension (Funded)	Gratuity (Funded)	Leave Encashment (Funded)
Present Value of defined benefit obligation as at 1st April, 2018	247.31	45.80	21.37
Interest Cost	19.17	3.55	1.66
Current service cost	4.70	1.66	1.00
Past Service Cost	0.00	0.00	0.00
Less:	-	-	-
Benefits Paid	-	-9.06	-3.77
Actuarial (loss)/gain	7.52	(0.02)	(0.54)
Present value of defined benefits obligations as at 31st March, 2019	278.70	41.96	19.72

7.1.2.Changes in the fair value of Plan Assets (Rs. in crores)

Particulars	Pension (Funded)	Gratuity (Funded)	Leave Encashment (Funded)
Fair value of Plan Assets as at 1st April, 2018	153.65	45.70	24.14
Difference in Opening fund	1.07	(0.06)	(0.16)
Expected Return of Plan Assets as in the actuarial report	10.00	3.20	1.55
Employer's Contribution 2018-19	14.50	3.21	0.10
Annuities Purchased for retirees	132.41	-	-
Less:			
Benefits Paid	-33.01	-9.057	-3.77
Actuarial loss/(gain)			
Fair value of Plan Assets as at 31st March, 2019	278.62	42.99	21.86

7.1.3 शुद्ध एक्चूरियल घाटा/(लाभ) (रू. करोड़ में)

विवरण	पेंशन (निधिक)	ग्रेच्यूटी (निधिक)	छुट्टी नकदीकरण (निधिक)
दायित्वों पर एक्चूरियल हानि/(लाभ) (क)	7.52	0.02	-0.54
योजनाबद्ध आस्तियों पर एक्चूरियल घाटा/(लाभ) (ख)	1.98	0.61	0.42
शुद्ध एक्चूरियल हानि/(लाभ)	9.50	0.63	-0.12
चिन्हित एक्चूरियल हानि/(लाभ)	9.50	0.63	-0.12
वर्ष के अंन्त में निश्चित न किया गया एक्चूरियल हानि/(लाभ)	0.00	0.00	0.00

7.1.3.Net Actuarial Loss/Gain: (Rs. in crores)

Particulars	Pension (Funded)	Gratuity (Funded)	Leave Encashment (Funded)
Actuarial Loss / (gain) on obligation (A)	7.52	0.02	-0.54
Actuarial Loss / (gain) on Plan Assets (B)	1.98	0.61	0.42
Net Actuarial loss / (gain)	9.50	0.63	-0.12
Actuarial Loss/(gain) recognized in the period	9.50	0.63	-0.12
Unrecognized Actuarial loss/(gain) at the end of the year.	0.00	0.00	0.00

7.1.4 लाभ और हानि खाते में दिये गये व्यय (रू. करोड़ में)

विवरण	पेंशन (निधिक)	ग्रेच्यूटी (निधिक)	छुट्टी नकदीकरण (निधिक)
चालू सेवा लागत	4.70	1.66	1.00
ब्याज लागत	19.17	3.55	1.66
योजनाबद्ध आस्तियों से अपेक्षित प्राप्ति	-11.98	-3.81	-1.97
पूर्व सेवा लागत – निहित हितलाभ	0.00	0.00	0.00
पूर्व सेवा लागत – गैर–निहित हितलाभ	0.00	0.00	0.00
वर्ष के दौरान निश्चित की गई संक्रमण कालीन देयता	0.00	0.00	0.00
घटाएं :	0.00	0.00	0.00
शुद्ध एक्चूरियल घाटा/(लाभ)	9.50	0.63	-0.12
वास्तव में निश्चित किया गया शुद्ध हितलाभ व्यय	21.39	2.02	0.57

7.1.4.Net Actuarial Loss/Gain: (Rs. in crores)

Particulars	Pension (Funded)	Gratuity (Funded)	Leave Encashment (Funded)
Current Service Cost	4.70	1.66	1.00
Interest Cost	19.17	3.55	1.66
Expected Return on Plan Assets	-11.98	-3.81	-1.97
Past Service Cost – Vested Benefits	0.00	0.00	0.00
Past Service Cost – Non-Vested Benefits	0.00	0.00	0.00
Transitional liability recognized during the year.	0.00	0.00	0.00
Less:	0.00	0.00	0.00
Net Actuarial Loss/(gain)	9.50	0.63	-0.12
Net benefits expenses actually recognized	21.39	2.02	0.57

7.1.5 तुलन पत्र में दी गई राशि (रू. करोड़ में)

विवरण	पेंशन (निधिक)	ग्रेच्यूटी (निधिक)	छुट्टी नकदीकरण (निधिक)
देयता का वर्तमान मूल्य	278.70	41.96	19.72
योजनाबद्ध आस्तियों का उचित मूल्य	278.62	42.99	21.86
निधिक स्थिति	0.08	-1.02	-2.14

7.1.5.Amount recognized in the Balance Sheet: (Rs. in crores)

Particulars	Pension (Funded)	Gratuity (Funded)	Leave Encashment (Funded)
Present value of Obligation	278.70	41.96	19.72
Fair Value of Plan Assets	278.62	42.99	21.86
Funded Status	0.08	-1.02	-2.14

7.1.6 तुलन पत्र की दिनांक को मुख्य एक्चूरियल पूर्वानुमान (भारित औसत के रूप में प्रदर्शित)

विवरण	पेंशन (निधिक)	ग्रेच्यूटी (निधिक)	छुट्टी नकदीकरण (निधिक)
रियायत दर	7.60	7.60	7.60
योजनाबद्ध आस्तियों पर प्राप्तिकी अपेक्षित दर	7.50	7.50	7.00
वेतन में वृद्धि की दर	5	5	5
क्षरण दर	0	0	0
अपनाई गई विधि	PUC	PUC	PUC

7.1.6. Principal Actuarial Assumptions at the Balance Sheet date(expressed as weighted average:

Particulars	Pension (Funded)	Gratuity (Funded)	Leave Encashment (Funded)
Discount rate	7.60	7.60	7.60
Expected rate of return on Plan Assets	7.50	7.50	7.00
Rate of escalation in salary	5	5	5
Attrition rate	0	0	0
Method Used	PUC	PUC	PUC

7.2 खण्डवार सूचना (लेखा मानक 17)
भाग (क) :व्यावसायिक खण्ड (रू0 करोड़ में)

7.2 Segment Reporting (Accounting Standard 17)
Part A: Business segments

(रू. करोड़ में) /(Rs. in crores)

व्यावसायिक खण्ड	Business Segments	ट्रेजरी Treasury	कम्पनी/थोक बैंकिंग Corporate/ Wholesale Banking	खुदरा बैंकिंग Retail Banking	अन्य बैंकिंग परिचालन Other Banking Operation	कुल योग Total
विवरण	Particulars	2018-19	2018-19	2018-19	2018-19	
राजस्व	Revenue	319.33 (283.70)	87.42 (94.75)	274.36 (272.96)	1.19 (1.35)	682.30 (652.76)
परिणाम	Result	66.86 (60.47)	1.97 (15.18)	37.87 (53.30)	1.19 (1.35)	107.89 (130.29)
आवंटित न किए गएखर्चे	Unallocated expenses					57.00 (53.81)
परिचालन लाभ	Operating profit					50.89 (76.49)
आयकर	Income taxes					24.00 (27.60)
असामान्य लाभ/हानि	Extraordinary profit/ loss					0.00 (0.00)
शुद्ध लाभ	Net profit					26.89 (48.89)
अन्य सूचना / Other Information						
खण्ड आस्तियाँ	Segment assets	4074.58 (4285.89)	1600.90 (1563.90)	2393.57 (2231.09)	0.00 (0.00)	8069.05 (8080.88)
आवंटित न की गई आस्तियां	Unallocated assets					32.71 (33.81)
कुल आस्तियां	Total assets					8101.76 (8114.69)
खण्ड देयताए	Segment liabilities	3728.18 (3898.98)	1496.23 (1482.63)	2236.69 (2114.71)	00 00.00	7461.11 (7496.32)
आवंटित न की गईं देयताएं	Unallocated liabilities					640.65 (618.37)
कुल देयताएं	Total liabilities					8101.76 (8114.69)

भाग ख :

भौगोलिक खण्ड : शून्य

Part B:

Geographic segments : NIL

7.3. सम्बन्धित पक्षों का प्रकटीकरण (लेखा मानक 18) :

7.3 Related Party disclosures (Accounting Standard 18) :

(रू. करोड़ में) /(Rs. in crores)

मद/सम्बन्धित पक्ष	Items/Related Party	मूल कम्पनी (स्वामित्व या नियंत्रण के अनुसार) Parent (as per ownership or control)	मूल कम्पनी की अनुशंगियां सहयोगी संस्था Parent's Subsidiaries	संयुक्त उद्यम Associates/ Joint ventures	प्रमुख प्रबन्धक कार्मिक Key Management Personnel	प्रमुख प्रबन्धक कर्मचारियों के सम्बन्धी Relatives of Key Management Personnel	कुल Total
वर्ष की समाप्ति पर उधार	Borrowings At the year end	0.00 (0.00)	--	--	--	--	0.00 (0.00)
सर्वाधिक राशि	Maximum O/s	0.00 (40.00)	--	--	--	--	0.00 (40.00)
जमा	Deposit	--	--	--	--	--	--
जमाओं का विवरण	Placement of deposits	--	--	--	--	--	--
चालू खाता, वर्ष के अंत में	Current A/c At the year end	13.97 (11.43)	--	--	--	--	13.97 (11.43)
सावधि जमा राशि, वर्ष के अंत में	Fixed Deposit At year end	0.00 (0.00)	--	--	--	--	0.00 (0.00)
सर्वाधिक राशि	Maximum O/S	0.00 (22.77)	--	--	--	--	0.00 (22.77)

मद / सम्बन्धित पक्ष Items/Related Party		मूल कम्पनी (स्वामित्व या नियंत्रण के अनुसार) Parent (as per ownership or control)	मूल कम्पनी की अनुशंगियां सहयोगी संस्था Parent's Subsidiaries	संयुक्त उद्यम Associates/ Joint ventures	प्रमुख प्रबन्धक कार्मिक Key Management Personnel	प्रमुख प्रबन्धक कर्मचारियों के सम्बन्धी Relatives of Key Management Personnel	कुल Total
जमा प्राप्तियां	Deposit received :		--	--	--	--	
चालू खाते में वर्ष के अंत में	Current a/c at the year end	0.00 (0.00)					0.00 (0.00)
सावधि खाते में प्राप्त जमा राशिवर्ष के अंत में	Fixed Deposit at the year end	0.00 (0.00)					0.00 (0.00)
सर्वाधिक राशि	Maximum. O/s	0.00 (0.00)					0.00 (0.00)
अग्रिम	Advances	--					--
जारी आईबीपीसी	IBPC Issued	0.00 (0.00)					0.00 (0.00)
आईबीपीसीसाझेदारी	IBPC Participated	0.00 (0.00)					0.00 (0.00)
वर्ष के अंत में निवेश	Investments At year end	--					0.00 (0.00)
सर्वाधिक राशि	Maximum O/S	0.00					(0.00)
वर्ष के अंत में गैरनिधिक प्रतिबद्धताएं	Non-funded commitments At the year end	12.48 (11.01)					12.48 (11.01)
सर्वाधिक राशि	Maximum O/S	17.14 (11.01)					17.14 (11.01)
वर्ष के अंत में जारी गैर निधिक प्रतिबद्धताएं	Non funded Commitments issued at the year end	1.57 (1.57)					1.57 (1.57)
सर्वाधिक राशि	Maximum O/S	1.57 (1.57)					1.57 (1.57)
उपयोग की गई पट्टादायी /किराया खरीद व्यवस्था	Leasing/HP arrangements availed	--					--
उपलब्ध कराई गईं पट्टादायी /कि.ख. व्यवस्था	Leasing/HP arrangements provided	--					--
अचल सम्पत्तियों की खरीद	Purchase of fixed assets	--					--
म्यूचुअल फण्ड की यूनिटों की खरीद	Purchase of Mutual Fund Unit	--		75.00 (95.00)			75.00 (95.00)
अचल संम्पत्तियों की बिक्री म्यूचुअल फण्ड की यूनिटों की बिक्री	Sale of fixed assets Sale of Mutual Fund Unit	--		75.00 (95.00)			75.00 (95.00)
प्रदत्त ब्याज	Interest paid	0.00 (0.002)					0.00 (0.002)
प्रदत्त कमीशन	Commission paid	0.22 (0.52)					0.22 (0.52)
प्राप्त कमीशन	Commission received	0.00 (0.00)					0.00 (0.00)
डिविडेन्ड आय	Dividend income	--					शून्य
यूनिटों की बिक्री से लाभ	Profit on sale Of Units	शून्य		(Nil)			शून्य

मद/सम्बन्धित पक्ष Items/Related Party		मूल कम्पनी (स्वामित्व या नियंत्रण के अनुसार) Parent (as per ownership or control)	मूल कम्पनी की अनुशंगियां सहयोगी संस्था Parent's Subsidiaries	संयुक्त उद्यम Associates/ Joint ventures	प्रमुख प्रबन्धक कार्मिक Key Management Personnel	प्रमुख प्रबन्धक कर्मचारियों के सम्बन्धी Relatives of Key Management Personnel	कुल Total
प्रदत्त ब्याज (आईबीपीसी)	Interest Paid (IBPC)	0.00 (1.86)	--	--	--	--	0.00 (1.86)
प्राप्त ब्याज	Interest received	0.00 (1.47)					0.00 (1.47)
प्राप्त ब्याज (आईबीपीसी)	Interest Received (IBPC)	0.00 (2.92)	--	(Nil)	--	--	0.00 (2.92)
प्रदत्त सेवाएं	Rendering of services	--	--	--	--	--	--
प्राप्त सेवाएं	Receiving of services	--	--	--	--	--	0.00
प्रबन्धन	Management	--	--	--	0.39* (0.27)*	--	0.39* (0.27)*

नोट :— कोष्ठक में दिए गए आंकड़े विगत वर्ष के आंकड़े हैं।
शेष राशियां पुष्टिकरण के आधीन हैं।
'मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) और मुख्य परिचालन अधिकारी (COO) को प्रबन्धकीय पारिश्रमिक

Note:- Figures in brackets indicate previous year figures.
Balances are subject to confirmation.
*Managerial Remuneration to CEO & COO

7.4 सम्बन्धित पक्षों के नाम व उनका बैंक से सम्बन्ध / Names of the related parties and their relationship with the Bank:

(i)	मूल कम्पनी	Parent		**बैंक ऑफ बड़ौदा** (प्रमुख अंश धारक)	Bank of Baroda (Major Shareholder)
(ii)	प्रमुख प्रबन्धक कार्मिक	Key Management Personnel	(ii)	**श्री मुकेश शर्मा** (अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी) 31.03.2019 तक **श्री दिनेश पन्त** (अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी) 01.04.2019 से **श्रीए.के.सिंह** (मुख्य परिचालन अधिकारी एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी)	**Shri Mukesh Sharma** (Chairman & CEO) upto 31.03.2019 **Shri Dinesh Pant** (Chairman & CEO) w.e.f 01.04.2019 **Shri A.K.Singh** (Chief Operating Officer & Chief Financial Officer).
(iii)	मूल कम्पनी का अनुषंगी	Parent's Subsidiary		**घरेलू सहायक कंपनियाँ**	**Domestic Subsidiaries**
			(I)	बड़ौदा ग्लोबल शेयर सर्विसेज लिमिटेड	Baroda Global Shared Services Limited
			(II)	बीओबी फाईनेंशियल सॉल्यूशंस लिमिटेड (जिसे पहले बॉब कार्ड लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)	BOB Financial Solutions Limited (formerly known as BOB cards Limited)
			(III)	बॉब कैपिटल मार्केट्स लि.	BOB Capital Markets Ltd.
			(IV)	बड़ौदा एसेट मैनेजमेंट इंडिया लिमिटेड (पूर्व में बड़ौदा पायनियर एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के नाम से अभिज्ञात)	known as Baroda Pioneer Asset Management Company Limited)
			(V)	बड़ौदा ट्रस्टी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में बड़ौदा पायनियर ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से अभिज्ञात)	Baroda Trustee India Private Limited (Formerly known as Baroda Pioneer Trustee Company Pvt. Limited)
				विदेशी सहायक कंपनियाँ	**Overseas Subsidiaries**
			(I)	बैंक ऑफ बड़ौदा (बोतसवाना) लिमिटेड	Bank of Baroda (Botswana) Ltd.
			(II)	बैंक ऑफ बड़ौदा (केन्या) लिमिटेड	Bank of Baroda (Kenya) Ltd.
			(III)	बैंक ऑफ बड़ौदा (युगांडा) लिमिटेड	Bank of Baroda (Uganda) Ltd.
			(IV)	बैंक ऑफ बड़ौदा (गुवाना) लिमिटेड	Bank of Baroda (Guyana) Ltd.
			(V)	बैंक ऑफ बड़ौदा (न्यूज़ीलैंड) लिमिटेड	Bank of Baroda (New Zealand) Ltd.
			(VI)	बैंक ऑफ बड़ौदा (तंज़ानिया) लिमिटेड	Bank of Baroda (Tanzania) Ltd.
			(VII)	बैंक ऑफ बड़ौदा (त्रिनिदाद एवं टोबागो) लिमिटेड	Bank of Baroda (Trinidad & Tobago) Ltd.
			(VIII)	बैंक ऑफ बड़ौदा (यू.के.) लिमिटेड	Bank of Baroda (UK) Ltd.

7.5 आय पर करों के लिए लेखाकरण (लेखा मानक 22)
7.5 Accounting for Taxes on Income (Accounting Standard 22)

वर्ष के अंत में आस्थगित कर आस्ति/देयता का विश्लेषित विवरण निम्नानुसार है:
The breakup of deferred tax asset / liability at the year end is as under:

(रू. करोड़ में) /(Rs. in crores)

मद / Item		31.03.2019	
		Total Deferred Tax Assets	Total Deferred Tax Liability
बही मूल्यह्रास (बिना पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति के) और आयकर अधिनियम के अन्तर्गत मूल्यह्रास में अंतर	Difference between WDV as per book (Without Revaluation Reserve) and depreciation under Income Tax Act	2.09	-
कर्मचारी हित लाभ के लिए प्रावधान	Provision For Employee Benefits	4.23	-
खण्ड 36 (i) (viii) के अन्तगर्त सृजित आरक्षित निधि	Reserve created u/s 36(i)(viii)	-	8.60
जोड़	Total	6.32	-
31.03.2018 को सकल आस्थगित कर देयता	Total Deferred Tax Liability as 31.03.2018	-	2.28

31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए कोई अतिरिक्त स्थगित कर देयता नहीं है। पिछले वर्ष के डीटीएल यानी 4.34 करोड़ रुपये लाभ औरहानि खाते में अभिज्ञात हैं। 31.03.2019 को कुल स्थगित कर देयता 2.28 करोड़ रुपये है। प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए, एनपीए प्रावधानोंके संबंध में कोई समय अंतर नहीं हुआ है, इसलिए कोई स्थगित कर संपत्तियां पहचानी नहीं गई हैं।

There is no additional Deferred Tax Liability for the year-ended 31.03.2019 (Previous year DTL Rs.4.34 crore) has been recognized in the Profit and Loss Account. Total Deferred Tax Liability as on 31.03.2019 is Rs 2.28 Crores. In view of the management, there is no timing difference arising in connection with NPA provisions, hence no deferred tax assets have been recognized.

7.6 प्रति शेयर आय:
7.6 Earnings per share-

	प्रति शेयर आय	Earnings per share		
क)	मूल	Basic	3.47	6.31
	तनु**	Diluted**	3.47	6.31
ख)	(कर के बाद) लाभ के रूप में आई राशि	Amount used as numerator (Profit after tax)	Rs ₹ 26.89 करोड़ / Crores	Rs ₹ 48.89 करोड़ / Crore
ग)	शेयरों का न्यूनतम मूल्य	Nominal value of shares	रू० Rs ₹ 10/- प्रतिशेयर/per share	रू० Rs ₹ 10/- प्रतिशेयर/per share
घ)	इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या जिससे भाग दिया गया।	Weighted average number of equity shares used as the denominator	77500000	77500000

**बैंक के पास वर्ष के दौरान तनु प्रति शेयर आय की गणना के लिए कोई सम्भावित तनु इक्विटी शेयर नहीं है और प्रति शेयर मूल आय लेखा–20 के अनुसार, कर के बाद आये शुद्ध लाभ को औसत भारित इक्विटी शेयरों की संख्या से विभाजित करके निकाली गई है।

**The bank has no dilutive potential equity shares outstanding during the year for the purpose of computing diluted EPS and the basic earnings per share has been computed by dividing net profit after tax by the weighted average number of equity shares as per AS-20.

7.7 आस्तियों की क्षति (लेखा मानक 28) :

बैंक के प्रबन्धन की राय में आस्तियों की ऐसी कोई क्षति नहीं हुई है जिस पर 31.03.19 की स्थिति के अनुसार किसी ठोस सीमा तक उपरोक्त लेखा मानक प्रयुक्त होता हो। चालू वर्ष के दौरान रू. 5.00 लाख का पूर्ववत् तदर्थ प्रावधान किया गया है।

7.7 Impairment of Assets (Accounting Standard 28)

In the opinion of the Bank's Management, there is no impairment of the assets to which aforesaid Accounting Standard applies to any material extent as at 31.03.2019. An adhoc provision of Rs. 5.00 Lac has been continued during the current year.

7.8 आकस्मिकदेयता और प्रावधानों का विवरण (ले0 मा0 29)

7.8 Statement of contingent Liability & Provisions (Accounting Standard 29)

(रू. करोड़ में) / (Rs. in crores)

मद / Item		लेखा मानक–29 के अनुसार प्रावधान / Provision As per AS – 29							
		वह राशि जिसके लिये बैंक समाश्रित रूप से देनदार है Amt. for which the Bank is contingently Liable	वर्ष के आरम्भ में किया गया प्रावधान Provision as at the beginning of the Year	वर्ष के दौरान परिवर्धन Addition during the year	वर्ष के दौरान उपयोग की गयी राशि Amount used during the year	उपयोग न की गई राशि जिसे वर्ष के दौरान वापस किया गया। Unused amount reversed during the year	वर्ष की समाप्ति पर कुल प्रावधान Provision as at the close of the year	भविष्य की गतिविधियों के सम्बन्ध में बड़ी अवधारणाए Major assumption regarding future events	टिप्पणी Remarks
बैंक के विरूद्ध दावे जिन्हें ऋण नहीं समझा गया।	Claims against the Bank not acknowledged as debt	0.48 (0.74)	0.14 (0.14)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.14 (0.14)	*	-
संघटकों की ओर से जारी की गई गारन्टियां	Guarantees issued on behalf of constituents	81.28 (88.61)	N.A (N.A)	N.A (N.A)	N.A (N.A)	N.A (N.A)	N.A (N.A)	*	-
स्वीकृतियां, बेचान और अन्य दायित्व	Acceptance Endorsements and other obligations	13.03 (8.31)	N.A (N.A)	N.A (N.A)	N.A (N.A)	N.A (N.A)	N.A (N.A)	*	-
अन्य मद जिनके लिये बैंक समाश्रित रूप से उत्तरदायी है।	Other items, for which the Bank is contingently liable	15.60 (15.68)	0.14 (0.14)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.14 (0.14)	*	-

'ऐसी देयताएं न्यायालय/मध्यस्थ/न्यायालय से बाहर समझौते, मुकदमों के निस्तारण, मांगी जा रही राशि, संविदा की शर्तों, सम्बन्धित पक्षों द्वारा मांग व उसके विकास के परिणाम पर निर्भर हैं।

*Such liabilities are dependent upon the outcome of court/arbitration/out of court settlement, disposal of appeals, the amount being called up, terms of contractual obligations, development and raising of demand by concerned parties respectively.

8. भा.रि.बैं. के दिशा निर्देशों के अनुसार बैंक के निवेश संविभाग को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार निवेशों की स्थिति निम्नानुसार है :–

(रू. करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2019	31.03.2018
1	परिपक्वता अवधि तक रखे गये	871.47	966.76
2	बिक्री के लिये उपलब्ध	673.03	743.38
3	व्यापार के लिये रखे गये	0.00	0.00

(% होल्डिंग)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2019	31.03.2018
1	परिपक्वता अवधि तक रखे गये	56.42%	56.53%
2	बिक्री के लिये उपलब्ध	43.58%	43.47%
3	व्यापार के लिये रखे गये	0.00%	0.00%

8. In accordance with RBI guidelines, the Bank's Investment portfolio has been classified into three categories. The position of holding as on 31.03.2019 is as follows:

(Rs. in crores)

S.No	Particulars	31.03.2019	31.03.2018
1	Held to Maturity	871.47	966.76
2	Available for sale	673.03	743.38
3	Held for trading	0.00	0.00

(% holding)

S.No	Particulars	31.03.2019	31.03.2018
1	Held to Maturity	56.42%	56.53%
2	Available for sale	43.58%	43.47%
3	Held for trading	0.00%	0.00%

9. लाभ–हानि खाते के "व्यय" शीर्ष के अन्तर्गत "प्रावधान और आकस्मिकताओं" में निम्नलिखित सम्मिलित है:

	विवरण	2018-19	2017-18
1.	आयकर के लिए प्रावधान (चालू कर)	24.00	27.60
2.	आयकर के लिए प्रावधान (आस्थगित कर)	-2.06	-0.36
3.	निवेशों में मूल्य ह्रास के लिए प्रावधान	5.61	0.22
4.	एन.पी.ए. नियामक के लिए प्रावधान	47.10	17.30
5.	फ्लोटिंग एन.पी.ए. के लिए प्रावधान	6.80	0.00
6.	मानक अग्रिमों के लिए प्रावधान	0.97	4.05
7.	पुनर्गठित अग्रिमों के लिए प्रावधान	0.00	-0.02
8.	धोखाधड़ी के खिलाफ प्रावधान	0.00	0.00
9.	अन्य प्रावधान (बैंक राइटबैक के विरुद्ध दावा)	0.00	0.00
	घटाएँ :– प्रतिलेखित निवेशों पर अतिरिक्त प्रावधान/मूल्यह्रास	-	-
	प्रतिलेखित किए गये अन्य प्रावधान		
	जोड़	82.42	48.79

भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार अग्रिमों को मानक, अवमानक, संदिग्ध और हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और उनके लिए रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार प्रावधान किया जाता है। निदेशक मंडल ने रिजर्व बैंक की 1 अप्रैल 2017 की अधिसूचना सं. आरबीआई/2016–17/282 डीबीआर सं. बीपी. पीसी./21.04.048/2016–17 के अनुसार अपनी 17 नवंबर 2018 की बैठक में मानक अग्रिमों के लिए प्रावधानों की दरें अनुमोदित कर दी हैं।
10.00 करोड़ रुपये या अधिक के बकाया शेष वाले खाते के मामले में, उसके 2 तिमाहियों तक एसएमए2 श्रेणी में बने रहने पर, बकाया शेष का /5: अतिरिक्त प्रावधानीकरण अपेक्षित है, जिसे "10.00 करोड़ रुपये या अधिक के बकाया शेष वाले खाते के मामले में, उसके 6 माह तक एसएमए2 श्रेणी में बने रहने पर, बकाया शेष का /5: अतिरिक्त प्रावधानीकरण" के रूप में बदला गया।

10. शिकायतों की स्थिति दर्शाने वाली विवरणी :
10.1 ग्राहकों से शिकायतें :

क्र.सं.	विवरण	*2018-19	**2017-18
क)	वर्ष के आरम्भ में लंम्बित शिकायतों की संख्या	36	18
ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	3462	3137
ग)	वर्ष के दौरान निवारण की गई शिकायतों की संख्या (क) बिंदु में उल्लिखित सभी शिकायतें शामिल है।)	3462	3119
घ)	वर्ष की समाप्ति पर लम्बित शिकायतों की संख्या (ख में से)	36	36

'यह स्पष्ट किया जाता है कि वर्ष 2018–19 के दौरान प्राप्त कुल –3462– शिकायतों में से –3349– शिकायतें एटीएम के असफल लेनदेनोंध्वापस प्रभारित मामलों से संबंधित थीं और शेष –113– शिकायतें दैनिक परिचालनों के संबंध में सेवा में कमी, ऋण, स्टाफ द्वारा दुर्व्यवहार और सतर्कता की ध्वनि वाली थीं. इसके अतिरिक्त, एटीएम के असफल लेनदेनोंध्वापस प्रभारित मामलों से संबंधित –3349– शिकायतों में से –3314– शिकायतें निर्धारित समय के भीतर ग्राहकों की संतुष्टि के अनुरूप सौहार्दपूर्ण ढंग से हल कर ली गईं और केवल –35– शिकायतें, जो मार्च 2019 माह के अंत में प्राप्त हुई थी। हल किए जाने की प्रक्रिया में थी। इसी प्रकार, दैनिक परिचालनों के संबंध में सेवा में कमी, ऋण, स्टाफ द्वारा दुर्व्यवहार और सतर्कता की ध्वनि वाली शेष –113– शिकायतों में से –112– शिकायतें ग्राहकों की संतुष्टि के अनुरूप हल कर ली गईं और वित्तीय वर्ष 2018–19 के अंत में केवल –1– शिकायत लंबित है, जिससे वित्तीय वर्ष 2018–19 के अंत में कुल 36 शिकायतें लंबित हैं।

9. Break-up of the items "Provisions and Contingencies" included under the head Expenditure in the Profit & Loss Account:

	विवरण	2018-19	2017-18
1.	Provision for Income Tax (Current Tax)	24.00	27.60
2.	Provision for Income Tax (Deferred Tax)	-2.06	-0.36
3.	Provision for depreciation in investment	5.61	0.22
4.	Provision towards NPA Regulatory	47.10	17.30
5.	Provisions towards NPA floating	6.80	0.00
6.	Provision for standard Advances	0.97	4.05
7.	Provision for Restructured Advances	0.00	-0.02
8.	Provision against frauds	0.00	0.00
9.	Other provision (Claim against bank write back)	0.00	0.00
	Less: Excess Provision /Depreciation on Investment written back : Other Provisions written back	-	-
	जोड़	**82.42**	**48.79**

Advances are classified as Standard, Sub-Standard, Doubtful and Loss Assets as per prudential norms of the Reserve Bank of India and Provision is made as per guidelines issued by RBI. The rates of provisions for standard advances has been approved by Board of Directors in its meeting dated Nov 17, 2018, as per RBI notification bearing No. RBI/2016-17/282 DBR No. BP.PC/21.04.048/2016-17 dated April 1st, 2017.
Additional provisioning @5% of the outstanding balance is required in case of account with outstanding balance of Rs 10.00 cr. and above if they continue in SMA2 category for 2 quarters which was replaced as "Additional provisioning @5% of the outstanding balance in case of account with outstanding balance of Rs 10.00 cr. and above if they continue in SMA2 category for 6 months.

10. Statement showing the position of Complaints:
10.1 Customer Complaints:

S.No.	Particular	*2018-19	**2017-18
a)	No. of complaints pending at the beginning of the year	36	18
b)	No. of complaints received during the year	3462	3137
c)	No of complaints redressed during the year (includes all complaints mentioned in point.(a))	3462	3119
d)	No. of complaints pending at end of the year (out of b)	36	36

*It is clarified that out of the total -3462- complaints received during the year 2018-19, -3349- complaints pertained to ATM failed transactions/charged back cases and the remaining -113-complaints were related to deficiency in services in respect to daily operations, credit, staff misbehaviour and complaints having vigilance tone. Further Out of -3349-cases pertaining to ATM failed transactions/ charged back cases, -3314- were resolved to the satisfaction of customers amicably, within the stipulated time frame and only -35- cases which were received at the end of month of March 2019, were in process of resolution. Similarly out of total -113- complaints related to deficiency in services in respect to daily operations, credit, staff misbehaviour and complaints having vigilance tone -112-were settled to the satisfaction of the customers and only -1- complaint is pending at the end of FY 2018-19, hence making a total of 36 pending complaints at the end of FY 2018-19.

''यह स्पष्ट किया जाता है कि वर्ष 2017–18 के दौरान प्राप्त कुल –3137– शिकायतों में से –3023– शिकायतें एटीएम के असफल लेनदेनों / वापस प्रभारित मामलों से संबंधित थीं और शेष –114– शिकायतें दैनिक परिचालनों के संबंध में सेवा में कमी, ऋण, स्टाफ द्वारा दुर्व्यवहार से संबंधित थी। इसके अतिरिक्त, एटीएम के असफल लेनदेनों / वापस प्रभारित मामलों से संबंधित –3023– शिकायतों में से –2990– शिकायतें निर्धारित समय के भीतर ग्राहकों की संतुष्टि के अनुरूप सौहार्दपूर्ण ढंग से हल कर ली गईं और केवल –33– शिकायतें, जो मार्च 2018 माह के अंत में प्राप्त हुई थी। हल किए जाने की प्रक्रिया में थी। इसी प्रकार, दैनिक परिचालनों के संबंध में सेवा में कमी, ऋण, स्टाफ द्वारा दुर्व्यवहार से संबंधित शेष –114– शिकायतों में से –111– शिकायतें ग्राहकों की संतुष्टि के अनुरूप हल कर ली गईं और वित्तीय वर्ष 2018–19 के अंत में केवल –3–शिकायतें लंबित है, जिससे वित्तीय वर्ष 2017–18 के अंत में कुल 36 शिकायतें लंबित थी जिनका निस्तारण संतोषजनक हो गया है।

**It is clarified that out of the total -3137- complaints received during the year 2017-18, -3023- complaints pertained to ATM failed transactions/charged back cases and the remaining -114-complaints were related to deficiency in services in respect to daily operations, credit, staff misbehaviour . Further Out of -3023-cases pertaining to ATM failed transactions/ charged back cases, -2990- were resolved to the satisfaction of customers amicably, within the stipulated time frame and only -33- cases which were received at the end of month of March 2018, were in process of resolution. Similarly out of total -114- complaints related to deficiency in services in respect to daily operations, credit, staff misbehaviour ,-111-were settled to the satisfaction of the customers and only -3- complaints are pending at the end of FY 2018-19 hence making a total of 36 pending complaints at the end of FY 2017-18.

10.2 बैंकिंग लोकपाल द्वारा दिए गए अधिनिर्णय :

S.No.	विवरण	2018-19	2017-18
(क)	वर्ष के आरम्भ में कार्यान्वित न किए गए अधिनिर्णयों की संख्या	NIL	NIL
(ख)	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा दिए गए अधिनिर्णयों की संख्या	NIL	NIL
(ग)	वर्ष के दौरान कार्यान्वित किए गए अधिनिर्णयों की संख्या	NIL	NIL
(घ)	वर्ष की समाप्ति पर कार्यान्वित न किए गए अधिनिर्णयों की संख्या	NIL	NIL

10.2 Awards Passed by the Banking OMBUDSMAN:

S.No.	Particulars	2018-19	2017-18
a)	No. of unimplemented Awards at the beginning of the year	NIL	NIL
b)	No. of Awards passed by the Banking Ombudsmen during the year	NIL	NIL
c)	No of Awards implemented during the year	NIL	NIL
d)	No. of unimplemented Awards at the end of the year	NIL	NIL

10.3 बैंकों द्वारा जारी लैटर ऑफ कम्फर्ट (एल.ओ.सी.) का प्रकटीकरण

S.No.	विवरण	2018-19	2017-18
(क)	बैंक द्वारा जारी लेटर ऑफ कम्फर्ट (एलओसी) के अन्तर्गत प्रकटीकरण	शून्य	शून्य

10.3 Disclosure of letter of comfort (LOC) issued by Bank :

S.No.	Particulars	2018-19	2017-18
a)	Disclosure of letter of comfort (LOC) issued by Bank:	NIL	NIL

11. अनु. जा. / अनु. जन. को ऋण (रू. करोड़ में)

S.No.	विवरण	2018-19	2017-18
11.1	वर्ष की समाप्ति पर अनु.जा. / अनुजन. को दिए गए ऋण का शेष	49.86	47.12
11.2	वर्ष के दौरान अनु. जा. / अनु. जनके उधारकर्त्ताओं से ऋण की वसूली	21.17	19.26

11.Advances to SC/STs (Rs. in crores)

S.No.	Particulars	2018-19	2017-18
11.1	Outstanding credit to SC/STs at the year end	49.86	47.12
11.2	Recovery from SC/STs borrowers during the year	21.17	19.26

12 इंटर बैंक भागीदारी प्रमाणपत्र (आईबीपीसी):

बैंक ने एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ 200.00 करोड़ रुपये के लिए जोखिम साझा करने के आधार पर अंतर बैंक भागीदारी प्रमाण पत्र (आईबीपीसी) में भाग लिया है।

12.Interbank Participation Certificate(IBPC):

Bank has participated in Inter Bank Participation Certificate (IBPC) on risk sharing basis, for Rs. 200.00 Crores with HDFC Bank Limited.

13. विदेशी मुद्रा ऋण

बैंक ने 31.03.2019 के अनुसार बैंक ऑफ बड़ौदा के जरिये अपने संघटकों की ओर से 320. 23 लाखरुपये का विदेशी मुद्रा ऋण लिया है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने इन ऋणों की प्रतिरक्षा की है। तदनुसार बैंक ने इन ऋणों में मुद्रागत उतार–चढ़ावों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है।

पिछले वर्ष के ऑंकड़ों को वर्तमान वर्ष के आंकडों से तुलनीय बनाने के लिए यथा आवश्यकता पुनर्समूहित / पुनर्कलित किया गया है।

13.Foreign Currency Exposure:

Bank has taken foreign currency exposure amounting INR 320.23 lakh on behalf of its constituents through Bank of Baroda as on 31.03.2019. Bank of Baroda has hedged these exposures. Accordingly no provision has been made by the Bank for currency fluctuations in these exposures.

Figures for the previous year have been regrouped/ re casted wherever considered necessary to make them comparable with current year figures.

अतिरिक्त प्रकटीकरण:

I) 31.03.2019को अनर्जक आस्तियोंका संकेन्द्रण

S.No.	Particulars	2018-19	2017-18
	चार शीर्षस्थ अनर्जक खातों में कुल एक्सपोजर	188.05	54.60

Additional Disclosure:

I- Concentration of NPAs* as on 31.03.2019

S.No.	Particulars	2018-19	2017-18
	Total Exposure to top four NPA accounts	188.05	54.60

II) क्षेत्रवार अनर्जक आस्तियां

(रू. करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र	संबंधित क्षेत्र के कुल अग्रिमों में अनर्जक आस्तियों का प्रतिशत (प्राथमिकता प्राप्त एवं गैर प्राथमिकता शामिल)	
		2018-19	2017-18
(क)	कृषि और संबद्ध गतिविधियां	15.61	6.88
(ख)	उद्योग (माईक्रो और लघु, मझौले और बड़े)	20.51	4.69
(ग)	सेवाएं	7.62	5.67
(घ)	वैयक्तिक ऋण	2.25	2.44

III) अनर्जक आस्तियों में उतार–चढ़ाव

(रू. करोड़ में)

ब्यौरे	2018-19	2017-18
विगत वर्ष विशेष के 1 अप्रैल को सकल अनर्जक आस्तियां (आरंभिक शेष)	167.48	164.27
वर्ष के दौरान वृद्धि (नयी अनर्जक आस्तियां)	252.91	47.89
उप–जोड़ (क)	420.39	212.16
घटाएं :–		
(क) श्रेणी उन्नयन	5.32	12.65
(ख)वसूली (जिन खातों का श्रेणी उन्नयन हुआ है उनसे वसूली को छोड़कर)	25.89	18.56
(ग) बट्टे खाते डाले गये	0.96	13.47
उप–जोड़ (ख)	32.17	44.68
चालू वर्ष के 31 मार्च को सकल अनर्जक आस्तियां (इति शेष) (क–ख)'	388.22	167.48

'भा.रि.बैं. के परिपत्र, दिनांक 24.09.2010 की अपेक्षाओं के अनुसार सकल गै.नि.अ. (एन.पी.ए.) में उचंत ब्याज खाते के शेष की राशि सम्मिलित नहीं है।

IV) अग्रिमों का संकेन्द्रण

(रू. करोड़ में)

ब्यौरे	2018-19	2017-18
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को दी गई कुल ऋणराशि	797.45	633.76
बैंक के कुल अग्रिमों में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं के अग्रिमों का प्रतिशत	21.88%	18.42

Sector wise NPAs

(Rs. in crores)

Sl. No.	Sector	Percentage of NPAs to total Advances in that sector (including both Priority & Non Priority)	
		2018-19	2017-18
(a)	Agriculture & Allied Activities	15.61	6.88
(b)	Industry (Micro & Small, Medium and Large)	20.51	4.69
(c)	Services	7.62	5.67
(d)	Personal Loans	2.25	2.44

III- Movement of NPAs*

(Rs. in crores)

Particulars	2018-19	2017-18
Gross NPA* as on 1st April of previous year (Opening Balance)	167.48	164.27
Additions (Fresh NPAs) during the year	252.91	47.89
Sub - Total (A)	420.39	212.16
Less :-		
(i) Upgradations	5.32	12.65
(ii) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts	25.89	18.56
(iii) Write – offs	0.96	13.47
Sub - Total (B)	32.17	44.68
Gross NPA* as on 31st March of current year(closing balance)(A-B)	388.22	167.48

IV. Concentration of Advances

(Rs. in crores)

ब्यौरे	2018-19	2017-18
Total Advances to twenty largest borrowers	797.45	633.76
Percentage of advances to twenty largest borrowers to Total Advances of the bank	21.88%	18.42

V) सेक्टर वार अग्रिम / Sector wise advances

क्र. सं. Sr. No.	सेक्टर / Sector		चालू वर्ष / Current Year			विगत वर्ष / Previous Year		
			बकाया कुल अग्रिम Outstanding Total Advance (रू. करोड़ में) / Crore	सकल गै.नि.अ. Gross NPA	स.गै.नि.अ. का सेक्टर के कुल अग्रिम से प्रतिशत Percentage of gross NPA to Total Advance in that sector	बकाया कुल अग्रिम Outstanding Total Advance (रू. करोड़ में) / Crore	सकल गै.नि.अ. Gross NPAs	स.गै.नि.अ. का सेक्टर के कुल अग्रिम से प्रतिशत Percentage of Gross NPA to total Advance in that sector
	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	Priority Sector	1908.67	197.35	10.34	1777.47	103.80	5.84
	कृषि एवं सहायक कार्य कलाप	Agriculture and allied activities	751.02	117.95	15.70	725.89	50.07	6.90
	प्रा.प्रा.क्षे. में पात्र उद्योगों को अग्रिम	Advances to industries sector eligible as priority sector lending	358.72	29.87	8.32	345.75	17.81	5.15
	सेवाएं	Services	536.34	40.35	7.52	473.34	27.36	5.78
	वैयक्तिक ऋण	Personal Loan	262.59	9.18	3.49	232.47	8.57	3.68
	उप–जोड़ (क)	Sub Total (A)	1908.67	197.35	10.34	1777.47	103.80	5.84
	गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	Non Priority Sector	1736.05	190.87	11.00	1662.75	63.67	3.83
	जोड़	TOTAL	3644.72	388.22	10.65	3440.22	167.48	4.87

अनुलग्नक–1

भाग–अ

सकल अग्रिम, सकल गै.नि.अ., शुद्ध अग्रिम एवं शुद्ध गै.नि.अ. का 31–03–2019 को विवरण।

Annex - 1

Part A

Details of Gross Advances, Gross NPAs, Net Advances and Net NPAs on 31.03.2019

(रू. करोड़ में) /(Rs. in crores)

क्र. सं.		विवरण		31.03.2019	31.03.2018
1.		मानक अग्रिम	Standard Advances	3256.50	3115.73
2.		सकल गैर निष्पादक आस्तियां	Gross NPAs	388.22	164.27
3.		सकल अग्रिम (1 + 2)	Gross Advances (1+2)	3644.72	3280.00
4.		सकल गैर निष्पादक आस्तियों का सकल अग्रिमों से प्रतिशत (2/3) (प्रतिशत में)	Gross NPAs as a percentage of Gross Advances (2/3) (in %)10.66	10.66	5.01%
5.		कटौतियां	Deductions		
	(i)	गै.नि.अ. खाते के सन्दर्भ में आस्ति वर्गीकरण के अनुसार किया गया प्रावधान (गै.नि.अ. के सन्दर्भ में निर्धारित प्रावधान से अधिक अतिरिक्त प्रावधान को सम्मिलित करते हुए)	Provisions held in the case of NPA Accounts as per asset classification (including additional Provisions for NPAs at higher than prescribed rates).	114.98	68.84
	(ii)	डीआईसीजीसी/ईसीजीसी क्लेम जो प्राप्त हुए और समायोजन हेतु अनिष्पादित	DICGC / ECGC claims received and held pending adjustment	------	------
	(iii)	अंश भुगतान प्राप्त एवं उचंत खाते या ऐसे किसी समान खाते में रखा गया	Part payment received and kept in Suspense Account or any other similar account	14.00	7.45
	(iv)	विविध खाते में अवशेष (ब्याज पूंजीकरण–पुर्नगठित खाते) गै.नि.अ. खातों के सन्दर्भ में	Balance in Sundries Account (Interest Capitalization - Restructured Accounts), in respect of NPA Accounts	------	------

क्र. सं.		विवरण		31.03.2019	31.03.2018
	(v)	चल प्रावधान	Floating Provisions	59.72	52.92
	(vi)	गै.नि.अ. में वर्गीकृत पुर्नगठित खातों के उचित मूल्य में कमी के विरुद्ध प्रावधान	Provisions in lieu of diminution in the fair value of restructured accounts classified as NPAs	------	------
	(vii)	मानक आस्तियों में वर्गीकृत पुर्नगठित खातों के उचित मूल्य में कमी के विरुद्ध प्रावधान	Provisions in lieu of diminution in the fair value of restructured accounts classified as standard assets	00	0.02
6.		शुद्ध अग्रिम (3–5)	Net Advances(3-5)	3456.02	3310.99
7.		शुद्ध गैर निष्पादक आस्तियां {2-5(i + ii + iii + iv + v + vi)}	Net NPAs {2-5(i + ii + iii + iv + v + vi)}	199.52	38.25
8.		शुद्ध गै.नि.अ. का शुद्ध अग्रिम से प्रतिशत (7/6) (प्रतिशत)	Net NPAs as percentage of Net Advances (7/6) (in %)	5.77%	1.16%

VI.एक्सपोजर का संकेन्द्रण (रू. करोड़ में)

	2018-19	2017-18
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों के प्रति कुल एक्सपोजर	942.59	866.65
उधारकर्ताओं/ग्राहकों को बैंक के कुल एक्सपोजर में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों को दिये गये एक्सपोजर का प्रतिशत	22.66%	20.69%

VI. Concentration of Exposures (Rs. in crore)

	2018-19	2017-18
Total Exposures to twenty largest borrowers/ customers.	942.59	866.65
Percentage of Exposures to twenty largest borrowers / customers to Total Exposure of the bank on borrowers / customers	22.66%	20.69%

VII.जमाराशि का संकेन्द्रण (रू. करोड़ में)

	2018-19	2017-18
बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशि	1804.13	2050.63
बैंक की कुल जमाराशियों में बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की जमाराशियों का प्रतिशत	24.76%	27.97%

VII. Concentration of Deposits (Rs. in crore)

	2018-19	2017-18
Total Deposits from twenty largest Depositors	1804.13	2050.63
Percentage of Deposits from twenty largest customers to Total deposits of the bank	24.76%	27.97%

VIII. बैंकाश्योरैन्स व्यवसाय

बैंक को वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान बैंकाश्योरैन्स व्यवसाय से निम्नानुसार रू. 113.09 लाख की कुल आय हुई :

(रू. लाख में)

		2018-19	2017-18
1	एक्साईड लाइफ इन्श्योरैन्स कम्पनी लि.	54.07	35.97
2	नेशनल इन्श्योरैन्स कम्पनी लि.	22.47	29.84
3	इंडिया फर्स्ट लाइफ इन्श्योरैंन्स कं. लि.	7.83	3.59
4	भारतीय जीवन बीमा निगम लि. (पीएमजेजेबीवाई)	3.11	3.11
5	अटल पेंशन योजना	0.18	0.31
6	फ्यूचर जेनराली	25.43	13.75
	जोड़	**113.09**	**86.57**

VIII. Bancassurance Business

The total income of the bank in respect of bank assurance business was Rs.113.09 Lacs during the financial year 2018-19, with details as under:

(Rs. in Lac.)

		2018-19	2017-18
1	Exide Life Insurance Company Ltd.	54.07	35.97
2	National Insurance Company Ltd	22.47	29.84
3	India First Life Insurance Co. Ltd	7.83	3.59
4	PMJJBY(Life Insurance Corporation of India)	3.11	3.11
5	Atal Pension Yojna	0.18	0.31
6	Future Generalli	25.43	13.75
	Total	**113.09**	**86.57**

बैंक को वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान अन्य उत्पादों से निम्नानुसार रू. 0.26 लाख की आय हुई

(रू. लाख में)

क्र.सं	कम्पनी	2018-19	2017-18
1	विजमैंन फोरेक्स लि.	0.23	0.37
2	यू.टी.आई.आई.टी.एस.एल.	-	-
3	स्टॉक होल्डिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया लि.	0.03	0.09
	जोड़	0.26	0.46

The total income of the bank in respect of other products was Rs. 0.26 Lac during the financial year 2018-19, with details as under.

(Rs. in Lac.)

Sr. No.	Company	2018-19	2017-18
1	Weizmann Forex Ltd.	0.23	0.37
2	UTIITSL	-	-
3	Stock Holding Corporation of India Ltd.	0.03	0.09
	Total	0.26	0.46

IX. डीईए फंड (जमाकर्ता को शिक्षित एवं जागरुक करने के लिए निधि):

(रू. करोड़ में)

	2018-19	2017-18
डी ई ए–फंड को अंतरित प्रारम्भिक जमा राशि	13.85	11.17
जोड़ें: वर्ष के दौरान डी ई ए फंड को अंतरित राशि	2.16	3.11
घटाएं: दावों के लिए डी ई ए फंड द्वारा प्रतिपूरित राशि	0.47	0.43
डी ई ए फंड को अंतरित राशि का इतिशेष	15.54	13.85

IX. DEA-FUND (Depositor Education and Awareness Fund)

(Rs. in crore)

	2018-19	2017-18
Opening balance of amounts transferred to DEA-FUND	13.85	11.17
Add: Amounts Transferred to DEA-FUND during the year	2.16	3.11
Less :Amounts reimbursed by DEA-FUND towards claims	0.47	0.43
Closing balance of amounts transferred to DEA-FUND	15.54	13.85

X. चलनिधि व्याप्ति अनुपात (एलसीआर) 2018–2019

क्रसं.		वित्त वर्ष / FY 2018-19		वित्त वर्ष / FY 2017-18		चौथी तिमाही / Q4- 2018-19	
		सकल गैर भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (average)	सकल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (average)	सकल गैर भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (average)	सकल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (average)	सकल गैर भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (average)	सकल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (average)
उच्च गुणवत्ता की तरल आस्ति / High Quality Liquid Assets							
(1)	उच्च गुणवत्ता की सकल आस्ति (एचक्यूएलए) / Total High Quality Liquid Assets (HQLA)		1234.77		1201.88		1165.81
उच्च गुणवत्ता की तरल आस्ति / Cash Outflows							
(2)	फुटकर जमा और छोटे व्यापारी ग्राहकों द्वारा जमा जिसमें से / Retail deposits and deposits from small business customers, of which :	3623.16	278.19	3864.77	297.62	3035.25	232.46
(i)	स्थिर जमा / Stable deposits	1503.78	75.19	1777.23	88.86	1421.24	71.06
(ii)	कम स्थिर जमा / Less stable deposits	1709.86	170.99	2087.55	208.75	1614.01	161.40
(3)	असुरक्षित थोक निधीयन, जिसमें से Unsecured wholesale funding, of which:	2161.92	871.19	1952.83	974.40	3164.90	703.14
(i)	परिचालनगत जमा(सभी प्रतिपक्षी) Operational deposits (all counterparties)	-------	-------	-------	-------	-------	-------
(ii)	गैर परिचालनगत जमा (समस्त प्रतिपक्षी) Non-operational deposits (all counterparties)	2731.25	668.80	1952.83	974.40	3164.90	703.14
(iii)	असुरक्षित ऋण Unsecured debt	-------	-------	-------	-------	-------	-------
(4)	सुरक्षित थोक निधीयन Secured wholesale funding	-------	-------	-------	-------	-------	-------
(5)	अतिरिक्त आवश्यकता, जिसमें से Additional requirements, of which	667.69	42.50	680.98	43.39	670.66	44.07
(i)	गौण ऋण और अन्य संपार्श्विक आवश्यकताओं से सम्बन्धित बहिर्गमन Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements	-------	-------	-------	-------	-------	-------
(ii)	ऋण उत्पादों पर वित्तीयन की हांनि से सम्बन्धित बहिर्गमन Outflows related to loss of funding on debt products	-------	-------	-------	-------	-------	-------
(iii)	ऋण और तरलनिधि सुविधाएं Credit and liquidity facilities	720.41	48.26	680.98	43.39	670.66	44.07
(6)	अन्य संविदागत वित्तीयन बाध्यता Other contractual funding obligations	122.88	122.88	167.13	167.13	49.14	49.14
(7)	अन्य आकस्मिक वित्तीयन बाध्यता Other contingent funding obligations	141.28	4.24	114.34	3.43	143.66	4.31

X. चलनिधि व्याप्ति अनुपात (एलसीआर) 2018–2019
X.Liquidity Coverage Ratio (LCR) 2018-2019

क्रसं.		वित्त वर्ष / FY 2018-19		वित्त वर्ष /FY 2017-18		चौथी तिमाही / Q4- 2018-19	
		सकल गैर भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (average)	सकल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (average)	सकल गैर भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (average)	सकल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (average)	सकल गैर भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (average)	सकल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (average)
(8)	सकल नकद बहिगर्मन Total Cash Out Flows	6711.50	1338.25	6780.06	1485.97	7063.61	1033.12
नकदी आगमन / Cash Inflows							
(9)	सुरक्षित उधार (उदाहरण के लिए रिवर्स रिपो) Secured lending (e.g. reverse repos)	-------	-------	-------	-------	-------	-------
(10)	पूरी तरह निष्पादक ऋणों से आगमन In flow from fully performing exposures	969.55	679.00	1046.18	751.91	1137.24	834.59
(11)	अन्य नकद आगमन Other cash inflows	155.87	77.94	200.73	100.36	106.80	53.40
(12)	सकल नकद आगमन Total Cash Inflows	1259.64	877.38	1246.90	852.27	1244.05	887.99
(13)	उच्च गुणवत्ता की सकल आस्ति (एचक्यूएलए) / TOTAL HQLA		1234.77	-------	1201.88		145.13
(14)	सकल शुद्ध नकद बहिर्गमन Total Net Cash Outflows		460.87	-------	633.70		258.28
(15)	चलनिधि व्याप्ति अनुपात (%) Liquidity Coverage Ratio (%)		267.92	-------	189.66		451.38

गुणात्मक

बैंकिंग पर्यवेक्षण के लिए बेसल समिति (बीसीबीएस) ने चलनिधि व्याप्तिअनुपात (एलसीआर) इस उद्देश्य से प्रस्तावित की है कि यह सुनिश्चित कियाजा सके कि बैंक के पास पर्याप्त स्तर पर बिना भार ग्रस्त उच्च गुणवत्ता की तरल आस्ति है जिसे तरल निधि के पर्यवेक्षकों द्वारा निर्दिष्ट उल्लेखनीय रुपसे तीव्र दबाव की स्थिति में अपनी तरलनिधि की आवश्यकता की पूर्ति के लिए30 दिनों की अवधि में नकदी में बदला जा सकता है। भारतीय रिजर्व बैंकके दिशा निर्देशों के अनुसार बैंकों द्वारा 1 जनवरी, 2015 से रखा जाने वालान्यूनतम वांछित चलनिधि व्याप्ति अनुपात (एलसीआर) निम्नानुसार चरणबद्ध तरीके से लागू किया जायेगा।

जनवरी 1 से प्रारम्भ	2015	2016	2017	2018	2019
न्यूनतम एलसीआर	60%	70%	80%	90%	100%

चलनिधि व्याप्ति अनुपात (एल सी आर) के दो घटक हैं:

क) उच्च स्तर की चलनिधि आस्ति (एच क्यू एल ए) के स्टाक के मूल्य का दबाव की स्थिति में होना।

ख) सकल शुद्ध नकदी बहिर्गमनः "सकल शुद्ध नकदी बहिर्गमन" शब्दाशं को इस प्रकार परिभाषित किया गया है– विनिर्दिष्ट दबाव के परिदृश्य में बाद के 30 दिनों (दबाव की अवधि) के लिए "सकल अपेक्षित नकदी बहिर्गमन" से "सकल अपेक्षित नकदी आगमन" को घटाना।

तरलनिधि व्याप्ति अनुपात = उच्च स्तर की तरल आस्ति के स्टाक / आगामी 30 दिनों में सकल शुद्ध नकदी बहिर्गमन झ = 100 प्रतिशत

उच्च स्तर की तरल आस्तियां (एचक्यूएलए) :

तरल आस्ति में उच्च स्तर की वह आस्ति समाविष्ट है जिसे दबाव के परिदृश्य की अवधि में सरलता से बेचा जा सकता है या निधि के प्राप्ति के लिए संपार्श्विक निधि के रुप में उपयोग में लाया जा सकता है । उसे भार रहित अर्थात् किसी भी प्रकार के विधिगत, नियामक या

Qualitative -

The Basel Committee for Banking Supervision (BCBS) had proposed the liquidity coverage ratio (LCR) in order to ensure that a bank has an adequate stock of unencumbered high quality liquid assets (HQLA) to survive a significant liquidity stress lasting for a period of 30 days. LCR is defined as a ratio of HQLA to the total net cash outflows estimated for the next 30 calendar days. As per the RBI guidelines the minimum LCR required to be maintained by banks shall be implemented in the phased manner from January 1, 2015 as given below.

Starting from January 1	2015	2016	2017	2018	2019
Minimum LCR	60%	70%	80%	90%	100%

The LCR has two components:

(a) The value of the stock of high-quality liquid assets (HQLA) in stressed conditions.

(b) Total net cash outflows : The term "Total net cash outflows" is defined as "Total expected cash outflows" minus "Total expected cash inflows" in the specified stress scenario for the subsequent 30 calendar days (the stressed period).

LCR = Stock of High Quality Liquid Assets/Total Net Cash Outflows over the next 30 calendar days >=100%

High Quality Liquid Assets (HQLA):

Liquid assets comprise of high quality assets that can be readily sold or used as collateral to obtain funds in a range of stress scenarios. They should be unencumbered i.e. without legal, regulatory or operational impediments.

परिचालनगत् व्यवधान से रहित होना चाहिए। आस्तियों को उस स्थिति में उच्च गुणवत्ता की तरल आस्ति समझा जाता है जब वह आसानी से या तुरन्त उसके मूल्य में बहुत कम या बिना नुकसान के नकदी में परिवर्तित हो जाये ।

बैंक एचक्यूएलए की संरचना में मुख्य रूप से न्यूनतम वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) से अधिक सरकारी प्रतिभूतियां होती है, जो सीमागत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) और एलसीआर (एफऐएलएलसीआर) के लिए तरलता प्राप्त करने की सुविधा के तहत दी गई सीमा है। साथ ही, भारतीय रिजर्व बैंक के साथ नकदी आरक्षित आवश्यकता से अधिक नकदए शेष। स्तर 2 एचक्यूएलए में मुख्य रूप से एए– और ऊपर रेटेड कॉरपोरेट बॉन्ड और वाणिज्यिक पत्र शामिल हैं।

बैंक के नकद बहिर्वाह मुख्य रूप से खुदरा जमा है, असुरक्षित थोक वित्त पोषण,अन्य कानूनी इकाई ग्राहकों से वित्त पोषण, अनाहरित प्रतिबद्ध क्रेडिट एंड चलनिधि सुविधाएं, क्रेडिट और व्यापार वित्त की गारंटी पत्र, और अन्यसंविदात्मक प्रवाह के होते है।

कैश इन्फ्लो में मुख्य रूप से खुदरा और लघु व्यवसाय प्रतिपक्षों से प्राप्त की गई राशि, गैर–वित्तीय थोक प्रतिपक्षों से प्राप्त की जाने वाली राशि,वित्तीय संस्थानों और आरबीआई से प्राप्त राशि और अन्य संविदात्मक नकदी शामिल हैं।

शुद्ध नकदी बहिर्वाह प्रवाह कि गणना रिजर्व बैंक के निर्धारित बहिर्वाह कारकों के अनुसार विभिन्न श्रेणियों के लिए तथा साथ ही अनाहरित प्रतिबद्धताए और आंशिक रूप से 30 दिनों के भीतर परिपक्व होने वाली आस्तियां के नकदी प्रवाह के ऑफसेटसे की जाती हैं।

2017–18 के दौरान औसत एलसीआर189.66 प्रतिशत था जो 2018–19 में 267.92 प्रतिशत पर है, जो कि आरबीआई द्वारा निर्धारित न्यूनतम आवश्यकता से अधिक था। औसत एचक्यूएलए 2017–2018 में 12,018,843,101रुपये था, और 2018–19 में 12,347,730,127 रुपये है। 2017–18 में औसत नकदी वहिर्गमन 14,859,685,246 रुपये था और 2018–2019 में 13,382,531,393 रुपये है। इसी तरह, 2017–2018 के लिए औसत अंतर्वाह 8,522,708,159 रुपये और 2018–2019 में 8,773,842,264 रुपये है।2017–2018 के लिए कुल नकदी अंतर्वाहरु.6,336,977,088 और 2018–2019 में रु.4,608,689,129 था।

XI. भारतीय लेखामानक (Ind AS) का कार्यान्वयनः

भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्रसं.डीबीआर.बीपी.बीसी.सं.76 / 21.07.001 / 2015–16दिनांक 11 फरवरी, 2016 से बैंको को 1 अप्रैल, 2018 के बाद से शुरू हो रहे वित्तीय वर्षों के लेखांकन के लिए भारतीय लेखामानक ;प्दक `ैद्धके साथ लागू करना आवश्यक था। मार्च 31.2018 से समाप्त हो रहे वर्ष के लिए तुलनीयता के साथ होना आवश्यक था।

बैंकों को आगे भारतीय लेखामानक के कार्यान्वयन का उनकी वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करने का निर्देश दिया गया था, जिसमें पूंजी की पर्याप्तता तथा बेसल तृतीय पूंजी आवश्यकताओं सहित बोर्डों को तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। बैंको को तैयारियों के रूप में भारतीय लेखामानक वित्तीय विवरण छमाही सितंबर 30.2016 के बाद से रिजर्व बैंक को प्रस्तुत करने की जरूरत थी।

ऊपर कहे परिपत्र के अनुपालन में, बैंक ने महाप्रबंधक की अध्यक्षता में एक संचालन समिति का गठन किया है। बैंक द्वारा30 सितम्बर 2016 को समाप्त होने वाले छमाही वर्ष का भारतीय लेखामानक का वित्तीय प्रारूप, रिज़र्व बैंक को नियमित आधार पर प्रस्तुत किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक ने 22 मार्च 2019 को अधिसूचित किया कि उसने अगली सूचना तक भारतीय लेखाप्रणाली मानकों (इंडास) का कार्यान्वयन स्थगित कर दिया है, तथापि उसने बैंकों को नियमित आधार पर हर तिमाही इंडास प्रोफॉर्मा प्रस्तुत करने के अनुदेश दिए हैं। 31.12.2018 को समाप्त तिमाही के लिए रिजर्व बैंक को यह प्रोफॉर्मा निर्धारित समय के भीतर प्रस्तुत कर दिया गया है।

XII. वेतन संशोधन के लिए प्रावधानः

नवंबर 2017 से उद्योग स्तर पर वेतन–संशोधन को देखते हुए हमने आईबीए द्वारा किए गए वेतन में 2ः बढ़ोतरी के आरंभिक प्रस्ताव के आधार पर नवंबर 2017 से मार्च 2018 तक 5 महीने की अवधि के लिए रु.6307547.60 / – (तरेसठ लाख सात हजार पाँच सौ सैंतालीस

Assets are considered to be high quality liquid assets if they can be easily and immediately converted into cash at little or no loss of value.

Bank's composition of HQLA mainly consists of government securities in excess of minimum Statutory Liquidity Ratio (SLR), the extent allowed under the Marginal Standing Facility (MSF) and the Facility to Avail Liquidity for LCR (FALLCR). Additionally, cash, balances in excess of cash reserve requirement with RBI. Level 2 HQLA primarily consisted of AA- and above rated corporate bonds and commercial papers.

Bank's Cash Outflow mainly consists of Retail Deposit, Unsecured Wholesale Funding, Funding from other legal entity customers, Undrawn Committed Credit & Liquidity Facilities, Guarantees Letter Of Credit & Trade Finance, and Other Contractual Outflows.

The cash Inflow mainly consists of amount received from Retail & Small Business Counter parties, amount to be received from Non-Financial Wholesale Counter parties, amount to be received from Financial Institutions & RBI, and from Other Contractual Cash Inflows.

The net cash outflows are calculated by applying RBI prescribed outflow factors to the various categories of liabilities as well as to undrawn commitments, partially offset by inflows from assets maturing within 30 days.

The average LCR was at 189.66% for 2017-18 which stands as 267.92% for 2018-19 comfortably above RBI prescribed minimum requirement. The average HQLA were Rs. 12,018,843,101 in 2017-2018 & Rs. 12,347,730,127 in 2018-19. The average cash outflows were Rs. 14,859,685,246 in 2017-18 & Rs. 13,382,531,393 in 2018-2019. Similarly, the average cash inflows for 2017-2018 were Rs. 8,522,708,159 & Rs. 8,773,842,264 in 2018-2019. The total net cash inflows for 2017-2018 were Rs. 6,336,977,088 & Rs. 4,608,689,129 in 2018-2019.

XI. IMPLEMENTATION OF INDIAN ACCOUNTING STANDARDS (IND AS):

In terms of RBI circular No.DBR.BP.BC No.76/21.07.001/2015-16 dated February 11,2016 banks were required to implement with the Indian Accounting Standard (Ind AS) for financial statements for accounting periods beginning from April 1, 2018 onwards, with comparatives for the periods ending March 31,2018 or thereafter. Banks were further instructed to assess the impact of the Ind AS implementation on their financial position including the adequacy of capital, taking into account the Basel III capital requirements and place quarterly progress reports to their Boards. Banks also need to be in preparedness to submit proforma Ind AS financial statements to the reserve bank from the half year ended September 30,2016 onwards. In compliance with the said circular, the bank has formed a Steering Committee headed by the General Manager and report to the Audit Committee of the bank. Bank is submitting Performa for IND AS statements starting from the half year ended 30th September, 2016 onwards to RBI on a regular basis.

Further Reserve Bank of India notified on March 22, 2019 that it had decided to defer the implementation of Indian Accounting Standards (IndAS) till further notice, however RBI has instructed the Banks to submit INDAS Performa quarterly on a regular basis. Last such performa for the quarter ended 31.12.2018 has been sent to RBI within due time.

XII. PROVISIONS TOWARDS WAGE REVISION

In view of Wage revision at industry level w.e.f. November,2017,we have made a provision of Rs 6307547.60/-(Rupees Sixty Three Lakh Seven Thousand Five Hundred Forty Seven and Paisa Sixty Only)for a period of 5

रुपये और साठ पैसे मात्र) का प्रावधान किया है, जिसकी गणना अक्तूबर 2017 के अंत में सकल आय को आधार मानकर की गई है।चालू वर्ष अर्थात 2018–19 के लिए, आईबीए द्वारा वेतन में 10: की प्रत्याशित बढ़ोतरी के आधार पर वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए रु. 70945242.40/–(सात करोड़ नौ लाख पैंतालीस हजार दो से बयालीस रुपये और चालीस पैसे मात्र) का प्रावधान किया गया है, जिसकी गणना अक्तूबर 2017 के अंत में सकल आय को आधार मानकर की गई है।

XIII. बैंक का डिजिटलीकरण

संबंधित क्षेत्र में अपेक्षित विशेषज्ञता रखने वाले छह व्यक्तियों की नियुक्ति के साथ बैंक में एक डिजिटल उपक्रम (डीवी) शुरू किया गया था। बैंक में डिजिटल उपक्रम का विरोध करने के इरादे से नैनीताल बैंक अधिकारी संघ के कुछ पदाधिकारियों ने लोक सभा की याचिका समिति के समक्ष एक याचिका दाखिल की थी। लंबी चर्चाओं के बाद समिति ने 18.12.2018 को अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवा विभाग) को सौंप दी, जिसमें डीवी परियोजना को स्थायी रूप से समाप्त करने और साथ ही नैनीताल बैंक लिमिटेड में बैंक ऑफ बड़ौदा की मौजूदा डिजिटल बैंकिंग परियोजना को विस्तारित करने के प्रयास करने की संस्तुति की गई थी। इस बीच बैंक में डीवी टीम के सदस्यों के रूप में नियुक्त छहों व्यक्ति परियोजना छोड़कर चले गए और फिलहाल बैंक की डीवी परियोजना में कोई गतिविधि नहीं है। बैंक ने वर्ष 2018–19 में डिजिटल उपक्रम पर 2.07 करोड़ रुपये खर्च किए है।

Months from November 2017 to March 2018 on the basis of initial offer of 2% wage hike by IBA, calculated by keeping the gross earnings at the end of October 2017 as base.

For the current year i.e 2018-19 ,a provision of Rs. 70945242.40/-(Rupees Seven Crore Nine Lakh Fourty Five Thousand Two Hundred Fourty Two and Paise Forty) for the F.Y. 2018-19 on the basis of IBAs'offer of 10% expected wage hike has been made and calculated by keeping the gross earnings at the end of October 2017 as base .

XIII. DIGITIZATION OF THE BANK :

A Digital Venture in the Bank was initiated with appointment of six persons with required expertise in the field. With a view to oppose the Digital Venture in the Bank, a few office bearers of Nainital Bank Officers Association had filed a petition before Committee of Petitions, Lok Sabha. After long deliberations the Committee of Petitions had submitted its report on 18.12.2018 to Ministry of Finance (Department of Financial Services) with recommendations to permanently scrap the DV project and at the same time, to make efforts to extend the existing Digital Banking Project of Bank of Baroda in The Nainital Bank Limited. In the meantime all the six persons appointed as DV team members in the bank have left the project and there is no activity in the DV project of the bank as on date. Bank has incurred an expenditure of Rs 2.07 Crores on Digital Venture in the financial year 2018-19.

XIV. 31.03.2019 को शीर्ष 20 उधार ग्राहकों के नाम / XIV. TOP 20 BORROWAL CUSTOMERS AS ON 31.03.2019

क्रं.स. Sl.NO.	ग्राहक का नाम / CUSTOMER NAME	ब्रांच / Branch	कुल एक्सपोजर Total Exposure
1	श्री जयपाल सिंह शर्मा ट्रस्ट SHRI JAIPAL SINGH SHARMA TRUST	गाज़ियाबाद Ghaziabad	114.51
2	ग्राफिक एरा एजुकेशनल सोसाइटी GRAPHIC ERA EDUCATIONAL SOCIETY	राजपुररोड /हरिद्वार रोड, देहरादून RAJPUR/HARDWAR RD DDN	86.40
3	श्यामा पॉवर इंडिया लिमिटेड SHYAMA POWER INDIA LTD	गुडगाँव / Gurgaon	75.18
4	आई एल एंड ऍफ़ एस ट्रांसपोर्टेशन नेट. लिमिटेड IL & FS TRANSPORTATION NET ltd	पटपड़गंज / Patparganj	70.12
5	रूद्रा ऑटो टेक इंजिनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड Rudra Auto Tech Engg Pvt Ltd	रूद्रपुर / Rudrapur	65.47
6	आईबीपीसी– इंदौर ट्रेजर आइलैंड प्राइवेट लिमिटेड IBPC- INDORE TREASURE ISLAND PRIVATE LIMITED	एच.ओ / HO	58.58
7	एकेएस मेडिकल एंड रिसर्चसेन्टरप्राईवेट लि. AKS MEDICAL & RESEARCH CENTRE PVT LTD	नोएडा–18 / NOIDA-18	50.39
8	आरबीएनएस सुगर मिल्स लि. RBNS SUGAR MILLS LIMITED	रूड़की / Roorkee	50.00
9	बेनलोन इंडिया लिमिटेड BENLON INDIA LIMITED	शालीमार बाग / Shalimar Bagh	48.62
10	श्री बालाजी फार्म एंड राइस प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड SHRI BALAJI FARMS AND RICE PROCESSING PRIVATE LIMITED	बरेली / Bareilly	46.14
11	आईबीपीसी–अदानी गैस लिमिटेड IBPC-ADANI GAS LTD	एच.ओ / HO	41.42
12	वी आर वाई इंडस्ट्रियल पार्क VRY INDUSTRIAL PARK	पप्पनकलां / Pappankalan	35.65
13	राजस्थान फ्लेक्सिबल पी लिमिटेड RAJASTHAN FLEXIBLE P LTD	पीतमपुरा / Pitampura	35.14
14	नैनी ऑटो टक NAINI AUTO TECH	रूद्रपुर / Rudrapur	28.35
15	जिंदल रिफायनरीज लिमिटेड JINDAL REFINERIES LTD	काशीपुर / Kashipur	25.40
16	एडवांस मेडिकल साइंस एंड एजुकेशनल सोसाइटी	शालीमार बाग, दिल्ली Shalimar Bagh	25.12
17	आईबीपीसी–औरंगाबाद इलेक्ट्रिकल लिमिटेड IBPC - AURANGABAD ELECTRICAL LIMITED	एच.ओ / HO	25.00
18	के एम पेपरस / K M PAPERS	रूद्रपुर / Rudrapur	21.90
19	सूद सीड्स कंपनी प्राइवेट लिमिटेड SOOD SEEDS CO PRIVATE LIMITED	बाजपुर / Bazpur	20.00
20	आईबीपीसी–स्टडस एक्सेसरीजलिमिटेड IBPC- STUDDS ACCESSORIES LTD	एच.ओ / HO	19.20

31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के नकदी प्रवाह का विवरण / Statement of Cash Flow for the Year Ended 31st March 2019

		समाप्तवर्ष 31-03-2019	lekIro"kZ 31-03-2018
क)	**परिचालनगत कार्यकलापों से नकदी प्रवाह / A. Cash flow from operating activities :**		
	कराधान से पहले शुद्ध लाभ / Net profit before taxes.	508887	764879
	निम्नलिखित के लिए समायोजन / Adjustments for :		
	स्थाई आस्तियों पर मूल्यह्रास / Depreciation on fixed Assets	36482	40795
	प्रतिलेखित निवेश पर मूल्यह्रास / Depreciation on investment Written back	0	0
	निवेशों के लिए किया गया प्रावधान / Provision made on Investment	56063	2221
	अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान / Provision in respect of NPA.	538994	173043
	पुर्नगठित मानक आस्तियों के लिए प्रावधान / Provision for standard assets restr,	9745	40235
	अन्य मदों के लिए प्रावधान / Provision for other items.	0	0
	स्थाई आस्तियों की बिक्री पर लाभ/(हानि) / Profit (Loss on sale of fixed Assets	28	46
	चालू वर्ष के लिए आस्थगित कर / Deferred Tax for Current year	-20602	-3607
	अतिरिक्त प्रावधान जो प्रतिलेखित किया गया / Excess Provision Written back	0	0
		1129597	1017612
	निम्नलिखित के लिए समायोजन / Adjustment for		
	निवेशों में (वृद्धि)/कमी / (Increase)/Decrease in investments	1656264	3995010
	अग्रिमों में (वृद्धि)/कमी / (Increase)/Decrease in advances	-1518145	-1557290
	अन्य आस्तियों में (वृद्धि)/कमी / (Increase)/Decrease in other assets	-575446	702373
	उधार में वृद्धि/(कमी) / (Increase)/Decrease in Borrowing	-28	28
	जमा में वृद्धि/(कमी) / (Increase)/Decrease in deposits	-456822	4790877
	अन्य देयताओं और प्रावधानों में वृद्धि/(कमी)/(Increase)/Decrease in other liabilities and provisions	-301578	-1136144
	भुगतान किया गया प्रत्यक्ष कर / Direct Taxes paid.	-240000	-276000
	परिचाल नगत कार्य कलापों से शुद्ध नकदी (क)/Net cash from operating activities (A)	-306158	7536466
(ख)	**निवेश सम्बन्धी कार्यकलापों से नकदी प्रवाह/Cash flow from investing activities :**		
	स्थाई आस्तियों में (वृद्धि)/कमी / (Increase)/Decrease in fixed assets	-25538	-51719
	व्यापार से सम्बन्धित निवेशों में परिवर्तन /Change in Trade related investments	0.00	0-00
	समनुषंगी/अन्य से प्राप्त लाभांश / Dividend received from subsidiaries/others	0.00	0.00
	निवेश सम्बन्धी कार्यकलापों से शुद्ध नकदी (ख)/Net Cash from investing activities (B)	-25538	-51719
(ग)	**वित्तीय कार्यकलापों से नकदी प्रवाह/Cash flow from financing activities :**		
	शेयरपूंजी/Share Capital	0	0
	शेयर पर वर्धित मूल्य (प्रीमियम)/Share Premium	0	0
	अप्रतिभूतमोचनीय बॉण्ड/Unsecured Redeemable Bonds	0.00	0.00
	लाभांश/Dividend	-167899	-203268
	अप्रतिभूत मोचनीय बॉण्डों पर दिया गया/देय ब्याज/Interest paid/payable on unseacured redeemable bond	0.00	0-00
	वित्तीय कार्यकलापों से शुद्ध नकदी (ग)/Net Cash from financing activities (C)	-167899	-203268
	नकदी और नकद समतुल्यों में शुद्ध वृद्धि (क) + (ख) + (ग)/Net increase in cash & cash equivalents (A)+(B)+(C)	-499595	7281479
	वर्ष के आरम्भ पर नकदी व समतुल्य/Operening Cash & cash equivalents	28757393	21475914
	वर्ष की समाप्ति पर नकदी व समतुल्य/Closing Cash & cash eqivatents	28257798	28757393

Distribution of Fruits at B.D. Pandey Hospital, Nainital

Tree Plantation at Manora Range Nainital

A Small Token of Support for the Veteran Artist Padam Shree Yasodhar Mathpal

Shri Dinesh Pant Chairman & CEO with the Members of Lake City Welfare Society on Mother's Day

दिल्ली / DELHI (16)

1. पंचकुइयां रोड / Panchkuian Road M]
2. लाजपत नगर / Lajpat Nagar [M]
3. शालीमार बाग / ShalimarBagh [M]
4. तिलक नगर / Tilak Nagar [M]
5. पटपड़ गंज / Patparganj [M]
6. पीतमपुरा (पश्चिम) / Pitampura [M]
7. आई०पी० एक्सटैन्सन / I. P. Extension [M]
8. पप्पनकलां / Pappankalan [M]
9. विकासमार्ग / VikasMarg [M]
10. न्यूकोंडली / New Kondli [M]
11. रोहिणीसेक्टर 16 / Rohini Sector - 16 [M]
12. रोहतकरोड / Rohtak Road [M]
13. सर्विसब्रान्च, पी.के. रोड / Service Branch, P. K. Road [M]
14. सुरहेड़ा (नजफगढ़) / Surhera (Najafgarh) [R]
15. द्वारका / Dwarka [M]
16. दिलशादगार्डन / Dilshad Garden [M]

उत्तराखंड / Uttarakhand (77)

जिला–अल्मोड़ा / DISTT. – ALMORA (4)

17. अल्मोड़ा (मुख्य) / Almora – [SU]
18. रानीखेत / Ranikhet – [SU]
19. लोअरमालरोड., अल्मोड़ा / Lower Mall Road, Almora – [SU]
20. द्वाराहाट / Dwarahat – [R]

जिला–बागेश्वर / DISTT. – BAGESHWAR (3)

21. बागेश्वर / Bageshwar – [R]
22. बनलेख / Banlekh – [R]
23. कपकोट / Kapkot – [R]

जिला–चम्पावत / DISTT. – CHAMPAWAT (7)

24. लोहाघाट / Lohaghat – [R]
25. चम्पावत / Champawat – [R]
26. देवीधुरा / Devidhura – [R]
27. चौमेल / Chaumel – [R]
28. भिंगराड़ा / Bhingrara – [R]
29. टनकपुर / Tanakpur – [SU]
30. बनबसा–चम्पावत / Banbasa-Champawat – [R]

जिला–नैनीताल / DISTT. – NAINITAL (19)

31. नैनीताल (मुख्य) / Nainital (Main) – [SU]
32. रेलवेबाजार, हल्द्वानी / Railway Bazar, Haldwani – [U]
33. रामनगर / Ramnagar – [SU]
34. भीमताल / Bhimtal – [R]
35. रामगढ़ / Ramgarh – [R]
36. लालकुआं / Lalkuan – [R]
37. बैलपड़ाव / Bailparao – [R]
38. पहाड़पानी / Paharpani – [R]
39. रानीबाग / Ranibagh – [R]
40. तल्लीताल, नैनीताल / Tallital, Nainital – [SU]
41. कालाढूंगीरोड, हल्द्वानी / Kaladhungi Road, Haldwani – [U]
42. एमबीपीजीकालेज, हल्द्वानी / M.B.G.P.G. College, Haldwani – [U]
43. रामपुररोड, हल्द्वानी / Rampur Road, Haldwani – [U]
44. भवाली / Bhowali – [R]
45. अर्जुनपुर (गोरापड़ाव) हल्द्वानी / Arjunpur (Goraparao) Haldwani– [R]
46. लोहरियासालमल्ला (कठघरिया), हल्द्वानी LohariasalMalla (Kathgharia), Haldwani – [R]
47. कमलुवागांजा, हल्द्वानी / Kamaluwaganja, Haldwani – [R]
48. जगतपुर (गौलापार) / Jagatputr (Gaulapar) – [R]
49. दमुवाढूंगा (बन्दोबस्ती) / Damuadhunga (Bandobasti) – [R]

जिला–पिथौरागढ़ / DISTT. - PITHORAGARH (2)

50. पिथौरागढ़ / Pithoragarh – [SU]
51. धारचूला / Dharchula – [R]

जिला–ऊधम सिंह नगर / DISTT.–UDHAM SINGH NAGAR (21)

52. काशीपुर / Kashipur – [U]
53. किच्छा / Kichha – [SU]
54. बाजपुर / Bazpur – [SU]
55. किलाखेड़ा / Kilakhera – [SU]
56. नगला / Nagla – [SU]
57. बरा / Bara – [R]
58. श्रीपुर बिछवा / Sripur Bichhwa – [R]
59. रूद्रपुर / Rudrapur – [U]
60. जसपुर / Jaspur – [SU]
61. गदरपुर / Gadarpur – [R]
62. भूड़ महोलिया (खटीमा) / Bhoor Maholia (Khatima) – [SU]
63. सिडकुल, पंतनगर / SIDCUL, Pantnagar – [U]
64. सितारगंज/Sitarganj – [SU]
65. महेशपुरा (दोराहा), बाजपुर / Mahespura (Doraha), Bazpur – [R]
66. बरहैनी, बाजपुर / Barhani, Bazpur – [R]
67. मुरादाबादरोडकाशीपुर / Moradabad Road-Kashipur – [U]
68. भूरारानी, रूद्रपुर / Bhurarani Rudrapur – [R]
69. विक्रमपुर, बाजपुर/ Vikrampur ,Bazpur [R]
70. शिमला पिस्तौर, रूद्रपुर/Shimla Pistore, Rudrapur [R]
71. दिनेशपुर रूद्रपुर/Dineshpur Rudrapur- [SU]
72. नानकमत्ता/Nanakmatta- [R]

जिला–चमोली / DISTT. – CHAMOLI (2)

73 जोशीमठ / Joshimath – [SU]
74. कर्णप्रयाग / Karnprayag – [R]

जिला–देहरादून / DISTT. – DEHRADUN (9)

75. देहरादून / Dehradun – [U]
76. विकासनगर / Vikas Nagar – [SU]
77. डोईवाला / Doiwala – [R]
78. ऋषिकेश / Rishikesh – [SU]
79. हरिद्वाररोड, देहरादून / Haridwar Road, Dehradun – [U]
80. सहारनपुररोड, देहरादून/Saharanpur Road, Dehradun – [U]
81. मंसूरी / Mussoorie – [SU]
82. वसन्तविहार, देहरादून / VasantVihar, Dehradun – [U]
83. चकरातारोड, देहरादून / Chakrata Road, Dehradun – [U]

जिला–हरिद्वार / DISTT. – HARIDWAR (3)

84. हरिद्वार / Haridwar – [U]
85. रूड़की / Roorkee – [U]
86. ज्वालापुर, हरिद्वार / Jwalapur, Haridwar – [U]

जिला–पौड़ी (गढ़वाल) / DISTT. - PAURI (GARHWAL) (3)

87. कोटद्वार / Kotdwar – [SU]
88. श्रीनगर / Srinagar – [SU]
89. पौढ़ी / Pauri – [SU]

जिला– रूद्रप्रयाग / DISTT. - RUDRAPRAYAG (1)

90. रूद्रप्रयाग / Rudraprayag – [R]

जिला–टेहरी / DISTT. – TEHRI (2)

91. नईटेहरी / NewTehri – [SU]
92. तपोवन, ऋषिकेश / Tapovan, Rishikesh – [R]

जिला–उत्तरकाशी / DISTT. – UTTARKASHI (1)

93. पुरोला, उत्तरकाशी / Purola, Uttarkashi – [R]

उत्तर प्रदेश / UTTAR PRADESH	(36)
जिला–आगरा / DISTT. – AGRA	**(1)**
94. आगरा / Agra	[M]
जिला–बरेली / DISTT. – BAREILLY	**(4)**
95. बहेड़ी / Baheri	[SU]
96. सिविललाईन्स, बरेली / Civil Lines, Bareilly	[U]
97. प्रभातनगर, बरेली / Prabhat Nagar, Bareilly	[U]
98. फरीदपुर, बरेली / Faridpur, Bareilly	[SU]
जिला–बिजनौर / DISTT. – BIJNOR	**(4)**
99. नजीबाबाद / Najibabad	[SU]
100. बिजनौर / Bijnor	[SU]
101. धामपुर / Dhampur	5[SU]
102. नगीना / Nagina	[SU]
जिला–बुलन्दशहर / DISTT. – BULANDSHAHAR	**(1)**
103. बुलन्दशहर / Bulandshahar	[U]
जिला–गाज़ियाबाद / DISTT. – GHAZIABAD	**(3)**
104. गाजियाबाद / Ghaziabad	[M]
105. वैशाली, गाजियाबाद / Vaishali, Ghaziabad	[M]
106. संजयनगर, गाजियाबाद / Sanjay Nagar, Ghaziabad	[M]
जिला–गौतमबुद्धनगर / DISTT. – GAUTAMBUDH NAGAR	**(3)**
107. नोएडा सैक्टर–50 / Noida Sector-50	[U]
108. नोएडा सैक्टर–18 / Noida Sector-18	[U]
109. ग्रेटरनोएडा / Greater Noida	[U]
जिला–कानपुर / DISTT. – KANPUR	**(2)**
110. कानपुर / Kanpur	[M]
111. बर्रा–कानपुर / Barra-Kanpur	[M]
जिला– लखनऊ / DISTT. – LUCKNOW	**(6)**
112. टी॰ एन॰रोड, लखनऊ / T. N. Road, Lucknow	[M]
113. महानगर, लखनऊ / Mahanagar, Lucknow	[M]
114. आशियाना, लखनऊ / Ashiana, Lucknow	[M]
115. नादानमहलमार्ग, लखनऊ / NadanMahal Road, Lucknow	[M]
116. गोमतीनगर, लखनऊ / Gomti Nagar, Lucknow	[M]
117. आई॰ एम॰ एम॰रोड, लखनऊ / I. I. M. Road, Lucknow	[M]
जिला–मेरठ / DISTT. – MEERUT	**(2)**
118. मेरठ / Meerut	[M]
119. कंकर खेड़ा–मेरठ / KankarKhera-Meerut	[M]
जिला–मुरादाबाद / DISTT. MORADABAD	**(2)**
120. मुरादाबाद / Moradabad	[U]
121. कांठरोड–मुरादाबाद / Kanth Road-Moradabad	[U]
जिला–मुजफ्फरनगर / DISTT. MUZAFFARNAGAR	**(1)**
122. मुजफ्फरनगर / Muzzafarnagar	[U]
जिला–पीलीभीत / DISTT. – PILIBHIT	**(1)**
123. पीलीभीत / Pilibhit	[U]
जिला–रामपुर / DISTT. – RAMPUR	**(2)**
124. रामपुर / Rampur	[U]
125. बिलासपुर / Bilapur	[SU]
जिला–सहारनपुर / DISTT. – SAHARANPUR	**(1)**
126. सहारनपुर / Saharanpur	[U]
जिला– शाहजहाँपुर / DISTT. – SHAHJAHANPUR	**(2)**
127. शाहजहाँपुर / Shahjahanpur	[U]
128. सतवन बुजुर्ग शाहजहाँपुर/ SatwanBujurg, Shahjahanpur	[R]
जिला–सीतापुर / DISTT. SITAPUR	**(1)**
129. सीतापुर / Sitapur	[U]

हरियाणा / HARYANA	(7)
जिला–अम्बाला / DISTT. – AMBALA	**(1)**
130. अम्बाला / Ambala	[U]
जिला–फरीदाबाद / DISTT. – FARIDABAD	**(2)**
131. फरीदाबाद / Faridabad	[M]
132. बल्लभगढ़–फरीदाबाद / Ballabhgarh-Faridabad	[M]
जिला–गुरूग्राम / DISTT. – GURUGRAM	**(2)**
133. गुरूग्राम / Gurugram	[U]
134. सोहना रोड–गुरूग्राम / Sohna Road-Gurugram	[U]
जिला–करनाल / DISTT. – KARNAL	**(1)**
135. करनाल / Karnal	[U]
जिला–पानीपत / DISTT. – PANIPAT	**(1)**
136. पानीपत / Panipat	[U]

राजस्थान / RAJASTHAN	(3)
जिला–जयपुर / DISTT. – JAIPUR	**(3)**
137. जयपुर / Jaipur	[M]
138. कोटपुतली, जयपुर / Kotputli, Jaipur	[SU]
139. राजा पार्क, जयपुर / Raja Park, Jaipur	[M]

Key : M – Metropolitan Centre महानगरीय केन्द्र, U – Urban Centre शहरी केन्द्र, SU – Semi Urban Centre अर्ध–शहरी केन्द्र, R – Rural Centre ग्रामीण केन्द्र

शाखाओं की संख्या विभिन्न केन्द्रों पर / No. of Branches at Various Centers :

1–महानगरीय / Metro	2– शहरी / Urban	3– अर्ध–शहरी / Semi-Urban	4–ग्रामीण / Rural
33	35	32	39

क्षेत्रीय कार्यालय / Regional Offices

1–दिल्ली / Delhi	2–हल्द्वानी / Haldwani	3–देहरादून / Dehradun

नैनी लोन प्वाइंट / Naini Loan Point

1–दिल्ली / Delhi	2–हल्द्वानी / Haldwani	3–देहरादून / Dehradun	4–लखनऊ / Lucknow	5–रूद्रपुर / Rudrapur

STATUTORY AUDITORS :	M/s P.S.M.G. and Associates, Chartered Accountants
COMPANY SECRETARY :	Mr. Vivek Sah

In case of dispute, english version of this Annual Report shall be treated as final

96th Annual General Meeting

Best Performing Private Bank Awarded 3rd in the Category of Average Aadhar Generation and Update, by UIDAI at GOA

नैनीताल बैंक NAINITAL BANK

दि नैनीताल बैंक लि० THE NAINITAL BANK LTD.

Regd. Off. G.B. Pant Road, Nainital-263001 (Uttarakhand)
H.O. : Naini Bank House, 7 Oaks, Mallital, Nainital - 263001 (Uttarakhand)
Phone : 05942-236138/236195/239280
Email : accounts@nainitalbank.co.in | Website : www.nainitalbank.co.in
CIN No.: U65923UR 1922 PLC 000234